विकास के लिए वित्तपोषण

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

42वीं वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

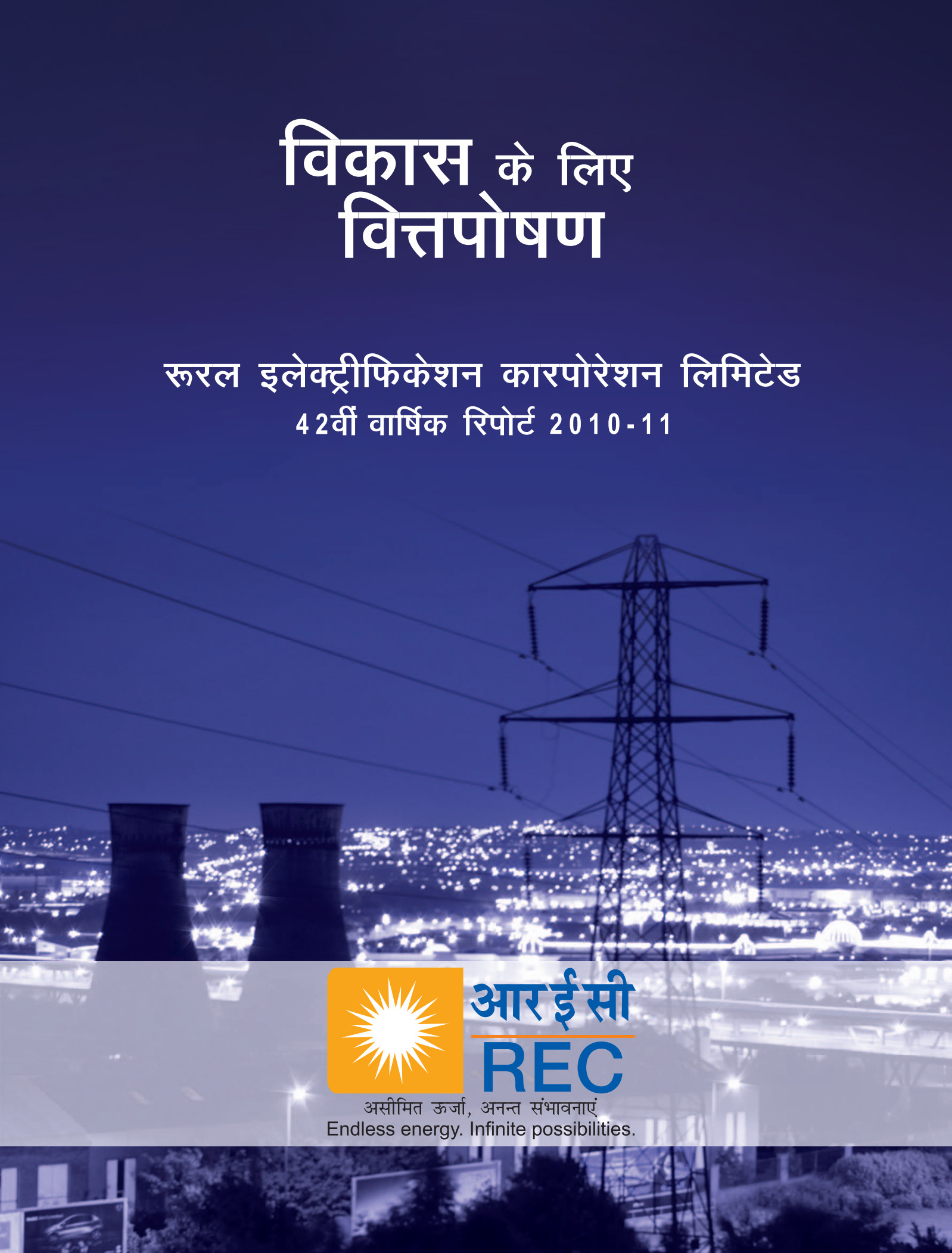

आरईसी
REC

असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

कंपनी के बारे में सूचना

कारपोरेट कार्यालय

प्रकार्यात्मक निदेशक

श्री एच.डी. खुंटेटा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**श्री एच.डी. खुंटेटा** निदेशक (वित्त)	**श्री प्रकाश ठक्कर** निदेशक(तकनीकी)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री बी.पी.पांडेय (10.01.2011 से)	**श्री राजेश वर्मा** (10.01.2011 तक)

कार्यकारी निदेशक

श्री विनोद बिहारी कार्यकारी निदेशक (सीसी/प्रशि./ सीएसआर)	**श्री बी.पी. यादव** कार्यकारी निदेशक (आईटी/इस्टेट)	**श्री पुनीत कुमार गोयल** कार्यकारी निदेशक (आरजीजीवीवाई/ सीपी/ जेन.)	**श्री कमल दयानी** कार्यकारी निदेशक	**श्री वी.के. अरोड़ा** कार्यकारी निदेशक (वित्त)

महाप्रबंधक

श्री डी.एस. आहलूवालिया महाप्रबंधक (वित्त)	**श्री अजीत कुमार अग्रवाल** महाप्रबंधक (वित्त)	**श्री अशोक अवस्थी** महाप्रबंधक (आईसी एंड डी/प्रशा./आरई)	**श्री संजीव गर्ग** महाप्रबंधक (जेनरेशन)
श्री सुनील कुमार महाप्रबंधक (आरजीजीवीवाई)	**श्री एस.एन. गायकवाड़** महाप्रबंधक (जेनरेशन)	**श्री आर.के. मित्तल** महाप्रबंधक (विधि)	**श्री एस.के. गुप्ता** महाप्रबंधक (पारेषण एवं वितरण)
श्री राकेश कुमार अरोड़ा महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं कंपनी सचिव		**श्री टी.एस.सी.बोस** महाप्रबंधक (आरजीजीवीवाई/एसटीडी/क्यूसी)	

आंचलिक प्रबंधक

पश्चिमी अंचल, मुंबई **श्री एम.के. मित्तल** आंचलिक प्रबंधक	पूर्वी अंचल, कोलकाता **श्री एस.घोष दस्तीदार** आंचलिक प्रबंधक	उत्तरी अंचल, पंचकुला **श्री जी.एस. भाटी** आंचलिक प्रबंधक
दक्षिणी अंचल, हैदराबाद **श्री पी.एस. हरिहरन** आंचलिक प्रबंधक	पूर्व मध्य अंचल, पटना **श्री एन.के. मौर्या** आंचलिक प्रबंधक (प्रभारी)	

पंजीकृत कार्यालय

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003,
दूरभाषः 91 11 24365161,फैक्स : 91 11 24360644, ई-मेलः reccorp@recl.nic.in, वेबसाइटः www.recindia.nic.in

कंपनी सचिव

श्री राकेश कुमार अरोड़ा

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड,
प्लॉट 17 से 24, विट्ठलराव नगर, मधापुर, हैदराबाद-500081, भारत, दूरभाषः 91 40 23420815-824
फैक्सः91 40 23420814, ई-मेलः einward.ris@karvy.com, वेबसाइटः www.karvy.com

शेयर निम्नलिखित में सूचीबद्ध हैं

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

डिपाजिटरी

नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड
सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक

के.जी.सोमानी एंड कंपनी सनदी लेखाकार	बंसल एंड कंपनी सनदी लेखाकार

सचिवालयी लेखापरीक्षक

चंद्रशेखरन असोशिएट, कंपनी सचिव

बैंकर्स

भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद विजया बैक	देना बैंक कारपोरेशन बैंक एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक	आईडीबीआई बैंक इंडस इंड बैंक बैंक ऑफ इंडिया ऐक्सिस बैंक	यैस बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

सहायक कंपनियां

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
वेमगिरि ट्रांसमिशन सिस्टमस लिमिटेड
(आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लि. के पूर्ण स्वामित्व में)

विषय सूची

1. शेयरधारकों को अध्यक्ष का पत्र 5
2. वार्षिक महासभा की सूचना 10
3. निदेशकों का विवरण 26
4. निदेशकों की रिपोर्ट 29
5. प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट 51
6. निगमित सुशासन पर रिपोर्ट 57
7. निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र 68
8. तुलन पत्र 70
9. लाभ एवं हानि लेखा 71
10. अनुसूचियां 72
11. नकदी प्रवाह विवरण 93
12. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 95
13. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 98
14. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 99
15. सचिवालय लेखापरीक्षा 100
16. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(1)(ड.) के अनुसरण में विवरण 101
17. समेकित वित्तीय विवरण 102
18. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 212(8) के अनुसरण में विवरण 125
19. आरईसी कार्यालयों के पते 126

कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य-मुख्य बातें

पिछले 10 वर्षों के दौरान सतत् विकास

विवरण	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02
संसाधन										
(वर्ष के अंत तक)										
इक्विटी पूंजी (₹ लाख)	**98746**	98746	85866	85866	78060	78060	78060	78060	78060	78060
उधार (₹ लाख)										
भारत सरकार से	**3613**	4942	6474	8192	10048	11997	14017	118336	220341	480947
बांड जारी करके	**5119525**	4086101	3263148	2408962	2248372	1675724	1360591	1197511	1049404	671927
भारतीय जीवन बीमा निगम से	**285000**	320000	335000	350000	350000	350000	350000	150000	—	—
विदेशी मुद्रा उधार	**758332**	207637	149368	104845	87209	—	—	—	—	—
वाणिज्यिक दस्तावेजों से	**शून्य**	245000	129500	—	—	—	—	—	—	—
अन्य बैंक	**646914**	644143	610105	556280	332471	366200	213200	44000	20000	21000
आरक्षित एवं अधिशेष (निवल)	**1180116**	1009288	533142	450904	323211	341773	299830	248377	208105	168570
आईआईएफसीएल से	**187000**	87000	—	—	—	—	—	—	—	—
वित्तीय प्रचालन										
वर्ष के दौरान (₹ लाख)										
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**658**	492	506	881	748	661	1523	1322	1060	979
स्वीकृत वित्तीय सहायता	***6641998**	*4535736	*4074584	*4676976	*2862985	*1659689	1631636	1597791	1212534	676394
संवितरण	**2851711**	2712714	2227786	1630370	1373299	800658	788509	601704	660664	472193
उधारकर्ताओं द्वारा वापस–अदायगी	**877258**	580654	511936	560024	403444	350646	468324	358732	471594	266998
वर्ष के अंत में बकाया	**8172545**	6597875	5065281	3861483	3126218	2456368	2106218	1830470	1593565	1418534
उपलब्धियां										
विद्युतीकृत गांव										
वर्ष के दौरान	****95293**	^53370	^^48533	#38262	*40233	181	765	122	—	207
वर्ष के अंत तक	**581701**	486408	433038	384505	©346243	306010	305829	305064	304942	304942
ऊर्जायित पंपसेट										
वर्ष के दौरान	**318176**	240020	188743	181244	174750	182239	175772	132914	134583	139917
वर्ष के अंत तक	**9668426**	9350250	9110230	8921487	8740243	8565493	8383254	8207482	8074568	7939985
कार्यकारी परिणाम										
(वर्ष के लिए) (₹ लाख)										
कुल आय	**849527**	670760	493128	353766	285399	224506	230209	199671	205389	166466
कार्मिक एवं प्रशासनिक व्यय	**16436**	14467	10924	11110	6416	5770	4434	4659	5866	4972
उधारों पर ब्याज	**478092**	389120	288735	206365	174089	133913	120475	114220	120274	109879
मूल्यहास	**304**	216	136	139	113	110	115	103	104	151
कर–पूर्व लाभ	**347663**	264919	192011	131242	100619	82983	103665	80154	76663	50120
कर के लिए प्रावधान	**90670**	64778	64803	45228	34593	19232	23590	18915	18811	11355
कर–पश्चात् लाभ	**256993**	200142	127208	86014	66026	63751	80075	61239	57852	38765
इक्विटी पर लाभांश	**74059**	60321	38640	25760	17700	19126	23450	18300	17400	12000
निवल मूल्य	**1278862**	1108033	619008	536771	401271	419833	377890	326437	286165	246630

* आरजीजीवीवाई के अंतर्गत अनुदान को छोड़कर।

** उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया। इसमें 76987 गावों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

^ उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया। इसमें 34996 गावों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

^^ उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया। इसमें 36477 गावों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया। इसमें 28961 गावों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

* उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया। इसमें 11527 गावों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

* वर्ष 2005-06 के दौरान, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 10169 गांवों का कार्य (350 विद्युतीकृत गांव में सघन विद्युतीकरण सहित) पूरा किया गया, भी शामिल है।

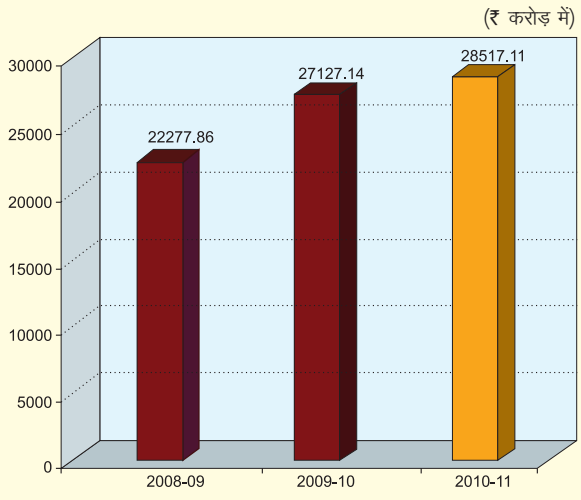

संवितरण (आरजीजीवीवाई सब्सिडी सहित)

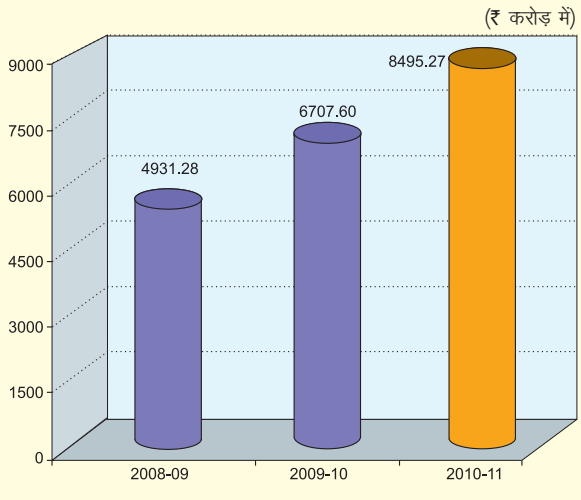

कुल आय

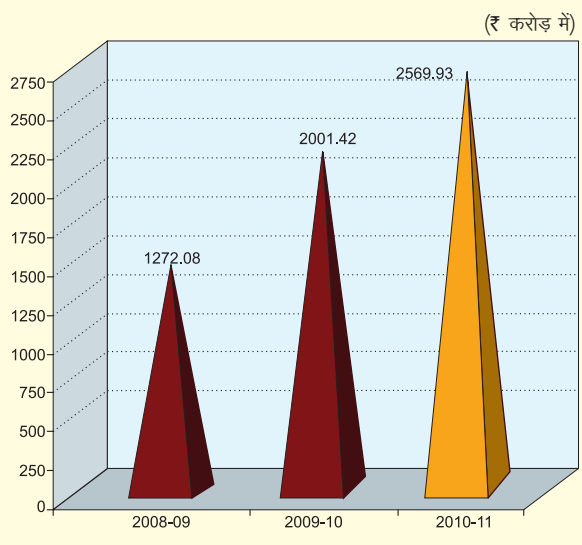

कर पश्चात लाभ

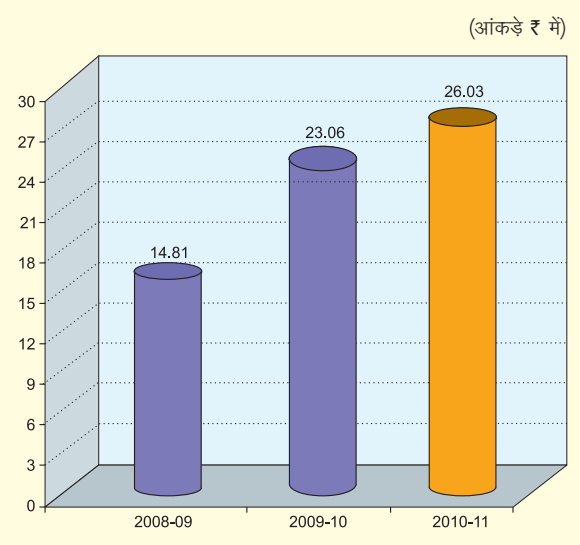

₹ 10 के प्रति शेयर अर्जन

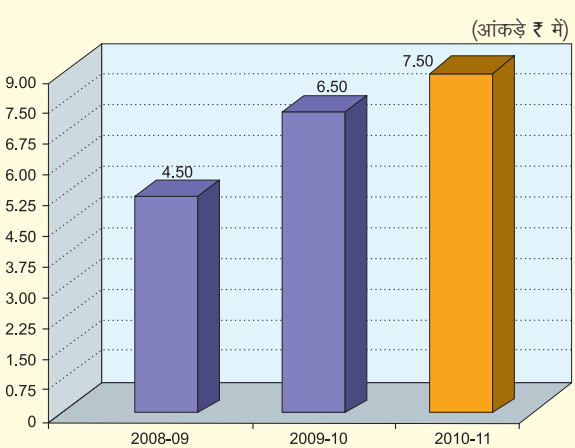

₹10 के प्रति इक्विटी शेयर पर लाभांश

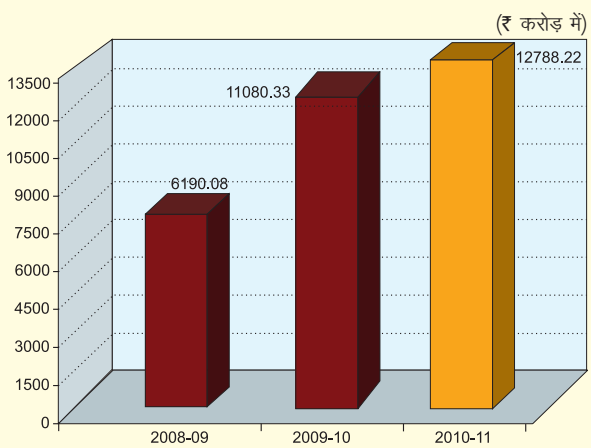

नेटवर्थ

मिशन एवं उद्देश्य

मिशन

- ग्रामीण एवं शहरी जनता के जीवन स्तर को उन्नत और बेहतर बनाने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए बिजली उपलब्ध कराने में सहायता करना।
- देश भर में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरचना, विद्युत पारेषण एवं विद्युत वितरण नेटवर्क को वित्तपोषित एवं प्रोन्नत करने वाली परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धात्मक एवं ग्राहक हितैषी विकासपरक संस्था के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य

उपर्युक्त मिशन को आगे बढ़ाते हुए निगम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं :

- समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेन्द्रित एवं ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोतों को बढ़ावा देने, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरण एवं अनुरक्षण, पंपसेट ऊर्जायन पर बल देते हुए विद्युत वितरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना और वित्तपोषित करना एवं ग्रामीण विद्युत की बुनियादी सुविधाओं और आवास विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन करना।
- दूर-दराज, पहाड़ी, रेगिस्तानी, जनजातीय, तटवर्ती एवं अन्य दुर्गम/दूरस्थ क्षेत्रों सहित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली की विश्वसनीय और बेहतर आपूर्ति के लिए विकेन्द्रित विद्युत उत्पादन, नए एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग, परामर्श सेवाएं, पारेषण, उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण एवं अनुरक्षण और आधुनिकीकरण आदि से संबंधित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की गतिविधियों का विस्तार करना और उनमें विविधता लाना।
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा विभिन्न स्रोतों से धन जुटाना और राज्य बिजली बोर्डों, विद्युत यूटिलिटियों, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करना।
- निगम के प्रचालनों हेतु आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिलाभ की अधिकाधिक दर प्राप्त करना, साथ ही निम्नलिखित निगमित लक्ष्य पूरे करना जैसे : (i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाएं स्थापित करना; (ii) बिजली की मांग का विकास करना; (iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास; और (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन करना।
- प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं देते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास और आत्म सम्मान के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और हितों की रक्षा सुनिश्चित करना।
- आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।

शेयरधारकों को अध्यक्ष का पत्र

हरि दास खुंटेटा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

''यह लगातार सत्रहवां वर्ष है कि आरईसी वर्ष 1993-94 से ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्राप्त कर रहा है। यह वह वर्ष था जब सरकार के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त वर्ष 2010-11 के लिए भी कंपनी के कार्य-निष्पादन को ''उत्कृष्ट'' रेटिंग मिलने की उम्मीद है।''

देवियो और सज्जनो,

कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक के अवसर पर आप सब का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

मुझे एक ऐसी ''नवरत्न'' कंपनी का प्रमुख होने का सौभाग्य प्राप्त है जिसने पिछले पांच वर्षों में कार्य-निष्पादन के क्षेत्र में बहुमुखी उत्कृष्टता का रिकार्ड बनाते हुए, निरंतर संवृद्धि और लाभकारिता अर्जित की है। वर्ष 1969 से इस कंपनी ने शुरुआत की थी। तब, यह मुख्य रूप से पंपसेट ऊर्जायन और ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का वित्तपोषण करती थी। लेकिन आज आपकी कंपनी देश में एक प्रमुख सार्वजनिक वित्तीय संस्थान बन गई है और भारत में लगभग संपूर्ण विद्युत मूल सुविधा क्षेत्र में वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा कर रही है।

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित आंकड़े कुछ समय से आपके पास हैं और अब आपकी अनुमति से मैं मान लेता हूं कि आपने इन्हें पढ़ लिया है। मैं आपके साथ आर्थिक परिदृश्य के संबंध में विचार-विमर्श करना चाहूंगा और इस कंपनी के कार्य-निष्पादन की प्रमुख बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा।

अर्थ व्यवस्था परिदृश्य

पिछले वर्ष भारत और विदेश में अनेक आर्थिक घटनाक्रम देखे गए। यूरोप के देशों में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के प्रयास जारी रहे, मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका घटनामय रहे, तेल की कीमतों में वृद्धि और कई देशों में मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति से दुनिया के विकास परिदृश्य में काफी चुनौतियां पैदा हो गईं। इन संबद्ध सरकारों और केंद्रीय बैंकों के समन्वित प्रयासों से देशों ने ऐसी वित्तीय एवं मौद्रिक नीतियां बनाईं, जिनमें सतर्क वित्तीय अनुशासन का आह्वान किया गया, जिससे विश्व अर्थ-व्यवस्था की स्थिति में क्रमशः सुधार दिखाई दिया। लेकिन आईएमएफ के अद्यतन आंकड़ो से पता चलता है कि वैश्विक आर्थिक संवृद्धि 2011 में 4.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है जबकि 2010 में यह 5% थी। प्रोत्साहक उपायों के घटते प्रभाव एवं तेल और अन्य वस्तुओं की ऊंची कीमत के कारण उन्नत अर्थ-व्यवस्थाओं की विकास दर धीमी रहने की संभावना है।

वर्ष 2010-11 ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.5% की विकास दर दर्ज की जबकि वर्ष 2009-10 में इसने 8% की विकास दर दर्ज की थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में यह संवृद्धि सामान्य रहने की संभावना है, जिसका कारण मुद्रा स्फीति का उच्च दबाव और ब्याज की उच्च दरें हैं, जिसके निगमित संस्थाओं की योजनाओं के पूंजी विस्तार की गति के धीमी होने और ऊंची उधार लागत के चलते और बढ़ने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 2011 में घोषित अपनी अद्यतन नीति में 50 आधार बिंदुओं से क्रमशः 8 प्रतिशत और 7 प्रतिशत वृद्धि करके रेपो और प्रति रेपो में बढ़ोतरी की है जिससे नीति संबंधी दरों में 325 बिंदुओं की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पिछले 17 महीनों में की गई है। हालांकि इन चुनौतीपूर्ण नीतियों के कारण थोड़े समय के लिए अल्पकालिक अस्थिरता आ सकती है, लेकिन हम आशा करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ स्थायी आधारों के कारण माध्यमिक और दीर्घकालिक उच्च संवृद्धि दर बनी रहेगी।

विद्युत क्षेत्र का भावी परिदृश्य

विद्युत क्षेत्र मुख्य बुनियादी सुविधा का क्षेत्र होने के कारण यह भारत को उच्च आर्थिक संवृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने का एक मुख्य साधन बनेगा। विद्युत उत्पादन क्षमता हाल के वर्षों में काफी बढ़ी है।

वित्त वर्ष 2011 के अंत में देश की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 173.6 जीडब्ल्यू रही है। ग्यारहवीं योजना के पहले चार वर्ष के दौरान, ग्यारहवीं योजना की माध्यमिक अवधि के लिए तय किए गए 62,374 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में 34,462 मेगावाट की क्षमता और जुड़ी है। कोयला संपर्कन में विलंब और दीर्घकालिक कोयला संपर्कन में चूक इस योजनाबद्ध लक्ष्य को प्राप्त न किए जाने का कारण रहे हैं। कैप्टिव कोयला खान ब्लॉकों से कोयला न आने से इस योजना की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता कुछ हद तक प्रभावित हुई । इन रुकावटों के कारण अतिरिक्त लक्ष्य की योजनाबद्ध क्षमता पूरी नहीं की जा सकी और विद्युत उत्पादन कंपनियों को आयातित कोयले पर अधिक निर्भर रहना पड़ा जिससे उत्पादन की लागत पर काफी प्रभाव पड़ा है।

भारत सरकार के ग्यारहवीं योजना के विद्युत संबंधी कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत क्षेत्र के लिए कुल मिलाकर निधि आवश्यकता लगभग ₹10,31,600 करोड़ होगी। बारहवीं योजना अवधि के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2017 तक बताई गई मांग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 100,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की जरूरत होगी और इसके अलावा पारेषण और वितरण तंत्र में किए जाने वाले विस्तार को ध्यान में रखते हुए इस योजना अवधि में कुल निधि की आवश्यकता लगभग ₹11,00,000 करोड़ होगी।

इसके अलावा, विद्युत मूल्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी वितरण व्यवस्था, जो राज्यों के डिस्काम दायरे में आती है, अधिकांशतः विफल रही है और इसे संवर्धित, प्रोन्नत तथा सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है ताकि विद्युत उत्पादन और पारेषण क्षमता वृद्धि के अनुरूप हो सके। दूसरी तरफ समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक क्षतियों को कम करना होगा। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण प्रणाली के लिए कुल निधि की आवश्यकता लगभग ₹2,87,000 करोड़ होने का अनुमान है, जिसमें एपीडीआरपी और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की स्कीमें भी शामिल हैं। इसके अलावा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यह अनुमान लगाया है कि बारहवीं योजना अवधि के लिए वितरण क्षेत्र हेतु कुल निधि की आवश्यकता लगभग ₹3,71,000 करोड़ होगी। भारत सरकार की पुनर्गठित एपीडीआरपी (आर-एपीडीआरपी) योजना के जरिए राज्य बिजली बोर्डों और वितरण कंपनियों के मुद्दों का समाधान करने की कोशिश की गई है जैसे संसाधनों की सीमित उपलब्धता और अप्रचलित प्रौद्योगिकी। एचवीडीएस का कार्यान्वयन, फीडरों का पृथक्कीकरण, स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी संप्रयोग और ऊर्जा दक्षता उपस्करों पर जोरदार ढंग से कार्य किया जा रहा है ताकि वितरण प्रणाली का प्रबंधन कुशलता पूर्वक किया जा सके। आर-एपीडीआरपी की कार्ययोजना निष्पादन उन्मुखी है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश और सुधार आने की संभावना है। दूसरी ओर इस समय चल रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन से एक विशाल ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन मूल सुविधा का सृजन हुआ है, जिससे सभी के लिए बिजली तक पहुंच संभव हो रही है और जिसके चलते देश के समावेशी विकास में अत्याधिक सहयोग मिला है। देश के वर्तमान विद्युत पारेषण एवं वितरण ग्रिड के आधुनिकीकरण की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत सरकार ने एक इंडिया स्मार्ट ग्रिड टास्क फोर्स की भी स्थापना की है, जिसमें सूचना, संचार और स्वचालन टेक्नोलॉजी के जानकार शामिल हैं। इसका उद्देश्य लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली और ऐसी भरोसेमंद बिजली आपूर्ति देना है, जो 21वीं सदी के नए समाज की जरूरतें पूरी कर सके।

विद्युत मंत्रियों के हाल में आयोजित सम्मेलन के दौरान माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री, श्री सुशील कुमार शिंदे ने राज्यों से आग्रह किया कि वे विद्युत वितरण यूटिलिटियों की कमजोर वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाएं। उन्होंने राज्य के विद्युत मंत्रियों से यह भी अनुरोध किया कि वे अपने राज्यों की स्थिति के संबंध में यूटिलिटी-वार हानि को लाभ में बदलने की योजना बनाएं और स्थिति के 'अस्थिर' होने से पहले उच्च स्तर पर इसके कार्यान्वयन की मानीटरिंग करें। इसके अलावा, वर्तमान नीति से संबद्ध जरूरी कदम अगर समय रहते न उठाए गए तो यातायात आपूरित सहित ईंधन परिवहन समस्याएं और पर्यावरण संबंधी मुद्दे भी विद्युत क्षेत्र के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। देश की विद्युत वितरण यूटिलिटियों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने वाली शुंगलू समिति द्वारा सितंबर, 2011 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2011 के कार्य-निष्पादन की मुख्य-मुख्य बातें

आपकी कंपनी ने वर्ष 2010-11 में ऋण संवितरण, वसूलियों, आय और लाभ कमाने जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उच्च संवृद्धि दर और रिकार्ड कार्य-निष्पादन दर्ज किया है। वर्ष 2010-11 के दौरान कुल ₹24519 करोड़ की राशि संवितरित की गई जबकि पिछले वर्ष ₹21132 करोड़ संवितरित किए गए थे, जिसमें 16% की वृद्धि हुई है। इसमें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन दी जाने वाली सब्सिडी शामिल नहीं है। वर्ष के दौरान मूलधन और ब्याज के रूप में ₹16,951.31 करोड़ की राशि वसूल की गई जबकि पिछले वर्ष ₹12,496.12 करोड़ की वसूली की गई थी। सकल गैर-निष्पादन परिसंपत्तियां नगण्य थीं और वे इस वर्ष के अंत तक ₹19.54 करोड़ रहीं (अर्थात 0.02% की सकल ऋण संपत्तियां)। प्रचालन आय ₹8256.91 करोड़ रही है जबकि पिछले वर्ष यह ₹6549.76 करोड़ रही थी। इस प्रकार, इसमें 26% की वृद्धि हुई है। इस वर्ष कर-पश्चात लाभ ₹2569.93 करोड़ रहा जबकि पिछले वर्ष यह ₹2001.42 करोड़ था। इस प्रकार, इसमें 28% की वृद्धि हुई है। प्रति शेयर अर्जन बढ़कर ₹26.30 हो गया जबकि पिछले वर्ष यह ₹23.06 था। इस प्रकार इसमें 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2010-11 के दौरान बाजार से ₹25855.35 करोड़ जुटाए। इसमें वाणिज्यिक बैंकों से लिया गया ऋण, कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन बांड, इंफ्रास्ट्रक्चर बांड, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के बांड और कमर्शियल पेपर, विदेशी वाणिज्यिक उधार, क्रेडिटानस्टेट फॉर वियेडरोफबो (केएफडब्ल्यू), जर्मनी और जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से सरकारी विकास सहायता (ओडीए) शामिल है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बहुत प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर 1170 मिलियन अमरीकी

डालर (₹5308.87 करोड़) जुटाए। इसमें 500 मिलियन अमरीकी डालर रेग एस बांड के माध्यम से और 670 अमरीकी डालर सिंडीकेटिड सावधि ऋण के जरिए जुटाए गए। इन बांडों को सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज (एसजीएक्स) में सूचीबद्ध किया जाता है।

आपकी कंपनी अपनी उधार देने और प्रचालन नीतियों/प्रक्रियाओं की समीक्षा करती है और उसमें सुधार लाती है ताकि इसे बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके और इससे इसका निगमित उद्देश्य भी पूरा हो सके। बाजार में प्रतियोगिता बढ़ने, उच्च सरकारी उधार, भारतीय रिजर्व बैंक की नीति और मुद्रा स्फीति में वृद्धि आदि कारकों के बावजूद आपकी कंपनी ने विभिन्न उधार स्रोतों को मिलाकर विवेकपूर्ण तरीके से इसे स्वस्थ रूप दिया। इस प्रकार के उधारों में, विदेशी वाणिज्यिक उधार - कारोबार संवृद्धि के उद्देश्यों में संतुलन और लाभकारिता बनाए रखना भी शामिल है।

आपकी कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण और पंपसेटों के ऊर्जायन के अलावा, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए भी वित्तपोषण करती रही है।

वर्ष 2010-11 के दौरान इस कंपनी ने 34 विद्युत उत्पादन ऋण मंजूर किए, जिनमें ₹40101 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय वाले अतिरिक्त ऋण सहायता के प्रस्ताव और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर वित्तपोषण करना भी शामिल है। वर्ष 2002-03 से 31.03.2011 तक आरईसी ने विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए संचयी रूप से ₹1,43,904.76 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की है।

आपकी कंपनी द्वारा देश में नये बुनियादी ढांचे को तैयार करने और विद्यमान पारेषण तथा वितरण तंत्र में सुधार लाने के काम में सक्रिय भूमिका निभाना जारी है। वर्ष 2010-11 के दौरान, कंपनी ने पारेषण तथा वितरण परियोजनाओं के लिए कुल ₹22207.68 करोड़ की धनराशि मंजूर की और कुल ₹9235.70 करोड़ की धनराशि संवितरित की है।

भारत सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण को उच्च प्राथमिकता दे रही है ताकि इसके प्रतिष्ठापूर्ण कार्यक्रम 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' के माध्यम से 'सभी गांवों को बिजली' और 'सभी को बिजली' के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस योजना के अधीन, इन परियोजनाओं की समग्र लागत के लिए भारत सरकार द्वारा 90% पूंजी सब्सिडी दी जा रही है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन दिनांक 31.03.2011 तक कुल 96562 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और गरीबी रेखा से नीचे वाले 159.80 लाख आवासों को बिजली के कनेक्शन दे दिए गए हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान, आपकी कंपनी ने कुल ₹ 4,415.49 करोड़ की धनराशि का संवितरण किया है (जिसमें ₹ 3997.83 करोड़ की सरकारी सब्सिडी भी शामिल है)।

इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी)

एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 17 सितंबर, 2010 के पत्र के जरिए आपकी कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी अर्थात बुनियादी सुविधा वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीबद्ध किया है। आईएफसी के रूप में आपकी कंपनी को अन्य बातों के साथ-साथ उधार के मामले में अतिरिक्त कारोबार की अनुमति है। इसके अलावा, यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बांड जारी करने की पात्र है और एक वर्ष में विदेशी वाणिज्यिक उधार लेकर आटोमेटिक रूट से 500 मिलियन अमरीकी डालर तक निधि जुटा सकती है।

अन्य उपाय

आपकी कंपनी के पास विद्युत व्यावसायिकों का एक उत्कृष्ट दल है। सशक्त कार्य नैतिकता और व्यावसायिकता बनाए रखने के लिए आपकी कंपनी कई तरह की पहल कर रही है ताकि प्रवेश स्तर पर प्रतिभा मानक की गुणवत्ता बनाए रखते हुए और सुधार किया जा सके। आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए वेतनमानों में संशोधन भी लागू कर दिया है, जिसमें संबंधित कर्मचारी के कार्य-निष्पादन से जुड़ा कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन का प्रावधान भी शामिल है। वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी अनेक कदम उठाए गए। एक ऐसा ही उपाय मुंबई के होमी भाभा सेंटर फार साइंस एजूकेशन यानि टीआईएफआर के जरिए किया गया, जिसमें सभी ओलंपियाड विजेता छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में शिक्षा और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा आपकी कंपनी ने वर्ष 2011-12 के दौरान अपने कुल कर पश्चात लाभ के 0.5 प्रतिशत के बराबर की राशि अपनी इस नीति के अनुसार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए आबंटित की है। इस वर्ष जो दूसरी महत्वपूर्ण पहल की गई है, वह है वर्ष 2010-11 के लिए व्यावसायिक कंपनी सचिवों द्वारा सचिवालयीय लेखापरीक्षा स्वेच्छा से करवाना।

समझौता ज्ञापन के अनुसार रेटिंग, पुरस्कार और इनाम

यह लगातार सत्रहवां वर्ष है कि आरईसी वर्ष 1993-94 से ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्राप्त कर रहा है। यह वह वर्ष था जब सरकार के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त वर्ष 2010-11 के लिए भी कंपनी के कार्य-निष्पादन को ''उत्कृष्ट'' रेटिंग मिलने की उम्मीद है।

आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन को भी व्यापक मान्यता प्राप्त हुई है, जो इस वर्ष के दौरान प्राप्त विभिन्न पुरस्कारों और प्रशस्तियों से परिलक्षित होती है। आरईसी को **'दॅ बेस्ट एनबीएफसी' होने के लिए इंडिया प्राइड अवार्ड, 2010 प्राप्त हुआ है और तेजी से प्रगति कर रहे नवरत्न के लिए तीसरा डीएसआईजे अवार्ड 2010-11 पीएसयू अवार्ड 'स्पीड किंग' भी प्राप्त हुआ है। आपकी कंपनी की डन एंड ब्राडस्ट्रीट्स द्वारा संकलित इंडियाज टॉप पीएसयूएस 2011** में भी चर्चा हुई है। एक अन्य उपलब्धि तब मिली जब कंपनी को मोर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) इमर्जिंग मार्किट सूची में शामिल किया गया ।

रेटिंग

आपकी कंपनी की कार्य-निष्पादन उत्कृष्टता सर्वोच्च समझौता ज्ञापन रेटिंग में 1993-94 से लगातार उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त करने में भी परिलक्षित हुई है। आरईसी की अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग विदेश की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, यथा मूडीज और फिच द्वारा ''सावरेन'' रेटिंग दी गई है। घरेलू स्तर पर भी आपकी कंपनी को विशिष्ट संसाधन जुटाने के कार्यक्रम के लिए क्रिसिल, केयर, फिच और इकरा जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों से उच्च रेटिंग मिलना इस

बात का प्रमाण है कि आरईसी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और वह वित्तीय शक्ति बन गया है।

कारपोरेट सुशासन

एक सूचीबद्ध कंपनी के रूप में आरईसी सूचीकरण करार में निर्धारित कारपोरेट सुशासन की अपेक्षाएं पूरी कर रहा है और इस संबंध में लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रावधानों का भी पालन कर रहा है। कारपोरेट सुशासन की नई-नई पहलों के भाग के रूप में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों को अनुमति दी है कि वे इलेक्ट्रानिक तरीके से अपने शेयरधारकों को नोटिस/दस्तावेज भेज सकते हैं। आपकी कंपनी ने एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में वार्षिक आम बैठक का नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट जैसे दस्तावेज ई-मेल के जरिए इलेक्ट्रानिक तरीके से अपने शेयरधारकों को भेजने के संबंध में उनकी सहमति मांगी है। इसके काफी उत्साहजनक उत्तर प्राप्त हुए हैं। तदनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 ई-मेल द्वारा शेयरधारकों को भेजी जा रही है। इस बात के लिए हमारे सभी शेयरधारक धन्यवाद के पात्र हैं। आशा है कि आगामी वर्षों में और ज्यादा लोग यह विकल्प देने में शामिल होंगे।

आरईसी ने आईएसओ 9001 : 2008 मानकों के अनुसार कारपोरेट कार्यालय के मुख्य छः प्रभागों और देश में फैले सभी आंचलिक/परियोजना कार्यालयों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी है।

इसके अलावा, आरईसी के डेटा सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, विधिक, प्रशासन और वित्त के सहायक कार्यों को बीएसआई मैनेजमेंट सिस्टम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्लोबल आईएसओ/आईईसी 27001:2005 सुरक्षा मानक के रूप में प्रमाणित किया गया है।

सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम

आज की तारीख तक, आपकी कंपनी की तीन सहायक कंपनियां हैं, यथा (1) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल), (2) आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), (3) वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (वीटीएसएल) (जो आरईसीटीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है)।

भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा सौंपी गई आरईसीटीपीसीएल ने बोली प्रक्रिया समन्वयक की भूमिका में 765 केवी सिंगल सर्किट लाइन-1 रायचूर शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिए बोली प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। वर्ष के दौरान रायचूर-शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (आरएसटीसीएल) जो आरईसीटीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है, मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, मैसर्स सिंपलेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड और मैसर्स बीएस ट्रांस्कॉम लिमिटेड के परिसंघ को दिनांक 07.01.2011 को अंतरित कर दी गई है। आरईसी टीपीसीएल द्वारा तीनों परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने प्रतिस्पर्धा बोली के जरिए अब इसे तीन और पारेषण परियोजनाओं के विकासक के चयन का कार्य सौंपा है। वेमागिरी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (जो आरईसीटीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है), को वेमागिरी क्षेत्र : पैकेज ए को आईपीपीएस के साथ सहयोजित करके ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में 21 अप्रैल, 2011 को निगमित किया गया है। उपर्युक्त परियोजना के लिए योग्यता के अनुरोध (आरएफक्यू) हेतु जारी की गई वैश्विक अधिसूचना के उत्तर में आरईसीटीपीसीएल को 28 बोलीदाताओं से उत्तर प्राप्त हुए हैं, जिनमें विदेशी बोलीदाता भी शामिल हैं। अब जबकि सरकार ने अधिसूचना के जरिए यह प्रावधान कर दिया है कि 5 जनवरी, 2011 के बाद सभी पारेषण सेवाओं के लिए खरीद, प्रतिस्पर्धात्मक बोली तरीके से की जाएगी, आरईसीटीपीसीएल ऐसी स्थिति में आ गया है कि वह शुल्क आधारित व्यावसायिक कंसलटेंसी के रूप में कारोबार हासिल करने के बहुत अधिक अवसर प्राप्त कर सके।

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने एनटीपीसी, पावरग्रिड और पीएफसी नामक तीन अन्य सरकारी कंपनियों के साथ समान भागीदारों के रूप में एक संयुक्त उद्यम कंपनी 10 दिसंबर, 2009 को गठित की है जिसका नाम **एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)** है। ईईएसएल के लिए कुल इक्विटी आवश्यकता ₹ 190 करोड़ की है जिसे चारों सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। ईईएसएल ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन, ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने में बाजार सृजन की भूमिका निभाने, ऊर्जा सेवा कंपनियों (ईएससीओ)की संकल्पना को बढ़ावा देने और कार्य-निष्पादन करने और आंशिक जोखिम गारंटी निधि के प्रबंधन के कार्य-निष्पादन में प्रमुख भूमिका निभाएगी ताकि ऊर्जा सेवा कंपनियों आदि के जोखिम का शमन किया जा सके। इसके अलावा, यह कार्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा निभाई जा रही वर्तमान वाणिज्यिक भूमिका को भी संभालेगा।

भावी रणनीतियां

आपकी कंपनी के विकास की गति तेज करने के लिए हम विद्युत जैसे मुख्य क्षेत्र में अपने कारोबार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें पिछले और आगे के लिंकेज वाली बिजली परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा हम कंसलटेंसी जैसी सहायक गतिविधियां शुरू करके भी शुल्क आधारित आय प्राप्त करने के नए अवसर विकसित कर रहे हैं। भारत सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष रूप से जोर दे रही है और इस मोर्चे पर अनेक नीतिगत उपाय किए जा चुके हैं। ऐसे उपायों में इस क्षेत्र में उपयुक्त माहौल बनाने के लिए वितरण कंपनियों पर अनिवार्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा खरीद की जिम्मेदारी लागू करना शामिल है। वर्तमान में इस प्रकार की प्रौद्योगिकी से जो ऊर्जा प्राप्त किए जाने की संभावना है। इनमें पनबिजली और बायोमास/को-जेनरेशन से विद्युत उत्पादन की अत्याधिक संभावनाएं हैं और धीरे धीरे नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ झुकाव सन्निकट है। आपकी कंपनी ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण की क्षमता निर्माण करना चाहेगी और इस संबंध में कदम उठाए जा चुके हैं।

आपकी कंपनी **उपस्करों के विनिर्माण का वित्तपोषण, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से बिजली की खरीद/बिक्री और प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ताओं की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए आवधिक ऋण हामीदारी/सिंडीकेशन का कार्य करने की संभावनाओं का भी पता लगा रही है।**

आपकी कंपनी सतत विकास दर बनाए रखने की भी कोशिश करेगी और कार्य-निष्पादन की बेहतर बुलंदियों को छूने की ओर बढ़ेगी ताकि सभी हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

हालांकि आपकी कंपनी पहले भी विकास गति तेज करने के लिए प्रतिबद्ध रही है, तथापि वह सभी हितधारकों और पूरे समाज के बड़े वर्ग के आर्थिक मूल्य को दीर्घकालिक रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और व्यावसायिकता पर बल देते हुए कारपोरेट सुशासन के सर्वोत्तम मानकों को प्राप्त करती रहेगी।

आभार

माननीय विद्युत मंत्री, माननीय विद्युत राज्य मंत्री, सचिव (विद्युत), संयुक्त सचिव (ग्रामीण विद्युतीकरण) और विद्युत मंत्रालय के अन्य अधिकारियों से आपकी कंपनी को प्राप्त अनंत समर्थन और मार्गदर्शन के लिए मैं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कंपनी का सुचारु और सफल प्रचालन सुनिश्चित करने में वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों और सचिवालयीय लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए सभी सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मैं उनका आभारी हूं। इस कंपनी में विश्वास व्यक्त करने के लिए मैं ऋणदाताओं और निवेशकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं।

निदेशक मंडल के अपने सम्मानित सहकर्मियों और आरईसी के उन सभी कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने कार्य के प्रति अथक प्रतिबद्धता दिखाई है। उन सभी हितधारकों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समर्थन और सहयोग दिया है और कंपनी के कार्य-निष्पादन में अपना विश्वास जारी रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि कर्मचारियों के समर्पित और प्रतिबद्ध सहयोग और हमारे सम्मानित हितधारकों के सतत सहयोग से आपकी कंपनी अपनी जिम्मेदारियों का लगातार निर्वाह और अपने हितधारकों का सम्मान करती रहेगी।

शुभकामनाओं सहित,

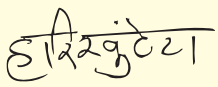

(हरि दास खुंटेटा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की 42वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 17 सितंबर, 2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे एयरफोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, धौला कुआं, नई दिल्ली में निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगीः

सामान्य कार्य

1) 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार, लेखापरीक्षित तुलन-पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि खाता तथा उस पर निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकृत करना।

2) वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए अंतरिम लाभांश की अदायगी को नोट करना तथा अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

3) श्री देवेन्द्र सिंह के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना। श्री देवेन्द्र सिंह क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण वे अपनी पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव दे रहे हैं।

4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 के साथ पठित धारा 619 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

विशेष कार्य

5) निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन (आशोधनों) के साथ या उनके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है कि** श्री प्रकाश ठक्कर को निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाए और उन्हें एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनका कार्यकाल निदेशकों के सेवानिवृत्त होने पर क्रमावर्तन आधार पर तय किया जाएगा।''

6) निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन (आशोधनों) के साथ या उनके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है कि** डॉ. देवी सिंह को निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाए और उन्हें एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनका कार्यकाल निदेशकों के सेवानिवृत्त होने पर क्रमावर्तन आधार पर तय किया जाएगा।''

7) निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन (आशोधनों) के साथ या उनके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है कि** डॉ. गोविंद मारापल्ली राव को निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाए और उन्हें एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनका कार्यकाल निदेशकों के सेवानिवृत्त होने पर क्रमावर्तन आधार पर तय किया जाएगा।''

8) निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन (आशोधनों) के साथ या उनके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है कि** श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन को निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाए और उन्हें एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनका कार्यकाल निदेशकों के सेवानिवृत्त होने पर क्रमावर्तन आधार पर तय किया जाएगा।''

9) निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन (आशोधनों) के साथ या उनके बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 31 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण के अनुसार रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) के संस्था अंतर्नियमों में संशोधन/परिवर्तन/अंतःस्थापन/विलोपन किया जाता है और उसे एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।''

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(राकेश कुमार अरोड़ा)
महाप्रबंधक (वित्त और लेखा) एवं कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालयः
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांकः 4 अगस्त, 2011

टिप्पणियां:

1. **बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के पात्र सदस्य अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने के हकदार हैं तथा ऐसे प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी फार्म वार्षिक आम बैठक आरंभ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराए जाने पर ही प्रभावी होगा। कोरा प्रॉक्सी फार्म संलग्न है।**

2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173 के अनुसरण में बैठक में निष्पादित किए जाने वाले विशेष कार्यों से जुड़ा **एक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।**

3. जैसाकि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खंड 49 द्वारा अपेक्षित है, पुनः नियुक्ति/नियुक्ति चाहने वाले कंपनी के निदेशक श्री देवेंद्र सिंह, श्री प्रकाश ठक्कर, डॉ. देवी सिंह, डॉ. गोविंद मारापल्ली राव और श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन के **संगत विवरण इसके साथ संलग्न हैं।**

4. **सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण बहियां 03 सितंबर, 2011 से 17 सितंबर, 2011 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 206ए के उपबंधों के अध्यधीन निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तो सदस्यों को अथवा उनके अधिदेशियों को, जिनके**

नाम वास्तविक शेयरों के संबंध में 17 सितंबर, 2011 को कंपनी के सदस्य रजिस्टर में विद्यमान हैं, 28 सितंबर, 2011 को अदा किया जाएगा। डिमैटीरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में, लाभांश शेयरों के उन 'लाभार्थी स्वामियों' को देय होगा, जिनका नाम 02 सितंबर, 2011 को कारोबार समय की समाप्ति पर नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामित्व विवरण में विद्यमान है।

5. कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में उनकी ओर से भाग लेने तथा मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए बोर्ड संकल्प/मुख्तारनामे की एक विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें।

6. सदस्यों से अनुरोध है कि वेः

क. नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक में वितरित नहीं की जाएंगी तथा उन्हें वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति स्वयं लानी होगी;

ख. बैठक स्थल के प्रवेश पर विधिवत भरी तथा हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची प्रस्तुत करें, क्योंकि ऑडिटोरियम में प्रवेश, स्थल काउंटरों पर उपलब्ध प्रवेश पर्ची के आधार पर ही होगा, जिसे उपस्थिति पर्ची के बदले दिया जाएगा;

ग. सभी पत्राचार में अपना फोलियो/क्लाइंट आईडी तथा डीपी आईडी संख्या का उल्लेख करें;

घ. नोट करें कि सुरक्षा कारणों से ब्रीफ केस, खाने का सामान तथा अन्य सामान ऑडिटोरियम के भीतर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा

ड. नोट करें कि वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

7. सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपना इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस) अधिदेश प्रस्तुत करें, ताकि कंपनी ईसीएस के माध्यम से लाभांश भुगतान का प्रेषण कर सके। प्रत्यक्ष रूप से (फिजिकल) शेयर धारण करने वाले धारक कंपनी के पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टीए) अर्थात प्लाट सं.17-24, विट्ठल राव नगर, मढ़ापुर, हैदराबाद-500081, भारत में कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड से ईसीएस अधिदेश प्रपत्र प्राप्त करके उन्हें भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करने वाले धारक अपने ईसीएस अधिदेश प्रपत्र डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से प्राप्त करें और सीधे उन्हें ही भेजें। जिन्होंने पहले ही पूर्ण विवरणों के साथ कंपनी/रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट/डीपी को ईसीएस अधिदेश प्रपत्र प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें इसे पुनः भेजने की आवश्यकता नहीं है।

   जो सदस्य ईसीएस सुविधा का विकल्प नहीं चुनना चाहते हैं, वे अपने बैंक का नाम, शाखा का पता तथा खाता संख्या, कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को भेज दें, ताकि वे विवरण उनके लाभांश वारंट पर प्रिंट कराए जा सकें।

8. जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट/संबंधित सदस्य के डिपाजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास अपना ई-मेल पता रजिस्टर करवा दें और कंपनी की अभिनव पहल (ग्रीन इनीशिएटिव) में भाग लें।

9. जिन सदस्यों के पास वास्तविक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे शेयरों या शेयरों से संबंधित किसी अन्य मामले में और/या पते में परिवर्तन और बैंक खाते में अंतरण, प्रेषण, उप-विभाजन, शेयरों के समेकन या शेयरों से संबंधित किसी अन्य मामले से संबंधित सभी पत्राचार मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को भेजें और यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण किए गए हों तो इसे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी को भेजें।

10. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के साथ पठित धारा 205क के अनुसरण में उन लाभांश राशियों को, जो 7 वर्ष की अवधि के लिए अप्रदत्त/दावारहित रहती हैं, केंद्र सरकार की निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। ऐसे अंतरण के पश्चात सदस्यों का उक्त राशि पर किसी प्रकार का कोई दावा नहीं रहेगा। अतः सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लाभांश वारंटों को पाते ही तुरंत भुना लें।

11. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसरण में, सरकारी कंपनियों के लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अथवा पुनः नियुक्त किया जाएगा तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(8)(कक) के अनुसार उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा आम बैठक में अथवा ऐसे तरीके से नियत किया जाएगा, जो कंपनी, आम बैठक में तय करे। इसी के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मैसर्स बंसल एंड कंपनी तथा मैसर्स के.जी. सोमानी एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों को वर्ष 2010-11 के लिए सांविधिक संयुक्त लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था।

    08 सितंबर, 2010 को आयोजित 41वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के साथ पठित धारा 224(8)(कक) के अनुसरण में शेयरधारकों द्वारा निदेशक मंडल को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों/संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने और अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। तदनुसार, निदेशक मंडल ने 25 सितंबर, 2010 को आयोजित अपनी 368वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए प्रत्येक संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए ₹6,25,000 (₹ छह लाख पच्चीस हजार केवल) और लागू सेवा कर पारिश्रमिक की अदायगी के रुप में अनुमोदित किया है। इसके अलावा, बोर्ड ने उपर्युक्त पारिश्रमिक के अलावा, यह भी अनुमोदित किया है कि सांविधिक लेखापरीक्षकों को समुचित यात्रा भत्ता और बाह्य स्टेशन पर लेखापरीक्षा कार्य के लिए जेब खर्च की ऐसी वास्तविक समुचित अदायगी की जा सकती है, जैसा कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (वित्त) द्वारा तय किया जाए।

    वित्त वर्ष 2011-12 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अभी लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जानी है। बेहतर निगमित सुशासन परिपाटी के अनुसार यह प्रस्ताव है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए आम बैठक में कंपनी का अनुमोदन प्राप्त किया जाए, जैसाकि पिछले वर्षों में किया जाता रहा है। **अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के निदेशक मंडल को इस बात के लिए प्राधिकृत करें कि वे वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जैसे ही लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है, जैसा उचित समझें, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों/संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करें।**

12. वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क उन स्टॉक एक्सचेंजों को अदा कर दिया गया है, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

13. कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 109ए के अंतर्गत यथा अनुमत नामांकन करने के इच्छुक

सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी (केंद्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र, 1956 में यथानिर्धारित प्रपत्र 2ख में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को लिखें। डिमैटिरियलाइज्ड रूप में धारित शेयरों के मामले में नामांकन पत्र सीधे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास जमा कराया जाना अपेक्षित है।

14. **इस बैठक के कारोबार की किसी भी मद पर कोई सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को बैठक की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व भेजें, ताकि अपेक्षित सूचना बैठक के समय उपलब्ध कराई जा सके।**

15. कंपनी के सांविधिक रजिस्टरों का तथा संलग्न सूचना में उल्लिखित दस्तावेजों का वार्षिक आम बैठक की तारीख से पूर्व सभी कार्यदिवसों पर (शनिवार, रविवार और अवकाश दिनों को छोड़कर) पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे निरीक्षण किया जा सकता है।

16. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने 08 फरवरी, 2011 के सामान्य परिपत्र के जरिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के तहत स्वामित्व कंपनियों के तुलन-पत्र के साथ अनुषंगी कंपनियों के तुलन-पत्र आदि को संलग्न करने से सामान्य छूट दी है, परंतु कंपनियों द्वारा इस परिपत्र में निर्धारित कुछ शर्तों का पालन किया जाना होगा। तद्नुसार, आपकी कंपनी ने प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के खाते का ब्योरा वार्षिक रिपोर्ट के पूर्ण पाठ के साथ कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर उपलब्ध करा दिया है।

नोटिस में निर्धारित विशेष कार्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 5

आरईसी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 82(2) के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 02 मई, 2011 के आदेश संख्या 46/9/2010-आरई के जरिए श्री प्रकाश ठक्कर, कार्यकारी निदेशक, आरईसी को निदेशक (तकनीकी), आरईसी के पद पर इस पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए या अधिवर्षिता की तारीख तक या अगला आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया है। उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में श्री प्रकाश ठक्कर ने 02 मई, 2011 से निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यभार संभाल लिया है।

निदेशक (तकनीकी) के रूप में श्री प्रकाश ठक्कर की उपर्युक्त नियुक्ति कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 82(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 255 के अनुसार क्रमावर्तन से सेवानिवृत्ति आधार पर होगी। श्री प्रकाश ठक्कर का संक्षिप्त विवरण आम बैठक में अनुमोदित किए जाने के लिए **संलग्न है**।

श्री प्रकाश ठक्कर के सिवाय किसी अन्य निदेशक का प्रस्तावित सामान्य संकल्प से कोई हित या संबंध नहीं है।

मद संख्या 6, 7 और 8

विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 10 जून, 2011 के आदेश संख्या 46/2/2010-आरई के जरिए डॉ. देवी सिंह, डॉ. गोविंद मारापल्ली राव और श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन को कंपनी के निदेशक मंडल में उनकी नियुक्ति की तारीख (अर्थात 10.06.2011) से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगला आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के पद पर नियुक्त किया है।

कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के पद पर डॉ. देवी सिंह, डॉ. गोविंद मारापल्ली राव और श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन की उपर्युक्त नियुक्तियां कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 82(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 255 के अनुसार क्रमावर्तन से सेवानिवृत्ति आधार पर होंगी। आम बैठक में कंपनी का अनुमोदन अपेक्षित है। अतः डॉ. देवी सिंह, डॉ. गोविंद मारापल्ली राव और श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन के संक्षिप्त विवरण **संलग्न हैं**।

डॉ. देवी सिंह, डॉ. गोविंद मारापल्ली राव और श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन के सिवाय किसी अन्य निदेशक का क्रमशः मद संख्या 6, 7 और 8 पर प्रस्तावित सामान्य संकल्प से कोई हित या संबंध नहीं है।

मद संख्या 9

संस्था अंतर्नियम कंपनी का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और कंपनी को संस्था अंतर्नियम के ढांचे के अंतर्गत अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी कार्य/निर्णय लेने होते हैं। संस्था अंतर्नियम के प्रावधान कंपनी पर आबद्धकारी होते हैं और संस्था अंतर्नियम से बाहर किया गया कोई कार्य/निर्णय निरस्त हो जाता है। कंपनी के संस्था अंतर्नियमों में अंतिम बड़ा संशोधन/आशोधन वर्ष 2007 में किया गया था, जिसके अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयरों का सार्वजनिक निर्गम निकालने से पहले स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इसके प्रावधानों को निगमित करना अपेक्षित था।

संस्था अंतर्नियम में प्रस्तावित आशोधन/परिवर्तन/अंतःस्थापन/विलोपन मुख्य रूप से शेयरधारकों और निदेशकों/शेयरधारकों की प्रतिभागिता से संबंधित दस्तावेज भेजने के तरीके के बारे में नया प्रावधान शामिल करने से है। ये दस्तावेज निदेशक मंडल/समिति/आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा के जरिए दिए जा सकते हैं, परंतु इसमें कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। प्रस्तावित संशोधन से कंपनी को इस बात के लिए सक्षम बनाना है कि वह अपना कार्य और प्रभावी ढंग से कर सके तथा हाल ही में हुई कुछ लिपिकीय भूलों को हटाते हुए संस्था अंतर्नियम को और सार्थक बना सके और वह निगमित सुशासन के मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।

संस्था अंतर्नियम में ऐसे संशोधन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 31 के अनुसार विशेष संकल्प पारित करके आम बैठक में कंपनी का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होता है। निदेशक मंडल ने 24 मई, 2011 को आयोजित अपनी 377वीं बैठक में उपर्युक्त प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है और नोटिस में दिए गए अनुसार कंपनी के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश की है।

प्रस्तावित विशेष संकल्प से किसी भी निदेशक का हित या संबंध नहीं है।

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के संस्था अंतर्नियमों में प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन/अंतःस्थापन/विलोपन नीचे उद्धृत किए जाते हैं:

अनुच्छेद सं.	शीर्षक	परिवर्तन	विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
1	**परिभाषाएं**	''अधिनियम'' की परिभाषा आशोधित की गई है।	'अधिनियम' से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या किसी सांविधिक आशोधन (आशोधनों) या तत्समय लागू उसके पुनः अधिनियम से है।	'**अधिनियम**' से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या किसी सांविधिक आशोधन (आशोधनों) या फिलहाल लागू उसके पुनः पारित रूप से है।
		''मंडल'' की परिभाषा आशोधित की गई है।	'मंडल' से तात्पर्य विधिवत बुलाई गई और गठित निदेशकों की बैठक या उनकी विधिवत गठित समिति से है।	'मंडल' या '**निदेशक मंडल**' से तात्पर्य विधिवत बुलाई गई और गठित निदेशकों की बैठक या उनकी विधिवत गठित समिति से है।
		''पूंजी'' की परिभाषा आशोधित की गई है।	'पूंजी' से तात्पर्य तत्समय जुटाई गई पूंजी या कंपनी के प्रयोजन के लिए जमा किए जाने के लिए प्राधिकृत पूंजी से है।	'पूंजी' से तात्पर्य तत्समय जुटाई गई **शेयर पूंजी** या कंपनी के प्रयोजन के लिए जमा किए जाने के लिए प्राधिकृत पूंजी से है।
		''डिपॉजिटरी अधिनियम'' की परिभाषा आशोधित की गई है।	'डिपॉजिटरी अधिनियम' से तात्पर्य डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 या किसी कानूनी आशोधन या उसके पुनः पारित रूप से है।	'डिपॉजिटरी अधिनियम' से तात्पर्य डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 **और** किसी अन्य कानूनी आशोधन या उसके पुनः पारित रूप से है।
		''डिपॉजिटरी'' की परिभाषा आशोधित की गई है।	'डिपॉजिटरी' से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित और पंजीकृत कंपनी से और ऐसी कंपनी से है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है।	'डिपॉजिटी' से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित और पंजीकृत कंपनी से और ऐसी कंपनी से है जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की **धारा 12 की उप-धारा (1क) के अधीन** पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है।
		''निदेशकों'' की परिभाषा आशोधित की गई है।	'निदेशकों' से तात्पर्य कंपनी के तत्कालीन निदेशकों से है।	'निदेशकों' से तात्पर्य कंपनी के तत्कालीन निदेशकों से है।
		''माह'' की परिभाषा आशोधित की गई है।	'माह' से तात्पर्य किसी एक कैलेंडर मास से है।	'माह' से तात्पर्य **कैलेंडर** मास से है।
		''कार्यालय'' की परिभाषा आशोधित की गई है।	'कार्यालय' से तात्पर्य कंपनी के तत्कालीन पंजीकृत कार्यालय से है।	'**कार्यालय**' से तात्पर्य कंपनी के तत्कालीन पंजीकृत कार्यालय से है।
		''व्यक्ति'' की परिभाषा प्रतिस्थापित की गई है।	'व्यक्ति' में कोई व्यक्ति, कंपनी, फर्म, संस्था, न्यास या कोई अन्य संगठन या प्रतिष्ठान शामिल है, जिसमें कोई सरकारी या राजनीतिक उप-प्रभाग, मंत्रालय, विभाग या उसकी एजेंसी भी शामिल है।	'व्यक्ति' में एक व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब, एक कंपनी, एक फर्म, व्यक्तियों की एक संस्था या व्यक्तियों का निकाय, भले ही निगमित हो या नहीं, स्थानीय प्राधिकरण और प्रत्येक नामित न्यायिक व्यक्ति, जो किसी पूर्ववर्ती उपखंडों के अंतर्गत नहीं आता हो, मंत्रालय/विभाग या उसकी एजेंसी भी शामिल है।
		''डाक मतपत्र'' की परिभाषा आशोधित की गई है।	'डाक मतपत्र' में कंपनी की आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर मतदान करने या अपने प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान करने की बजाय डाक से या इलेक्ट्रानिक माध्यम से शेयरधारकों द्वारा मतदान करना शामिल है।	'डाक मतपत्र' में कंपनी की आम बैठक में कारोबार करते समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मतदान करने की बजाय डाक से या इलेक्ट्रानिक तरीके से शेयरधारकों द्वारा मतदान करना शामिल है।
		''दि रजिस्ट्रार'' की परिभाषा को अब 'रजिस्ट्रार' के रूप में जाना जाएगा।	'दि रजिस्ट्रार' से तात्पर्य कंपनी के रजिस्ट्रार से है, जिसकी परिभाषा अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (40) में दी गई है।	'**रजिस्ट्रार**' से तात्पर्य कंपनी के रजिस्ट्रार से है, जिसकी परिभाषा अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (40) में दी गई है।
		''रिमैटिरियलाइजन और डेब्टेंचर'' शब्दों को 'रिमैटिरियलाइजेशन और डिबेंचर' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 'शेयर / डिबेंचर' शब्दों के छोटे 'एस' और 'डी' अक्षर को क्रमशः बड़े 'एस' और 'डी' अक्षर द्वारा आशोधित किया जाएगा।	'रिमैटिरियलाइजन' इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंगस को वापस वास्तविक रूप में परिवर्तित करने और शेयर/डिबेंचर धारक(कों)के पक्ष में नए शेयर/डिबेंचर जारी करने की प्रक्रिया है।	'**रिमैटिरियलाइजेशन**' इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंगस को वापस फीजिकल रूप में परिवर्तित करने और शेयर/डिबेंचर धारक(कों)के पक्ष में नए शेयर/**डिबेंचर** जारी करने की प्रक्रिया है।
		''प्रतिभूतियों'' की परिभाषा प्रतिस्थापित की गई है।	'प्रतिभूतियों' से तात्पर्य समय-समय पर सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट कंपनी के शेयर या डिबेंचर, अमेरिकी/वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद, यूरो बांड और अन्य विदेशी मुद्रा लिखत और ऐसी अन्य प्रतिभूतियों से है।	'**प्रतिभूतियों' से तात्पर्य 'प्रतिभूति' संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड(ज) में दी गई परिभाषा से है और इसमें हाइब्रिड्स भी शामिल रुप में प्रतिभाषित किया गया हो।**
		''शेयर'' की परिभाषा प्रतिस्थापित की गई है।	'शेयर' से तात्पर्य ऐसे शेयर या स्टॉक से है, जिनमें पूंजी को विभाजित किया गया है और ऐसे शेयर या स्टॉक के अनुरूप ब्याज से है।	'**शेयर' से तात्पर्य कंपनी की शेयर पूंजी के शेयर से है और इसमें ऐसे स्टॉक शामिल नहीं हैं, जहां स्टॉक और शेयर के बीच अंतर स्पष्ट या निहित हो।**
6	**शेयरों की पुनः खरीद**	''प्रतिभूति'' शब्द के स्थान पर ''प्रतिभूतियां'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।	इन अनुच्छेदों के किसी प्रावधान के होते हुए, कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह अपने शेयरों को वापस खरीद सकती है या धारित कर सकती है या अधिनियम में यथा परिभाषित ऐसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूति को ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर धारित कर सकती है और ऐसे तरीके से और ऐसी सीमा तक धारित कर सकती है, जो समय-समय पर कानून द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और अपने मुक्त आरक्षित या कंपनी के प्रतिभूति प्रीमियम खाते से या शेयरों के नए निर्गमों से भिन्न निर्गमों की खरीद से पुनःखरीद के प्रयोजनों के लिए धारित कर सकती है, बशर्ते कि इसमें दी गई कोई बात अधिनियम की धारा 100 से 104 के प्रावधानों पर और जहां तक वे लागू होते हों, पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें, परंतु और इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार और कानून के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार और ऐसे अनुमोदन, अनुमति और मंजूरी, यदि कोई हो, के संबंध में ऐसा करना आवश्यक न हो।	इन अनुच्छेदों के किसी प्रावधान के होते हुए, कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह अपने शेयरों को वापस खरीद सकती है या धारित कर सकती है या अधिनियम में यथा परिभाषित ऐसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर धारित कर सकती है और ऐसे तरीके से और ऐसी सीमा तक धारित कर सकती है, जो समय-समय पर कानून द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और अपने मुक्त आरक्षित या कंपनी के **प्रतिभूतियां** प्रीमियम खाते से या शेयरों के नए निर्गमों से भिन्न निर्गमों की खरीद से पुनःखरीद के प्रयोजनों के लिए धारित कर सकती है, बशर्ते कि इसमें दी गई कोई बात अधिनियम की धारा 100 से 104 के प्रावधानों पर और जहां तक वे लागू होते हों, पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें, परंतु और इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार और कानून के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार और ऐसे अनुमोदन, अनुमति और मंजूरी, यदि कोई हो, के संबंध में ऐसा करना आवश्यक न हो।

अनुच्छेद सं.	शीर्षक	परिवर्तन	विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
8(2)	**सदस्यों या डिबेंचरधारकों के प्रमाणपत्र पाने के अधिकार**	''और वे'' के बाद ''एक'' शब्द जोड़ा गया है।	डिपॉजिटरी द्वारा धारित सभी प्रतिभूतियां डिमैटिरियलाइज रूप में और वे एक समरूप होंगी और उन्हें प्रगामी संख्या नहीं दी जाएगी और प्रगामी संख्या से संबंधित प्रावधान कंपनी के ऐसे अन्य शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों पर लागू नहीं होंगे जो डिमैटिरियलाइज हो गए हों और डिपॉजिटरी के पास डिमैटिरियलाइज रूप में जारी/धारित अन्य प्रतिभूतियों के शेयरों के संबंध में कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।	डिपॉजिटरी द्वारा धारित सभी प्रतिभूतियां डिमैटिरियलाइज रुप में होगी और वे एक समरूप होंगी और उन्हें प्रगामी संख्या नहीं दी जाएगी और प्रगामी संख्या से संबंधित प्रावधान कंपनी के ऐसे अन्य शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों पर लागू नहीं होंगे जो डिमैटिरियलाइज हो गए हों और डिपॉजिटरी के पास डिमैटिरियलाइज रूप में जारी/धारित अन्य प्रतिभूतियों के शेयरों के संबंध में कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
8क(क)	**प्रतिभूतियों का डिमैटिरिय-लाइजेशन)**	''प्रतिभूतिया'', ''डिमैटरियलाइज्ड'' और उसके अधीन शब्दों के स्थान पर क्रमशः - 'प्रतिभूतियां डिमैटिरियलाइज्ड और उसके अधीन शब्द' प्रतिस्थापित किए जाएंगे। ''रिमैटरियलाइज्ड'' और ''शेयर'' शब्दों के छोटे 'आर' और 'एस' अक्षर को क्रमशः बड़े 'आर' और ''एस'' अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।	इन अनुच्छदों में दी गई किसी बात के बावजूद कंपनी अपने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को (जिसमें वर्तमान और भावी, दोनों शामिल हैं) जो डिपॉजिटरी के पास धारित हों, को डिमैटिरियलाइज या रिमैटिरियलाइज करने की हकदार है, ताकि डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए नियम, यदि कोई हों, के अनुसरण में डिमैटिरियलाइज रूप में अंशदान किया जा सके।	इन अनुच्छदों में दी गई किसी बात के बावजूद कंपनी अपने **शे**यरों, डिबेंचरों और अन्य **प्रतिभूतियों** को (जिसमें वर्तमान और भावी, दोनों शामिल हैं) जो डिपॉजिटरी के पास धारित हों, को डिमैटिरियलाइज या **रि**मैटिरियलाइज करने की हकदार है, ताकि डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और **उसके अधीन** बनाए गए नियम, यदि कोई हों, के अनुसरण में **डिमैटिरियलाइज** रूप में अंशदान किया जा सके।
9	**शेयरों या डिबेंचरों के नए प्रमाण-पत्र जारी करना**	''और कंपनी (शेयर प्रमाणपत्र जारी करना) नियमावली, 1960'', शब्दों को ''विनियम अधिनियम, 1956'' के बाद जोड़ा गया है। इन शब्दों ''आवश्यक संशोधनों सहित'' को तिरछे और मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा।	यदि कोई प्रमाणपत्र फट गया हो, खराब हो गया हो, विरूपित हो गया हो या उसके टुकड़े-टुकड़े हो गए हों और अंतरण के पृष्ठांकन के लिए उसके पीछे और कोई जगह न हो तो उसे कंपनी को पेश करने और अभ्यर्पित करने पर उसके स्थान पर एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है और यदि कोई प्रमाणपत्र खो गया हो या नष्ट हो गया हो, तो कंपनी की संतुष्टि के लिए उसका सबूत देने पर और कंपनी द्वारा पर्याप्त समझे जाने वाले क्षति बंधपत्र के निष्पादन करने पर उसके स्थान पर नया प्रमाणपत्र उस पक्षकार को दिया जाएगा, जो ऐसे खोए हुए या नष्ट हुए प्रमाणपत्र को प्राप्त करने का हकदार हो। इस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक प्रमाणपत्र निःशुल्क जारी किया जाएगा बशर्ते कि निदेशक ऐसा निर्णय ले या ऐसे शुल्क की अदायगी करने पर (प्रत्येक प्रमाण-पत्र के लिए अधिक से अधिक 2 रुपए (जैसा कि निदेशक निर्धारित करे)। लेकिन ऐसे प्रमाणपत्रों के स्थान पर नए प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जो पुराने हों, खराब हो गए हों या फट गए हों या जिनमें अंतरण को पृष्ठांकित करने के लिए पीछे जगह न हो। परंतु ऊपर बताई गई किसी बात के होते हुए निदेशक ऐसे नियमों, विनियमों या स्टॉक एक्सचेंज की अपेक्षाओं या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 के अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य अधिनियम या इस संबंध में लागू नियमों का निदेशकों द्वारा पालन किया जाएगा। इस अनुच्छेद के प्रावधान आवश्यक संशोधनों सहित कंपनी के डिबेंचरों पर भी लागू होंगे।	यदि कोई प्रमाणपत्र फट गया हो, खराब हो गया हो, विरूपित हो गया हो या उसके टुकड़े-टुकड़े हो गए हों और अंतरण के पृष्ठांकन के लिए उसके पीछे और कोई जगह न हो तो उसे कंपनी को पेश करने और अभ्यर्पित करने पर उसके स्थान पर एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है और यदि कोई प्रमाणपत्र खो गया हो या नष्ट हो गया हो, तो कंपनी की संतुष्टि के लिए उसका सबूत देने पर और कंपनी द्वारा पर्याप्त समझे जाने वाले क्षति बंधपत्र के निष्पादन करने पर उसके स्थान पर नया प्रमाणपत्र उस पक्षकार को दिया जाएगा, जो ऐसे खोए हुए या नष्ट हुए प्रमाणपत्र को प्राप्त करने का हकदार हो। इस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक प्रमाणपत्र निःशुल्क जारी किया जाएगा बशर्ते कि निदेशक ऐसा निर्णय ले या ऐसे शुल्क की अदायगी करने पर (प्रत्येक प्रमाण-पत्र के लिए अधिक से अधिक 2 रुपए (जैसा कि निदेशक निर्धारित करे)। लेकिन ऐसे प्रमाणपत्रों के स्थान पर नए प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जो पुराने हों, खराब हो गए हों या फट गए हों या जिनमें अंतरण को पृष्ठांकित करने के लिए पीछे जगह न हो। परंतु ऊपर बताई गई किसी बात के होते हुए निदेशक ऐसे नियमों, विनियमों या स्टॉक एक्सचेंज की अपेक्षाओं या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 और **कंपनियों की (शेयर प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी) नियमावली, 1960** या किसी अन्य अधिनियम या इस संबंध में लागू नियम के अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य अधिनियम या इस संबंध में लागू नियमों का निदेशकों द्वारा पालन किया जाएगा। इस अनुच्छेद के प्रावधान ***आवश्यक संशोधनों सहित*** कंपनी के डिबेंचरों पर भी लागू होंगे।
10(1)	**कॉल ऑन शेयर**	इस अनुच्छेद में दो स्थानों पर आए ''व्यक्ति (व्यक्तियों)'' के स्थान पर ''व्यक्ति'' शब्द प्रतिस्थापित किया गया है।	निदेशक मंडल समय-समय पर सदस्यों द्वारा धारित शेयरों की सभी अप्रदत्त धनराशि के संबंध में जैसा आवश्यक समझे, ऐसी कॉल कर सकता है, बशर्ते कि जिन शर्तों पर इन शेयरों का निर्गम किया गया है और आबंटन की शर्त को निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा संकल्पित किया गया हो, उनका पालन किया गया हो और प्रत्येक सदस्य इस प्रकार की प्रत्येक कॉल के लिए उस व्यक्ति (व्यक्तियों) को अदायगी करेगा और उस समय और उस स्थान पर अदायगी करेगा जो निदेशक मंडल द्वारा तय किया जाए। एक कॉल की राशि किस्तों में अदा की जा सकती है। किसी भी कॉल के संबंध में कंपनी द्वारा लिखित रूप में 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा, जिसमें अदायगी के समय और स्थान का उल्लेख किया जाएगा और उस व्यक्ति (व्यक्तियों) का उल्लेख किया जाएगा, जिसे ऐसे कॉल राशि की यह अदायगी की जानी है। कोई भी कॉल उस समय की गई मानी जाएगी, जब ऐसे कॉल को प्राधिकृत करने वाला संकल्प निदेशक मंडल की बैठक में पारित किया गया हो। किसी भी कॉल को निदेशक मंडल के विवेक पर निरस्त या स्थगित किया जा सकता है। निदेशक मंडल समय-समय पर अपने विवेक से किसी भी काल की अदायगी के लिए तय	निदेशक मंडल समय-समय पर सदस्यों द्वारा धारित शेयरों की सभी अप्रदत्त धनराशि के संबंध में जैसा आवश्यक समझे, ऐसी कॉल कर सकता है बशर्ते कि जिन शर्तों पर इन शेयरों का निर्गम किया गया है और आबंटन की शर्त को निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा संकल्पित किया गया हो, उनका पालन किया गया हो और प्रत्येक सदस्य इस प्रकार की प्रत्येक कॉल के लिए उस **व्यक्ति** को अदायगी करेगा और उस समय और उस स्थान पर अदायगी करेगा जो निदेशक मंडल द्वारा तय किया जाए। एक कॉल की राशि किस्तों में अदा की जा सकती है। किसी भी कॉल के संबंध में कंपनी द्वारा लिखित रूप में 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा, जिसमें अदायगी के समय और स्थान का उल्लेख किया जाएगा और उस **व्यक्ति** का उल्लेख किया जाएगा, जिसे ऐसे कॉल की राशि की अदायगी की जानी है। कोई भी कॉल उस समय की गई मानी जाएगी, जब ऐसे कॉल को प्राधिकृत करने वाला संकल्प निदेशक मंडल की बैठक में पारित किया गया हो। किसी भी कॉल को निदेशक मंडल के विवेक पर निरस्त या स्थगित किया जा सकता है। निदेशक मंडल समय-समय पर अपने विवेक से किसी भी काल की अदायगी के लिए तय

अनुच्छेद सं.	शीर्षक	परिवर्तन	विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
			किए गए समय को बढ़ा सकता है, लेकिन बढ़ाई गई अवधि और पक्ष के मामले के सिवाय कोई भी सदस्य इस प्रकार का विस्तार पाने का हकदार नहीं होगा।	किए गए समय को बढ़ा सकता है, लेकिन बढ़ाई गई अवधि और पक्ष के मामले के सिवाय कोई भी सदस्य इस प्रकार का विस्तार पाने का हकदार नहीं होगा।
10(3)	-वही-	''आवश्यक परिवर्तनों सहित'' शब्दों को तिरछे और मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा।	इस अनुच्छेद के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित कॉल ऑन डिबेंचर पर भी लागू होंगे।	इस अनुच्छेद के प्रावधान **आवश्यक परिवर्तनों सहित** कॉल ऑन डिबेंचर पर भी लागू होंगे।
12	**कॉल की प्रत्याशा में की जाने वाली अदायगी पर ब्याज लगाया जाएगा।**	''आवश्यक परिवर्तनों सहित'' शब्दों को तिरछे और मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा।	इस अनुच्छेद के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित कॉल ऑन डिबेंचर्स पर भी लागू होंगे।	इस अनुच्छेद के प्रावधान **आवश्यक परिवर्तनों सहित** कॉल ऑन डिबेंचर्स पर भी लागू होंगे।
16	**बिक्री से आय लागू होना।**	''आवश्यक परिवर्तनों सहित'' शब्दों को तिरछे और मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा।	इस अनुच्छेद के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित कॉल ऑन डिबेंचर्स पर भी लागू होंगे।	इस अनुच्छेद के प्रावधान **आवश्यक परिवर्तनों सहित** कॉल ऑन डिबेंचर्स पर भी लागू होंगे।
20क	**निदेशक मंडल नया प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।**	''आवश्यक परिवर्तनों सहित'' शब्दों को तिरछे और मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा।	इस अनुच्छेद के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित कॉल ऑन डिबेंचर्स पर भी लागू होंगे।	इस अनुच्छेद के प्रावधान **आवश्यक परिवर्तनों सहित** कॉल ऑन डिबेंचर्स पर भी लागू होंगे।
21	**शेयरों या डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों का अंतरण और प्रेषण**	''कंपनी इसके अंतर्गत करेगी'' शब्दावली के बाद 'एक माह' शब्द के स्थान पर 'दो माह' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। ''शेयर/डिबेंचर'' के छोटे अक्षर 'एस' और 'डी' को क्रमशः बड़े अक्षर 'एस' और 'डी' में परिवर्तित किया जाएगा। ''इस अधिनियम की धारा 108 के अधीन निर्धारित रूप में'' शब्दों को ''शेयरों या डिबेंचरों के'' शब्दों के बाद जोड़ा गया है।	इन अनुच्छेदों की धारा 111 और 111क के प्रावधानों और इस अधिनियम या तत्समय लागू अन्य किसी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निदेशक मंडल इन अनुच्छेदों के अधीन या कंपनी के किसी सदस्य के किसी शेयर या हित या डिबेंचर के किसी अधिकार का कानून लागू करके अंतरण करने या प्रश्न करने से इनकार कर सकता है भले ही इन अनुच्छेदों या अन्यथा अनुच्छेदों के अधीन कंपनी की किसी शर्त के अनुसरण में यह आता हो या नहीं। कंपनी यथास्थिति अंतरण के लिखतों या ऐसे प्रेषण की सूचना की तारीख से एक माह के अंदर ऐसे अंतरिती और अंतरक को या ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति इस प्रेषण की सूचना देते हुए ऐसे इनकार किए जाने का कारण देकर अंतरण की लिखत या ऐसे प्रेषण की सूचना दे सकता है। कंपनी द्वारा यथास्थिति शेयरों या डिबेंचरों के अंतरण का सामान्य फार्म उपयोग किया जाएगा।	इन अनुच्छेदों की धारा 111 और 111क के प्रावधानों और इस अधिनियम या तत्समय लागू अन्य किसी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निदेशक मंडल इन अनुच्छेदों के अधीन या कंपनी के किसी सदस्य के किसी शेयर या हित या डिबेंचर के किसी अधिकार का कानून लागू करके अंतरण करने या प्रश्न करने से इनकार कर सकता है भले ही इन अनुच्छेदों या अन्यथा अनुच्छेदों के अधीन कंपनी की किसी शर्त के अनुसरण में यह आता हो या नहीं। कंपनी यथास्थिति अंतरण के लिखतों या ऐसे प्रेषण की सूचना की तारीख से **दो माह** के अंदर ऐसे अंतरिती और अंतरक को या ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति इसे प्रेषण की सूचना देते हुए ऐसे इनकार किए जाने का कारण देकर अंतरण की लिखत या ऐसे प्रेषण की सूचना दे सकता है। कंपनी द्वारा यथास्थिति **इस अधिनियम की धारा 108 के अधीन निर्धारित फार्म में शे**यरों या **डि**बेंचरों के अंतरण का सामान्य फार्म उपयोग किया जाएगा।
27(क)(v)	**शेयरों/डिबेंचरों/ अन्य प्रतिभूतियों का नामांकन/ प्रेषण**	शब्दों ''शेयरों/डिबेंचरों'' के बाद ''सिक्योरिटीज'' शब्द जोड़ा जाए। डिपाजिट के छोटे अक्षर डी को बड़े अक्षर डी में परिवर्तित किया जाए।	जिस मामले में नामिती अवयस्क हो, शेयरों/डिबेंचरों/ प्रतिभूतियों या जमाओं के धारकों के लिए यह विधिमान्य होगा कि वे निर्धारित फार्म में नामिती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को कंपनी के शेयर/ डिबेंचर/प्रतिभूति या जमाओं का उस स्थिति में हकदार बनाने के लिए नामिती नियुक्त करे, जब अवयस्कता अवधि के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है।	जिस मामले में नामिती अवयस्क हो, शेयरों/डिबेंचरों/ **प्रतिभूतियों** या **ज**माओं के धारकों के लिए यह विधिमान्य होगा कि वे निर्धारित फार्म में नामिती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को कंपनी के शेयर/ डिबेंचर/प्रतिभूतियों या **ज**माओं का उस स्थिति में हकदार बनाने के लिए नामिती नियुक्त करे, जब अवयस्कता अवधि के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है।
27क(v) के ठीक नीचे दिए गए प्रावधान जिनकी संख्या (iv) है।	**शेयरों/डिबेंचरों/ अन्य प्रतिभूतियों का प्रेषण**	चार स्थानों पर ''शेयरों/ डिबेंचरों'' शब्दों के बाद ''प्रतिभूतियां'' शब्द जोड़ा जाए।	नामिती उन्हीं लाभांशों और अन्य लाभों को पाने का हकदार होगा जो वह उस स्थिति में हकदार होता यदि वह शेयरों/ डिबेंचरों या जमाओं के पंजीकृत धारक के रूप में होता, सिवाय इसके कि वह शेयर/डिबेंचर या जमा के संबंध में सदस्य के रूप में पंजीकृत किए जाने से पूर्व कंपनी की बैठक की सदस्यता के अधिकार का हकदार नहीं होगा। परंतु, यह भी कि निदेशक मंडल किसी भी समय ऐसे व्यक्ति को नोटिस कर अपने आपको पंजीकृत करवाने या शेयरों/ डिबेंचरों या जमाओं को अंतरित करवाने के लिए नोटिस दे सकता है और यदि 90 दिन के अंदर इस नोटिस का पालन नहीं होता है तो निदेशक मंडल उसके बाद उसके सभी लाभांशों, बोनसों या अन्य धनराशि (धनराशियों) को रोक सकता है, जो उन शेयरों/डिबेंचरों या जमाओं के संबंध में उपचित/देय हो या जिन पर उसका अधिकार हो, बशर्ते कि नोटिस की अपेक्षाओं को पूरा किया गया हो।	नामिती उन्हीं लाभांशों और अन्य लाभों को पाने का हकदार होगा जो वह उस स्थिति में हकदार होता यदि वह शेयरों/ डिबेंचरों/ **प्रतिभूतियों** या जमाओं के पंजीकृत धारक के रूप में होता, सिवाय इसके कि वह शेयरों/डिबेंचरों/ **प्रतिभूतियों** या जमा के संबंध में सदस्य के रूप में पंजीकृत किए जाने से पूर्व कंपनी की बैठक की सदस्यता के अधिकार का हकदार नहीं होंगा। परंतु, यह भी कि निदेशक मंडल किसी भी समय ऐसे व्यक्ति को नोटिस कर अपने आपको पंजीकृत करवाने या शेयरों/डिबेंचरों/ **प्रतिभूतियों** या जमाओं को अंतरित करवाने के लिए पंजीकृत नोटिस दे सकता है और यदि 90 दिन के अंदर इस नोटिस का पालन नहीं होता तो निदेशक मंडल उसके बाद उसके सभी लाभांशों, बोनसों या अन्य धनराशि (धनराशियों) को रोक सकता है, जो उन शेयरों/डिबेंचरों/ **प्रतिभूतियों** या जमाओं के संबंध में उपचित/ देय हो या जिस पर उसका अधिकार हो, बशर्ते कि नोटिस की अपेक्षाओं को पूरा किया गया हो।
#28	**कोई फीस नहीं ली जाएगी।**	''आवश्यक परिवर्तनों सहित'' शब्दों को तिरछा और मोटा किया जाए।	इस अनुच्छेद के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित कॉल ऑन डिबेंचर पर भी लागू होंगे।	इस अनुच्छेद के प्रावधान **आवश्यक परिवर्तनों सहित** कॉल ऑन डिबेंचर पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद सं.	शीर्षक	परिवर्तन	विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
#29	**सदस्यों और डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूति धारकों के रजिस्टर को बंद करना।**	''45'' और ''7'' संख्या वाले अंकों को क्रमशः ''45 (पैंतालीस)'' और ''7 (सात)'' शब्दों में लिखा जाए। ''रजिस्टर्ड कार्यालय'', ''शेयर और डिबेंचर'' शब्दों के छोटे अक्षर 'आर' 'ओ', 'एस' और 'डी' को क्रमशः बड़े अक्षर 'आर' 'ओ', 'एस' और 'डी' में परिवर्तित किया जाए।	सदस्यों/डिबेंचर/ प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर प्रत्येक वर्ष में किसी भी अवधि या अवधियों में अधिक से अधिक 45 दिनों के लिए बंद किया जा सकता है। लेकिन उस जिले में परिचालित होने वाले समाचारपत्रों में विज्ञापन देकर कम से कम 7 दिन का पूर्व नोटिस देने के बाद एक बार में अधिक से अधिक 30 (तीस) दिन से अधिक दिन के लिए बंद नहीं किया जाएगा, जिसमें कपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय या ऐसे अन्य स्थान पर सदस्यों/डिबेंचर-धारकों का यह रजिस्टर और सूचक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 150 और 151 और अन्य लागू प्रावधानों और डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 के अनुसार रख सकता है, जिसमें फिजिकल रूप में धारित शेयरों/ डिबेंचरों का विवरण लिखा जाएगा और कानून द्वारा अनुमत किसी माध्यम में डिमैटिरियलाइज्ड रूप में रखा जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का कोई भी रूप शामिल है।	सदस्यों/डिबेंचर/ प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर प्रत्येक वर्ष में किसी भी अवधि या अवधियों में अधिक से अधिक 45 **(पैंतालीस)** दिनों के लिए बंद किया जा सकता है। लेकिन उस जिले में परिचालित होने वाले समाचारपत्रों में विज्ञापन देकर कम से कम 7 **(सात)** दिन का पूर्व नोटिस देने के बाद एक बार में अधिक से अधिक 30 (तीस) दिन से अधिक दिन के लिए बंद नहीं किया जाएगा, जिसमें कंपनी का **पं**जीकृत **का**र्यालय स्थित है। निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय या ऐसे अन्य स्थान पर सदस्यों/ डिबेंचर-धारकों का यह रजिस्टर और सूची कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 150 और 151 और अन्य लागू प्रावधानों और डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 के अनुसार रख सकता है, जिसमें **फि**जिकल रूप में धारित **शे**यरों/ **डि**बेंचरों का विवरण लिखा जाएगा और कानून द्वारा अनुमत किसी माध्यम में डिमैटिरियलाइज्ड रूप में रखा जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का कोई भी रूप शामिल है।
32क1(ख)	**शेयर का अगला निर्गम**	''तीस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''15 (पंद्रह) दिन'' शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं।	इस प्रकार का प्रस्ताव एक ऐसे नोटिस द्वारा दिया जाएगा, जिसमें प्रस्तावित शेयरों की संख्या का उल्लेख किया गया हो और प्रस्ताव की तारीख से कम से कम 30 दिन का समय दिया गया हो और यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसे मना किया गया समझा जाएगा।	इस प्रकार का प्रस्ताव एक ऐसे नोटिस द्वारा दिया जाएगा, जिसमें प्रस्तावित शेयरों की संख्या का उल्लेख किया गया हो और प्रस्ताव की तारीख से कम से कम **15 (पंद्रह) दिन** का समय दिया गया हो और यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसे मना किया गया समझा जाएगा।
37	**आशोधित करने की शक्ति**	''कांटैक्ट'' शब्द के स्थान पर ''कांट्रैक्ट'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। ''का नाममात्र मूल्य'' शब्दों को हटा दिया जाए। ''जनरल मीटिंग'' शब्दों के छोटे अक्षर 'जी' और 'एम' को क्रमशः बड़े अक्षर 'जी' और 'एम' में परिवर्तित किया जाए। ''आवश्यक परिवर्तनों सहित'' शब्दों को तिरछे और मोटे अक्षरों में लिखा जाए।	यदि किसी समय तरजीही शेयरों या अन्यथा के जारी किए जाने के कारण पूंजी को शेयरों की अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है तो ऐसी प्रत्येक श्रेणी से जुड़े सभी या कोई अधिकार या विशेष अधिकार इस अधिनियम की धारा 106 और 107 के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा। इसमें आशोधन किया जाएगा या इस पर कंपनी और उस व्यक्ति के बीच करार करके कार्रवाई की जाएगी, जो उस श्रेणी की ओर से संपर्क कर रहा है। परंतु, ऐसे करार को (क) उस श्रेणी के जारी किए गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के कम से कम तीन-चौथाई धारकों द्वारा लिखित रूप में संशोधित किया जाएगा या (ख) उस श्रेणी के शेयरों के धारक की अलग बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी और आम बैठक में इसके बाद किए गए सभी प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसी प्रत्येक बैठक पर लागू होंगे, सिवाय उस बैठक के, जिसका कोरम धारक सदस्यों या प्रॉक्सी द्वारा प्रतिनिधित्व वाली बैठक के द्वारा तय किया जाए, जिसमें से प्रॉक्सियों के उस श्रेणी के जारी शेयरों की नाममात्र रकम का पांचवां हिस्से का प्रतिनिधित्व किया जाए। यह अनुच्छेद ऐसा आशोधन करके शक्तियों को कम करना नहीं है जो कंपनी के पास उस स्थिति में होंगी यदि यह अनुच्छेद हटा दिया जाता है।	यदि किसी समय तरजीही शेयरों या अन्यथा के जारी किए जाने के कारण पूंजी को शेयरों की अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है तो ऐसी प्रत्येक श्रेणी से जुड़े सभी या कोई अधिकार या विशेष अधिकार इस अधिनियम की धारा 106 और 107 के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा। इसमें आशोधन किया जाएगा या इस पर कंपनी और उस व्यक्ति के बीच करार करके कार्रवाई की जाएगी, जो उस श्रेणी की ओर से **संविदा** कर रहा है। परंतु, ऐसे करार को (क) उस श्रेणी के जारी किए गए शेयरों के कम से कम तीन-चौथाई धारकों द्वारा लिखित रूप में संशोधित किया जाएगा या (ख) उस श्रेणी के शेयरों के धारक की अलग **आम बै**ठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी और **आम बै**ठक में इसके बाद किए गए सभी प्रावधान **आवश्यक परिवर्तनों सहित** ऐसी प्रत्येक बैठक पर लागू होंगे, सिवाय उस बैठक के, जिसका कोरम धारक सदस्यों या प्रॉक्सी द्वारा प्रतिनिधित्व वाली बैठक के द्वारा तय किया जाए, जिसमें से प्रॉक्सियों के उस श्रेणी के जारी शेयरों की नाममात्र रकम का पांचवां हिस्से का प्रतिनिधित्व किया जाए। यह अनुच्छेद ऐसा आशोधन करके शक्तियों को कम करना नहीं है जो कंपनी के पास उस स्थिति में होंगी यदि यह अनुच्छेद हटा दिया जाता है।
41	**छूट या विशेष सुविधा पर डिबेंचर जारी करना।**	विद्यमान अनुच्छेद 41 को हटा दिया जाए।	इस अधिनियम की धारा 79 और धारा 117 के अधीन रहते हुए कोई भी डिबेंचर, डिबेंचर का स्टॉक, बंध पत्र या अन्य प्रतिभूति छूट पर, प्रीमियम या अन्यथा पर जारी किए जा सकते हैं और किसी विशेष सुविधा सहित जारी किए जा सकते हैं, जैसे ऐसे शेयरों का उन्मोचन, अभ्यर्पण, आहरण और आबंटन जो आम बैठक में उपस्थिति (न कि मतदान) पर निदेशकों या अन्यथा द्वारा नियुक्त किया जाए। डिबेंचरों को शेयरों में परिवर्तन या आबंटन के अधिकार सहित विशेष संकल्प द्वारा आम बैठक में कंपनी की सहमति से ही जारी किया जाएगा।	शून्य
44	**आम बैठक**	''जनरल मीटिंग'', ''एनुअल'' और ''एक्स्ट्रा आर्डिनरी'' के छोटे अक्षर 'जी', 'एम', 'ए', 'ई' और 'ओ' को क्रमशः बड़े अक्षर 'जी', 'एम', 'ए', 'ई' और 'ओ' में परिवर्तित किया जाए। '15', '18', और '6' के अंकों की संख्या को क्रमशः ''15 (पंद्रह)'', ''18 (अठारह)'', और ''6 (छह)'' में व्यक्त किया जाए। ''इस अधिनियम की धारा 210 के साथ पठित धारा 166 के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी	कंपनी किसी अन्य बैठक के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष अपनी वार्षिक आम बैठक के रूप में एक आम बैठक आयोजित करेगी और एक वार्षिक आम बैठक और अगली बैठक के बीच 15 माह से अधिक का समय खर्च नहीं होगा। कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक इसके गठन की तारीख से अठारह माह के अंदर आयोजित की जाएगी और उसके पश्चात यथासंशोधित अधिनियम की धारा 166 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कंपनी की वार्षिक आम बैठक प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद छह माह के अंदर आयोजित की जाएगी। यह बैठक दिन के कारोबार के घंटों के दौरान आयोजित की जाएगी न कि सार्वजनिक अवकाश के दिन। आम बैठक बुलाए जाने संबंधी नोटिस में वार्षिक आम बैठक के रूप में इसका उल्लेख किया जाएगा। निदेशकों द्वारा निर्धारित किए जाने वाली अन्य आम बैठक, जो ऐसे समय	कंपनी किसी अन्य बैठक के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष अपनी **वा**र्षिक **आम बै**ठक के रूप में एक आम बैठक आयोजित करेगी और एक **वा**र्षिक **आम बै**ठक और अगली बैठक के बीच **15 (पंद्रह)** माह से अधिक का समय खर्च नहीं होगा। कंपनी की पहली **वा**र्षिक **आम बै**ठक इसके गठन की तारीख से **18 (अठारह)** माह के अंदर आयोजित की जाएगी और उसके पश्चात यथासंशोधित अधिनियम की धारा 166 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कंपनी की वार्षिक आम बैठक प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद **6 (छह)** माह के अंदर आयोजित की जाएगी या इस **अधिनियम की धारा 210 के साथ पठित धारा 166 के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा अनुमत ऐसी बढ़ाई गई अवधि** में कारोबार के घंटों के दौरान ऐसे दिन आयोजित की जाएगी जो सार्वजनिक अवकाश न हो।

अनुच्छेद सं.	शीर्षक	परिवर्तन	विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
		के रजिस्ट्रार द्वारा अनुमत यथास्थिति या ऐसी बढ़ाई गई अवधि'' शब्दों को ''प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति'' के बाद जोड़ा जाए।	और स्थान पर आयोजित की जाएगी, उसे असाधारण आम बैठक कहा जाएगा।	**आम बै**ठक बुलाए जाने के नोटिस में इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि यह **वा**र्षिक **आम बै**ठक है। यह बैठक दिन के कारोबार के घंटों के दौरान आयोजित की जाएगी न कि सार्वजनिक अवकाश के दिन। आम बैठक बुलाए जाने संबंधी नोटिस में **वा**र्षिक **आम बै**ठक के रूप में इसका उल्लेख किया जाएगा। निदेशकों द्वारा निर्धारित किए जाने वाली अन्य आम बैठक, जो ऐसे समय और स्थान पर आयोजित की जाएगी, उसे **अ**साधारण **आम बै**ठक कहा जाएगा।
45(2)	**असाधारण बैठक कब बुलाई जाएगी**	'21' और '45' अंकों की संख्या को क्रमशः ''21 (इक्कीस)'' और ''45 (पैंतालीस)'' शब्दों में व्यक्त किया जाए। ''निदेशक'', ''एक्स्ट्रा आर्डिनरी जनरल मीटिंग'', ''मैनेजर'' और ''कंपनी'' के छोटे अक्षर 'डी', 'ई', 'ओ', 'जी', 'एम', 'एम' और 'सी' को क्रमशः बड़े अक्षर 'डी', 'ई', 'ओ', 'जी', 'एम', 'एम' और 'सी' में परिवर्तित किया जाए।	यदि निदेशक मंडल बैठक बुलाए जाने की विधिमान्य मांग जमा करने की तारीख से 21 दिन के अंदर अधिक से अधिक 45 दिनों के अंदर ऐसी बैठक की मांग के प्राप्त होने के बाद बैठक नहीं बुलाता है तो इस अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (4) के खंड (क) में उल्लिखित कंपनी की ऐसी प्रदत्त पूंजी के कम से कम 1/10 पूंजीधारक सदस्यों या सभी सदस्यों द्वारा धारित प्रदत्त शेयर पूंजी के मूल्य में बहुमत रखने वाले प्रतिनिधियों, इनमें से जो भी कम हो, के द्वारा बैठक बुलाई जा सकती है। मांगकर्ताओं द्वारा इस अनुच्छेद के अधीन बुलाई गई बैठक लगभग उसी तरह से संचालित की जाएगी जैसे निदेशकों द्वारा बुलाई गई बैठक आयोजित की जाती है। यदि मांग प्राप्त होने के बाद समय पर निदेशकों की पर्याप्त संख्या संभव न हो जिससे कोरम बनता हो तो कोई भी निदेशक उसी तरीके से असाधारण आम बैठक आयोजित कर सकता है जैसे कि निदेशकों द्वारा आयोजित बैठक होती है। *यदि बैठक में निपटाए जाने वाले कारोबार की कोई मद ऊपर बताए गए अनुसार विशेष समझी जाए, तो उसे मीटिंग के नोटिस के साथ संलग्न किया जाएगा। इसके साथ प्रत्येक कारोबार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण दिया जाएगा, विशेषतः संबंधित लोगों या हितबद्ध लोगों, यदि कोई हों, के विशेष प्रकृति के मामले भी इसमें शामिल किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक निदेशक और प्रबंधक, यदि कोई हो, का शेयरधारण में किस हद तक हितबद्ध होता है। *परंतुक यह कि यदि ऊपर बताए अनुसार विशेष कार्य की किसी मद को कंपनी की इस बैठक में निपटाया जाना हो या किसी अन्य कंपनी पर प्रभाव डालने वाली किसी मद को निपटाया जाना हो तो कंपनी के प्रत्येक निदेशक और प्रबंधक, यदि कोई हो, के उस कंपनी में शेयरधारण हित की सीमा उस विवरण में दी जाएगी, बशर्ते कि शेयरहोल्डिंग के हित की ऐसी सीमा अन्य कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 20% से कम न हो।	यदि निदेशक मंडल बैठक बुलाए जाने की विधिमान्य मांग जमा करने की तारीख से 21 **(इक्कीस)** दिन के अंदर अधिक से अधिक 45 **(पैंतालीस)** दिनों के अंदर ऐसी बैठक की मांग के प्राप्त होने के बाद बैठक नहीं बुलाता है तो इस अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (4) के खंड (क) में उल्लिखित कंपनी की ऐसी प्रदत्त पूंजी के कम से कम 1/10 पूंजीधारक सदस्यों या सभी सदस्यों द्वारा धारित प्रदत्त शेयर पूंजी के मूल्य में बहुमत रखने वाले प्रतिनिधियों, इनमें से जो भी कम हो, के द्वारा बैठक बुलाई जा सकती है। मांगकर्ताओं द्वारा इस अनुच्छेद के अधीन बुलाई गई बैठक लगभग उसी तरह से संचालित की जाएगी जैसे **नि**देशकों द्वारा बुलाई गई बैठक आयोजित की जाती है। यदि मांग प्राप्त होने के बाद समय पर **नि**देशकों की पर्याप्त संख्या संभव न हो जिससे कोरम बनता हो तो कोई भी **नि**देशक उसी तरीके से **अ**साधारण **आम बै**ठक आयोजित कर सकता है जैसे कि **नि**देशकों द्वारा आयोजित बैठक होती है। *यदि बैठक में निपटाए जाने वाले कारोबार की कोई मद ऊपर बताए गए अनुसार विशेष समझी जाए, तो उसे मीटिंग के नोटिस के साथ संलग्न किया जाएगा। इसके साथ प्रत्येक कारोबार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण दिया जाएगा, विशेषतः संबंधित लोगों या हितबद्ध लोगों, यदि कोई हों, के विशेष प्रकृति के मामले भी इसमें शामिल किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक **नि**देशक और **प्र**बंधक, यदि कोई हो, का शेयरधारण में किस हद तक हितबद्ध होता है। *परंतुक यह कि यदि ऊपर बताए अनुसार विशेष कार्य की किसी मद को **कं**पनी की इस बैठक में निपटाया जाना हो या किसी अन्य कंपनी पर प्रभाव डालने वाली किसी मद को निपटाया जाना हो तो कंपनी के प्रत्येक **निदेशक** और **प्र**बंधक, यदि कोई हो, के उस कंपनी में शेयरधारण हित की सीमा उस विवरण में दी जाएगी, बशर्ते कि शेयरहोल्डिंग के हित की ऐसी सीमा अन्य कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 20% से कम न हो।
51	**सदस्यों को नोटिस कैसे तामील किया जाएगा**	''दिया जाएगा'' शब्द के स्थान पर ''तामील किया गया'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। ''इलेक्ट्रॉनिक तरीके से'' शब्दों को 'व्यक्तिगत रूप से' शब्दों के बाद जोड़ा जाए। ''भारत में'' शब्दों को ''पते'' के बाद जोड़ा जाए। ''या समय-समय पर अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य तरीके'' शब्दों को ''उसे नोटिस'' शब्दों के बाद जोड़ा जाए।	कंपनी द्वारा किसी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा भेजकर उसके रजिस्टर्ड पते पर नोटिस दिया जाएगा या (यदि उसका कोई पंजीकृत पता न हो) तो उस पते पर, यदि कोई हो, जो उसने उसे नोटिस दिए जाने के लिए कंपनी को दिया है।	कंपनी द्वारा किसी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से/**इलेक्ट्रानिक माध्यम से**/डाक से भेजकर उसके रजिस्टर्ड पते पर नोटिस तामील किया जाएगा या (यदि भारत में उसका कोई पंजीकृत पता न हो) तो उस पते पर, यदि कोई हो, जो उसने नोटिस दिए जाने के लिए कंपनी को दिया है या **किसी अन्य तरीके से जो समय-समय पर अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।**
53	**जब विज्ञापन द्वारा नोटिस दिया जाएगा**	''भारत में'' शब्दों को ''पंजीकृत पते'' शब्दों के बाद जोड़ा जाएगा। कंपनी को आपूर्ति करने के बाद आने वाले ''और'' शब्द के स्थान पर ''कोई'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। ''भारत के अंदर'' शब्दों को ''एक पते पर कंपनी को'' शब्दों के बाद जोड़ा जाए।	यदि सदस्य का कोई पंजीकृत पता न हो और उसने कंपनी को अपना पता नोटिस भेजने के लिए नहीं दिया हो तो नोटिस कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के आस-पास परिचालित समाचारपत्र में विज्ञापन देकर दिया जाता है तो उसे उस तारीख को तामील किया गया समझा जाएगा, जिस तारीख को यह विज्ञापन प्रकाशित होता है।	यदि सदस्य का **भारत में** कोई पंजीकृत पता न हो और उसने कंपनी को **भारत के अंदर** पता उसे नोटिस भेजने के लिए नहीं दिया हो तो नोटिस कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के आस-पास परिचालित समाचारपत्र में विज्ञापन देकर के दिया जाता है तो उसे उस तारीख को तामील किया गया समझा जाएगा, जिस तारीख को यह विज्ञापन प्रकाशित होता है।

अनुच्छेद सं.	शीर्षक	परिवर्तन	विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
55	**मृतक या दीवालिया सदस्यों के प्रतिनिधियों को नोटिस कैसे दिया जाए।**	''भारत में'' शब्दों को ''पते पर (यदि कोई हो)'' शब्दों के बाद जोड़ा जाए।	कंपनी द्वारा किसी सदस्य की मृत्यु होने या उसके दिवालिया होने के परिणामतः उसके शेयर के हकदार व्यक्तियों को उनके नाम में डाक खर्च से पूर्व प्रदत्त पत्र के पते पर डाक के माध्यम से या मृतक अथवा दिवालिये के प्रतिनिधि के नाम से या किसी अन्य विवरण से उस पते पर (यदि कोई हो) भेजा जाएगा, जो ऐसी हकदारी का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा इस प्रयोजन के लिए दिया गया हो या (जब तक इस प्रकार का पता दिया जाता है) तब तक इस तरीके से नोटिस देकर भेजा जाएगा जैसे कि उस स्थिति में भेजा जाता, यदि उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई होती या वह दिवालिया हो गया होता।	कंपनी द्वारा किसी सदस्य की मृत्यु होने या उसके दिवालिया होने के परिणामतः उसके शेयर के हकदार व्यक्तियों को उनके नाम में डाक खर्च से पूर्व प्रदत्त पत्र के पते पर डाक के माध्यम से या मृतक अथवा दिवालिये के प्रतिनिधि के नाम से या किसी अन्य विवरण से **भारत में** उस पते पर (यदि कोई हो) भेजा जाएगा, जो ऐसी हकदारी का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा इस प्रयोजन के लिए दिया गया हो या (जब तक इस प्रकार का पता दिया जाता है) तब तक इस तरीके से नोटिस देकर भेजा जाएगा जैसे कि उस स्थिति में भेजा जाता, यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हुई होती या वह दिवालिया नहीं हो गया होता।
56	**नोटिस देने में चूक**	''या अन्य व्यक्ति जिसे यह दिया जाना चाहिए'' शब्दों को ''किसी सदस्य द्वारा नोटिस'' के बाद जोड़ा जाए।	यदि दुर्घटनावश किसी सदस्य को नोटिस भेजने में चूक हो जाती है या किसी सदस्य को ऐसा नोटिस नहीं मिल पाता है, तो ऐसी किसी बैठक की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी।	यदि दुर्घटनावश किसी सदस्य को नोटिस भेजने में चूक हो जाती है या किसी सदस्य **या अन्य व्यक्ति जिसे यह नोटिस दिया जाना चाहिए,** को ऐसा नोटिस नहीं मिल पाता है, तो ऐसी किसी बैठक की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी।
82(4)	**उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/अन्य निदेशकों की नियुक्ति**	''तारीख'' शब्द के स्थान पर ''दिन'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। ''अगले बाद के दिन तक जो सार्वजनिक अवकाश दिन न हो'' को ''सार्वजनिक अवकाश का दिन'' शब्दों के बाद जोड़ा जाए। ''और'' शब्द को ''समय और स्थान'' शब्दों के बाद से विलोपित किया जाए। ''डायरेक्टर'' के छोटे 'डी' अक्षर को बड़े 'डी' अक्षर में परिवर्तित किया जाए। ''या पुनःनियुक्ति'' शब्दों को 'उप-खंड (iv) के अधीन नियुक्ति' के बाद जोड़ा जाए। ''(2) और (3)'' अंक और शब्द और ''अधिनियम का'' को ''उप-खंड (v)'' के अधीन जोड़ा जाए।	यदि सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक की रिक्ति को इस प्रकार नहीं भरा जाता है और बैठक में विशेष रूप से यह संकल्प पारित नहीं किया जाता कि उसकी रिक्ति को न भरा जाए तो यह बैठक अगले सप्ताह में उसी तारीख, उसी समय और स्थान तक के लिए स्थगित की जाएगी या यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश का दिन हो तो उसी समय उसी स्थान तक के लिए स्थगित की जाएगी और यदि स्थगित बैठक तक भी सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक का स्थान नहीं भरा जाता है और उस बैठक में भी स्पष्ट रूप से यह संकल्प पारित नहीं किया जाता है कि इस रिक्ति को नहीं भरा जाए तो सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक को तब तक स्थगित बैठक में पुनःनियुक्त निदेशक के रूप में समझा जाएगा जब तक : (i) उस बैठक में या पिछली बैठक में उस निदेशक की पुनःनियुक्ति के लिए प्रस्ताव रखा गया हो और वह पारित न हो पाया हो; (ii) सेवानिवृत्त होने वाला निदेशक कंपनी को या इसके निदेशक मंडल को लिखित रूप में नोटिस भेजकर ऐसी नियुक्ति के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त न कर दे; (iii) वह ऐसी नियुक्ति के लिए योग्य न हो या अयोग्य हो; (iv) इस अधिनियम के किसी प्रावधान के द्वारा उसकी नियुक्ति के लिए अपेक्षित संकल्प विशेष या साधारण पारित न कर दिया जाए; (v) ऐसे मामले में धारा 263 की उप-धारा (20) का परंतुक लागू होगा।	यदि सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक की रिक्ति को इस प्रकार नहीं भरा जाता है और बैठक में विशेष रूप से यह संकल्प पारित नहीं किया जाता कि उसकी रिक्ति को न भरा जाए तो यह बैठक अगले सप्ताह में उसी समय और स्थान तक के लिए स्थगित की जाएगी या यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश का दिन हो तो **अगले बाद के दिन तक जो सार्वजनिक अवकाश दिन का न हो,** उसी समय उसी स्थान तक के लिए स्थगित की जाएगी और यदि स्थगित बैठक तक भी सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक का स्थान नहीं भरा जाता और उस बैठक में भी स्पष्ट रूप से यह संकल्प पारित नहीं किया जाता कि इस रिक्ति को नहीं भरा जाए तो सेवानिवृत्त होने वाले **नि**देशक को तब तक स्थगित बैठक में पुनःनियुक्त निदेशक के रूप में समझा जाएगा जब तक : (i) उस बैठक में या पिछली बैठक में ऐसे **नि**देशक की पुनःनियुक्ति के लिए प्रस्ताव रखा गया हो और वह पारित न हो पाया हो; (ii) सेवानिवृत्त होने वाला **नि**देशक कंपनी को या इसके निदेशक मंडल को लिखित रूप में नोटिस भेजकर ऐसी नियुक्ति के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त न कर दे; (iii) वह ऐसी नियुक्ति के लिए योग्य न हो या अयोग्य हो; (iv) इस अधिनियम के किसी प्रावधान के द्वारा उसकी नियुक्ति **या पुनःनियुक्ति** के लिए अपेक्षित संकल्प विशेष या साधारण पारित न कर दिया जाए; (v) ऐसे मामले में अधिनियम की **धारा 263 की उप-धारा (2) और (3)** का परंतुक लागू होगा।
83(3)	**निदेशकों में निहित कंपनी की सामान्य शक्ति**	विद्यमान अनुच्छेद 83(3) को विलोपित किया जाता है।	राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे मामलों में अपने कार्यों को करने और उनका निष्पादन करने के लिए कंपनी को निदेश दे सकता है, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा या महत्वपूर्ण जनहित शामिल हो और यह सुनिश्चित होता हो कि कंपनी ऐसे निदेशों को लागू करती है।	शून्य
84(5)	**निदेशकों को विनिर्दिष्ट अधिकार**	विवेक हटाने के बाद ''के लिए'' शब्द के स्थान पर ''या'' शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ''58'' के अंक के स्थान पर ''60 (साठ)'' प्रतिस्थापित किया जाए। ₹5700 शब्द के स्थान पर ₹10500-23000 (या समय-समय पर यथासंशोधित) प्रतिस्थापित किया जाए।	**अधिकारियों आदि की नियुक्ति के लिए** - नियुक्ति करना और उनके विवेक पर हटाए गए या निलंबित प्रबंधकों, सचिवों, अधिकारियों, लिपिकों, एजेंटों और सेवकों, भले ही वे समय-समय पर स्थायी हों, अस्थायी हों या विशेष सेवा में हों, जिसे उपयुक्त समझा जाए और उनकी शक्तियों के निर्धारण के लिए और कर्तव्यों और उनके नियत वेतन या परिलब्धियों के लिए आवश्यक समझा जाए और ऐसे मामलों में सुरक्षा के लिए अपेक्षित और ऐसी रकम तक, जो उचित समझी जाए, शब्द हटा दिए जाएं बशर्ते कि ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी जो 58 वर्ष की उम्र पहले ही पूरी कर चुका हो, ऐसे किसी पद पर नहीं की जाएगी जिसका वेतनमान 5700 रु. या अधिक हो।	**अधिकारियों आदि की नियुक्ति के लिए** - नियुक्ति करना और उनके विवेक पर हटाए गए या निलंबित प्रबंधकों, सचिवों, अधिकारियों, लिपिकों, एजेंटों और सेवकों, भले ही वे समय-समय पर स्थायी हों, अस्थायी हों या विशेष सेवा में हों, जिसे उपयुक्त समझा जाए और उनकी शक्तियों के निर्धारण के लिए और कर्तव्यों और उनके नियत वेतन या परिलब्धियों के लिए आवश्यक समझा जाए और ऐसे मामलों में सुरक्षा के लिए अपेक्षित और ऐसी रकम तक, जो उचित समझी जाए, शब्द हटा दिए जाएं बशर्ते कि ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी जो **60 (साठ)** वर्ष की उम्र पहले ही पूरी कर चुका हो, ऐसे किसी पद पर नहीं की जाएगी जिसका वेतनमान **रु.10500-23000 (या समय-समय पर यथासंशोधित)** या अधिक होगा।
84(12)	**निदेशकों के विनिर्दिष्ट अधिकार**	''राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किया जाए'' शब्दों को विलोपित कर दिया जाए। ''कंपनी और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन'' के छोटे अक्षर 'सी', 'एम' और 'ए' को	**धन का निवेश करना** - इस अधिनियम की धारा 292 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए भारतीय रिजर्व बैंक में निवेश करना या राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश करना और **कं**पनी के संस्था ज्ञापन द्वारा प्राधिकृत ऐसे निवेश करने के बाद कंपनी की धनराशि का कोई संव्यवहार करना (जो इस कंपनी के शेयरों में न हो) और ऐसे तरीके से निवेश	**धन का निवेश करना** - इस अधिनियम की धारा 292 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए भारतीय रिजर्व बैंक में निवेश करना या ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश करना और **कं**पनी के **संस्था ज्ञापन** द्वारा प्राधिकृत ऐसे निवेश करने के बाद **कं**पनी की धनराशि का कोई संव्यवहार करना (जो इस **कं**पनी के शेयरों में न हो) और ऐसे तरीके से निवेश करना जैसा वे

अनुच्छेद सं.	शीर्षक	परिवर्तन	विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
		क्रमशः बड़े अक्षर 'सी', 'एम' और 'ए' में परिवर्तित किया जाए।	करना जैसा वे उपयुक्त समझें और जो समय-समय पर परिवर्तित होती हो या इस प्रकार के निवेशों को वसूल करना।	उपयुक्त समझें और जो समय-समय पर परिवर्तित होती हो या इस प्रकार के निवेशों को वसूल करना।
84(13)	**निदेशकों के विनिर्दिष्ट अधिकार**	''कंपनी'' और ''निदेशक'' के छोटे अक्षर 'सी', और 'डी' को क्रमशः बड़े अक्षर 'सी' और 'डी' में परिवर्तित किया जाए। ''सुविधाजनक'' शब्द के स्थान पर ''प्रसंविदा'' शब्द प्रतिस्थापित किया गया है।	**क्षतिपूर्ति के द्वारा जमानत देना** - किसी भी निदेशक या अन्य व्यक्ति के पक्ष में कंपनी के नाम में या की ओर से कंपनी के हित के लिए कोई देयता निष्पादित करना, जो वह खर्च कर सकता है या जिसके द्वारा यह खर्च करना संभव है, कंपनी की संपत्ति (वर्तमान और भावी) को इस प्रकार बंधक रखना जैसा वे उपयुक्त समझें और ऐसे बंधक में बिक्री की शक्ति और अन्य शक्ति दी गई हों और ऐसी सुविधा प्रदान की गई हो और ऐसा प्रावधान किया गया हो जिसके बारे में वे सहमत हो।	**क्षतिपूर्ति के द्वारा जमानत देना** - किसी भी **नि**देशक या अन्य व्यक्ति के पक्ष में **कंपनी** के नाम में या की ओर से **कं**पनी के हित के लिए कोई देयता निष्पादित करना, जो यह खर्च कर सकता है या जिसके द्वारा वह खर्च करना संभव है, **कं**पनी की संपत्ति (वर्तमान और भावी) को इस प्रकार बंधक रखना जैसा वे उपयुक्त समझें और ऐसे बंधक में बिक्री की शक्ति और अन्य शक्ति दी गई हों और ऐसी **प्रसंविदा** प्रदान की गई हो और ऐसा प्रावधान किया गया हो जिसके बारे में वे सहमत हो।
84(18)	**निदेशकों के विनिर्दिष्ट अधिकार**	''कंपनी'' और ''निदेशक'' के छोटे अक्षर 'सी', और 'डी' को क्रमशः बड़े अक्षर 'सी' और 'डी' में परिवर्तित किया जाए। ''कोई व्यक्ति'' के बाद प्रयुक्त ''सदस्यों'' के स्थान पर ''सदस्य'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। दो स्थानों पर प्रयुक्त 'रिक्तियां' शब्द के स्थान पर क्रमशः ''रिक्ति'' और 'रिक्ति (रिक्तियां)' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। ''वार्षिक'' शब्द के स्थान पर ''रद्द'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।	**स्थानीय बोर्ड स्थापित करने के लिए** - समय-समय पर और किसी भी समय भारत में किसी स्थान विशेष में या भारत से बाहर कंपनी के किसी कार्य का प्रबंध करने के लिए किसी स्थानीय बोर्ड को स्थापित करना और किसी भी व्यक्ति को ऐसे स्थानीय बोर्ड का सदस्य नियुक्त करना और उसका पारिश्रमिक तय करना और समय-समय पर तथा किसी भी समय ऐसे किसी व्यक्ति को शक्तियां प्रत्यायोजित करना, जिसे इस प्रकार नियुक्त किया गया हो। प्राधिकार और विवेक फिलहाल ऐसे कॉल करने के लिए निदेशकों में निहित होंगे, जो उनकी अपनी शक्तियों के अतिरिक्त होंगे और ऐसे किसी स्थानीय बोर्ड में फिलहाल सदस्यों को प्राधिकृत करना या उनमें से किसी से उस रिक्ति को भरना, जो रिक्तियों के बावजूद कार्य करेंगे और ऐसी नियुक्ति या शक्तियों का प्रत्यायोजन ऐसे निबंधनों पर और शर्तों के अधीन किया जाएगा, जैसा कि निदेशक उपयुक्त समझें और निदेशक किसी भी समय इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को हटा सकते हैं और इस प्रकार की प्रत्यायोजित शक्तियों को वार्षिक कर सकते हैं या उनमें अंतर कर सकते हैं।	**स्थानीय बोर्ड स्थापित करने के लिए** - समय-समय पर और किसी भी समय भारत में किसी स्थान विशेष में या भारत से बाहर **कंपनी** के किसी कार्य का प्रबंध करने के लिए किसी स्थानीय बोर्ड को स्थापित करना और किसी भी व्यक्ति को ऐसे स्थानीय बोर्ड का सदस्य नियुक्त करना और उसका पारिश्रमिक तय करना और समय-समय पर तथा किसी भी समय ऐसे किसी व्यक्ति को शक्तियां प्रत्यायोजित करना, जिसे इस प्रकार नियुक्त किया गया हो। प्राधिकार और विवेक फिलहाल ऐसे कॉल करने के लिए **नि**देशकों में निहित होंगे, जो उनकी अपनी शक्तियों के अतिरिक्त होंगे और ऐसे किसी स्थानीय बोर्ड में फिलहाल सदस्यों को प्राधिकृत करना या उनमें से किसी से उस **रिक्ति** को भरना, जो **रिक्ति (रिक्तियों)** के बावजूद कार्य करेंगे और ऐसी नियुक्ति या शक्तियों का प्रत्यायोजन ऐसे निबंधनों पर और शर्तों के अधीन किया जाएगा, जैसा कि निदेशक उपयुक्त समझें और निदेशक किसी भी समय इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को हटा सकते हैं और इस प्रकार की प्रत्यायोजित शक्तियों को **रद्द कर** सकते हैं या उनमें अंतर कर सकते हैं।
84(20)	**निदेशकों को विनिर्दिष्ट अधिकार**	दो स्थानों पर ''उप-प्रत्यायोजन'' शब्दों के स्थान पर ''प्रत्यायोजन'' शब्द प्रतिस्थापित करना। इस अनुच्छेद में दूसरे पैरे के रूप में एक नया पैरा जोड़ा गया है - ''ऐसे किसी प्रत्यायोजन को बोर्ड द्वारा किसी शक्तियों, प्राधिकारों और विवेकों के संबंध में, जो फिलहाल उसमें निहित हैं, उप-प्रतिनिधि को प्राधिकृत किया जा सकता है।''	**शक्तियों का उप-प्रत्यायोजन करना**-शक्ति उप-प्रतिनिधि को प्रत्यायोजित करना। इस अधिनियम की धारा 292 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसी सभी या किसी शक्ति, प्राधिकार और विवेक को उप-प्रत्यायोजित करना, जो फिलहाल उनमें निहित हैं, लेकिन शर्त यह है कि अंततः नियंत्रण और प्राधिकार उनके द्वारा रखा जाएगा।	**शक्तियों का उप-प्रत्यायोजन करना** -शक्ति उप-प्रतिनिधि को प्रत्यायोजित करना। इस अधिनियम की धारा 292 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसी सभी या किसी शक्ति, प्राधिकार और विवेक को उप-प्रत्यायोजित करना, जो फिलहाल उनमें निहित हैं। लेकिन, शर्त यह कि अंततः नियंत्रण और प्राधिकार उनके द्वारा रखा जाएगा। **ऐसे किसी प्रत्यायोजन को बोर्ड द्वारा किन्हीं शक्तियों, प्राधिकारों और विवेकों के संबंध में, जो फिलहाल उसमें निहित हैं, उप-प्रतिनिधि को प्राधिकृत किया जा सकता है।**
84(21)	**निदेशकों को विनिदिष्ट अधिकार**	इस अनुच्छेद का दूसरा पैरा विलोपित कर दिया गया है, क्योंकि उसकी कोई संगतता नहीं है।	**धन उधार लेना** - इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस तरीके से कंपनी की ओर से धन उधार लेना या धन एकत्र करना या धन की अदायगी सुनिश्चित करना, जैसा निदेशक उपयुक्त समझें और विशेष रूप में जमा को स्वीकार करके, डिबेंचर जारी करके या डिबेंचरों के स्टॉक या बांड, शाश्वत या अन्यथा द्वारा यह कार्य करना या किसी अन्य तरीके से यह कार्य करना और कंपनी की सभी या किसी संपत्ति (वर्तमान और भावी, दोनों) पर चार्ज का सृजन करना, जिसमें इसकी अनकॉल्ड पूंजी भी शामिल है और ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद करना, उनका उन्मोचन करना या उनकी अदायगी करना। बोर्ड द्वारा ऐसे किसी प्रत्यायोजन को फिलहाल उनमें निहित सभी या किसी शक्तियों, प्राधिकारों और विवेकों को उप-प्रत्यायोजित करना।	**धन उधार लेना** - इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस तरीके से कंपनी की ओर से धन उधार लेना या धन एकत्र करना या धन की अदायगी सुनिश्चित करना, जैसा निदेशक उपयुक्त समझें और विशेष रूप में जमा को स्वीकार करके, डिबेंचर जारी करके या डिबेंचरों के स्टॉक या बांड, शाश्वत या अन्यथा द्वारा यह कार्य करना या किसी अन्य तरीके से यह कार्य करना और कंपनी की सभी या किसी संपत्ति (वर्तमान और भावी, दोनों) पर चार्ज का सृजन करना, जिसमें इसकी अनकॉल्ड पूंजी भी शामिल है और ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद करना, उनका उन्मोचन करना या उनकी अदायगी करना।
86(2)	**मुहर**	''को'' शब्द और ''नहीं लगाया जाएगा'' के स्थान पर ''पर'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। ''या निदेशक मंडल की कोई समिति'' शब्दों को ''निदेशक मंडल'' शब्दों के बाद जोड़ा जाए। ''व्यक्ति'' शब्द के स्थान पर ''व्यक्तियों'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।	कंपनी की मुहर किसी लिखत (शेयर प्रमाणपत्र से भिन्न) पर नहीं लगाई जाएगी। परंतु, निदेशक मंडल के संकल्प के प्राधिकार से और कम से कम एक निदेशक की उपस्थिति में इसे लगाया जा सकता है। शेयर प्रमाणपत्र के मामले में यह मुहर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई जाएगी- (क) दो निदेशकों या व्यक्तियों की उपस्थिति में जो विधिवत पंजीकृत मुखतारनामे के अधीन निदेशकों की ओर से कार्य कर रहे हों; और (ख) सचिव या कोई अन्य व्यक्ति जिसे इस प्रयोजन के लिए निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया हो।	कंपनी की मुहर किसी लिखत (शेयर प्रमाणपत्र से भिन्न) **पर** नहीं लगाई जाएगी। परंतु, निदेशक मंडल **या निदेशक मंडल की समिति** के संकल्प के प्राधिकार से और कम से कम एक निदेशक की उपस्थिति में इसे लगाया जा सकता है। शेयर प्रमाणपत्र के मामले में यह मुहर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई जाएगी- (क) दो निदेशकों या व्यक्तियों की उपस्थिति में जो विधिवत पंजीकृत मुखतारनामे के अधीन निदेशकों की ओर से कार्य कर रहे हों; और (ख) सचिव या कोई अन्य **व्यक्तियों** द्वारा जिन्हें इस प्रयोजन के लिए निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया हो।

अनुच्छेद सं.	शीर्षक	परिवर्तन	विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
88	**निदेशकों की बैठक और कोरम**	''डायरेक्टर'' के छोटे अक्षर 'डी' को बड़े अक्षर 'डी' में परिवर्तित किया जाए। ''अधिनियम के अनुसार व्यक्तिगत रूप में या ऐसे अन्य तरीके से'' शब्दों को ''आपस में मिलें'' शब्दों के बाद जोड़ा जाए।	निदेशक कारोबार के निपटान, स्थगन और अन्यथा के लिए आपस में मिलें, ताकि वे अपनी ऐसी बैठक और कार्यवाही को विनियमित कर सकें, जैसा उपयुक्त समझें और कामकाज निपटाने के संव्यवहार के लिए इस अधिनियम की धारा 287 के अनुसार कोरम निर्धारित कर सकें।	**नि**देशक इस अधिनियम के अनुसार **व्यक्तिगत रूप से या ऐसे अन्य तरीके से** कारोबार के निपटान, स्थगन और अन्यथा के लिए आपस में मिलें, ताकि वे अपनी ऐसी बैठक और कार्यवाही को विनियमित कर सकें, जैसा कि उपयुक्त समझें और कारोबार के संव्यवहार के लिए इस अधिनियम की धारा 287 के अनुसार कोरम निर्धारित कर सकें।
89(1)	**निदेशक बैठक बुला सकते हैं। प्रश्न कैसे किए जाएं, इस संबंध में निर्णय ले सकते हैं ।**	''डायरेक्टर'' के छोटे अक्षर 'डी' को बड़े अक्षर 'डी' में परिवर्तित किया जाए। और ''मत समानता होने की स्थिति में'' शब्दों को ''बहुमत से लिया जाएगा'' शब्दों के बाद जोड़ा जाए।	निदेशक, निदेशकों की बैठक कभी भी बुला सकता है। किसी बैठक में उत्पन्न प्रश्नों पर निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। अध्यक्ष का दूसरा मत या निर्णायक होगा।	कोई **नि**देशक, **नि**देशकों की बैठक कभी भी बुला सकता है। किसी बैठक में उत्पन्न प्रश्नों पर निर्णय बहुमत से लिया जाएगा **और मत समानता की स्थिति में** अध्यक्ष का मत दूसरा या निर्णायक होगा।
89(2)	**निदेशक बैठक बुला सकता हैं। प्रश्न कैसे किए जाएं, इस संबंध में निर्णय लिए जा सकते हैं।**	''कैलेंडर'' शब्द को विलोपित किया जाए।	निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक तीन कैलेंडर माह में कम से कम एक बार होगी और प्रत्येक वर्ष ऐसी कम से कम चार बैठकें आयोजित की जाएंगी।	निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार होगी और प्रत्येक वर्ष में ऐसी कम से कम चार बैठकें आयोजित की जाएंगी।
92	**अध्यक्ष की शक्तियां**	''डायरेक्टर'', ''कंपनी'' और ''वाइंडिंग अप'' शब्दों के छोटे अक्षर 'डी', 'सी' और 'डब्ल्यू' को क्रमशः बड़े अक्षर 'डी', 'सी' और 'डब्ल्यू' में परिवर्तित कर दिया जाए। दूसरे पैरे में प्रयुक्त ''सामान्यतः'', ''ऊपर'' और ''निदेशकों'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''सामान्य रूप में'', ''अन्य'' और ''बोर्ड'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। ''अनुच्छेद में दिया गया है'' शब्दों को ''प्रावधान'' शब्द के बाद जोड़ा जाए। ''से संबंधित किसी मामले'' शब्दों को ''राष्ट्रपति के निर्णय'' शब्द के बाद जोड़ा जाए।	अध्यक्ष ऐसे किसी मामले में निदेशकों के किसी प्रस्ताव या निर्णय को राष्ट्रपति के निर्णय के लिए सुरक्षित रखेगा, जिसमें अध्यक्ष की राय हो कि यह इतना महत्वपूर्ण मामला है कि इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए सुरक्षित रखे गए निदेशकों के किसी प्रस्ताव या निर्णय के संबंध में कंपनी तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक इस संबंध में उनका अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो। उपर्युक्त प्रावधानों पर सामान्यतः रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निदेशक निम्नलिखित के संबंध में राष्ट्रपति के निर्णय के लिए इसे सुरक्षित रखेंगेः (i) कंपनी के संपूर्ण उपक्रम को पूर्णतः या सारवान रूप से बिक्री करने, पट्टे पर देने या अन्यथा निपटान करने के लिए; (ii) विलोपित; (iii) कंपनी को बंद करना; (iv) पूंजी को शेयरों की विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करना।	अध्यक्ष ऐसे किसी मामले में निदेशकों के किसी प्रस्ताव या निर्णय को राष्ट्रपति के निर्णय के लिए सुरक्षित रखेगा, जिसमें अध्यक्ष की राय हो कि यह इतना महत्वपूर्ण मामला है कि इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए सुरक्षित रखे गए निदेशकों के किसी प्रस्ताव या निर्णय के संबंध में कंपनी तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक इस संबंध में उनका अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो। **अनुच्छेदों में दिए गए अन्य प्रावधानों की सामान्यता** पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना **निदेशक मंडल निम्नलिखित से संबंधित किसी मामले** को राष्ट्रपति के निर्णय के लिए सुरक्षित रखेगाः (i) **कं**पनी के संपूर्ण उपक्रम को पूर्णतः या सारवान रूप से बिक्री करने, पट्टे पर देने या अन्यथा निपटान करने के लिए; (ii) विलोपित; (iii) **कं**पनी को **बंद करना**; (iv) पूंजी को शेयरों की विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करना।
94	**समिति की बैठक का अध्यक्ष**	''चेयरमैन'' शब्द के छोटे अक्षर 'सी' को बड़े अक्षर ''सी'' में परिवर्तित किया जाए। सांख्यिकी मूल्य ''5'' को ''(5) पांच'' के रूप में व्यक्त किया जाए। ''संख्या'' शब्द के स्थान पर ''सदस्य'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।	समिति अपनी बैठकों का अध्यक्ष चुन सकती है। लेकिन, यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया या यदि किसी बैठक में अध्यक्ष बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय के बाद 5 मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपनी संख्या में से किसी एक को बैठक के अध्यक्ष के रूप में चुन सकते हैं।	समिति अपनी बैठकों का अध्यक्ष चुन सकती है। लेकिन, यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया या यदि किसी बैठक में अध्यक्ष बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय के बाद **5 (पांच)** मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपने **सदस्यों** में से किसी एक को बैठक के अध्यक्ष के रूप में चुन सकते हैं।
102	**केवल लाभ में से लाभांश और उस पर ब्याज नहीं लगेगा**	अनुच्छेद 102 को विलोपित किया जाए।	वर्ष के लाभ में से या कंपनी के किसी अन्य अवितरित लाभ में से ही कोई लाभांश देय नहीं होगा और किसी भी लाभांश पर कंपनी ब्याज नहीं देगी।	शून्य
108	**कतिपय मामलों में लाभांश को रोकना**	अनुच्छेद ''27'' को ''अनुच्छेद 27क'' के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए, क्योंकि अनुच्छेद 27 दिनांक 15.05.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के जरिए विलोपित कर दिया गया है।	निदेशक ऐसे शेयरों पर देय लाभांश को रोक सकते हैं, जिनके संबंध में कोई ऐसा व्यक्ति खंड (अनुच्छेद 27) के प्रेषण के अधीन सदस्य बनने का हकदार हो गया हो या ऐसा कोई व्यक्ति जो उस खंड के अधीन अंतरण करने का हकदार हो गया हो, बशर्ते कि वह व्यक्ति ऐसे शेयरों के संबंध में सदस्य बन जाएगा या उसे विधिवत अंतरित कर देगा।	निदेशक ऐसे शेयरों पर देय लाभांश को रोक सकते हैं, जिनके संबंध में कोई ऐसा व्यक्ति खंड (**अनुच्छेद 27क**) के प्रेषण के अधीन सदस्य बनने का हकदार हो गया हो या ऐसा कोई व्यक्ति जो उस खंड के अधीन अंतरण करने का हकदार हो गया हो, बशर्ते कि वह व्यक्ति ऐसे शेयरों के संबंध में सदस्य बन जाएगा या उसे विधिवत अंतरित कर देगा।
110	**लाभांश का नोटिस**	''हकदार सदस्य या व्यक्ति के पंजीकृत पते पर'' शब्दों को ''डाक द्वारा'' शब्दों के बाद जोड़ा जाए।	जब तक अन्यथा निदेशित न हो, तब तक कोई भी लाभांश चैक से या डाक से भेजा जाए।	जब तक अन्यथा निदेशित न हो, तब तक कोई भी लाभांश **हकदार सदस्य या व्यक्ति के पंजीकृत पते पर** चैक या वारंट से डाक के माध्यम से भेजा जाए।

अनुच्छेद सं.	शीर्षक	परिवर्तन	विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
119	**सदस्यों को तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा भेजा जाएगा**	''के अधीन दिया जाएगा'' शब्दों के स्थान पर ''तामील किया जाएगा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।	कंपनी इस प्रकार कंपनी के प्रत्येक सदस्य के पंजीकृत पते पर ऐसे तुलन-पत्र की प्रति भेजेगी (जिसमें लाभ एवं हानि खाता, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और कानून के द्वारा अपेक्षित प्रत्येक अन्य दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे या तुलन-पत्र के परिशिष्ट के रूप में लगाए जाएंगे, जिसे बैठक के नोटिस को बैठक आयोजित होने से कम से कम 21 दिन पहले भेजा जाएगा। इस बैठक में कंपनी के सदस्यों के समक्ष इन दस्तावेजों को रखा जाएगा और इनकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उस बैठक से कम से कम 21 दिन पहले की अवधि के दौरान कंपनी के सदस्यों के अवलोकनार्थ रखी जाएगी।	कंपनी इस प्रकार कंपनी के प्रत्येक सदस्य के पंजीकृत पते पर ऐसे तुलन-पत्र की प्रति भेजेगा (जिसमें लाभ एवं हानि खाता, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और कानून के द्वारा अपेक्षित प्रत्येक अन्य दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे या तुलन-पत्र के परिशिष्ट के रूप में लगाए जाएंगे, जिसे बैठक के नोटिस को बैठक आयोजित होने से कम से कम 21 दिन पहले **तामील किया** जाएगा। इस बैठक में कंपनी के सदस्यों के समक्ष इन दस्तावेजों को रखा जाएगा और इनकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उस बैठक से कम से कम 21 दिन पहले की अवधि के दौरान कंपनी के सदस्यों के अवलोकनार्थ रखी जाएगी।
121	**खातों की वार्षिक लेखापरीक्षा**	''वित्त'' शब्द को ''प्रत्येक'' के बाद और ''वर्ष'' से पहले जोड़ा जाएगा।	कंपनी के खातों की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार जांच की जाएगी और लाभ एवं हानि लेखों तथा तुलन-पत्र की यथार्थता को एक या एक से अधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।	कंपनी के खातों की प्रत्येक **वित्तीय** वर्ष में कम से कम एक बार जांच की जाएगी और लाभ एवं हानि लेखों तथा तुलन-पत्र की यथार्थता को एक या एक से अधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
126(i)	**राष्ट्रपति के अधिकार**	''या अनुदेशों'' शब्द को इस अनुच्छेद में चार स्थानों पर ''निदेशों'' शब्द के बाद जोड़ा जाएगा। ''कारोबार या'' शब्दों को ''के आचरण करने'' शब्दों के बाद जोड़ा जाए। ''प्रोवाइडिड'' के छोटे अक्षर 'पी' को बड़े अक्षर 'पी' में परिवर्तित किया जाए और उसके बाद इस अनुच्छेद को दो पैराओं में विभाजित किया जाए।	राष्ट्रपति कंपनी या उसके निदेशकों के कार्यों को संचालित करने के बारे में आवश्यक समझे जाने वाले निदेशों को समय-समय पर जारी कर सकते हैं और इसी प्रकार ऐसे किसी निदेश या अनुदेशों में अंतर कर सकते हैं और उसे रद्द कर सकते हैं। निदेशक इस प्रकार जारी किए गए निदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे। परंतु, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए सभी निदेश अध्यक्ष को लिखित रूप में भेजे जाएंगे। निदेशक मंडल राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए ऐसे निदेशों की विषय-वस्तु को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करेगा, बशर्ते कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित की दृष्टि से इसे अन्यथा न समझा हो।	राष्ट्रपति कंपनी या उसके निदेशकों के **कारोबार** या **कार्यों** को करने के बारे में आवश्यक समझे जाने वाले निदेशों या **अनुदेशों** को समय-समय पर जारी कर सकते हैं और इसी प्रकार ऐसे किसी निदेशों या अनुदेशों में अंतर कर सकते हैं और उसे रद्द कर सकते हैं। निदेशक इस प्रकार जारी किए गए निदेशों **या अनुदेशों** को तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे। परंतु, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए सभी निदेश **या अनुदेश** अध्यक्ष को लिखित रूप में भेजे जाएंगे। निदेशक मंडल राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए ऐसे निदेशों या **अनुदेशों** की विषय-वस्तु को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करेगा, बशर्ते कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित की दृष्टि से इसे अन्यथा न समझा हो।
126(ii)	**राष्ट्रपति के अधिकार**	''विवरणी'' शब्द के स्थान पर ''विवरणियां'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। ''लेखे'' शब्द को ''विवरणियों'' शब्द के बाद जोड़ा जाए।	राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वे समय-समय पर अपेक्षित कंपनी की संपत्ति या क्रियाकलापों के संबंध में ऐसी विवरणी या अन्य सूचना मंगा सकते हैं।	राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वे समय-समय पर अपेक्षित कंपनी की संपत्ति या क्रियाकलापों के संबंध में ऐसी **विवरणियां, लेखे** या अन्य सूचना मंगा सकते हैं।
130	**निदेशकों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी**	''या कमी'' शब्द को ''अपर्याप्तता से'' शब्द के बाद जोड़ा जाए। ''डायरेक्टर (डायरेक्टरों)'' और चेयरमैन शब्दों के छोटे अक्षर 'डी' और 'सी' को क्रमशः बड़े अक्षर 'डी' और 'सी' में परिवर्तित कर दिया जाए। ''जिसके पास कोई धन, प्रतिभूति या वस्तु जमा की जाएगी या उसके निर्णय लेने की चूक या लापरवाही के कारण हुई कोई हानि या किसी अन्य हानि'' शब्दों को ''किसी व्यक्ति के अन्यायपूर्ण कार्य'' शब्दों के बाद जोड़ा जाए।	इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कंपनी का कोई निदेशक या अन्य अधिकारी किसी अन्य निदेशक या अधिकारी के कार्यों, प्राप्तियों, चूकों या लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं होगा अथवा इसी प्रकार की किसी प्राप्ति को या अन्य कार्य को संयुक्त रूप से करने के लिए या कंपनी के लिए या कंपनी की ओर से निदेशकों के आदेश से अर्जित किसी संपत्ति की अपर्याप्त हकदारी से कंपनी के होने वाले व्यय या ऐसी किसी प्रतिभूति में या प्रतिभूति की कमी के कारण जिसमें कंपनी का कोई धन निवेशित हो या किसी व्यक्ति के दिवालियापन या अन्यायपूर्ण कार्य से हुई क्षति की किसी हानि के लिए, भले ही वह क्षति हुई हो या दुर्भाग्य से यह क्षति हुई हो, जो उसके पद की ड्यूटियों के निष्पादन के दौरान हुई हो या उससे संबंधित हुई हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, बशर्ते कि वह उसकी अपनी लापरवाही, चूक, कर्तव्य भंग या विश्वास भंग के कारण न हुई हो।	इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, **कं**पनी का कोई **नि**देशक या अन्य अधिकारी किसी अन्य निदेशक या अधिकारी के कार्यों, प्राप्तियों, चूकों या लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं होगा अथवा इसी प्रकार की किसी प्राप्ति को या अन्य कार्य को संयुक्त रूप से करने के लिए या कंपनी के लिए या **कंपनी** की ओर से **निदेशकों** के आदेश से अर्जित किसी संपत्ति की अपर्याप्त या हकदारी की **कमी से** कंपनी के होने वाले व्यय या ऐसी किसी प्रतिभूति में या प्रतिभूति की कमी के कारण जिसमें कंपनी का कोई धन निवेशित हो या ऐसे किसी व्यक्ति के दिवालियापन या अन्यायपूर्ण कार्य से, **जिसके पास कोई धन, प्रतिभूति या वस्तु जमा की गई हो या उसके निर्णय लेने में हुई चूक या उसकी लापरवाही से हुई हानि या किसी अन्य हानि के लिए,** भले ही वह क्षति हुई हो या दुर्भाग्य से यह क्षति हुई हो, जो उसके पद की ड्यूटियों के निष्पादन के दौरान हुई हो या उससे संबंधित हुई हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, बशर्ते कि वह उसकी अपनी लापरवाही, चूक, कर्तव्य भंग या विश्वास भंग के कारण न हुई हो।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

राकेश कुमार अरोड़ा
महाप्रबंधक (वित्त और लेखा) एवं कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालयः
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांकः 4 अगस्त, 2011

42वीं वार्षिक आम बैठक में पुनःनियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति की तारीख	योग्यता	विशिष्ट कार्य-क्षेत्रों में विशेषज्ञता	अन्य कंपनियों में निदेशक का पद	आरईसी के अलावा अन्य सरकारी कंपनियों की सदस्यता/ अध्यक्षता
श्री देवेंद्र सिंह	31 जुलाई, 1962	29 अगस्त, 2007	• दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में स्नातक • भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर डिग्री	श्री देवेंद्र सिंह वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। वे ग्रामीण विद्युतीकरण, ऊर्जा संरक्षण, मांग पक्ष प्रबंधन और वितरण के प्रभारी हैं। वे वर्ष 1987 से हरियाणा संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और लगभग 23 वर्ष तक सिविल सेवा में रहे हैं। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने उपायुक्त, गुड़गांव, हरियाणा; उपायुक्त, करनाल; निदेशक, उद्योग और प्रबंध निदेशक, हरियाणा आपूर्ति तथा विपणन परिसंघ के पद पर भी कार्य किया है। वे हरियाणा डेरी विकास सहकारी परिसंघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं।	1. पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	शून्य
कंपनी के धारित शेयरों की संख्या			शून्य			

08 सितंबर, 2010 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक से नियुक्त किए गए निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति की तारीख	योग्यता	विशिष्ट कार्य-क्षेत्रों में विशेषज्ञता	अन्य कंपनियों में निदेशक का पद	आरईसी के अलावा अन्य सरकारी कंपनियों की सदस्यता/ अध्यक्षता
श्री प्रकाश ठक्कर	20 अक्तूबर, 1955	02 मई, 2011	• महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बडौदा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री	श्री ठक्कर को विद्युत क्षेत्र में 32 वर्ष से अधिक का विविध एवं समृद्ध अनुभव है, जिसमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं एवं हाइड्रो जेनरेटर्स के संस्थापन और बिजलीघरों के संचालन एवं अनुरक्षण का अनुभव शामिल है। उन्होंने वर्ष 1985-86 में देवीघाट हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए नेपाल सरकार के सलाहकार के रूप में सेवा की। वे सीआईजीआरई और एआईएमए के सदस्य हैं और विभिन्न कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक हैं। वे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विचार गोष्ठियों में प्रस्तुत किए गए तकनीकी लेखों के लेखक/सह-लेखक रहे हैं।	1. आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. 2. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड 3. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	शून्य

नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति की तारीख	योग्यता	विशिष्ट कार्य-क्षेत्रों में विशेषज्ञता	अन्य कंपनियों में निदेशक का पद	आरईसी के अलावा अन्य सरकारी कंपनियों की सदस्यता/ अध्यक्षता
डॉ. देवी सिंह	02 सितंबर, 1952	10 जून, 2011	·राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर · भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से पीएचडी (अध्येता)	डॉ. देवी सिंह अंतरराष्ट्रीय वित्त एवं कारोबार क्षेत्र के सुप्रसिद्ध प्रोफेसर हैं। उन्हें शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रशासन में 33 वर्ष से अधिक का अनुभव है और उन्हें अग्रणी संस्थान निर्माता के रूप में जाना जाता है। वे पिछले सात वर्षों से भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ के निदेशक रहे हैं। उन्होंने प्रबंधन विकास संस्थान, गुडगांव के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। वे 1990-1996 के दौरान, प्रबंधन संकाय, मैकगिल विश्वविद्यालय, मांट्रियल में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने विकासशील देशों, ल्युबियाना, स्लोवेनिया के अंतरराष्ट्रीय लोक उद्यम केंद्र में, ईएससीपी यूरोप, पैरिस, एसकेके ग्रेज्युएट बिजनेस स्कूल, सिओल और अन्य कई अग्रणी बिजनेस स्कूलों में अध्यापन किया है। उन्हें अन्य सम्मानों के साथ-साथ 'बेस्ट बी स्कूल निदेशक-1999', 'यूपी रत्न 2008', 'आईएसटीई फैलो 2007' जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हैं। उन्हें वर्ष 2000 में अमेरिकी बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट, यूएसए में 'मैन ऑफ दि मिलेनियम अवार्ड' से भी सम्मानित किया गया था।	1. मुंजाल शोवा लिमिटेड 2. एनर्जी इन्फ्राटेक लिमिटेड 3. फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 4. फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 5. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	1. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड-अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति
कंपनी के धारित शेयरों की संख्या			शून्य			
डॉ. गोविंद मारापल्ली राव	7 अप्रैल, 1947	10 जून, 2011	· अर्थशास्त्र में डाक्टरेट की डिग्री	डॉ. राव भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। इस समय वे राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, के निदेशक हैं। इससे पहले डॉ. राव सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान (एनआईपीएफपी), बेंगलूर के निदेशक (1998-2002) तथा रिसर्च स्कूल ऑफ पेसिफिक एंड एशियन स्टडीज, आस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया के फेलो (1995-1998) और एनआईपीएफपी के प्रोफेसर (1985-1995) तथा वित्त आयोग, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार (1987-1990) रहे। वे आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलूर और मद्रास स्कूल ऑफ इकोनामिक्स, चेन्नई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य हैं। वे विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक तथा यूएनडीपी के परामर्शदाता रहे हैं और उन्होंने कई विकासशील देशों में विकास के विभिन्न मुद्दों पर कार्य किया है। डॉ. राव, भारतीय रिजर्व बैंक, दक्षिणी अंचल के स्थानीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। वे चौदह पुस्तकों और मोनोग्राफ के लेखक हैं और उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में आर्थिक नीति संबंधी अनेक शोध पत्र लिखे हैं।	1. एनटीपीसी लिमिटेड	शून्य
कंपनी के धारित शेयरों की संख्या			शून्य			

नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति की तारीख	योग्यता	विशिष्ट कार्य-क्षेत्रों में विशेषज्ञता	अन्य कंपनियों में निदेशक का पद	आरईसी के अलावा अन्य सरकारी कंपनियों की सदस्यता/ अध्यक्षता
श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन	17 जून, 1948	10 जून, 2011	• मद्रास विश्वविद्यालय से वाणिज्यिक स्नातक की डिग्री • योग्यताप्राप्त बैंकर	श्री सुब्रामणियन ने 1971 में भारत सरकार की अग्रणी सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यभार संभाला था। सरकार के सचिव के रूप में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से जून, 2008 में सेवानिवृत्त होने से पहले वे पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे। कार्यान्वयन स्तर और नीति निर्धारण दोनों स्तरों पर उनका अनुभव वित्त, विमानन, ऊर्जा, श्रम इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रहा। श्री सुब्रामणियन का 1980 के दशक में वित्त मंत्रालय में विदेशी वाणिज्यिक उधार प्रभाग सृजन में काफी योगदान रहा है और उन्होंने भारत के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कई नई प्रकार की डील्स की हैं। वे 1990 से 1993 तक मोजांबिक सरकार में तीन वर्ष तक सलाहकार भी रहे हैं। वे विद्युत और श्रम विभाग में राज्य सरकार के सचिव भी रहे हैं। नागरिक विमानन और पर्यटन मंत्रालय (2000-2005) में अपर सचिव और वित्त सलाहकार रहते हुए वे विमानन और पर्यटन नीति के निर्माण में सतत जुड़े रहे हैं। वे एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेलीकाप्टर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन और कई अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल में थे। वे भारत में विमानन के विकास के लिए रोडमैप की सिफारिश हेतु उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-सचिव भी थे। इस समिति की अधिकांश सिफारिशों पर अब कार्रवाई की जा रही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव के रूप में, उन्होंने कई प्रकार की नई पहल की, जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्ष से कम समय में ग्रिड संयोजित नवीकरणीय विद्युत उत्पादन क्षमता में दुगुनी से भी ज्यादा वृद्धि हुई। इस समय वे, इंडियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के महासचिव हैं। वे हाल ही में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में व्यवसाय विकास सलाहकार भी थे। वे फ्रीलांस सलाहकार भी हैं। वे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में 'नवीकरणीय ऊर्जा' विषय के सुप्रसिद्ध वक्ता हैं।	1. टीवीएस एनर्जी लिमिटेड 2. माउंट एवरेस्ट मिनरल वाटर लिमिटेड 3. सुंदरम क्लेटन लिमिटेड 4. टाइटन एनर्जी सिस्टम लिमिटेड 5. विंड फोर्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 6. लैंको सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 7. पीटीसी एनर्जी लिमिटेड	1. टीवीएस एनर्जी लिमिटेड सदस्य - लेखापरीक्षा समिति 2. माउंट एवरेस्ट मिनरल वाटर लिमिटेड - सदस्य, लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायत समिति 3. सुंदरम क्लेटन लिमिटेड - सदस्य, लेखापरीक्षा समिति 4. पीटीसी एनर्जी लिमिटेड - सदस्य, लेखापरीक्षा समिति
कंपनी के धारित शेयरों की संख्या			शून्य			

निदेशकों का परिचय

श्री हरिदास खुंटेटा, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक(वित्त)*

श्री हरि दास खुंटेटा, उम्र 59 वर्ष, हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। उन्हें राजस्थान विश्व विद्यालय से कामर्स स्नातक की डिग्री प्राप्त है। वे भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (आईसीएआई) के सह-सदस्य (एसोसिएट मेंबर) भी हैं। श्री खुंटेटा को वित्तीय प्रबंधन में 34 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव है, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संसाधन जुटाना, निवेशक सेवा और कारपोरेट सुशासन भी शामिल है।

श्री खुंटेटा ने दिनांक 05.05.2004 को आरईसी के निदेशक मंडल में निदेशक (वित्त) के पद का कार्यभार संभाला है। वे वित्तीय नीति तैयार करने, वित्तीय लेखाकरण, प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, रोकड़ और निधि प्रबंधन, कर योजना, संसाधनों के संग्रहण और प्रबंधन, वित्तीय संस्थाओं और पूंजी बाजार कारोबारियों के साथ संपर्क को सम्मिलित करते हुए संगठन के वित्तीय प्रबंधन और प्रचालन के संबंध में निदेश देते है। वे खजाना संबंधी कार्यों और उधार देने संबंधी क्रियाकलापों का भी पर्यवेक्षण करते हैं और कारपोरेट जोखिम प्रबंधन संबंधी मामलों में सलाह देते हैं।

हमारी कंपनी में निदेशक (वित्त) का पदभार संभालने से पहले वे नेशनल हाइड्रो -इलेक्ट्रिकल पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) में कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) के पद पर सेवारत थे। वह एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन में गैर-कार्यकारी निदेशक भी थे।

उन्होंने दिनांक 16.04.2011 को आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है।

31 मार्च, 2011 को और 16 अप्रैल, 2011 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण करने के समय श्री हरिदास खुंटेटा के पास कंपनी में 5000 इक्विटी शेयर धारित थे।

श्री प्रकाश ठक्कर, *निदेशक (तकनीकी)*

श्री प्रकाश ठक्कर, उम्र 55 वर्ष, 02 मई 2011 से हमारे निदेशक (तकनीकी) हैं। उन्हें महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री प्राप्त है। वे विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण क्षेत्रों तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के सभी तकनीकी एवं प्रचालन संबंधी पक्षों के प्रभारी हैं। उन्हें विद्युत क्षेत्र में 32 वर्षों का विविध एवं समृद्ध अनुभव है, जिसमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं एवं हाइड्रो जनरेटर्स के संस्थापन और बिजलीघरों के संचालन एवं अनुरक्षण का अनुभव शामिल है।

इस कंपनी में निदेशक (तकनीकी) का पदभार संभालने से पहले वे इसी निगम में कार्यकारी निदेशक (पारेषण एवं वितरण/आरजीजीवीवाई) के पद पर सेवारत थे। उन्होंने 19 सितंबर, 2005 को प्रतिनियुक्ति के आधार पर हमारे निगम में महाप्रबंधक (तकनीकी) का कार्यभार संभाला था और 18 सितंबर, 2007 को इस कंपनी की सेवा में स्थायी रूप से आमेलित हो गए। इस कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले वे 15 वर्ष तक पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर सेवारत थे। वह उस टीम में भी शामिल थे जिसने भारत में पहली बार 400 केवी की थ्रिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कंपनसेशन परियोजना - (टीसीएससी) लागू की थी। वह 800/400/220/132 केवी स्विचगीयर उपकरण विनिर्देशन के कोर मेंबर थे। वर्ष 1985-86 में उन्होंने देवीघाट हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना के संचालन एवं अनुरक्षण के बारे में नेपाल सरकार के सलाहकार के रूप में सेवा की।

श्री ठक्कर सीआईजीआरई और एआईएमए के सदस्य हैं और वे विभिन्न कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक हैं। वे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विचारगोष्ठियों में प्रस्तुत किए गए तकनीकी पेपर्स के लेखक/सह लेखक रहे हैं।

2 मई, 2011 को कार्यभार ग्रहण करते समय श्री प्रकाश ठक्कर के पास कंपनी में 4030 इक्विटी शेयर धारित थे।

श्री देवेन्द्र सिंह, *सरकारी नामिती निदेशक*

श्री देवेन्द्र सिंह, उम्र 49 वर्ष, वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, जहां वे ग्रामीण विद्युतीकरण, ऊर्जा संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सतर्कता के साथ-साथ मांग पक्ष प्रबंधन तथा वितरण क्षेत्र के प्रभारी हैं। उन्होंने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज, दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में स्नातक और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद से कारोबार प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। वह वर्ष 1987 से हरियाणा संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और लगभग 23 वर्षों तक सिविल सेवा में रहे हैं। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने उपायुक्त, गुड़गांव, हरियाणा, उपायुक्त करनाल, निदेशक, उद्योग तथा प्रबंध निदेशक, हरियाणा आपूर्ति और विपणन परिसंघ के पद पर भी कार्य किया है। वे हरियाणा डेरी विकास सहकारी परिसंघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। आपने आरईसी के निदेशक मंडल में 29 अगस्त, 2007 को कार्यभार ग्रहण किया।

31 मार्च, 2011 को श्री देवेन्द्र सिंह के पास कंपनी में शून्य इक्विटी के शेयर धारित थे।

डॉ. देवी सिंह, *अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक*

डॉ. देवी सिंह, उम्र 59 वर्ष, हमारी कंपनी के बोर्ड में 10 जून, 2011 से अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्हें पहले भी 7 जनवरी, 2008 को आरईसी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 6 जनवरी, 2011 को 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है । वह भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में पीएचडी (अध्येता) रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय वित्त एवं कारोबार क्षेत्र के सुप्रसिद्ध प्रोफेसर हैं। उन्हें शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रशासन में 33 वर्ष से अधिक का अनुभव है और उन्हें अग्रणी संस्थान निर्माता के रूप में जाना जाता है। वह गत सात वर्ष से भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ के निदेशक हैं। उन्होंने 1999-2003 से प्रबंधन विकास संस्थान, गुडगांव के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। वह 1990-1996 के दौरान प्रबंधन संकाय, मैकगिल विश्वविद्यालय मान्ट्रियल में अभ्यागत प्रोफेसर रहे हैं। वह विकासशील देशों, लजुबलियाना, सलोबेनिया में अंतर्राष्ट्रीय लोक उद्यम केन्द्र में ईएससीपी यूरोप पैरिस, एसकेके ग्रेज्युट बिजनेस स्कूल, सिओल और अन्य कई अग्रणी बिजनेस स्कूलों में प्रशिक्षण दिया है । उन्होंने 'बेस्ट बी स्कूल निदेशक-1999', ''यूपी रत्न 2008'', ''आईएसटीई फैलो 2007'' जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किए हैं। उन्हें वर्ष 2000 में अमरिकी बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट, यूएसए में ''मैन ऑफ दि मिलेनियम अवार्ड'' से सम्मानित किया गया था।

10 जून, 2011 को डॉ. देवी सिंह के पास कंपनी में नियुक्ति के समय शून्य इक्विटी के शेयर धारित थे।

डॉ.गोविन्द मारापल्ली राव, *अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक*

डॉ.गोविन्द मारापल्ली राव, उम्र 64 वर्ष, हमारी कंपनी के बोर्ड में 10 जून, 2011 से अंशकालिक गैर - सरकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्हें पहले 20 दिसंबर, 2007 को आरईसी के निदेशक मंडल के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया था और उन्होंने 19 दिसंबर, 2010 को तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया था। उनके पास अर्थशास्त्र में डाक्टरेट की डिग्री है। वे भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। इस समय वे राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक हैं। इससे पहले वे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान(एनआईपीएफपी), बेंगलूर के निदेशक (1998-2002) तथा रिसर्च स्कूल ऑफ पेसिफिक एंड एशियन स्टडीज, आस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया के फेलो (1995-1998) और एनआईपीएफपी के प्रोफैसर (1985-1995) तथा वित्त आयोग, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार (1987-1990) रहे। वे आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली, सामाजिक एंव आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलूर और मद्रास स्कूल ऑफ इकोनामिक्स चेन्नई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य हैं। डॉ. गोविन्द राव, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक तथा यूएनडीपी के परामर्शदाता रहे हैं और उन्होंने कई विकासशील देशों में विभिन्न विकास के मुद्दों पर कार्य किया है। वे नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक भी हैं। डॉ. राव भारतीय रिजर्व बैंक, दक्षिणी अंचल के स्थानीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। वे चौदह पुस्तकों और मोनोग्राफ के लेखक हैं और उन्होंने राष्ट्रीय एव अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आर्थिक नीति संबंधी कई अनुसंधान लेख लिखे हैं।

10 जून, 2011 को कंपनी में नियुक्ति के समय डॉ. गोविंद मारापल्लीराव के पास शून्य इक्विटी के शेयर धारित थे।

श्री वेंकटारमन सुब्रामणियन, *अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक*

श्री वेंकटारमन सुब्रामणियन, उम्र 63 वर्ष, हमारी कंपनी के निदेशक मंडल में 10 जून, 2011 से अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्होंने 1971 में, भारत सरकार की अग्रणी सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यभार संभाला था। सरकार के सचिव के रूप में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से जून, 2008 में सेवानिवृत्त होने से पहले वे पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे। कार्यान्वयन स्तर और नीति निर्धारण दोनों स्तरों पर उनका अनुभव वित्त, विमानन, ऊर्जा, श्रम इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रहा। श्री सुब्रामणियन का 1980 के दशक में वित्त मंत्रालय में विदेशी वाणिज्यिक उधार प्रभाग सृजन में काफी योगदान रहा है और उन्होंने भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कई प्रेरणात्मक डील्स की हैं। वे 1990 से 1993 तक मोजाम्बिकी सरकार में तीन वर्षों के लिए सलाहकार भी रहे हैं। वे विद्युत और श्रम मंत्रालय में राज्य सरकार के सचिव भी रहे हैं। नागरिक विमानन और पर्यटन मंत्रालय (2000-2005) में अपर सचिव और वित्त सलाहकार रहते हुए वे विमानन और पर्यटन नीति के निर्माण में सतत जुड़े रहे हैं। वे एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेलीकाप्टर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन और कई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल में थे। वे भारत में विमानन के विकास के लिए रोडमैप की सिफारिश हेतु उच्च स्तरीय समिति के सदस्य सचिव भी थे। इस समिति की अधिकांश सिफारिशों पर अब कार्रवाई की जा रही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव के रूप में, उन्होंने कई नई पहलें शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्ष से कम समय में ग्रिड संयोजित नवीकरणीय विद्युत उत्पादन क्षमता में दुगुनी से भी ज्यादा वृद्धि हुई। इस समय वे, इंडियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के महासचिव हैं। वे कुछ समय पहले, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च) में व्यवसाय विकास सलाहकार भी थे। फ्रीलांस सलाहकार होने के साथ-साथ, वे, मैसर्स टीवीएस एनर्जी लि. के बोर्ड में अध्यक्ष और मैसर्स माउंट एवरेस्ट मिनरल वाटर लि., सुंदरम क्लेटोन लि., टाइटन एनर्जी सिस्टम्स लि., विंड फोर्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लि., लेनको सोलर एनर्जी प्राइवेट लि. और पीटीसी एनर्जी के बोर्ड में निदेशक हैं। वे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में " नवीकरणीय ऊर्जा " विषय के सुप्रसिद्ध वक्ता हैं।

10 जून, 2011 को कंपनी में नियुक्ति के समय डॉ. वेंकटारमन सुब्रामणियन के पास शून्य इक्विटी के शेयर धारित थे।

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारक,

आपके निदेशक मंडल को लेखा परीक्षित खातों के विवरण सहित 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी की 42वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है।

1. कार्य-निष्पादन संबंधी मुख्य बातें

1.1 पिछले वर्ष के कार्य-निष्पादन की तुलना में वर्ष 2010-11 के संबंध में कंपनी के कार्य- निष्पादन की मुख्य बाते निम्न प्रकार हैं:-

मापदंड	2010-11 (₹ करोड़ में)	2009-10 (₹ करोड़ में)
स्वीकृत ऋण (आरजीजीवीवाई के तहत सब्सिडी को छोड़कर)	**66419.98**	45357.36
संवितरण (आरजीजीवीवाई के तहत सब्सिडी सहित)	**28517.11**	27127.14
वसूलियां (ब्याज सहित)	**16951.31**	12496.12
कुल प्रचालन आय	**8256.91**	6549.76
कर-पूर्व लाभ	**3476.63**	2649.19
कर-पश्चात् लाभ	**2569.93**	2001.42

1.2 वित्तीय निष्पादन

वर्ष के दौरान कंपनी की कुल प्रचालन आय पहले की अपेक्षा 26.06% बढ़ी है और यह ₹ 6549.76 करोड़ से बढ़कर ₹ 8256.91 करोड़ हो गयी है। कर-पूर्व लाभ पिछले वर्ष ₹ 2649.19 करोड़ की तुलना में 31.23% बढ़कर ₹ 3476.63 करोड़ तथा कर-पश्चात् लाभ पिछले वर्ष ₹ 2001.42 करोड़ की तुलना में 28.40% बढ़कर ₹ 2569.93 करोड़ हो गया है।

1.3 लाभांश

फरवरी, 2011 में प्रदत्त किये गये ₹ 3.50 प्रति शेयर अंतरिम लाभांश के अलावा, आपके निदेशकों ने वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 4.00 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सहर्ष सिफारिश की है, वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के शर्ताधीन है। इस प्रकार से वर्ष के लिए कुल लाभांश ₹ 7.50 प्रति शेयर हो जाएगा जबकि पिछले वर्ष में यह लाभांश प्रति शेयर ₹ 6.50 था । वर्ष के लिए कुल ₹ 740.59 करोड़ की राशि (लाभांश कर को छोड़कर) लाभांश के रूप में दी जा रही है।

डॉ. ज.मो. फाटक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी 23 सितम्बर, 2010 को श्री सुशीलकुमार शिंदे, माननीय विद्युत मंत्री जी को ₹ 230.86 करोड़ का चैक प्रस्तुत करते हुए। इस अवसर पर श्री पी. उमा शंकर, सचिव (विद्युत) तथा विद्युत मंत्रालय एवं आरईसी के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

1.4 शेयर पूंजी

31 मार्च 2011 के अनुसार ₹ 1200 करोड़ की प्राधिकृत पूंजी की तुलना में जारी और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 987.46 करोड़ है जिसमें प्रत्येक ₹ 10/- के 98,74,59,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं । इक्विटी शेयर प्रदत्त पूंजी का 66.80% भारत सरकार के अपने पास है।

2. स्वीकृत ऋण

वर्ष 2010-11 के दौरान, कंपनी ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, सब्सिडी को छोड़कर, ₹ 66419.98 करोड़ के ऋण मंजूर किए, जबकि पिछले वर्ष के लिए यह राशि ₹ 45357.36 करोड़ थी। वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋणों के राज्यवार और श्रेणीवार विवरण को क्रमशः **सारणी-1 और सारणी-2** में दिया गया है । कंपनी की स्थापना से 31.03.2011 तक संचयी रूप से कुल स्वीकृत ऋण ₹ 345906.22 करोड़ हो गया है, जिसमें आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सब्सिडी भी शामिल है । वर्ष 2010-11 तक स्वीकृत ऋण की राज्यवार संचयी स्थिति को **सारणी-3** में दर्शाया गया है ।

3. संवितरण

वर्ष 2010-11 के दौरान कुल ₹ 28517.11 करोड़ की राशि संवितरित की गयी, जबकि पिछले वर्ष के दौरान ₹ 27127.14 करोड़ की राशि संवितरित की गयी थी । इसमें आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सब्सिडी शामिल थी । स्थापना से 31.03.2011 तक, संचयी रूप से ₹ 138052.41 करोड़ की राशि संवितरित की जा चुकी है, जिसमें आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सब्सिडी शामिल नहीं है । वर्ष के दौरान राज्यवार संवितरण और देनदारों द्वारा ऋण चुकौती विवरण के संचयी आंकड़ों और 31.03.2011 के अनुसार बकाया को **सारणी-4** में दर्शाया गया है।

4. वसूलियां

4.1 वर्ष 2010-11 के दौरान ब्याज सहित वसूली के लिए देय राशि ₹ 16979.84 करोड़ थी जबकि इससे पिछले वर्ष के दौरान यह राशि ₹ 12461.02 करोड़ थी । 31.03.2011 के अनुसार, चूककर्ता देनदारों की ओर से अतिदेय राशि ₹195.13 करोड़ थी । कंपनी ने वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 16951.31 करोड़ की वसूली की जबकि पिछले वर्ष में यह वसूली ₹ 12496.12 करोड़ थी । ब्यौरा निम्नवत है:-

विवरण	कुल राशि (₹ करोड़ में)
1.04.2010 के अनुसार अतिदेय	166.60
वर्ष के दौरान प्राप्य राशि	16979.84
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	16951.31
31.03.2011 के अनुसार अतिदेय	195.13

4.2 31.03.2011 के अनुसार ₹ 195.13 करोड़ की राशि अतिदेय थी जिसमें से 31.05.2011 तक ₹ 55.58 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी।

4.3 कंपनी गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों (एनपीए) में कमी लाने के लिए प्रयासरत है । 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार कंपनी की सकल गैर-निष्पादक परिसंपत्ति ₹ 19.54 करोड़ (अर्थात् सकल ऋण परिसंपत्तियों के 0.02% के बराबर) थी जबकि 31.03.2010 के अनुसार यह ₹ 19.54 करोड़ (सकल ऋण परिसंपत्तियों का 0.03%) थी।

5. वित्तीय समीक्षा

5.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंड अलोन		समेकित	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
सकल आय	**8495.27**	6707.60	**8532.20**	6747.63
कर-पूर्व लाभ	**3476.63**	2649.19	**3499.16**	2680.76
मूल्यह्रास	**3.04**	2.16	**3.07**	2.18
आयकर, आस्थगित कर एवं एफबीटी के लिए प्रावधान	**906.70**	647.77	**914.26**	658.51
निवल लाभ/कर-उपरांत लाभ	**2569.93**	2001.42	**2584.89**	2022.25
जोड़ें: प्रारंभिक वर्षों हेतु आस्थगित कर देयता की वापसी	-	325.77	-	325.77
विनियोजन के लिए उपलब्ध कुल राशि	**2569.93**	**2327.19**	**2584.89**	**2348.02**
विनियोजन:				
आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित कोष में अंतरण	**610.11**	458.03	**610.11**	458.03
आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1) (vii क) के अंतर्गत अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों हेतु आरक्षित कोष में अंतरण	**144.09**	107.60	**144.09**	107.60
अंतरिम लाभांश	**345.61**	257.60	**345.61**	257.60
अंतरिम लाभांश पर लाभांश कर	**57.39**	43.77	**57.39**	43.77
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	**394.98**	345.61	**395.03**	345.66
प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर लाभांश कर	**64.08**	57.40	**64.08**	57.41
संदेहास्पद ऋणों हेतु आरक्षित कोष में अंतरण	-	-	**0.20**	-
सामान्य आरक्षित कोष में अंतरण	**260.00**	500.00	**263.00**	500.75
अग्रेनीत शेष	**693.67**	557.17	**705.37**	577.20

5.2 संसाधन संग्रहण

कंपनी ने वर्ष 2010-11 के दौरान बाजार से ₹ 25855.35 करोड़ की रकम जुटायी । इसमें वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में ₹ 2750 करोड़, पूंजीगत लाभ कर छूट बॉन्डों के रूप में ₹ 5045.47 करोड़, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सीसीएफ के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्डों से ₹ 217.16 करोड़, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र से ₹ 10169.78 करोड़, वाणिज्यिक प्रलेखों (सीपी) के द्वारा ₹ 1600 करोड़, वाणिज्यिक बैंकों से अल्पावधि ऋण के रूप में ₹ 375 करोड़, बाह्य वाणिज्यिक उधार से ₹ 5,308.87 करोड़ तथा जर्मनी के क्रेडीटांस्टैट फर विडेराफबो (केएफडब्ल्यू) तथा जापान की जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से सरकारी विकास सहायता (ओडीए) के रूप में ₹ 389.07 करोड़ की प्राप्त राशि शामिल है ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ₹ 1170 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹5308.87 करोड़) जुटाए थे। इनमें से ₹500 मिलियन अमेरिकी डॉलर को रजि.एस बॉन्ड द्वारा तथा ₹ 670 मिलियन अमेरिकी डॉलर समूहीकृत अवधि ऋण सुविधाओं के जरिए जुटाये गये थे।

नकद उधार सुविधाएं

दिन प्रतिदिन के प्रचालन के लिए कंपनी ने विभिन्न बैंकों से नकद उधार सुविधाओं का प्रबंध किया है, जिनकी अनुमोदित परिसीमा ₹1200 करोड़ रुपए है।

5.3 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

घरेलू

आरईसी के घरेलू ऋण लिखतों को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों - क्राइसिल, केयर, फिच एवं इकरा से "एएए" रेटिंग प्राप्त होना जारी है। यह इन एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च रेटिंग है।

अंतर्राष्ट्रीय

कंपनी को मूडी तथा फिच जैसी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से भारत को मिली प्रभुत्वसंपन्न रेटिंग के समान अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है जो क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी" है। "बीएए3" निर्धारित बाध्यताएं संतुलित क्रेडिट जोखिम को दर्शाती हैं और "बीबीबी" निर्धारित बाध्यताएं यह दर्शाती हैं कि व्यतिक्रम जोखिम की अपेक्षाएं वर्तमान में कम हैं।

5.4 ऋणों की लागत

वित्त अधिनियम, 2006 के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के तहत केवल आरईसी तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआईए) ही बॉन्डों को जारी करके धन जुटाने के लिए पात्र हैं। इस सुविधा से ऋण लागत का स्तर कम रखने में सहायता मिली है। वर्ष 2010-11 के दौरान निधियों की समग्र वार्षिकीकृत औसत लागत 6.90% थी। परिणामस्वरूप, आरईसी प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर वित्तपोषण करने में सक्षम है।

5.5 विमोचन और पूर्व-भुगतान

वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹11665.05 करोड़ की राशि चुकायी थी। इसमें भारत सरकार को ₹13.29 करोड़, गैर प्राथमिकता/प्राथमिकता क्षेत्र के बॉन्ड धारकों को ₹1200.22 करोड़, बॉन्डों पर पूंजीगत लाभ कर छूट के ₹3871.21 करोड़ मूल्य की राशि तथा सरकारी विकास सहायता (ओडीए) की ₹83.09 करोड़ की चुकौती भी शामिल है। कंपनी ने बैंकों से दीर्घावधि और अल्पावधि ऋणों के ₹2447.24 करोड़ और वाणिज्यिक प्रलेखों के जरिए ₹4050 करोड़ की राशि भी विमोचित की।

5.6 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय स्थिति

वित्त वर्ष 2010-11 की समाप्ति पर, कंपनी के कुल संसाधन ₹82792.44 करोड़ के थे। इसमें इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 987.46 करोड़, आरक्षित एवं अधिशेष ₹11801.16 करोड़, भारतीय जीवन बीमा निगम, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण तथा बाजार से उधार के रूप में ₹70003.82 करोड़ की राशि शामिल है। इन निधियों में से दीर्घावधि/अल्पावधि ऋणों के रूप में ₹82132.06 करोड़ तथा अचल परिसंपत्तियों के लिए ₹88.06 करोड़ (प्रगति में पूंजीगत निर्माण को मिलाकर), ₹812.43 करोड़ निवेश के रुप में आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में ₹12.77 करोड़ की राशि को परिनियोजित किया गया और निवल चालू परिसंपत्तियों में ₹252.88 करोड़ की राशि शेष है।

5.7 नीतिगत पहल

आपकी कंपनी, बाजार की अपेक्षाओं के साथ उपयुक्तता बनाए रखने के लिए अपनी उधार और प्रचालन नीतियों/क्रियाविधियों तथा अपने कारपोरेट उद्देश्यों की सतत् रूप से समीक्षा तथा उनमें संशोधन करती रहती है ।

बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा तथा अत्यधिक सरकारी उधार, भारतीय रिजर्व बैंक की नीति दरों में बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति के बढ़ने आदि जैसे घटकों से संबंधित विषयों के बावजूद, आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान

कारोबार के विकास और लाभकारिता के अपने उद्देश्यों के लाभप्रद विस्तार को संतुलित रूप से बनाये रखा है।

6. मान्यताएं, पुरस्कार और उपलब्धियां

6.1 आरईसी का 'अवसंरचना वित्तीय कंपनी' (आईएफसी) का दर्जा प्राप्त करना

हमें यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कंपनी द्वारा दिए गए आवेदन पर भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 17 सितंबर 2010 के पत्र के माध्यम से आपकी कंपनी को अवसंरचना वित्तीय कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। आईएफसी की स्थिति के साथ, आरईसी अब, एकल उधारकर्ता की स्थिति में अपनी निधि के 5% तक तथा उधारकर्ताओं के एकल समूह के मामले में अपनी निधि से 10% तक का अतिरिक्त ऋण दे सकता है । इस प्रकार, उधारकर्ताओं के एकल समूह की स्थिति में अपनी निधि से 40% तक ऋण देना स्वीकार्य होगा। इसके अलावा, आरईसी अवसंरचना बॉन्ड के निर्गम हेतु तथा ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के द्वारा ₹500 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक निधि जुटाने के लिए पात्र हो गया है।

6.2 पुरस्कार और उपलब्धियां

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी के कार्यनिष्पादन को निम्नलिखित गौरवपूर्ण पुरस्कार/सम्मान प्रदान करके मान्यता दी गई हैः-

(i) "श्रेष्ठ प्रबंधित बैंक, वित्तीय संस्थान अथवा बीमा कंपनी, 2008-09" के लिए स्कोप सराहनीय पुरस्कार की स्वर्ण ट्रॉफी। यह पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 10 अप्रैल, 2010 को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन को मान्यता देने के लिए स्कोप द्वारा संस्थापित किया गया है।

(ii) "दि बेस्ट वेल्थ क्रिएटर" के लिए दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल (डीएसआईजे) द्वारा डीएसआईजे पीएसयू अवार्ड 2010।

(iii) दैनिक भास्कर डीएनए समूह द्वारा संस्थापित "श्रेष्ठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी" के लिए भारत गौरव पुरस्कार-2010।

(iv) "संगठनात्मक विकास और नेतृत्व" के लिए एशिया पेसिफिक एचआरएम कांग्रेस पुरस्कार 2010। यह पुरस्कार एशिया पेसिफिक एचआरएम कांग्रेस के संरक्षण में प्रदान किया गया।

(v) महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न की श्रेणी में तेजी से बढ़ते सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए "स्पीड किंग" - डीएसआईजे पीएसयू पुरस्कार 2011.

(vi) वर्ष 2011 में भारत के शीर्षस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में, दून एवं ब्राडस्ट्रीट में विशिष्ट उल्लेख।

माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी दैनिक भास्कर, डीएनए ग्रुप द्वारा संस्थापित उत्कृष्ट कामकाज के लिए आरईसी के निदेशक (वित्त), श्री हरि दास खुंटेटा को **"सर्वश्रेष्ठ एनबीएफसी का इंडिया प्राइड अवार्ड, 2010"** प्रदान करते हुए।

महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रमों में सबसे तेज विकासकर्ता प्रतिष्ठान के लिए **तीसरा डीएसयू पीएसयू अवार्ड 2011- "स्पीड किंग"** प्रदान करते हुए माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री, श्री सुशीलकुमार शिंदे। यह पुरस्कार 21 अप्रैल, 2011 को आरईसी की ओर से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री हरि दास खुंटेटा ने ग्रहण किया।

7. विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संदर्भ में आरईसी के कार्यनिष्पादन को "उत्कृष्ट " के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। यह लगातार सफलता का 17वां वर्ष है कि आरईसी वर्ष 1993-94 से "उत्कृष्ट" श्रेणी का दर्जा प्राप्त कर रहा है। यह वह वर्ष है जब भारत सरकार के साथ पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए भी, प्राप्त किए गए कार्य-निष्पादन के आधार पर, कंपनी ने "उत्कृष्ट" की श्रेणी प्राप्त करने की स्थिति बनाए रखी है।

8. वित्तपोषण गतिविधियां

आरईसी गांवों के विद्युतीकरण के अलावा विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करता रहा है। इस संबंध में किए गए विभिन्न उपायों का विवरण नीचे दिया जा रहा हैः

8.1 विद्युत उत्पादन

वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी ने विद्युत उत्पादन/आर एंड एम ऋणों की 34 योजनाएं स्वीकृत कीं जिनमें, अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ वित्तपोषण सहायता संघ सहित, ₹40101 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ अतिरिक्त ऋण सहायता की 10 योजनाएं शामिल हैं। वर्ष 2002-03 से 31.03.2011 तक आरईसी ने ₹143904.76 करोड़ की वित्तीय सहायता वाली आर एंड एम, ताप विद्युत, पवन और पन बिजली योजनाएं स्वीकृत की हैं। विद्युत उत्पादन की चालू परियोजनाओं के लिए आरईसी ने वर्ष 2010-11 के दौरान ₹11753.92 करोड़ की राशि संवितरित की।

अतिरिक्त ऋण सहायता सहित स्वीकृत ऋणों का क्षेत्रवार विवरण निम्नवत हैः-

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण राशि (₹ करोड़ में)
सरकारी क्षेत्र		
नये ऋण	7	**19680.87**
अतिरिक्त ऋण	3	
निजी क्षेत्र		
नये ऋण	17	**20420.13**
अतिरिक्त ऋण	7	
योग : नये ऋण + अतिरिक्त ऋण	**24+10=34**	**40101.00**

8.2 नवीकरणीय ऊर्जा (आरई)

वर्ष 2010-11 के दौरान, ₹621.06 करोड़ की कुल परियोजना लागत के साथ 06 सौर परियोजनाओं सहित 11 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया तथा ₹390.71 करोड़ की ऋण सहायता दी गयी।

8.3 पारेषण एवं वितरण

आरईसी ने अपने पारेषण एवं वितरण पोर्टफोलियों के अंतर्गत देश में नवीन मूल सुविधाएं सृजित करने तथा पारेषण एवं वितरण तंत्र के अंतर्गत पहले से मौजूद अवसंरचना में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी जारी रखी है। वर्ष 2012 तक सभी को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने तथा साथ ही समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) क्षतियों को कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप आरईसी पारेषण तंत्र के विस्तार और उसके सुदृढ़ीकरण के लिए तथा उससे भी महत्वपूर्ण वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने की योजनाओं का वित्तपोषण करता रहा है।

वर्ष 2010-11 के दौरान, आरईसी ने ₹22009.13 करोड़ की कुल ऋण सहायता के साथ पारेषण एवं वितरण की 569 योजनाओं को स्वीकृत किया है। इसमें विद्युत उत्पादन संयंत्रों के साथ संबद्ध प्रमुख विद्युत निकासी की योजनाएं, आर-एपीडीआरपी सहित तंत्र सुधार योजनाएं, बृहद ऋण योजनाएं, गहन विद्युतीकरण योजनाएं और पंपसेट ऊर्जायन योजनाएं शामिल हैं। योजनाओं का राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्रमशः **सारणी 1 एवं 2** के अनुसार है।

कौंसिल ऑफ पावर यूटिलिटीज द्वारा आयोजित एक समारोह में 11 नवंबर, 2010 को ग्रामीण और अर्ध शहरी जनसंख्या के रहन-सहन को समृद्ध बनाने एवं उनकी विकास गति में तेजी लाने के लिए बिजली उपलब्ध कराने हेतु **"इंडिया पावर अवार्डस, 2010"** प्राप्त करते हुए आरईसी के कार्यकारी निदेशक, श्री पी.जे. ठक्कर।

8.4 तंत्र सुधार और बल्क ऋण

वर्ष 2010-11 के दौरान, आरईसी ने ₹20298.36 करोड़ के ऋण परिव्यय वाली तंत्र सुधार एवं बल्क ऋण की कुल 480 योजनाओं को मंजूर किया। इनमें (1) ट्रांसफार्मर, मीटर, कैपेसिटर आदि जैसे जरूरी उपकरणों की स्थापना के रूप में वितरण प्रणाली में वित्तपोषण निवेश के लिए ₹1554.26 करोड़ की ऋण सहायता वाली 62 योजनाएं, (2) निम्न वोल्टता वितरण से उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) के रूपांतरण हेतु ₹1940.09 करोड़ की ऋण सहायता वाली 30 योजनाएं, (3) वितरण प्रणाली के सुधार हेतु ₹6531.59 करोड़ की 221 योजनाएं, (4) आर-एपीडीआरपी परियोजनाओं के भाग-ख के प्रतिस्थानी निधियन की दिशा में ₹1017.26 करोड़ की 72 योजनाएं तथा (5) पारेषण नेटवर्क को उन्नत बनाने के लिए ₹9255.17 करोड़ की ऋण सहायता हेतु 95 योजनाएं शामिल हैं।

8.5 पंपसेट ऊर्जायन

वर्ष 2010-11 के दौरान, आरईसी द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के अंतर्गत 318176 विद्युत सिंचाई पंपसेटों को ऊर्जायित किया गया। इस श्रेणी के अंतर्गत वर्ष के दौरान, आरईसी ने ₹1562.55 करोड़ की वित्तीय सहायता वाली 76 नई योजनाओं को मंजूर किया । दिनांक 31 मार्च 2011 के अनुसार इसके राज्यवार ब्योरे और संचयी स्थिति **सारणी-5** में दी गयी है।

8.6 पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में गतिविधियां

वर्ष 2010-11 के दौरान पारेषण एवं वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को ₹17.78 करोड़ की राशि ऋण सहायता के रूप में वितरित की गयी।

अरूणाचल प्रदेश सरकार के जल विद्युत विभाग को एक माइक्रो हाइडेल परियोजना स्थापित करने के लिए ₹7.14 करोड़ राशि की ऋण सहायता मंजूर की गयी।

9. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 18 मार्च, 2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 44/19/2004/डी(आरई) द्वारा "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)-ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और आवास विद्युतीकरण की योजना" को प्रारंभ किया, ताकि सभी ग्रामीण आवासों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। योजना को आरईसी के जरिए लागू किया जा रहा है। योजना के अधीन, परियोजनाओं की समग्र लागत के लिए भारत सरकार द्वारा 90% पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।

9.1 गरीबी रेखा से नीचे वाले आवासों और गांवों का विद्युतीकरण

10वीं योजना अवधि के दौरान, प्रारंभ में ₹5000 करोड़ राशि की पूंजीगत सब्सिडी के लिए योजना के चरण-I के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन किया गया था। इसके अतिरिक्त, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत योजना को जारी रखने के लिए विद्युत मंत्रालय के दिनांक 06 फरवरी 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 44/37/07-डी (आरई) द्वारा पूंजीगत सब्सिडी के रूप में ₹28000 करोड़ की मंजूरी संप्रेषित की गयी थी।

118499 अविद्युतीकृत गांवों (अनंतिम परिशोधित कवरेज 111062) तथा गरीबी रेखा से नीचे के 2.46 करोड़ आवासों (अनंतिम परिशोधित कवरेज 2.33 करोड़) को विद्युतीकरण सुविधाएं देने की ₹26349.03 करोड़ की लागत वाली 573 परियोजनाओं को कार्यान्वयन हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया । राज्यवार ब्योरों को **सारणी-6** में दर्शाया गया है।

संचयी रूप से योजना के अंतर्गत, 31 मार्च, 2011 के अनुसार, 96562 अविद्युतीकृत गांवों में योजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 1.598 करोड़ बीपीएल आवासों को बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं । राज्यवार ब्योरों को **सारणी-7** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2010-11 के दौरान, यह बताया गया है कि 18306 अविद्युतीकृत गांवों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 0.588 करोड़ बीपीएल आवासों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं। राज्यवार ब्योरों को **सारणी-7** में दर्शाया गया है । इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ₹5000 करोड़ की आरजीजीवीवाई सब्सिडी राशि को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरईसी को वितरित किया गया।

10. आरजीजीवीवाई - विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी)

10.1 आरजीजीवीवाई, उन गांवों, जहां पर ग्रिड संयोजकता व्यवहार्य अथवा किफायती नहीं है, के लिए परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे बायोमास, बायोगैस, मिनी हाइड्रो तथा सौर ऊर्जा आदि से डीडीजी परियोजना के लिए व्यवस्था करती है ।

10.2 डीडीजी तंत्र लोड केंद्रों के नजदीक स्थित लघु विद्युत इकाइयां हैं।

10.3 योजना के अंतर्गत डीडीजी परियोजनाओं की समग्र लागत के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 90% पूंजीगत सब्सिडी दी गयी है, जिसमें राज्य अथवा स्थानीय करों की राशि शामिल नहीं है। ऐसी राशि को संबंधित राज्य/राज्य यूटीलिटियों द्वारा वहन किया जाएगा। परियोजना लागत के 10% के बराबर का अंशदान राज्यों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर किया जाएगा।

10.4 11वीं योजना के अंतर्गत डीडीजी परियोजनाओं के लिए सब्सिडी के रूप में ₹540 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

10.5 विद्युत मंत्रालय ने 12.01.2009 को आरजीजीवीवाई के तहत डीडीजी परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। डीडीजी के दिशानिर्देशों में संशोधनों को विद्युत मंत्रालय द्वारा 05.01.2011, 17.03.2011 तथा 18.03.2011 को जारी किया गया था, ताकि डीडीजी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अधिक कवरेज एवं तेजी लायी जा सके तथा वामपंथी समूह उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में भी डीडीजी को सुकर बनाया जा सके।

10.6 वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के राज्यों में ₹112.58 करोड़ की कुल परियोजना लागत वाली 29 डीडीजी परियोजनाओं को मंजूर किया गया। अधिकांश राज्यों ने डीडीजी परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को नियुक्त कर दिया है तथा वे डीडीजी परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया में है।

11. नवीकरणीय/डीडीजी परियोजनाओं के संवर्धन में आरईसी का योगदान

31 मार्च, 2011 तक आरईसी द्वारा वित्तपोषित की गयीं विभिन्न नवीकरणीय परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है:-

क्र. सं.	विवरण	क्रियान्वयनाधीन परियोजनाएं	चालू की गई परियोजनाएं	योग
(i)	स्वीकृत ऋण का मूल्य (₹ करोड़ में)	1895.29	132.96	2028.25
(ii)	अभी तक संवितरण (₹ करोड़ में)	397.67	126.10	523.77
(iii)	स्वीकृत परियोजनाओं का मूल्य (₹ करोड़ में)	2717.11	378.61	3095.72
(iv)	परियोजनाओं से मेगावॉट बिजली	389.60	61.46	451.06
(v)	परियोजनाओं की संख्या	23	11	34

12. मानकीकरण, गुणता नियंत्रण और मॉनीटरिंग

कंपनी राज्य विद्युत यूटिलिटियों को वितरण तंत्र में लगातार तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर रही है। कंपनी द्वारा जारी तकनीकी विनिर्देशन और निर्माण मानकों का सभी राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए आरईसी विद्युत वितरण क्षेत्र में नवीन अनुसंधान और विकास का प्रयोग करते हुए नवाचारों की खोज कर रहा है। कंपनी ने हाल ही में 1100 वोल्ट तक के एलटी एरियल बंच्ड केबल के लिए इंसुलेशन पियरसिंग कनेक्टरों और ऐंकर (डेड ऐंड) तथा 1100 वोल्ट तक वर्किंग वोल्टेज के एलटी एरियल बंच्ड केबल के लिए संस्पेंशन असेंबलियों के अद्यतन तकनीकी विनिर्देश जारी किए हैं।

12.1 आरजीजीवीवाई की 11वीं योजना की स्कीमों के कार्यान्वयन में सामग्री और निर्माण की उचित गुणता को सुनिश्चित करने के लिए त्रि-स्तरीय गुणता नियंत्रण तंत्र के अनुरूप, (1) आरईसी गुणता मॉनीटरों (आरक्यूएम) को नियुक्त किया गया है, जिसे 25 राज्यों में 338 परियोजनाओं की जिम्मेवारी सौंपी गयी है, तथा (2) देश के 24 राज्यों की 332 परियोजनाओं के लिए स्तर-III के अंतर्गत राष्ट्रीय गुणता मॉनीटर (एनक्यूएम) नियुक्त किए गये हैं। इसके अतिरिक्त, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कार्यों की गुणता सुनिश्चित करने के लिए आरईसी गुणता मॉनीटरों ने 528 सामग्री निरीक्षण तथा 5634 गांवों का निरीक्षण किया है, तथा राष्ट्रीय गुणता मॉनीटरों ने 729 गांवों का निरीक्षण किया है।

13. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)

आरईसी ने 10 दिसंबर 2009 को, सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों पॉवरग्रिड, एनटीपीसी और पीएफसी की समान भागीदारी से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है। ईईएसएल के लिए कुल इक्विटी की आवश्यकता ₹190 करोड़ हैं, जिसे चारों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा समान रूप से बांटा जाना है। ईईएसएल से अपेक्षा की गयी है कि वह ऊर्जा कुशल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाए, ऊर्जा कुशल उपकरणों के इस्तेमाल को प्रोन्नत करने में एक बाजार निर्माण की भूमिका निभाए, ऊर्जा सेवा कंपनियों (ईएससीओ) तथा कार्य-निष्पादन ठेकेदारी की अवधारणा में अभिवृद्धि करे तथा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) द्वारा निष्पादित किए जा रहे वर्तमान वाणिज्यिक कार्यों को ग्रहण करने के अलावा ऊर्जा सेवा कंपनियों आदि हेतु जोखिम शमन करने के लिए एक आंशिक जोखिम गारंटी निधि का प्रबंध करे। इस प्रकार यह प्रत्याशा की जाती है कि ईईएसएल संवर्धित ऊर्जा दक्षता हेतु राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई), जो जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का हिस्सा है, के अंतर्गत सिफारिशों को कार्यान्वित करेगी। ईईएसएल की व्यापार योजना में अन्य कार्यों के अलावा ऊर्जा संरक्षण और बिल्डिंग कोड की परियोजनाएं संभालना, कृषि डिमांड साइड प्रबंधन (डीएसएम), म्यूनिसिपल डीएसएम, बचत लैंप योजना आरंभ करना शामिल है।

13.1 इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (आईईएक्स)

31 मार्च, 2011 तक आपकी कंपनी ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (आईईएक्स) में इक्विटी सहयोग की दिशा में ₹1.25 करोड़ (प्रदत्त पूंजी का 4.68%) की राशि का योगदान भी दिया है।

14. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास

14.1 जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए)

आरईसी पर जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से 02 अग्रगामी सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण - (क्रमशः 20629 मिलियन जापानी येन तथा 20902 मिलियन जापानी येन के जेआईसीए-I और II) तथा केएफडब्ल्यू से (प्रत्येक 70 मिलियन यूरो के केएफडब्ल्यू-I और II) 02 सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण हैं। जेआईसीए-I ऋण आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण विद्युत वितरण आधार (आरईडीबी) परियोजनाओं के लिए है। जेआईसीए-II ऋण हरियाणा राज्य में कार्यान्वित की जा रही "पारेषण तंत्र" परियोजनाओं के लिए है। केएफडब्ल्यू-I ऋण आंध्र प्रदेश राज्य में कार्यान्वित की जा रही एचवीडीएस परियोजनाओं पर "ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम" के लिए है । केएफडब्ल्यू-II ऋण हरियाणा राज्य में कार्यान्वित की जा रही एचवीडीएस परियोजनाओं पर "ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम" के लिए है। जेआईसीए-I एवं II ऋणों के अंतर्गत, 31 मार्च 2011 तक, क्रमशः जापानी येन 15673.01 मिलियन और जेपीवाई 8142.81 मिलियन की संचयी राशि को आहरित किया गया है। केएफडब्ल्यू-I ओडीए ऋण के तहत आहरण को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्ण किया जा चुका था तथा केएफडब्ल्यू-II ओडीए ऋण से निकासी अभी शुरू की जानी है।

15. ईआरपी आधारित एकीकृत सूचना प्रणाली

15.1 आरईसी में ईआरपी को 24 जुलाई, 2009 से शुरू किया जा चुका है तथा इसमें आरईसी के सभी महत्वपूर्ण व्यवसायिक क्षेत्रों जैसे केंद्रीय लेखांकन, परियोजना मूल्यांकन और मंजूरी, ऋण खातों का प्रबंधन और संवितरण, रोकड़ प्रबंधन तथा कोष प्रकार्य, वेतन एवं खरीद आदि को शामिल किया गया है । इससे आरईसी के समस्त कार्यालयों में उद्गम स्थल से आंकड़ों और सूचना को प्राप्त करना तथा उसे परिभाषित

कार्यप्रवाह के सोपान पर आधारित उपयुक्त स्तर तक प्रवाहित करना सुगम हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप, आंतरिक दक्षता में सुधार हुआ है और बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को सुविधा हुई है।

15.2 आरईसी के डेटा केंद्र और सहायक प्रकार्यों जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, विधिक, प्रशासन तथा लेखा शामिल हैं, को बीएसआई मैनेजमेंट सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वैश्विक आईएसओ/आईईसी 27001:2005 सुरक्षा मानक से प्रमाणित किया गया है। आधुनिक हेल्पडेस्क सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ एक केंद्रीयकृत हेल्पडेस्क की भी स्थापना की गयी है, ताकि संपूर्ण आरईसी में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को सुप्रवाही और उन्नत बनायी जा सके।

15.3 आरईसी की द्विभाषी वेबसाइट (www.recindia.gov.in) को लगातार पिछले तीन वर्षों से 'नराकास' द्वारा श्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट के रूप में घोषित किया गया है।

15.4 विस्तृत ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता प्राप्त करने की दिशा में, आरईसी ने 'ई-प्रापण' तथा 'वार्षिक संपत्ति रिटर्न' को वेब-आधारित ऑनलाइन भरने जैसे अनुप्रयोगों को लागू कर दिया है। वर्तमान में, ₹10 लाख से ऊपर की सभी निविदाओं को ई-निविदा प्रणाली के द्वारा संसाधित किया जा रहा है। वार्षिक संपत्ति रिर्टन को ऑन-लाइन भरने के लिए आरईसी के समस्त कर्मचारियों द्वारा 'वार्षिक संपत्ति रिटर्न' प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है तथा सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार सूचना दी जा रही है।

15.5 ईआरपी के कार्यान्वयन के साथ, अधिक डेस्कों पर कंप्यूटर सिस्टम्स उपलब्ध कराये गये हैं। वर्तमान में कुल कर्मचारियों की संख्या की तुलना में उपलब्ध कंप्यूटर सिस्टमों की संख्या 90% है (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर)।

16. केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर)

16.1 आरईसी के संरक्षण में केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर) की स्थापना वर्ष 1979 में हैदराबाद में की गयी थी, ताकि विद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्र के इंजीनियरों एवं प्रबंधकों तथा विद्युत और ऊर्जा से संबंधित अन्य संगठनों की प्रशिक्षण और विकास संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जा सके। सायर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विद्युत क्षेत्र के कार्यपालकों के लिए विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के विभिन्न पहलुओं पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

16.2 विद्युत मंत्रालयय द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय फ्रैंचाइजियों के कार्यान्वयन तथा मानव संसाधन विकास घटक के अधीन समूह ग एवं घ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सायर को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनटीपी) के तहत 40,000 फ्रैंचाइजियों तथा समूह ग एवं घ श्रेणी के 75,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यकलाप मार्च, 2012 तक जारी रहेगा । सायर ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 42 विद्युत यूटिलिटियों के साथ समझौता ज्ञापन संपन्न किए हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान, 472 फ्रैंचाइजी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 16,770 लोगों ने भाग लिया तथा समूह ग एवं घ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 1372 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें देश के विभिन्न यूटिलिटियों के 32383 कर्मियों ने भाग लिया। एक मार्च, 2011 तक फ्रैंचाइजी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा समूह ग एवं घ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के तहत संचयी रूप से क्रमशः 26,119 तथा 50,256 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

16.3 नियमित राष्ट्रीय कार्यक्रम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सायर ने 16 नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया, जिनमें विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों/वितरण कंपनियों के 251 कर्मियों ने भाग लिया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषयों में वितरण स्वचलन तथा विद्युत यूटिलिटियों हेतु एससीएडीए; विद्युत एवं वितरण ट्रांसफार्मर-आधुनिक प्रवृत्ति तथा व्यवहार; विद्युत संस्थापनों में अर्थिंग प्रयोग और सुरक्षा पूर्वोपाय; ईएचटी सब-स्टेशन - अभिकल्प; प्रचालन एवं अनुरक्षण; ईएचवी पारेषण लाइनें - अभिकल्प, प्रचालन एवं अनुरक्षण; निर्बाध पहुंच, विद्युत व्यापार तथा प्रशुल्क - एबीटी परिदृश्य; वितरण में अनुरक्षण प्रबंधन; अभिक्रियाशील विद्युत प्रबंधन; आईएसओ प्रमाणीकरण हेतु क्रियाविधियों सहित उपभोक्ता प्रबंधन; विद्युत क्षेत्र लेखांकन; विद्युत खरीद अनुबंध; निर्माण हेतु आरईसी के मानक तथा सामग्री हेतु विनिर्देशन; विद्युत उत्पादन स्टेशनों का प्रचालन और अनुरक्षण; बिजली की चोरी - तकनीकी एवं विधिक उपाय; विद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन और वित्तपोषण; तथा 33/11 केवी सब-स्टेशन की सुरक्षा शामिल है।

16.4 प्रायोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम

सायर ने 3 अनुकूलित कार्यक्रमों को भी आयोजित किया है तथा 94 भागीदारों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें दो कार्यक्रम विद्युत की चोरी और सतर्कता/पुलिस अधिकारी/कर्नाटक विद्युत यूटिलिटियों के कार्यपालकों के लिए विधिक उपाय पर क्रियान्वित किए जा रहे हैं तथा नर्मदा हाइड्रो पॉवर डेवलपमेंट कारपोरेशन के अधिकारियों हेतु अभिक्रियाशील विद्युत प्रबंधन पर एक कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

16.5 सायर को आईटीईसी/एससीएएपी के अधीन विद्युत क्षेत्र मे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पैनलबद्ध किया गया है। वर्ष के दौरान, सायर ने 117 प्रतिभागियों के साथ 7 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित किया। इन कार्यक्रमों के विषयों में उत्पादन एवं पारेषण प्रणालियों में आधुनिक प्रयोग; विद्युत कंपनियों हेतु वित्तीय प्रबंधन और लेखांकन प्रणाली; विद्युत पारेषण एवं वितरण प्रणालियों का नियोजन और प्रबंधन; सूचना प्रौद्योगिकी/यंत्रविद समाधान के द्वारा विद्युत यूटिलिटियों का कारोबार प्रबंधन; विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन तथा ग्रामीण विद्युत वितरण प्रबंधन एवं नियोजन तथा विद्युत परियोजनाओं का वित्तीय प्रबंधन आदि शामिल हैं। कार्यक्रम में अफगानिस्तान, अंगोला, बेलारूस, भूटान, कंबोडिया, मिस्र, इथोपिया, घाना, गुयाना, होंडूरास, इंडोनेशिया, इराक, केन्या, लाओस, लेसोथो, मेडागास्कर, मॉरीशस, मालावी, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, ओमान, फिलिपिंस, समोआ, सूडान, श्रीलंका, सीरिया, तंजानिया, तजाकिस्तान, थाइलैंड, जांबिया और जिम्बावे से प्रतिभागियों ने भाग लिया।

16.6 प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

ट्रांसफार्मरों, वितरण क्षति को कम करने और प्रणालियों की सुरक्षा पर कौशल आधारित विकास कार्यक्रम के संबंध में अफगानिस्तान के विद्युत क्षेत्र के कार्यपालकों की क्षमता में विस्तार हेतु यूएसएआईडी/एसएआरआई(ऊर्जा) द्वारा तीन कार्यक्रमों को प्रायोजित किया गया तथा सायर ने अनुभव हस्तांतरण करने हेतु उद्योगों के साथ संबंध स्थापित करके 35 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। इसके अतिरिक्त, अरब आर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रीयलाइजेशन (एओआई), कैरो, मिस्र के लिए 10 प्रतिभागियों के साथ सौर विद्युत उत्पादन पर एक 3-सप्ताह का अनुकूलित कार्यक्रम आयोजित किया।

16.7 सहयोग से आयोजित कार्यक्रम

सायर, प्रमुख प्रबंधन संस्थान अर्थात् इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज के साथ भी संयुक्त रूप से कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है तथा वर्ष के दौरान 4 कार्यक्रमों, यथा विद्युत क्षेत्र में मानव संसाधन और कार्मिक प्रबंधन; विद्युत क्षेत्र के लिए नीतिगत वित्तीय प्रबंधन; गैर-वित्त कार्यपालकों के लिए वित्त व्यवस्था तथा विद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन और वित्तपोषण, को आयोजित किया गया, जिनमें विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों के 51 कर्मियों ने भाग लिया।

16.8 ड्रम कार्यक्रम

सायर को, पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन के माध्यम से यूएसएआईडी की वित्तीय सहायता के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

प्रायोजित ड्रम प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए एक साझेदार प्रशिक्षण संस्थान के रूप में पैनलबद्ध किया गया है । सायर ने अधिकांश रूप से बाहरी स्थानों पर (यूटिलिटियों के परिसरों में) 31 कार्यक्रमों को आयोजित किया है तथा विभिन्न विषयों यथा वितरण प्रणाली प्रचालन एवं अनुरक्षण में श्रेष्ठ पद्धतियों; वितरण दक्षता एवं मांग पक्ष प्रबंधन; वितरण क्षति में कमी हेतु श्रेष्ठ पद्धतियों; संप्रेषण कौशल, कर्मचारी अभिप्रेरण तथा मनोबल विकास; आपदा प्रबंधन, विद्युत सुरक्षा क्रियाविधियां एवं दुर्घटना निवारण; वितरण कारोबार में वित्तीय प्रबंधन तथा टीओटी - रूरल वितरण फ्रैंचाइजिंग में देश की विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों के 878 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।

16.9 आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम

आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम को पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन के माध्यम से विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जाता है। वर्ष के दौरान सायर ने हिसार में हरियाणा राज्य की यूटिलिटी के 63 लाइनमैनों के लिए एक आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम आयोजित किया।

16.10 पैनलबद्ध प्रशिक्षण संस्थान के रूप में सायर द्वारा एनटीपी कार्यक्रमों का आयोजन

वर्ष 2010-11 के दौरान, सायर ने एनटीपी कार्यक्रमों के पैनलबद्ध प्रशिक्षण संस्थान के रूप में 1260 प्रतिभागियों के साथ 31 फ्रैंचाइजी कार्यक्रमों तथा 401 प्रतिभागियों सहित 16 सी एंड डी कार्यक्रमों को आयोजित किया।

16.11 आंतरिक कार्यक्रम

विभिन्न विषयों पर आरईसी के कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल को अद्यतन करने के लिए चार प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें 104 कर्मियों ने भाग लिया।

16.12 कुल मिलाकर वर्ष 2010-11 के दौरान, सायर ने फ्रैंचाइजियों तथा समूह ग एवं घ श्रेणी के कर्मियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय और मॉनीटरिंग करने के अलावा, 119 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया तथा 3,264 कार्यपालकों को प्रशिक्षित किया, जिसका ब्योरा निम्नवत है:-

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	नियमित - राष्ट्रीय कार्यक्रम	16	251
2	प्रायोजित - राष्ट्रीय कार्यक्रम	3	94
3	नियमित - अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	7	117
4	प्रायोजित - अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	4	45
5	आईपीई के सहयोग से कार्यक्रम	4	51
6	यूएसएआईडी द्वारा प्रायोजित ड्रम कार्यक्रम	31	878
7	विद्युत मंत्रालय/पीएफसी द्वारा प्रायोजित आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम	1	63
8	फ्रैंचाइजियों हेतु सायर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	31	1260
9	समूह 'ग' व 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों हेतु सायर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	16	401
10	आंतरिक कार्यक्रम	6	104
योग		**119**	**3264**

17. जोखिम प्रबंधन

17.1 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसके अंतर्गत आपदा देयता प्रबंधन और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। वर्तमान में आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति क्रियाशील है। इसमें निदेशक (वित्त), निदेशक(तकनीकी), कार्यपालक निदेशक (वित्त), वित्त, उत्पादन, पारेषण एवं वितरण शाखा के महाप्रबंधक तथा आरईसी के निदेशक मंडल द्वारा नामित एक अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक भी शामिल है। यह समिति जोखिम कें संदर्भ में नकदी, ब्याज दरों तथा मुद्रा दरों पर नजर रखती है। नकदी अंतराल विश्लेषण (एलजीए) की सहायता से नकदी जोखिम पर नजर रखी जा रही है तथा यह समिति मिश्रित नीतियों, जैसे पूर्वानुमानित संवितरण एवं परिपक्वता देयताओं पर आधारित भावी संसाधन जुटाने के कार्यक्रम, के द्वारा नकदी जोखिम प्रबंधन करती है। ब्याज दर जोखिम को ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण के जरिए मॉनीटर किया जाता है तथा उसे उधार दरों और उधार की लागत तथा ऋण एवं उधार की शर्तों की समीक्षा के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। 31 मार्च, 2011 के अनुसार परिसंपत्ति और देयताओं की निश्चित मदों के परिपक्वता पैटर्न को निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014- 2015	2015- 2016	2015-16 से आगे	योग
रुपया ऋण परिसंपत्तियां (उपचित ब्याज किंतु देय नहीं सहित)	8,209	7,962	8,623	7,774	7,711	41,853	82,132
निवेश	49	96	96	96	96	379	812
विदेशी मुद्रा देयताएं	990	174	241	254	5,527	397	7,583
रुपया देयताएं	7,879	10,087	12,015	4,574	5,217	22,648	62,420

17.2 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी विभिन्न डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा विनिमय दर और ब्याज दर जोखिम से संबद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके लिए कंपनी ने विदेशी मुद्रा उधार के साथ संबद्ध जोाखिम का प्रबंध करने के लिए एक बचाव (हेजिंग) नीति स्थापित की है।

31 मार्च, 2011 के अनुसार बकाया कुल विदेशी मुद्रा देयताओं में से, 40% पूर्णतया बचाव कर लिया गया है, जिसका ब्योरा निम्नवत है:

मुद्रा	योग		हेज्ड (मुद्रा एवं ब्याज दर)		अनहेज्ड गेड	
	विदेशी मुद्रा (मिलियन में)	समकक्ष भारतीय ₹ (करोड़ों में)	विदेशी मुद्रा (मिलियन में)	समकक्ष भारतीय ₹ (करोड़ों में)	विदेशी मुद्रा (मिलियन में)	समकक्ष भारतीय ₹ (करोड़ों में)
जापानी येन	47,697.36	1,997.51	44,316.43	1,812.90	3,380.92	184.61
यूरो	58.95	384.84	58.95	384.84	-	-
अमरीकी डॉलर	1,170.00	5,291.53	200.00	894.48	970.00	4,397.05
योग		**7,673.88**		**3,092.22**		**4,581.66**

17.3 उद्यम-व्यापक एकीकृत जोखिम प्रबंधन

कंपनी के एकीकृत जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी ने निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) तथा एक अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के संयोजन से एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया है। जोखिम प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य संभावी विभिन्न जोखिमों को मॉनीटर करना तथा जोखिम प्रबंधन नीतियों और कंपनी द्वारा अपनायी गई पद्धतियों की जांच करना है तथा प्रचालन और कंपनी के अन्य संबंधित मामलों में उत्पन्न जोखिम का प्रशामन करने के लिए कार्रवाई शुरू करना है। प्रचालन प्रभागों के सभी प्रमुखों को, उनके प्रकार्य क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न जोखिमों को सूचीबद्ध करना तथा उनको कम करने के लिए नियंत्रण/कार्य योजना का तैयार करना और जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है।

18. आईएसओ 9001:2008 गुणता आश्वासन प्रमाणीकरण

आरईसी ने अपने कारपोरेट कार्यालय के छह बड़े प्रभागों और देशभर में स्थित सभी परियोजना कार्यालयों में आईएसओ 9001:2008 के मानकों के अनुरूप गुणता प्रबंधन व्यवस्था को लागू कर दिया है।

19. मानव संसाधन प्रबंधन

आरईसी के कार्यपालक को व्यावसायीकृत करने तथा नये युवा लोगों को शामिल करने के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 7 कार्यपालकों को खुले विज्ञापन के जरिए नियुक्त किया गया तथा 27 कार्यपालकों को इस प्रयोजनार्थ पैनलबद्ध प्रमुख संस्थाओं के द्वारा कैंपस भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया।

वित्तीय वर्ष 2010-11 की समाप्ति पर अर्थात् 31.03.2011 तक निगम की कुल जनशक्ति 688 थी, जिसमें 396 कार्यपालक और 292 गैर-कार्यपालक कर्मचारी शामिल हैं।

19.1 रोजगार में आरक्षण

कंपनी द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति/जनजाति आदि के लिए भारत सरकार द्वारा आरक्षण के संबंध में जारी निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है। 31 मार्च, 2011 के अनुसार कुल कर्मचारी संख्या में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्योरा निम्नवत है:

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु.जाति	अनु.ज.जा.
क	366(332)	32(30)	9(9)
ख	137(153)	18(19)	3(3)
ग	87(87)	17(17)	0(0)
घ	98(101)	30(31)	2(3)
कुल जोड़:	**688(673)**	**97(97)**	**14(15)**

(कोष्ठक मे ंदी गयी संख्या पिछले वर्ष की स्थिति को दर्शाती है)

19.2 प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

वर्ष के दौरान, कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने में समर्थ बनाने, उन्हें अनेक कौशलों से सुसज्जित करने के लिए प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता देना जारी रहा। आरईसी प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास नीति का उद्देश्य प्रबंधकीय कौशल में अभिवृद्धि करना तथा कर्मचारी के कार्य-निष्पादन को बेहतर करने के लिए उन्हें समर्थ बनाना और कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन एवं उत्पादकता को उन्नत करने के लिए उनको यथासंभव अवसर प्रदान करना है। व्यावसायिक अपेक्षाओं की बेहतर समझबूझ में अभिवृद्धि करने और पेशेवर, सामाजिक-आर्थिक तथा राजनैतिक वातावरण, जिसमें कार्य किया गया है, को सुग्राही बनाने तथा आध्यात्मिक, स्वास्थ्य एवं दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तन प्रक्रियाओं के लिए भी प्रशिक्षण संबंधी जानकारियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्रीयकृत ध्यान देने से प्रकार्यात्मक कौशल, सॉफ्ट स्किल और सूचना प्रौद्योगिकी, राजभाषा आदि जैसे क्षेत्रों से संबंधित कौशल का विकास हुआ है।

मूल्यांकित आवश्यकताओं पर आधारित तथा उन्हें पूरा करने के माध्यम के रूप में कंपनी ने देश-विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में शामिल होने के लिए अपने 149 कर्मचारियों को प्रायोजित किया। इसके अलावा, 25 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया गया, जिनमें 448 कर्मचारियों ने भाग लिया । कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से अवगत कराने के उद्देश्य से कई अधिकारियों को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए विदेशों में यथा जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर आदि भेजा गया। कुल मिलाकर इन उपायों से कंपनी को मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में निर्धारित मापदंडों से बेहतर काम-काज करने में सहायता मिली। प्रशिक्षण के 1500 श्रमदिवसों के लक्ष्य की तुलना में आरईसी ने वर्ष के दौरान 2732 श्रमदिवस के आंकड़ें को प्राप्त किया।

19.3 कर्मचारी कल्याण

आरईसी कर्मचारियों को कल्याणकारी सुविधाओं की एक विस्तृत रेंज उपलब्ध करा रहा है; ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों के लिए उनकी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने को देखते हुए उनकी विविध आवश्यकताओं का प्रबंध किया जा सके। कारपोरेट कार्यालय तथा आंचलिक/परियोजना कार्यालयों (सायर, हैदराबाद सहित) के अपने कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान कंपनी ने "सीधे भुगतान" के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों की सूची में विस्तार किया है।

19.4 महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

आपकी कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों को उन्नति करने के समान अवसर प्रदान करती रही है। 08 मार्च 2011, मंगलवार को आरईसी के महिला प्रकोष्ठ ने "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" मनाया।

19.5 औद्योगिक संबंध

कंपनी में औद्योगिक संबंधों को स्वस्थ, सद्भावनापूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनाये रखा गया। कर्मचारी कल्याण से संबद्ध महत्वपूर्ण विषयों पर आरईसी कर्मचारी यूनियन और आरईसी ऑफिसर्स एसोसिएशन से सलाह-मशविरे की प्रक्रिया को जारी रखा गया, जिससे अधिकांश मुद्दों पर सहमति प्राप्त की जा सकी, जो कंपनी में व्याप्त परस्पर विश्वास एवं सद्भावपूर्ण संबंधों को प्रतिबिंबित करता है । वर्ष 2010-11 के दौरान, एक द्विपक्षीय मज़दूरी निपटान का मामला प्राप्त हुआ

तथा उसे कार्यान्वित किया गया, जिसने आर्थिक पुनर्वास नीति के उपबंधों, पेंशन, दीर्घकालिक कर्मचारी देयताओं आदि के लिए बीमा कवर के प्रावधान करने के साथ सामाजिक सुरक्षा की एक व्यापक संरचना का प्रावधान करने सहित वेतन संरचना, ग्रेड एवं वेतनमान तथा क्षतिपूर्ति के अन्य तत्वों को विस्तृत रूप से पुनःपरिभाषित किया। संगठन में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में इस बात को देखा गया कि आरईसी विद्युत क्षेत्र में अन्य नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ पूर्णतः समक्रमिक है तथा इसने कर्मचारियों के उच्च अभिप्रेरण को सुनिश्चित किया है। वर्ष के दौरान, आरईसी कर्मचारियों के समर्पित बंधुत्व की बदौलत पिछले सभी रिकार्डों को पीछे छोड़कर अब तक के श्रेष्ठ सामूहिक कार्य-निष्पादन को सुनिश्चित किया गया।

लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के सचिव, श्री भास्कर चटर्जी से 03 सितंबर, 2010 को संगठनात्मक विकास एवं नेतृत्व के लिए **"एशिया पेसिफिक एचआरएम कांग्रेस अवार्ड, 2010"** प्राप्त करते हुए आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,डॉ. ज. मो. फाटक।

19.6 लोक शिकायत निवारण तंत्र

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतों का निपटान करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। इस समिति के कार्यक्षेत्र को और अधिक बढ़ा दिया गया है ताकि इसमें लोक शिकायतों को भी शामिल किया जा सके। कारपोरेट कार्यालय तथा आंचलिक/परियोजना कार्यालयों और सायर में प्रभागाध्यक्षों द्वारा शिकायतों को सुनने के लिए सप्ताह के एक दिन को बैठक दिवस के रूप में निर्धारित किया गया है।

19.7 खेलकूद गतिविधियां

वर्ष 2010-11 में, आरईसी ने अंतर-सीपीएसयू कबड्डी टूर्नामेंट की मेजबानी की तथा विद्युत खेलकूद नियंत्रण बोर्ड (पीएससीबी) के तत्वावधान में विद्युत क्षेत्र के विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयोजित अंतर-सीपीएसयू टेबल टेनिस और शतरंज टूर्नामेंट में अपनी टीमों को प्रायोजित भी किया।

शिलांग में अप्रैल 2011 में अंतर सीपीएसयू शतरंज एवं ब्रिज टूर्नामेंट, 2011 जीतने पर रजत बैजयंती प्राप्त करती हुई आरईसी की टीम।

20. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति

20.1 वर्ष के दौरान, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की पहलों का सभी पणधारियों के सामाजिक उत्तरदायित्वों के साथ आरईसी के कारोबार प्रचालन को एकीकृत करने को ध्यान में रखते हुए, सक्रिय रूप से अनुसरण किया गया। आरईसी सीएसआर दृष्टिकोण के द्वारा रणनीतिक ध्यान दिया गया, जिसे वर्ष के दौरान निम्न रूप से व्यक्त किया गया:

"आरईसी, अपनी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में कामयाब युवा भारतीय चैम्पियनों में उत्कृष्टता की भावना प्रेरित करेगा तथा सभी पणधारियों के प्रति अपनें सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में समाज के आधुनिकीकरण की दिशा में भी योगदान देगा"।

20.2 तदनुसार, अप्रैल 2010 में इस संबंध में जारी डीपीई दिशानिर्देशों के साथ पुनर्संगठित आरईसी की नीति के अनुसार "कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन धारणीय परियोजनाओं" के रूप में सीएसआर गतिविधियों का अनुसरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011 के लिए, आरईसी ने पिछले वर्ष कर-पश्चात लाभ के 0.25% की दर से ₹5.00 करोड़ की राशि का सीएसआर बजट आबंटित किया है। वर्ष के दौरान, इस बजट की तुलना में ₹5.10 करोड़ के लागत वाली अनेक परियोजनाओ को स्वीकृत किया गया। शिक्षा, विज्ञान और खेलकूद में युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देना वर्ष के दौरान एक प्रमुख कार्यक्रम था। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजूकेशन, टीआईएफआर, मुंबई के माध्यम से ओलम्पियाड विजेता छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए गए ताकि इन क्षेत्रों में शिक्षा और उत्कृष्टता को बढ़ावा मिले। इसी प्रकार, चयनित छात्रों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद(एनसीईआरटी) के साथ एक कार्यक्रम आरंभ किया गया। इसके अलावा, विभिन्न खेलकूद में युवा चैम्पियनों के लिए पुरस्कार स्थापित किए गए हैं, जिनके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद कार्यक्रमों के लिए तैयारी/भागीदारी की लागत देने के प्रयोजनार्थ अभिनिर्धारित खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ताकि वे देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीत सकें।

20.3 ऊर्जा संसाधन संस्थान (टीईआरआई) को उसके "लाइटिंग ए बिलियन लाइवस् (एलएबीएल)" की अग्रगामी पहल के लिए भी सहायता प्रदान की गयी। असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में 'कम विद्युतीकृत' 45 गांवों के लिए सौर लालटेनों के प्रावधान के लिए प्रत्येक गांव में 50 सौर एलईडी लालटेनों को वितरित किया गया, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 2250 थी।

20.4 अन्य परियोजनाओं में, सफाई कर्मचारियों और गरीबी रेखा से नीचे के युवकों हेतु कौशल अभिवर्धन तथा रोजगार सहायता देना; "ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सौर, पवन ऊर्जा संरक्षण प्रणाली के विकास और अभिकल्प" के लिए आईआईटी, दिल्ली को सहायता देना; ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों के लिए पके हुए भोजन को सरकारी स्कूलों में दोपहर को खाने (मिड-डे मील) के लिए परिवहन द्वारा पहुंचाने वाली एक एजेंसी को सहायता देना; पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक दूरगामी गांव में एक महिला छात्रावास को सौर बिजली का प्रावधान करने सहित सहायता देना; हरियाणा के फरीदाबाद जिले में चांदपुर क्षेत्र के आस-पास के 10 गांवों में संपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए "कम्यूनिटी मोबाइल क्लिनिक" का प्रावधान करना; निःशुल्क ऑपरेटिव नेत्र उपचार के लिए एक परियोजना में सहायता देना; कला और संस्कृति को प्रोन्नत करने के लिए सहायता देना आदि शामिल हैं।

21. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

21.1 कंपनी ने उपयुक्त मॉनीटरिंग क्रियाविधियों के साथ आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली को बनाये रखा है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न संव्यवहारों की परिशुद्ध और सामयिक वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रचालनों की कुशलता तथा सांविधिक नियमों, विनियमों और कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित हो सका। सभी परीक्षणों और बकायों के सही होने तथा सभी आंतरिक नियंत्रणों के सुव्यवस्थित होने को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रभागों/कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नियमित

और व्यापक रूप से विभागीय आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित की जाती है तथा कुछ चुनिंदा परियोजना कार्यालयों की लेखापरीक्षा अनुभवी चार्टर्ड लेखाकार फर्मों द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षा समिति सांविधिक रूप से विभिन्न लेखापरीक्षाओं के निष्कर्षों की सार्थक रूप से समीक्षा करती है, जैसा कि कंपनी अधिनियम और सूचीकरण अनुबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है।

21.2 वर्ष के दौरान, और पेशेवर लोगों की नियुक्ति होने तथा आरईसी आंतरिक लेखापरीक्षा के अद्यतन मैनुअल (2010) का कार्यान्वयन होने से आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग और अधिक सुदृढ़ हुआ है। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग में वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अभिनिर्धारित महत्वपूर्ण/जोखिम क्षेत्रों सहित प्रचालन के सभी प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रभाग, कंपनी के अभिलेखों की जांच और संचालनों की आवधिक रूप से समीक्षा करने के द्वारा संव्यवहारों और प्रचालनों की परिशुद्धता एवं दक्षता में सुधार करने के लिए भी सहायता करता है।

22. सतर्कता गतिविधियां

22.1 सतर्कता प्रभाग, प्रणालियों और क्रियाविधियों में अत्यधिक पारदर्शिता लाने को ध्यान में रखते हुए "निवारक सतर्कता" पर बल देता है। इस दिशा में विभिन्न उपायों/कार्रवाइयों को क्रियान्वित किया गया है। ₹10 लाख से ऊपर की खरीद के लिए ई-प्रापण प्रक्रिया को लागू कर दिया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी अद्यतन निदेशों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अच्छी पद्धतियों को शामिल करते हुए प्रापण दिशानिर्देशों में सुधार किया गया है। वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) के कंप्यूटरीकृत किए जाने, जिसमें कर्मचारी अपनी वार्षिक संपत्ति रिटर्नों को ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, के अंतिम चरण के कार्य को भी वर्ष के दौरान पूर्ण कर लिया गया । तदनुसार, 31.12.2010 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के लिए रिटर्नों को ऑन-लाइन प्रस्तुत किया गया। ऋण आवेदनों की स्थिति को ऑन-लाइन उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को भी लागू किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार, आरईसी (सीडीए) नियमावली की समीक्षा की गयी तथा उसे और व्यापक बनाया गया।

22.2 निरीक्षणों तथा क्षेत्र के दौरों को सर्तकता प्रभाग द्वारा नियमित रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। लेखापरीक्षा रिपोर्टों की सतर्कता के नज़रिए से जांच की जा रही है। तंत्र और प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने के लिए प्रकार्यात्मक प्रभागों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जा रही हैं। कारपोरेट कार्यालय में सतर्कता एवं गैर-सतर्कता अधिकारियों तथा सतर्कता मामलों से संबंधित क्षेत्र के कार्यालयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी आयोजित किया जा रहा है।

22.3 25 अक्तूबर से 01 नवंबर, 2010 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उद्घाटन के अवसर पर 25 अक्तूबर, 2010 को एक सतर्कता पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ, पुस्तिका में सतर्कता की संकल्पना, केंद्रीय सतर्कता आयोग/केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भूमिका, शिकायतों पर कार्रवाई करना, व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी, जांच-पड़ताल, अनुशासनिक कार्यवाही, सतर्कता मंजूरी प्रक्रिया, बाह्य एजेंसियों के साथ समन्वय करना, संगठन और कर्मचारी से संबंधित मुद्दों जैसे सतर्कता संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया है। इस अवधि के दौरान, भ्रष्टाचार को दूर करने तथा निवारक सर्तकता को बढ़ावा देने के विभिन्न प्रकार के पोस्टरों को कारपोरेट कार्यालय तथा परियोजना कार्यालयों में प्रदर्शित किया गया। कार्यपालकों और गैर-कार्यपालकों के लिए निबंध लेखन और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं। विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान देने के लिए प्रतिष्ठित संकाय को भी आमंत्रित किया गया।

22.4 केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों के अनुपालन में, कारपोरेशन में संवेदनशील पदों की पहचान कर ली गयी है तथा इन पदों पर लंबे समय से कार्यरत अधिकारियों को मानव संसाधन प्रभाग चक्रानुक्रम पर स्थानांतरित कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थानीय शाखाओं के साथ नियमित रूप से अनुसरण करने के उपरांत कारपोरेट कार्यालय के अलावा सभी आंचलिक कार्यालयों/परियोजना कार्यालयों/केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर) के संबंध में अनुमत सूचियों को भेज दिया गया है।

22.5 निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुख्य सतर्कता अधिकारी, आरईसी द्वारा सतत् रूप से समीक्षा करने के अलावा, सतर्कता प्रभाग के कार्य-निष्पादन की केंद्रीय सर्तकता आयोग, निदेशक मंडल तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी द्वारा नियमित रूप से जांच की गयी । वर्तमान में दो अनुशासनिक मामले तथा केवल 3 शिकायतें लंबित हैं।

23. राजभाषा कार्यान्वयन

23.1 राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2010-11 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़े प्रयास किए गए। वर्ष के दौरान, कंपनी के अधिकारियों और स्टाफ ने हिंदी में कार्य करने के प्रति रूचि दिखलाई, जिसके फलस्वरूप आरईसी के दिन-प्रतिदिन के कार्य में हिंदी का प्रयोग में बढ़ोतरी हुई है। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी सभी प्रोत्साहन योजनाओं को कंपनी में लागू किया गया है।

23.2 कारपोरेट कार्यालय के 15 प्रभागों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने के लिए निरीक्षण किए गए तथा कमियों को दूर करने के लिए उनको सुझाव दिए गए। वर्ष के दौरान, 10 परियोजना कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया। वर्ष के दौरान, विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों ने भी चार परियोजना कार्यालयों का निरीक्षण किया । राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम 2010-11 में निरीक्षण का लक्ष्य 25% निर्धारित किया गया था तथा कंपनी ने इसकी तुलना में कारपोरेट कार्यालय तथा आंचलिक/परियोजना कार्यालयों के निरीक्षणों का दुगुना लक्ष्य प्राप्त कर लिया।

23.3 वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी को भारतीय राजभाषा विकास संस्थान, देहरादून द्वारा राजभाषा श्री सम्मान प्रदान किया गया।

23.4 कंपनी ने 01.9.2010 से 14.9.2010 तक हिंदी पखवाड़े के दौरान महाप्रबंधकों/कार्यपालक निदेशकों, मध्य स्तर के प्रबंधकों और गैर-कार्यपालकों के लिए अलग से 9 हिंदी प्रतियोगिताएं तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सुलेख लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गयी। प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

23.5 27.12.2010 को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ रीडर डॉ.पी.सी.टंडन मुख्य अतिथि थे। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी द्वारा प्रमाणपत्र तथा नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रसिद्ध हिंदी कवि श्री अरूण जैमिनी, श्री दीपक गुप्ता और श्री महेन्द्र अजनबी ने हिंदी में अपनी व्यंग्य कविताओं से समा बांध दिया तथा उससे वहां उपस्थित लोगों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा मिली।

माननीय केन्द्रीय विद्युत मंत्री श्री सुशीलकुमार शिंदे, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में आरईसी द्वारा 16 मई, 2011 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित राजभाषा सम्मेलन को संबोधित करते हुए।

23.6 हिंदी में मूलरूप से काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

23.7 वर्ष 2010-11 के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की गयीं, जिनमें लक्ष्य पूरे करने के रास्ते में आ रही मुश्किलों को दूर करने के उपायों और प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गयी।

23.8 सरकारी कामकाज में सभी के द्वारा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कारपोरेट कार्यालय में दस तथा आंचलिक/परियोजना कार्यालयों में नौ हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गयीं, जिनमें 136 अधिकारियों और 104 कर्मचारियों ने भाग लिया।

23.9 पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद में हिंदी और अंग्रेजी के निर्धारित अनुपात को बनाये रखा गया और कंपनी का पुस्तकालय हिंदी की साहित्यक पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा संदर्भ प्रकाशनों से सुसज्जित है।

23.10 आरईसी की वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है तथा इसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। सभी कंप्यूटरों में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में काम करने की सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों, रिपोर्टों, ज्ञापनों, प्रेस विज्ञप्तियों, समझौता ज्ञापनों, निविदाओं, वार्षिक रिपोर्टों आदि को द्विभाषी रूप में जारी किया जाता है। हिंदी में पत्राचार को बढ़ावा देने के लिए आरईसी इंटरानेट पर भी सभी मानक प्रपत्रों को उपलब्ध कराया गया है।

24. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के तहत वित्तीय विवरण/दस्तावेज

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 08 फरवरी 2011 के परिपत्र द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के अनुसरण में सभी कंपनियों को उनकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों को संलग्न करने की सामान्य छूट प्रदान की है बशर्ते कि कंपनियों द्वारा निश्चित शर्तों का अनुपालन किया गया हो जैसा कि इस परिपत्र में निर्धारित है। तदनुसार, अनुषंगी कंपनियों के तुलनपत्र, लाभ और हानि खाते तथा निदेशक मंडल की रिपोर्टें और लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें कंपनी के तुलनपत्र के साथ संलग्न नहीं की गयी हैं। तथापि, यदि कंपनी का कोई सदस्य चाहे तो ये दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराए जा सकते हैं। केंद्रीय सरकार के निदेशानुसार, अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय आंकड़े समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों के रूप में दिए गए हैं और ये वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से हैं। कंपनी के वार्षिक खाते (सहायक कंपनियों के भी) किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। लेखाकंन मानक-21 (एएस 21) जिसे कंपनी (लेखाकंन मानक) नियमावली, 2006 के जरिए निर्धारित किया गया है, के अनुसरण मे कंपनी ने जो समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए हैं, उनमें अनुषंगी कंपनियों के बारे में वित्तीय विवरण भी शामिल हैं।

25. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय के संबंध में विवरण

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन), नियम, 1988 के अंतर्गत यहां ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित कोई सार्थक ब्योरे नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी की अपनी कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है। तथापि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने प्रचालनों में प्रौद्योगिकी का गहन उपयोग किया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की गयी है। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा के खर्च से संबंधी ब्योरा निम्नवत है:

विवरण	31.03.2011 के अनुसार (करोड़ ₹ में)
रॉयल्टी, जानकारी व्यावसायिक परामर्श शुल्क	शून्य
ब्याज	31.27
वित्तीय प्रभार	50.24
अन्य व्यय	0.77
योग	**82.28**

26. अनुषंगी कंपनियां

आपकी कंपनी ने विशिष्ट व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने के लिए छह अनुषंगी कंपनियों का गठन किया है। इन कंपनियों के नाम, गठन की तारीख और उनमें शेयरधारिता के प्रतिशत का विवरण निम्नवत है:-

क्र. सं.	अनुषंगी कंपनी का नाम	गठन की तारीख	शेयरधारिता का प्रतिशत
1.	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) (आरईसी के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी)	08.01.2007	100%
2.	नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनकेटीसीएल)* (आरईसीटीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी)	23.04.2007	100%
3.	तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीटीसीएल)* (आरईसीटीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी)	01.05.2007	100%
4.	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (आरईसी के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी)	12.07.2007	100%
5.	रायचुर शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (आरएसटीसीएल)* (आरईसीटीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी)	19.11.2009	100%
6.	वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (वीटीएसएल) (आरईसीटीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी)	21.04.2011	100%

*एनकेटीसीएल और टीटीसीएल को क्रमशः 20.5.2010 तथा 27.04.2010 को मैसर्स रिलायंस पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है। आरएसटीसीएल को, 07.01.2011 को मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, मैसर्स सिंपलेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मैसर्स बीएस ट्रांसकॉम लिमिटेड के एक संघ को हस्तांतरित कर दिया गया है ।

26.1 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)

आरईसीटीपीसीएल ने वर्ष 2010-11 के दौरान विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आबंटित तीन अंतर-राज्य पारेषण परियोजनाओं, नामतः (1) नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन सिस्टम; (2) तालचर-II ऑगमेंटेशन सिस्टम तथा (3) कृष्णापट्टनम यूएमपीपी के साथ संबद्ध ट्रांसमिशन सिस्टम - दक्षिणी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र (खंड-ख) के बीच समकालिक अंतःसंबंध के लिए पारेषण सेवा प्रदाता (टीएसपी) के रूप में विकासकर्ता के चयन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया। उपरोक्त तीन परियोजनाओं के विकास के लिए आरईसीटीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व

की अनुषंगी कंपनियों के रूप में नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनकेटीसीएल), तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीटीसीएल) एवं रायचुर-शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (आरएसटीसीएल) नामक तीन परियोजना विनिर्दिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) की स्थापना की गयी । चयन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक निष्पादित होने के उपरांत, नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनकेटीसीएल) एवं तालचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीटीसीएल) को क्रमशः 20.05.2010 तथा 27.04.2010 को मैसर्स रिलायंस पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया। इसी प्रकार, रायचुर शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (आरएसटीसीएल) को 07.01.2011 को मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, मैसर्स सिंपलेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मैसर्स बीएस ट्रांसकॉम लिमिटेड के एक संघ को हस्तांतरित कर दिया गया। चयनित बोलीदाताओं ने एसपीवी की इक्विटी शेयरधारिता का शतप्रतिशत (100%) अधिग्रहण करने के लिए अधिग्रहण राशि का भुगतान करने के उपरांत परियोजना विशिष्ट एसपीवी को अधिग्रहित कर लिया।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 16 मार्च, 2011 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा तीन नई परियोजनाओं यथा वेमागिरी क्षेत्र पैकेज क, ख, एवं ग के आईपीपी के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया पर आधारित प्रशुल्क के द्वारा विकासकर्ता के चयन के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयकर्ता (बीपीसी) के तौर पर आरईसीटीपीसीएल को नियुक्त किया है। इन परियोजनाओं को निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बूम) प्रकिया के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार विकासकर्ता के चयन के लिए योग्यता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) और प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) विशेषतायुक्त द्विस्तरीय प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। 21 अप्रैल, 2011 को पैकेज-क के लिए वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड नामक परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन को निगमित किया गया।

पैकेज-क में शामिल पारेषण लाइनों की कुल लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है। उक्त परियोजना के लिए विश्व स्तर पर योग्यता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) के प्रत्युत्तर में, आरईसीटीपीसीएल को 28 बोलीदाताओं से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए, जिसमें विदेशी बोलीदाता भी शामिल थे । वर्तमान में, प्राप्त प्रत्युत्तर मूल्यांकनाधीन हैं तथा बोलीदाताओं की छंटनी प्रक्रिया जल्द ही पूर्ण हो जाएगी।

26.2 वर्ष 2010-11 के दौरान वित्तीय निष्पादन

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) ₹16.49 करोड़ की आय अर्जित करने में सक्षम हो गया। वर्ष के दौरान, कर-पूर्व लाभ तथा कर-उपरांत लाभ क्रमशः ₹16.34 करोड़ तथा ₹10.92 करोड़ था। आरईसीटीपीसीएल की निवल संपत्ति ₹30.77 करोड़ तक पहुंच गयी है, जबकि आरईसी द्वारा प्रारंभ में प्रदान की गयी पूंजी ₹0.05 करोड़ थी।

26.3 आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

26.3.1 वर्ष के दौरान आरईसीपीडीसीएल ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और फीडर नवीकरण कार्यक्रम (एफआरपी) निर्माण के तहत क्रमशः 24,136 वोल्टेजों तथा 1,617 फीडरों के अन्य पक्ष निरीक्षण (टीपीआई) की उपलब्धि हासिल की। कंपनी ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 13 वितरण कंपनियों में 17,500 से अधिक वितरण ट्रांसफार्मरों का सामग्री निरीक्षण तथा उत्तर हरियाणा बिजली विद्युत निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएन) की उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली का सामग्री निरीक्षण किया।

26.3.2 आरईसीपीडीसीएल ने, 31 नगरों के लिए (उत्तर हरियाणा बिजली विद्युत निगम लिमिटेड हेतु 20 तथा दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम हेतु 11) पुनर्संरचित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी भाग-ख) हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की हैं।

26.3.3 कंपनी ने नई पहलों यथा एचवीडीएस का टीपीआई कार्य, ऊर्जा लेखापरीक्षा, वितरण नेटवर्क में ऊर्जा लेखांकन एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा का कार्यान्वयन करने तथा ऋणदाता इंजीनियर के नियत कार्य द्वारा अपने कारोबार की सीमा में विस्तार कर दिया है। वर्ष 2010-11 के दौरान, कंपनी ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ, नोएडा कैम्पस और राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली में ऊर्जा लेखापरीक्षा आयोजित की।

26.3.4 लाइसेंस क्षेत्र में विद्युत वितरण का कारोबार करने के लिए कंपनी ने मैसर्स नार्थ दिल्ली पॉवर लिमिटेड (एनडीपीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन भी संपन्न किया है । इस नई पहल से 66केवी तथा उससे कम स्तर के वितरण नेटवर्क को प्रोन्नत, विकसित, निर्माण, वितरण और अनुरक्षण करने के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में कंपनी को सहायता मिलेगी।

26.4 वर्ष 2010-11 के दौरान वित्तीय निष्पादनः

26.4.1 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान, आरईसीपीडीसीएल 20.44 करोड़ की सकल आय प्राप्त करने में सक्षम हुआ तथा कर-पूर्व लाभ और कर-उपरांत लाभ क्रमशः ₹6.16 करोड़ तथा ₹4.04 करोड़ था।

26.4.2 इस वर्ष कंपनी की निवल संपत्ति दुगुनी हो गयी तथा ₹8.15 करोड़ तक पहुंच गयी, जबकि आरईसी द्वारा प्रारंभ में प्रदान की गयी पूंजी ₹0.05 करोड़ थी। वर्ष के लिए, निदेशक मंडल ने वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन पर आधारित, सम मूल्य पर 100% की दर से लाभांश देने का प्रस्ताव किया है।

27. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अधीन कंपनी कर्मचारियों का ब्योरा

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के साथ पठित कंपनी (कर्मचारियों का ब्योरा) नियम, 1975 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना निम्नवत हैः

नाम	ड्यूटी की प्रकृति	योग्यता एवं कर्मचारी का अनुभव	रोजगार के प्रारंभ होने का ब्योरा	आयु (वर्ष)	पारिश्रमिक (₹)	पिछले रोजगार का ब्योरा	अभ्युक्ति
श्री गुलजीत कपूर	निदेशक (तक.)	वैद्युत इंजी. में स्नातक उपाधि, 39 वर्ष	14/09/2005	60	75,06,591.00	मैसर्स पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.03.2011 को सेवानिवृत्त

28. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अनुसरण में आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

(i) 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते तैयार करने के लिए लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है और महत्वपूर्ण विचलनों के बारे में उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;

(ii) निदेशकों ने कंपनी को उक्त अवधि के लाभ तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कामकाज के बारे में सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देने के लिए ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत तरीके से लागू किया तथा ऐसे फैसले एवं आकलन किए हैं, जो विवेकपूर्ण हैं;

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने एवं धोखेबाजी तथा अनियमितताओं का निवारण करने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुरूप यथेष्ट लेखा अभिलेख के अनुरक्षण पर यथोचित ध्यान दिया है;

(iv) वार्षिक खाते कार्यरत प्रतिष्ठान के आधार पर (ऑन-गोइंग कंसर्न बेसिस) तैयार किए गए हैं ।

29. निगमित सुशासन में अभिनव पहल

29.1 निगमित सुशासन में अभिनव पहल के रूप में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार ने अपने क्रमशः दिनांक 21 और 29 अप्रैल, 2011 के परिपत्र संख्या 17/2011 तथा 18/2011 के द्वारा कंपनियों को अपने शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से सरकारी नोटिस/दस्तावेज भेजने की अनुमति दे दी है।

29.2 एक उत्तरदायी कारपोरेट नागरिक के रूप में, आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक, वार्षिक रिपोर्ट (लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इत्यादि) के नोटिस जैसे दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भेजने के लिए अपने शेयरधारकों की सहमति/असहमति जानने के लिए भी पहलात्मक कार्रवाई की है। तदनुसार, आरईसी के पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरएंडटीए)/निक्षेपागार सहभागी, कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के पास पहले से ई-मेल पंजीकृत 1,13,790 शेयरधारकों को ई-मेल भेजी गयीं। इस नई पहल को भारी समर्थन प्राप्त हुआ और वर्ष 2010-11 हेतु वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रानिक पद्धति से सुपुर्दगी करने के लिए 84,852 शेयरधारकों ने विकल्प का चुनाव किया। तदनुसार, इन शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 ई-मेल के जरिए भेजी जा रही है। वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध रहेगी।

29.3 यह पुनः अवगत कराया जाता है कि इन दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी के विकल्प का प्रयोग करने वाले सदस्यों सहित किसी सदस्य से मांग प्राप्त होने पर कंपनी का प्रत्येक सदस्य कंपनी के तुलनपत्र तथा उसके साथ संलग्न किए जाने वाले विधिपरक अन्य अपेक्षित दस्तावेजों तथा कंपनी के लाभ एवं हानि खाते और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति को निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार है।

30. निदेशक मंडल

30.1 आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की संयोजन वर्तमान संरचना निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्तमान नियुक्ति की तारीख
1.	श्री हरि दास खुंटेटा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	16.04.2011
2.	श्री हरि दास खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	05.05.2004
3.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	02.05.2011
4.	श्री देवेन्द्र सिंह	सरकारी नामित निदेशक	29.08.2007
5.	डॉ. देवी सिंह	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	10.06.2011
6.	डॉ. गोविन्द मारापल्ली रॉव	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	10.06.2011
7.	श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	10.06.2011

30.2 वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए:

30.2.1 डॉ.ज.मो.फाटक ने 15 जून, 2010 को आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला तथा 16 अप्रैल, 2011 को कार्यभार छोड़ दिया। इससे पहले श्री पी.उमाशंकर ने 15 जून, 2010 को आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया था।

30.2.2 नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, श्री गुलजीत कपूर, निदेशक (तकनीकी) का कार्यकाल 31 मार्च, 2011 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त (अर्थात् 60 वर्ष) करने पर 31 मार्च, 2011 को समाप्त हो गया।

30.2.3 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 10 जून, 2011 के आदेश के द्वारा, डॉ. देवी सिंह, डॉ. गोविंद मारापल्ली राव और श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन नामक तीन अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को आरईसी के निदेशक मंडल में नियुक्त किया । इस नियुक्ति की अवधि, उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, दोनों में से जो भी पहले हो, के लिए होगी।

30.2.4 नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक यथा श्री वी.एन. धूत, डॉ.एम.गोविंद राव और श्री पी.आर.बालासुब्रामणियन का तीन-वर्षीय कार्यकाल 19 दिसंबर, 2010 को समाप्त हो गया तथा 06 जनवरी, 2011 को डा.देवी सिंह का कार्यकाल समाप्त हो गया।

30.2.5 श्री राकेश जैन, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) को दिनांक 20 जनवरी, 2011 से निदेशक मंडल के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तथा 05 जुलाई, 2011 से निदेशक मंडल से इनकी सेवाएं विद्युत मंत्रालय द्वारा वापस ले ली गयीं।

30.3 कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 82 (4) के उपबंधों के अनुसार, श्री देवेन्द्र सिंह, निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त हो जाएंगे तथा उन्होंने, योग्य होने पर, स्वयं की पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्ताव रखा है ।

30.4 बोर्ड ने इच्छा व्यक्त की है कि श्री पी.उमा शंकर, डॉ.जे.एम.फाटक, श्री गुलजीत कपूर, श्री वी.एन.धूत और श्री पी.आर.बालासुब्रामणियन द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य सेवाओं के लिए उनकी गहन प्रशंसा रिकार्ड में दर्ज की जाए ।

31. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरईसी में "सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 " को लागू करने के लिए कंपनी ने आवश्यक कार्रवाई की है तथा आवेदनों की प्राप्ति तथा उनसे संबंधी जानकारी प्रेषित करने से संबंधित कार्य का समन्वय करने के लिए एक स्वतंत्र आरटीआई प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है । द्विभाषी आरटीआई पुस्तिका (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में) आरईसी की वेबसाइट पर दी गई है, जिसे आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है । वर्ष 2010-11 (09.05.2011 तक) आरटीआई से संबंधित आवेदनों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1.	आवेदन प्राप्त (09.05.2011 तक)	110
2.	आवेदनों का निपटान (09.05.2011 तक)	108
3.	बाद में निपटाये गये आवेदन	2
4.	अपीलीय प्राधिकारी,आरईसी द्वारा प्राप्त अपीलें	2
5.	अपीलीय प्राधिकारी,आरईसी द्वारा निपटायी गईं अपीलें	2
6.	सीआईसी से प्राप्त अपीलें	1
7.	सीआईसी द्वारा निपटायी गईं अपीलें	1

आरईसी में सूचना का अधिकार तंत्र

कारपोरेट कार्यालय :

(क) सहायक जन सूचना अधिकारी
श्री ए.के.माथुर
मुख्य प्रबंधक (विधि)

(ख) जन सूचना अधिकारी
श्री आर.के.मित्तल
महाप्रबंधक (विधि)

(ग) अपीलीय प्राधिकारी
श्री बी.पी.यादव
कार्यकारी निदेशक

32. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न हैं।

33. सांविधिक एवं अन्य आवश्यक सूचनाएं

कंपनी अधिनियम, 1956 स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण अनुबंध, सरकारी दिशानिर्देशों आदि के अनुसार भेजी जाने वाली अपेक्षित सूचना, इस रिपोर्ट के साथ निम्नानुसार संलग्न है:-

विवरण	संलग्नक
प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	I
निगमित सुशासन के अनुपालन में कंपनी की रिपोर्ट	II
कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी निगमित सुशासन पर कंपनी की रिपोर्ट	III
कंपनी के सचिवालयी लेखापरीक्षकों द्वारा जारी सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	IV
अनुषंगी कंपनियों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 (1) (च) के अनुवर्ती विवरण	V

34. सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने मैसर्स के.जी.सोमानी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली तथा मैसर्स बंसल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को आपकी कंपनी का वर्ष 2010-11 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है । संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के खातों की लेखापरीक्षा कर ली है । रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जा रहे हैं:-

क) 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित खाते और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट;

ख) कंपनी और उसकी अनुषंगी कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट;

ग) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट;

घ) 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित खाते और नकद प्रवाह विवरण;

च) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित एनबीएफसी कंपनियों के लिए लेखापरीक्षित तुलनपत्र और उनके साथ नत्थी किए जाने वाला संलग्नक;

छ) 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण।

34.1 संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की आपत्तियों/टिप्पणियों के प्रत्युत्तर

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (3) के अनुसार, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की मद संख्या-3 में संदर्भित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संलग्नक के अनुच्छेद (IV) में संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के लिए सूचना/स्पष्टीकरण को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
"हमारी राय में और हमे दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, अचल संपत्तियों की खरीद हेतु और वित्तीय सेवाओं के लिए आंतरिक नियंत्रण कारपोरेशन के आकार और इसके कारोबार की प्रकृति के अनुरूप हैं। हालांकि, कुछ निश्चित क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रणों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जैसे विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित अनुदानों/सब्सिडियों का उपयोग; दिए गए ऋणों के बदले में लगाए गए प्रभारों के लिए खोज रिपोर्ट प्राप्त करने, ऋण परिसंपत्तियों के पुनःअनुसूचीकरण के समय परिशोधित परियोजना की व्यवहार्यता अभिनिश्चित करने सहित विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों/वितरण कंपनियों/ट्रांसकोस/जेनकॉस को दिए गए ऋणों की मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण; ऋण परिसंपत्तियों की पुनः समय-सारणी तैयार करते समय संशोधित परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करना; ऋण परिसंपत्तियों पर बेहतर नियंत्रण बनाये रखने के लिए ईआरपी में ऋण मोड्यूल से विभिन्न रिपोर्टों का सृजन । लेखापरीक्षा किए जाने के दौरान, हमने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी प्रमुख विफलता को नहीं देखा है"।	"उक्त क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण को और सुदृढ़ बनाये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं"।

35. सचिवालयी लेखापरीक्षक

वित्तीय वर्ष 2010-11 की सचिवालयी लेखापरीक्षा करने के लिए आपकी कंपनी के सचिवालयी लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स, नई दिल्ली को नियुक्त किया गया है। सचिवालयी लेखापरीक्षा की एक प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

36. आभार

निदेशकगण विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति उनके सतत् सहयोग, समर्थन और कंपनी के कार्यों और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करते हैं।

निदेशकगण राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों और अन्य ऋण लेने वालों के प्रति कंपनी में निरंतर रूचि और विश्वास बनाए रखने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं।

निदेशक आरईसी बांडों के सम्मानित निवेशकों, कंपनी के निधि संग्रहण कार्यक्रमों में बैंकों, जीवन बीमा निगम, जर्मनी के केएफडब्ल्यू तथा जापान के जेआईसीए के सतत् सदभाव की सराहना करते हैं।

निदेशकगण संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों मैसर्स के.जी.सोमानी एंड कंपनी और मैसर्स बंसल एंड कंपनी तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण लगातार उत्कृष्ट निष्पादन करने के लिए कंपनी के संचालन में सभी स्तर पर कंपनी के कर्मचारियों को, उनके समर्पित प्रयासों और मूल्यवान योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं तथा उनकी सराहना करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(हरि दास खुंटेटा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली
15 जुलाई, 2011

सारणी-1 : आरईसी द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के तहत वर्ष 2010-11 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

(₹ लाख में)

क्रमांक	राज्य	परियोजनाओं की सं.	ऋण राशि
क.	**टी एंड डी परियोजनाएं**		
1	आंध्र प्रदेश	67	128303.30
2	छत्तीसगढ़	16	90792.29
3	हरियाणा	54	126149.06
4	हिमाचल प्रदेश	49	46589.62
5	कर्नाटक	57	62686.24
6	मध्य प्रदेश	82	390420.66
7	महाराष्ट्र	41	207668.08
8	उड़ीसा	5	18371.30
9	पंजाब	24	127951.26
10	राजस्थान	48	759686.79
11	तमिलनाडु	30	72081.37
12	उत्तर प्रदेश	94	159529.47
13	उत्तरांचल	2	10683.09
	उप-योग (क)	**569**	**2200912.52**
ख.	**उत्पादन परियोजनाएं**		
1	आंध्र प्रदेश	5	624950.00
2	अरूणाचल प्रदेश*	0	70000.00
3	छत्तीसगढ़*	3	355163.00
4	गुजरात*	0	60000.00
5	हिमाचल प्रदेश*	0	12500.00
6	कर्नाटक	2	731200.00
7	महाराष्ट्र*	3	819890.00
8	उड़ीसा*	3	270700.00
9	पंजाब	1	720.00
10	राजस्थान	3	531824.00
11	तमिलनाडु	3	354800.00
12	उत्तराखंड*	0	19400.00
13	पश्चिम बंगाल	1	158953.00
	उप-योग (ख)	**24**	**4010100.00**
ग.	**डीडीजी - नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं**		
1	अरूणाचल प्रदेश	1	714.00
2	गुजरात	2	7020.00
3	हिमाचल प्रदेश*	1	8396.00
	उप-योग (ग)	**4**	**16130.00**
घ.	**डीडीजी- आरजीजीवीवाई के तहत**		
1	छत्तीसगढ़	19	1052.67
2	उत्तराखंड	1	270.56
3	पश्चिम बंगाल	9	9934.48
	उप-योग (घ)	**29**	**11257.71**
च.	**डीडीजी-सौर परियोजनाएं**		
1	आंध्र प्रदेश	1	1180
2	महाराष्ट्र	1	5496
3	उड़ीसा	1	1196
4	राजस्थान	3	15069
	उप-योग (च)	**6**	**22941.00**
छ.	**अल्पकालिक ऋण**		
1	छत्तीसगढ़	1	15000.00
2	पंजाब	2	50000.00
3	राजस्थान	1	30000.00
4	तमिलनाडु	6	150000.00
5	उत्तर प्रदेश	8	80000.00
6	उत्तराखंड	2	35800.00
	उप-योग (छ)	**20**	**360800.00**
ज.	**आईसी एवं डी परियोजनाएं**		
1	आंध्र प्रदेश	6	13349.54
2	हरियाणा	0	6507.00
	उप-योग (ज)	**6**	**19856.54**
	समग्र योग (क+ख+ग+घ+च+छ+ज)	**658**	**6641997.77**

*पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त ऋण सहायता शामिल है ।

सारणी-2 : आरईसी द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के तहत वर्ष 2010-11 के दौरान श्रेणीवार स्वीकृत परियोजनाएं

(₹ लाख में)

क्र.सं.	श्रेणी	श्रेणी कोड	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि
क.	टी एंड डी परियोजनाएं			
1	परियोजनाः गहन विद्युतीकरण	पी:आईई	13	14821.10
2	विशेष परियोजना कृषिः पंपसेट ऊर्जायन	एसपीए:पीई	76	156255.36
3	परियोजनाः तंत्र सुधार	पी:एसआई-वितरण	221	653158.61
4	परियोजनाः तंत्र सुधार	पी:एसआई-वितरण (एचवीडीएस)	30	194009.36
5	एपीडीआरपी	एपीडीआरपी	72	101725.55
6	परियोजनाः तंत्र सुधार : बल्क ऋण	पी:एसआई:बल्क	62	155425.83
7	परियोजना तंत्र सुधारः पारेषण	पी:एसआई-पारेषण	95	925516.72
	उप-योग (क)		**569**	**2200912.52**
ख.	परियोजनाः उत्पादन	पी:उत्पादन	24	4010100.00
ग.	परियोजनाः डीडीजी-नवीकरणीय ऊर्जा	पी:डीडीजी-नवीकरणीय ऊर्जा	4	16130.00
घ.	परियोजनाःडीडीजी-आरजीजीवीवाई	पी:डीडीजी-आरजीजीवीवाई	29	11257.71
च.	परियोजनाः डीडीजी-सौर	पी:डीडीजी-सौर	6	22941.00
छ.	अल्पकालिक ऋण	एसटीएल	20	360800.00
ज.	परियोजनाःआईसीएंडडी	पी:आईसीएंडडी	6	19856.54
	समग्र योग (क+ख+ग+घ+च+छ+ज)		**658**	**6641997.77**

सारणी-3 : वर्ष 2010-11 तक आरईसी परियोजनाओं के तहत राज्यवार संचयी स्वीकृतियां

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2001-02 तक		10वीं योजना		11वीं योजना (2010-11 तक)		2010-11 तक संचयी	
		परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि
1	आंध्र प्रदेश	4810	440263	1104	1209532	317	733306	6231	2383101
2	अरूणाचल प्रदेश	159	29954	54	104020	16	73949	229	207923
3	असम	393	32984	33	30404	20	150197	446	213585
4	बिहार	1664	55272	73	189857	21	571529	1758	816658
5	छत्तीसगढ़	0	0	22	516315	57	453764	79	970079
6	दिल्ली	2	817	6	47323	1	363707	9	411847
7	गोवा	16	2007	0	0	0	0	16	2007
8	गुजरात	1784	253470	124	527966	40	716632	1948	1498068
9	हरियाणा	1209	116989	148	395304	204	802105	1561	1314398
10	हिमाचल प्रदेश	419	52240	37	116177	96	148227	552	316644
11	जम्मू व कश्मीर	500	67243	34	93792	65	160965	599	321999
12	झारखंड	0	0	27	147602	12	255581	39	403183
13	कर्नाटक	2384	307390	472	388445	132	1199540	2988	1895375
14	केरल	1454	242741	297	241884	13	95914	1764	580539
15	मध्य प्रदेश	5111	236175	133	235711	127	752154	5371	1224040
16	महाराष्ट्र	4602	440595	833	1516910	256	2077304	5691	4034809
17	मणिपुर	146	20696	3	9463	2	9169	151	39328
18	मेघालय	105	19351	4	31571	10	44645	119	95567
19	मिजोरम	46	7879	24	20360	7	14343	77	42582
20	नागालैंड	71	7791	23	5648	22	18474	116	31914
21	उड़ीसा	1624	77691	21	120627	55	408199	1700	606517
22	पंजाब	1303	259737	216	657148	109	935188	1628	1852073
23	राजस्थान	3012	382940	597	556042	324	2454396	3933	3393377
24	सिक्किम	36	2910	4	5626	2	3101	42	11637
25	तमिलनाडु एवं पुदुचेरी	3003	175458	597	380610	224	2354781	3824	2910848
26	त्रिपुरा	172	15732	6	36374	3	11189	181	63295
27	उत्तर प्रदेश	3027	223840	102	670277	279	1410880	3408	2304997
28	उत्तरांचल	0	0	84	306792	12	160112	96	466904
29	पश्चिम बंगाल	1256	59750	198	442875	43	912937	1497	1415562
30	पुदुचेरी -संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	2	12507	2	12507
31	पारेषण एवं वितरण निजी	0	0	9	4955	10	107085	19	112040
32	उत्पादन निजी	6	3347	19	602003	52	4031868	77	4637218
	योग	**38314**	**3535262**	**5304**	**9611614**	**2533**	**21443746**	**46151**	**34590622**

टिप्पणीः ऋण राशि में आरजीजीवीवाई पूंजी सब्सिडी और ऋण शामिल है ।

सारणी-4 : वर्ष 2010-11 के दौरान राज्यवार एवं कार्यक्रम-वार संवितरण तथा कर्जदारों द्वारा अदायगी और 31.03.2011 को बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्रमांक	राज्य का नाम	पारेषण एवं वितरण	विद्युत उत्पादन	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	एसटीएल/ ऋण पुनर्वितपोषण	वर्ष 2010-11 के लिए कुल संवितरण	वर्ष के अंत तक संवितरित राशि	अदायगी		वर्ष 2010-11 के अंत में बकाया राशि
								वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	
1	आंध्र प्रदेश	81938	47899	1320	0	131157	1570507	81028	720415	850092
2	अरूणाचल प्रदेश	792	0	0	0	792	23389	186	14029	9360
3	असम	0	0	6976	0	6976	44846	0	26477	18369
4	बिहार	0	0	6033	0	6033	71087	2368	24716	46371
5	छत्तीसगढ़	2338	21135	0	0	23473	334288	27639	106915	227373
6	गोवा	0	0	0	0	0	1479	0	1479	0
7	गुजरात	0	0	473	0	473	643152	150075	614159	28993
8	हरियाणा	112938	22462	287	0	135687	761027	65021	231515	529512
9	हिमाचल प्रदेश	11065	28881	608	0	40554	250320	9202	104959	145361
10	जम्मू व कश्मीर	2851	0	675	0	3526	118557	6827	54261	64296
11	झारखंड	5200	28990	1727	0	35917	170674	0	15334	155340
12	कर्नाटक	2599	0	707	0	3306	420563	12245	296401	124162
13	केरल	0	0	301	0	301	371723	28694	335721	36002
14	मध्य प्रदेश	50362	46246	3249	0	99857	363625	10976	157014	206611
15	महाराष्ट्र	229990	281950	1478	0	513418	2049609	41235	661042	1388567
16	मणिपुर	0	0	998	0	998	17444	31	3126	14318
17	मेघालय	0	0	904	0	904	43559	58	12279	31280
18	मिजोरम	0	375	799	0	1174	26519	2911	18064	8455
19	नागालैंड	986	0	649	0	1635	19328	584	7488	11840
20	उड़ीसा	845	8282	6276	0	15403	154282	468	92472	61810
21	पंजाब	132003	17544	0	50000	199547	1043882	77469	486781	557101
22	राजस्थान	157804	7000	927	0	165731	1477438	65392	580896	896542
23	सिक्किम	0	72246	443	0	72689	196619	152	3131	193488
24	तमिलनाडु	58918	310382	47	150000	519347	1469995	129531	365795	1104200
25	त्रिपुरा	0	0	470	0	470	12341	0	11055	1286
26	उत्तर प्रदेश	64391	139372	413	80000	284176	1244327	115216	555663	688664
27	उत्तरांचल	8243	40713	0	31200	80156	332161	36009	84419	247742
28	पश्चिम बंगाल	307	101915	6006	0	108228	569487	13941	45799	523688
29	विंड एनर्जी	0	0	0	0	0	3013	0	1291	1722
	योग	**923570**	**1175392**	**41766**	**311200**	**2451928**	**13805241**	**877258**	**5632696**	**8172545**
	आरजीजीवीवाई सब्सिडी					399783				
	समग्र योग					**2851711**				

सारणी-5 : वर्ष 2010-11 के दौरान आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के अधीन ऊर्जायित पंपसेट एवं 31.3.2011 को संचयी स्थिति

(अनंतिम)

क्रमांक	राज्य	2010-11 के दौरान उपलब्धियां (संख्या)	31.03.2011 तक संचयी उपलब्धियां (संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	73197	1896430
2	अरूणाचल प्रदेश	-	-
3	असम	-	1922
4	बिहार	-	113354
5	दिल्ली	-	-
6	गोवा	-	-
7	गुजरात	-	420456
8	हरियाणा	940	231181
9	हिमाचल प्रदेश	-	5935
10	जम्मू व कश्मीर	804	13513
11	झारखंड	-	-
12	कर्नाटक	-	862387
13	केरल	-	340882
14	मध्य प्रदेश	-	1054106
15	छत्तीसगढ़	-	-
16	महाराष्ट्र	214142	2104610
17	मणिपुर	-	29
18	मेघालय	-	58
19	मिजोरम	-	-
20	नागालैंड	-	164
21	उड़ीसा	-	63015
22	पंजाब	66	501913
23	राजस्थान	3353	494428
24	सिक्किम	-	-
25	तमिलनाडु	25674	1100767
26	त्रिपुरा	-	1530
27	उत्तर प्रदेश	-	379544
28	उत्तरांचल	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	82202
	योग	**318176**	**9668426**

सारणी 6 : आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	शामिल अविद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल बीपीएल आवासों की संख्या	स्वीकृत कुल परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	26	22	0	2592140	840.09
2	अरूणाचल प्रदेश	16	16	2129	40810	537.69
3	असम	23	23	8525	991656	1659.99
4	बिहार	43	38	23211	2762455	2975.89
5	छत्तीसगढ़	14	14	1132	777165	1105.21
6	गुजरात	25	25	0	955150	360.43
7	हरियाणा	18	18	0	224073	197.40
8	हिमाचल प्रदेश	12	12	93	12448	205.25
9	जम्मू व कश्मीर	14	14	283	136730	635.93
10	झारखंड	22	22	19737	1691797	2662.61
11	कर्नाटक	25	25	132	891939	600.10
12	केरल	7	7	0	56351	134.32
13	मध्य प्रदेश	32	32	806	1376242	1528.88
14	महाराष्ट्र	34	34	6	1876391	713.44
15	मणिपुर	9	9	882	107369	357.79
16	मेघालय	7	7	1943	116447	290.41
17	मिजोरम	8	8	137	27417	104.25
18	नागालैंड	11	11	105	69900	111.17
19	उड़ीसा	31	30	17895	3185863	3575.11
20	पंजाब	17	17	0	148860	154.59
21	राजस्थान	40	33	4454	1750118	1254.49
22	सिक्किम	4	4	25	11458	57.10
23	तमिलनाडु	26	26	0	545511	447.41
24	त्रिपुरा	4	4	160	194730	131.46
25	उत्तर प्रदेश	64	65	30802	1120648	2719.51
26	उत्तरांचल	13	13	1469	281615	643.89
27	पश्चिम बंगाल	28	17	4573	2699734	2344.63
	योग	**573**	**546**	**118499**	**24645017**	**26349.03**

सारणी-7 : आरजीजीवीवाई के अंतर्गत संचयी उपलब्धियों का राज्यवार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य	2009-10 तक उपलब्धि		2010-11 में उपलब्धि		संचयी उपलब्धि	
		अविद्युतीकृत गांव	बीपीएल आवास	अविद्युतीकृत गांव	बीपीएल आवास	अविद्युतीकृत गांव	बीपीएल आवास
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	0	2345290	0	258751	0	2604041
2	अरूणाचल प्रदेश	215	967	464	9205	679	10172
3	असम	1933	222534	4086	352237	6019	574771
4	बिहार	19044	1103082	1937	641016	20981	1744098
5	छत्तीसगढ़	98	236884	77	196552	175	433436
6	गुजरात	0	280558	0	420126	0	700684
7	हरियाणा	0	93290	0	90535	0	183825
8	हिमाचल प्रदेश	0	540	26	3637	26	4177
9	जम्मू व कश्मीर	68	22149	45	8452	113	30601
10	झारखंड	13280	801945	3901	359213	17181	1161158
11	कर्नाटक	58	735731	1	48861	59	784592
12	केरल	0	16121	0	1117	0	17238
13	मध्य प्रदेश	89	152602	187	211816	276	364418
14	महाराष्ट्र	0	631028	0	403387	0	1034415
15	मणिपुर	128	4996	143	4397	271	9393
16	मेघालय	137	19096	13	12880	150	31976
17	मिजोरम	0	378	36	8129	36	8507
18	नागालैंड	14	4368	43	13434	57	17802
19	उड़ीसा	7297	794806	5890	1435007	13187	2229813
20	पंजाब	0	19507	0	28890	0	48397
21	राजस्थान	2559	701800	1258	255939	3817	957739
22	सिक्किम	0	66	20	7121	20	7187
23	त्रिपुरा	13	22085	65	36886	78	58971
24	तमिलनाडु	0	383829	0	115044	0	498873
25	उत्तर प्रदेश	27736	856102	23	15818	27759	871920
26	उत्तरांचल	1481	205674	28	19596	1509	225270
27	पश्चिम बंगाल	4106	441598	63	925309	4169	1366907
	योग	**78256**	**10097026**	**18306**	**5883355**	**96562**	**15980381**

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

(सूचीकरण करार के खंड 49 (IV) (एफ)के अनुसरण में)

कंपनी प्रबंधन को, वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन सहित औद्योगिक परिदृश्य पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है ।

1. औद्योगिक ढांचा

उद्योग सिंहावलोकन

वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान विद्युत ऊर्जा उत्पादन में 5.55% वृद्धि हुई है, जोकि दीर्घकालिक वार्षिक विकास दर से थोड़ी ज्यादा थी। [वर्ष 2001-02 से 2010-11 की अवधि के दौरान 5.17% सीएजीआर] वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन 811.1 बीयू थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 768.4 बीयू थी। वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान ऊर्जा की कुल कमी 8.5% थी, जबकि उच्चतम कमी 10.3% थी। भारत का विद्युत क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से बिजली के अभाव से घिरा रहा है। वित्तीय वर्ष 2010 में, ऊर्जा की कमी 10.1% थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2009 में यह 11.1% तथा वित्तीय वर्ष 2008 में 9.9% थी। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष में उच्चतम कमी 12.7% थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2009 में यह 12.0% तथा वित्तीय वर्ष 2008 में 16.6% थी।

वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में 12160 मेगावॉट की अभिवृद्धि हुई तथा 31 मार्च, 2011 के अनुसार कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 173,626 मेगावॉट तक पहुंच गयी है। योजना आयोग के अनुसार, वर्ष 2032 तक 8.0% की आर्थिक वृद्धि दर को बनाये रखने के लिए, भारत को अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता को कई गुणा बढ़ाना होगा, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2032 तक लगभग 8,00,000 मेगावॉट तक विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होगा।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है, हालांकि लक्ष्यों के प्राप्ति स्तर की तुलना में यह उपलब्धि कम है। 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान क्षमता अभिवृद्धि 19,015 मेगावॉट (लक्ष्य का 47.5%) हासिल किया गया तथा 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान क्षमता अभिवृद्धि 21,180 मेगावॉट (लक्ष्य का 51.6%) हासिल किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) हेतु विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए मध्यकालिक मूल्यांकन लक्ष्य 62374 मेगावॉट (पूर्व में लक्ष्य 78,700 मेगावॉट था) है, जिसमें से 31 मार्च, 2011 तक 34,462 मेगावॉट (वर्तमान लक्ष्य का 55.2% अर्थात 62374) को हासिल किया जा चुका है, जबकि योजना के समाप्त होने में अभी एक वर्ष बाकी है।

भारत सरकार की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (वित्तीय वर्ष 2008 से वित्तीय वर्ष 2012 तक) के लिए विद्युत पर कार्य दल रिपोर्ट के अनुसार, विद्युत क्षेत्र के लिए निधियों की समग्र आवश्यकता अनुमानित रूप से ₹10,31,600 करोड़ है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अनुमान किया है कि, बारहवीं योजना अवधि के लिए वर्ष 2017 तक अनुमानित विद्युत मांग अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, 1,00,000 मेगावॉट के विद्युत उत्पादन अभिवृद्धि की आवश्यकता होगी; तथा अभिवृद्धि से मेल खाती पारेषण और वितरण प्रणाली अपेक्षित है। योजना अवधि के लिए कुल निधि ₹11,00,000 करोड़ की आवश्यकता होगी।

विद्युत उत्पादन

31 मार्च, 2011 के अनुसार देश में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 1,73,626 मेगावॉट है, जिसमें से राज्य क्षेत्र की 82,452 मेगावॉट (47.49%), केंद्रीय क्षेत्र की 54,413 मेगावॉट (31.34%) तथा निजी क्षेत्र की 36,761 मेगावॉट (21.17%) है।

क्षेत्र	31.03.2011 के अनुसार संस्थापित क्षमता (मेगावॉट)	31.03.2010 के अनुसार संस्थापित क्षमता (मेगावॉट)
राज्य	**82452**	79391
केंद्र	**54413**	50993
निजी	**36761**	29014
योग	**173626**	**159398**

उपर्युक्त के अलावा 19,509 मेगावॉट का कैप्टिव विद्युत उत्पादन, ग्रिड के साथ संयोजित है। 31 मार्च, 2011 के अनुसार श्रेणीवार विद्युत उत्पादन क्षमता थर्मल में 1,12,824.5 मेगावॉट (65%), न्यूक्लियर में 4,780 मेगावॉट (2.8%), हाइड्रो में 37,567 मेगावॉट (21.6%) तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में 18,454.5 मेगावॉट (10.6%) थी।

पारेषण एवं वितरण

पारेषण

भारत में, पारेषण और वितरण प्रणाली एक त्रि-स्तरीय संरचना है जिसमें क्षेत्रीय ग्रिड, राज्य ग्रिड और वितरण नेटवर्क शामिल है। पांच क्षेत्रीय ग्रिड भौगोलिक निकटता के आधार पर संरूपित है, जिससे बिजली को एक विद्युत अधिशेष राज्य से विद्युत की कमी वाले राज्य में अंतरित किया जा सके। क्षेत्रीय ग्रिड अनुरक्षण के अनुकूल अनुसूचीकरण तथा विद्युत संयंत्रों के बीच बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान करते हैं। इन क्षेत्रीय ग्रिडों को राष्ट्रीय ग्रिड बनाने के लिए धीरे-धीरे एकीकृत किया जाएगा, जिसमें एक क्षेत्र में अधिशेष विद्युत को विद्युत की कमी का सामना कर रहे दूसरे क्षेत्र में अनुप्रेषित किया जाएगा, परिणामस्वरूप राष्ट्रीय विद्युत उत्पादन क्षमता का और अधिक अनुकूलतम उपयोग हो सकेगा। वित्तीय वर्ष 2011 के अंत में, पारेषण लाइनों की समग्र रूप से कुल लंबाई लगभग 2.55 लाख सर्किट किलोमीटर हो गयी है, जबकि पिछले वर्ष की समाप्ति पर यह लगभग 2.36 लाख सर्किट किलोमीटर थी।

संस्थापित पारेषण लाइन प्रणाली का ब्योरा निम्नलिखित सारणी के अनुसार है:

पारेषण लाइन सर्किट किलोमीटर	31.03.2011 के अनुसार सर्किट किलोमीटर	31.03.2010 के अनुसार सर्किट किलोमीटर	वृद्धि
765 केवी	**4641**	3563	1078
400 केवी	**106333**	97353	8980
220 केवी	**134638**	128099	6539
+/- 500 केवी एचवीडीसी	**8924**	7452	1472
योग	**254536**	**236467**	**18069**

वित्तीय वर्ष 2011 के अंत में, समग्र सबस्टेशन ट्रांसफार्मेशन क्षमता 765 केवी, 400 केवी तथा 200 केवी स्तर से 3.45 लाख एमवीए हो गयी है। वित्तीय वर्ष 2010 में, समग्र क्षमता 3.11 लाख एमवीए थी।

सब-स्टेशन (एमवीए)	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार	वृद्धि
765 केवी	**4500**	4500	0
400 केवी	**133862**	116427	17435
220 केवी	**207151**	189125	18026
+/- 500 केवी एचवीडीसी कनवर्टर	**0**	0	0
बीटीबी स्टेशन कनवर्टर टर्मिनल (मेवा)	**11200**	8700	2500

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रणाली विकास और संबंधित योजनाओं के लिए निवेश का अनुमान ₹1,40,000 करोड़ है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के लिए ₹75,000 करोड़ और राज्य क्षेत्र के लिए ₹65,000 करोड़ की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्राक्कलन के अनुसार 12वीं योजना में, पारेषण क्षेत्र के लिए लगभग ₹2,40,000 करोड़ की निधि की आवश्यकता होगी, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र का हिस्सा ₹1,40,000 करोड़ और राज्य क्षेत्र का हिस्सा ₹1,00,000 करोड़ है।

पारेषण प्रणाली के विकास में समुचित अंतर-क्षेत्रीय तथा अंतरा-क्षेत्रीय पारेषण उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि एक सशक्त अखिल भारतीय ग्रिड बनाने की दिशा में राष्ट्रीय ग्रिड नेटवर्क को समेकित और सुदृढ़ बनाया जा सके। भारत सरकार की पारेषण परिप्रेक्ष्य योजनाओं में, वर्ष 2012 तक 60,000 सर्किट किलोमीटर से अधिक के पारेषण नेटवर्क की एक चरणबद्ध तरीके से वृद्धि करके एक राष्ट्रीय ग्रिड तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

वितरण

समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षतियों का मुकाबला करने के लिए तथा विद्युत उत्पादन एवं पारेषण में उर्ध्वगामी द्वारा बाध्य करने पर भारतीय विद्युत वितरण प्रणाली शहरी और ग्रामीण वितरण नेटवर्कों के लिए केंद्र सरकार की दो योजनाओं - एपीडीआरपी एवं आरजीजीवीवाई द्वारा उत्प्रेरित, उद्यमशील परिवर्तनाधीन है।

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली विकास के लिए कुल निधि आवश्यकता के रूप में ₹2,87,000 करोड़ का अनुमान लगाया गया है, जिसमें त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना(आरजीजीवीवाई) की स्कीमें भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण प्राक्कलन के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में वितरण क्षेत्र के लिए कुल निधि की आवश्यकता ₹3,71,000 करोड़ है।

राज्य विद्युत बोर्डों तथा राज्य सरकार की यूटिलिटियों के सीमित संसाधनों के मामले और वितरण नेटवर्क को अद्यतन करने के लिए उनकी असमर्थता की समस्या का समाधान आर-एपीडीआरपी योजना (पुनर्गठित एपीडीआरपी) में रखा गया है। आर-एपीडीआरपी में अब क्षतियों में निरंतर कमी के रूप में वास्तविक, प्रदर्शनीय कार्य-निष्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसमें 30,000 (विशेष श्रेणी के राज्यों में 10,000) से अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों अर्थात् कस्बों और नगरों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, अधिक मांग के गहन जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ उच्च लोड में घरेलू और औद्योगिक फीडरों को कृषि के फीडरों से पृथक किया जाएगा। उच्च वोल्टता वाली वितरण प्रणाली (11केवी) भी शुरू की जाएगी। आर-एपीडीआरपी के **भाग-क** का उद्देश्य परियोजना क्षेत्र के लिए आधारभूत डेटा तैयार करना है, जिसमें उपभोक्ता सूचीकरण, जीआईएस मैपिंग, वितरण ट्रांसफार्मरों और फीडरों की मीटरिंग और सभी वितरण ट्रांसफार्मरों और फीडरों के लिए स्वचालित डेटा लॉगिंग और एससीएडीए/डीएमएस प्रणाली आदि भी शामिल हैं। इसके **भाग-ख** का उद्देश्य 11केवी स्तर के सब-स्टेशनों, ट्रांसफार्मरों/ट्रांसफार्मर केंद्रों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा 11केवी के स्तर की और उससे नीचे के स्तर की लाइनों का कंडक्टर बदलना और अंतिम मील वितरण अवसंरचना का समग्र रूप से उन्नयन करना है।

भारत सरकार आर-एपीडीआरपी योजनाओं के भाग-क के लिए 100% ऋण उपलब्ध कराएगी और आर-एपीडीआरपी योजनाओं के भाग-ख के लिए 25% तक (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90% तक) ऋण उपलब्ध कराएगी, जिनके लिए निधियां पीएफसी/आरईसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। ऐसी परियोजना के भाग-क के लिए भारत सरकार के ऋण की समस्त रकम निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपेक्षित आधारभूत डेटा प्रणाली स्थापित करने के पश्चात अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दी जाएगी। भाग-ख के लिए दिए गए ऋणों की 50% तक राशि को (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90%), पांच वर्षों की एक अवधि के लिए धारणीयता पर आधारित, तृतीय पक्षकार निरीक्षण एजेंसियों द्वारा विधिवत सत्यापन किए जाने पर, परियोजना क्षेत्र में 15% तक समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षतियों को कम करने का लक्ष्य प्राप्त करने पर, पांच समान किस्तों में अनुदान के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

उच्च वितरण और समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षतियों से युक्त विभिन्न यूटिलिटियों ने अब वितरण प्रणालियों के संपूर्ण संवर्धन के लिए नवीन तकनीकों और क्रियाविधियों में निवेश करना शुरू कर दिया है, जिसका श्रेय कुछ राज्यों द्वारा बेहतर सुशासन को जाता है। फीडर पृथक्कीकरण योजना को बहुत से राज्यों द्वारा लागू किया जा रहा है, ताकि न केवल शहरी और ग्रामीण विद्युत लेखाकंन को सुधारा जाए बल्कि विद्युत की गुणता में भी वृद्धि की जा सके।

समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षतियों को कम करने के लिए यूटिलिटियां उच्च एचटी/एलटी अनुपात के साथ वितरण नेटवर्क में एचवीडीएस (उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली) का उपयोग कर रही हैं। ऊर्जा लेखांकन और वसूली दक्षता को उन्नत करने के लिए एएमआर (स्वचालित मीटर रीडिंग) जैसे स्मार्ट ऊर्जा मीटरों तथा पूर्व-भुगतान वाले मीटरों का उपयोग किया जा रहा है ताकि उपभोक्ता और यूटिलिटी के बीच अंतरापृष्ठ संप्रेषण उपलब्ध कराया जा सके। वितरण क्षेत्र अब प्रचालन और अनुरक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है, जिससे कि विश्वसनीय और गुणता विद्युत उपलब्ध कराई जा सके। सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म कुशल ऊर्जा प्रबंधन में तथा विद्युत आपूर्ति की लागत कम करने में सहायता करते हैं।

ट्रांसफार्मरों का व्यापक केंद्रीकरण वाले वितरण क्षेत्र, अब तकनीकी क्षतियों को कम करने के लिए अनाकार और बीईई प्रमाणित ट्रांसफार्मरों का उपयोग कर रहे हैं। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुसमर्थित इन तकनीकी हस्तक्षेपों के साथ क्षेत्र आगामी बड़े परिवर्तन के लिए अग्रसर है। निजी और सरकारी क्षेत्र में बहुत सी वितरण कंपनियों ने वितरण प्रणाली के कुशल प्रबंधन में उचित व्यवहारों के कार्यान्वयन के साथ अग्रवर्ती मार्ग प्रशस्त किया है। ये हस्तक्षेप वितरण क्षेत्र में कारोबार विकास में नये अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।

स्मार्ट-ग्रिड तकनीकें विश्वव्यापी विद्युत वितरण प्रणाली के भूदृश्य को धीरे-धीरे परिवर्तित कर रही हैं। उपभोक्ता और यूटिलिटी के बीच दुतरफी संपर्क व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए अभिज्ञ स्मार्ट-ग्रिड तकनीकें प्रयुक्त और प्रदान की गयी विद्युत की दिशा को पूर्ण रूप से बदल देंगी। चूंकि, भारतीय वितरण क्षेत्र विद्युत मूल्य श्रृंखला में एक

कमजोर कड़ी है, कुशल, विश्वसनीय और गुणतायुक्त विद्युत के वितरण के लिए यूटिलिटियों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली संभावित स्मार्ट-ग्रिड परियोजनाएं कारपोरेशन के लिए दीर्घकालिक कारोबारी अवसर भी प्रदान करेंगी।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि 12वीं योजना में आर्थिक विकास को सहायता देने के लिए वर्ष 2017 तक लगभग 100 गिगावॉट विद्युत उत्पादन क्षमता को आवर्धित किया जाएगा। योजना आयोग के अनुसार, 8% की एक संधारित आर्थिक वृद्धि, वर्ष 2032 तक विद्युत उत्पादन क्षमता में लगभग 685 गिगावॉट की अनुक्रमिक बढ़ोतरी करेगी।

यह बिना बताए निकल गया कि आगामी दो दशकों में विद्युत उत्पादन क्षमताओं में इन अभिवृद्धियों से एक मजबूत वितरण प्रणाली, जो इसके वर्तमान आकार और रूप से न्यूनतम चार गुणा बड़ी, जटिल और स्मार्टर होगी, की संभाव्य रूप से आवश्यकता होगी। कुशल जनशक्ति, परीक्षण उपस्करों, प्रयोगशालाओं और उपस्करों के अनुरक्षण के संदर्भ में समान रूप से विस्तृत संक्रियात्मक अवसंरचना के साथ बृहद पूंजीगत खर्च, विद्युत क्षेत्र में कारपोरेशन के लिए एक अत्यंत अनुकूल व्यवसायिक दृष्टिकोण का सृजन करेगा।

आर-एपीडीआरपी में कार्य-निष्पादन उन्मुखों के चलते वितरण ढांचे में निवेश कर प्रोत्साहन मिलने की संभावना है, जिससे वितरण ढांचे में निवेश बढ़ेगा और क्षति कम करने का उद्देश्य तेजी से प्राप्त किया जा सकेगा।

विद्युत क्षेत्र में नीति परिवेश

हाल ही के वर्षों में, विद्युत की निरंतर कमी बने रहना तथा भारत में विद्युत के लिए मांग में दी गयी वृद्धि की अनुमानित दर को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र की पुनर्संरचना, क्षमता विस्तार, पारेषण, उप-पारेषण और वितरण में सुधार तथा विद्युत क्षेत्र में निवेश करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएं हैं। भारत सरकार द्वारा अपनायी गयीं विभिन्न कुछ कार्यनीतियां और सुधार तथा भारत में विद्युत क्षेत्र की अन्य पहलात्मक कार्रवाईयां निम्नलिखित हैं:

विद्युत अधिनियम, 2003 (विद्युत अधिनियम)

सुधार पैकेज में सबसे महत्वपूर्ण विद्युत अधिनियम को शुरू करना था, जिसने बिजली क्षेत्र को शासित करने वाले विधिक ढांचे को संशोधित कर दिया और इसके अभिकल्प को भारत के विद्युत क्षेत्र में सामना की जा रही बहुत सी परेशानियों को दूर करने के लिए किया गया तथा बड़े स्तर की विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजी को आकर्षित किया गया। विद्युत अधिनियम ने इससे पहले भारतीय विद्युत क्षेत्र में लागू विभिन्न नियमों की जगह ले ली। विद्युत अधिनियम के तहत सबसे महत्वपूर्ण सुधार यह हुआ कि इससे बहु-क्रेता, बहु-विक्रेता प्रणाली की दिशा में शुरूआत हुई, जबकि इससे पहले की संरचना, जिसमें जेनरेटरों से बिजली खरीद हेतु केवल एक एकल क्रेता को अनुमति थी, इसकी खिलाफत करती थी। इसके अलावा, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत, नियामक शासन अधिक लचीला है, जिसमें एक बहु-वर्षीय दृष्टिकोण है तथा यह केंद्र और राज्य विनियामक आयोगों को प्रतिफल-दर विनियमों द्वारा नियंत्रित किए बिना, प्रशुल्कों को निर्धारित करने में बड़ी स्वतंत्रता देता है।

राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005

फरवरी 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति को अधिसूचित किया गया। इस नीति का उद्देश्य सभी क्षेत्रों हेतु विद्युत आपूर्ति को केंद्रित करते हुए विद्युत का त्वरित विकास करना तथा विभिन्न संसाधनों और ऊर्जा सुरक्षा मुद्दों के प्रयोग द्वारा इन संसाधनों, उत्पादन की अर्थव्यवस्था का दोहन करने के लिए उपलब्ध ऊर्जा संसाधन तकनीक की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं तथा अन्य हितधारकों के हितों की सुरक्षा करना है।

राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, 2006

06 जनवरी, 2006 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति (एनटीपी) को अधिसूचित किया गया, जिसके प्रमुख्य उद्देश्यों में (i) उपभोक्ताओं को उपयुक्त और प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना (ii) क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता और पूंजी निवेश आकर्षण को सुनिश्चित करना (iii) क्षेत्राधिकारों में नियामक दृष्टिकोणों में पारदर्शिता, संगतता और पूर्व सूचनीयता को प्रोन्नत करना और नियामक जोखिमों के अवबोधनों को न्यूनतम करना है; तथा (iv) प्रतिस्पर्धा, प्रचालनों में दक्षता को बढ़ाना तथा विद्युत आपूर्ति की गुणता में सुधार करना शामिल है।

राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति में यह उल्लेख किया गया है कि भविष्य मे सभी विद्युत मांगों को वितरण लाइसेंसियों द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर खरीदा जाएगा। पहले से चल रही परियोजनाओं के विस्तार और उसमें विकासकर्ता के खुद के शामिल होने अथवा उसके द्वारा एक निजी क्षेत्र को संचालित किए जाने के मामले में, इस शर्त में छूट है। इन मामलों में, नियामकों को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के मानकों के संदर्भ में निर्धारित किए गए प्रशुल्कों का सहारा लेना होगा, बशर्ते कि इस प्रयोजनार्थ निजी विकासकर्ताओं द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार, एक बार के लिए विद्यमान क्षमता के अधिकतम 50% की परिसीमा तक किया जाए। राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति के तहत, यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए भी, भविष्य में सभी नई उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं के लिए प्रशुल्कों को प्रतियोगी बोली के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी)

भारत सरकार ने मार्च 2003 में "त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी)" नामक एक योजना को मंजूर किया, जिसे और अधिक निष्पादन-आधारित तथा वित्तीय रूप से आकर्षक बनाने के लिए आर-एपीडीआरपी के रूप में पुनःशुरू किया गया। ग्रामीण विद्युतीकरण नीति को अगस्त, 2006 में अधिसूचित किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करना है ताकि कृषि, ग्रामीण उद्योगों आदि में उत्पादनकारी उपयोगों के लिए एक निविष्टि के रूप में बिजली उपलब्ध कराने के द्वारा द्रुत आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

भारत सरकार ने अप्रैल 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य (i) न्यूनतम एक 33/11केवी सब-स्टेशन के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण आधार (आरईडीबी) (ii) एक ग्राम या हेम्लेट में कम से कम एक वितरण ट्रांसफार्मर सहित ग्राम विद्युतीकरण ढ़ांचा (वीईआई); तथा (iii) जहां पर ग्रिड व्यवहार्य नहीं है, वहां पर स्टैंड अलोन ग्रिडों की स्थापना करना है। सब्सिडी की दिशा में 90% के दाम पर पूंजीगत खर्च को आरईसी के माध्यम से सारणीबद्ध किया गया है। योजना का कार्यान्वयन करने के लिए आरईसी एक नोडल एजेंसी है। 11वीं योजना के अंतर्गत स्वीकृत आरजीजीवीवाई योजनाओं के लिए सभी ग्रामीण आवासों में ₹2200/- प्रति कनेक्शन की दर से, 100% पूंजीगत सब्सिडी के साथ, गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) के अविद्युतीकृत आवासों के विद्युतीकरण को वित्तपोषित किया गया है। ग्रामीण वितरण का प्रबंधन फ्रैंचाइजियों के द्वारा किया जाता है। योजना में एक त्रि-स्तरीय गुणता मॉनीटरिंग का निर्माण किया गया है। इस प्रकार, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण भारत में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए बड़ी मात्रा में निवेश हुआ है।

अल्ट्रा मेगा पॉवर परियोजना (यूएमपीपी)

भारत सरकार ने, 3,500 मेगावॉट अथवा उससे अधिक की प्रत्येक अनुबंधित क्षमता सहित, भारत में विस्तृत क्षमता विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के उद्देश्य के साथ यूएमपीपी कार्यक्रम की शुरूआत की। इन अल्ट्रा मेगा पॉवर परियोजनाओं में एक एकल स्थिति के आधार पर विस्तृत उत्पादन क्षमताओं पर आधारित पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, उत्सर्जन को कम करने के लिए सुपर क्रिटिकल तकनीक का उपयोग तथा इन कारकों के परिणामस्वरूप उत्पादित विद्युत के लिए संभाव्यता निम्न प्रशुल्क वाली लागतें और विकासकर्ताओं के चयन हेतु अपनायी गयी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली प्रक्रियाओं के आधार पर परिणामित प्रशुल्क शामिल है। 31 मार्च, 2011 के अनुसार, 16 अल्ट्रा मेगा पॉवर परियोजनाओं की पहचान की जा चुकी है। 31 मार्च, 2011 के अनुसार, कुल 12 विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को नोडल एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है। ये विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) प्रारंभिक साइट जांच गतिविधियों को कार्यान्वित करेंगे तथा इन परियोजनाओं हेतु बोली प्रक्रिया आयोजित करने के लिए आवश्यक उचित नियामक और अन्य अनुमोदनों (भूमि, जल, पर्यावरण और विद्युत विक्रय सहित) को प्राप्त करेंगे। इन विशेष प्रयोजन वाहन(एसपीवी) में से चार को पहले से ही सफल बोलीदाताओं को अंतरित किया जा चुका है। तत्पश्चात, सफल बोलीदाताओं से इन परियोजनाओं को विकसित करना और लागू करना प्रत्याशित है।

स्वतंत्र विद्युत पारेषण कंपनियां (आईपीटीसी)

विद्युत मंत्रालय ने स्वतंत्र विद्युत पारेषण परियोजनाओं (आईपीटीसी) के लिए एक प्रशुल्क आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया को भी शुरू किया है। यह प्रक्रिया, निजी क्षेत्र की सहभागिता से पारेषण प्रणालियों के विकास हेतु अल्ट्रा मेगा पॉवर परियोजनाओं के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया जैसी है। स्वतंत्र विद्युत पारेषण कंपनियों का उद्देश्य उत्पादनकारी स्टेशनों से विद्युत की निकासी करना तथा विद्युत को पूलिंग स्टेशनों से अन्य ग्रिड स्टेशनों में पारेषित करना है, जिसके फलस्वरूप पूरे भारत में प्रणाली सुदृढ़ हुई है।

हाइड्रो विद्युत नीति, 2008

हाइड्रो विद्युत नीति, 2008, हाइड्रो-विद्युत परियोजनाओं के विकास में निजी निवेश को बढ़ाने पर बल देती है। नीति का उद्देश्य, विद्युत व्यापार को प्रोन्नत करने तथा सांविधिक मंजूरियों की उपलब्धता में तेजी लाने के अलावा,निजी विकासकर्ताओं के साथ संयुक्त उपक्रमों को प्रोत्साहन देने तथा आईपीपी मॉडल का उपयोग करने के द्वारा निजी निधियों को आकर्षित करना है। नीति भारत में, विशेषकर हिमालयवर्ती राज्यों में हाइड्रो-विद्युत उद्योग का त्वरित विकास करने के लिए दिशानिर्देश उपलब्ध कराती है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पन्न विद्युत के लिए प्रशुल्क विनियमों को अधिसूचित कर दिया है, जिनसे नये निवेशों के प्रोन्नत होने की उम्मीद है, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति का विकास हो सके। इक्विटी पर मानकीय प्रतिलाभ को पहले 10 वर्षों के लिए 19% (कर-पूर्व) प्रति वर्ष तथा 11वें वर्ष से 24% (कर-पूर्व) प्रति वर्ष विनिर्दिष्ट किया गया है। स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध नवीकरणीय संसाधनों और नवीकरणीय खरीद बाध्यताओं के बीच असमानता के मामले का निपटान करने के लिए तथा नवीकरणीय खरीद बाध्यताओं को पूर्ण करने के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र क्रियाविधि को लागू करने के लिए भी कार्रवाई की गयी हैं।

राष्ट्रीय सौर मिशन

एमएनआरई ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन द्वारा भारत में सौर ऊर्जा के विकास पर एक नई नीति को अनुमोदित कर दिया है। मिशन ने, 13वीं पंचवर्षीय योजना (2017-2022) के अंत तक तीन चरणों में 20,000 मेगावॉट की एक अधिष्ठापित क्षमता के कार्यान्वयन की सिफारिश की है। यह एक एकल विंडो निवेशक-मैत्रीपूर्ण तंत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। इस तंत्र से जोखिम में कमी होगी तथा साथ ही यह ग्रिड से सौर विद्युत की खरीद हेतु एक आकर्षित, पूर्वानुमेय और उचित मात्रा में पर्याप्त प्रशुल्क उपलब्ध करायेगा। सौर विद्युत को प्रोन्नत करने के लिए प्रमुख ड्राइवर, एक विशिष्ट सौर अंगभूत के साथ, विद्युत यूटिलिटियों हेतु एक नवीकरणीय खरीद बाध्यता के द्वारा अधिदेशित होगा।

2. अवसर

11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (वित्तीय वर्ष 2008-2012) के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में लगभग ₹10,31,600 करोड़ निवेश करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्राक्कलन के अनुसार, 12वीं योजना अवधि (वित्तीय वर्ष 2013-2017) के दौरान 1,00,000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि करने तथा संबंधित पारेषण और वितरण अवसंरचना के साथ ₹11,00,000 करोड़ की निधि की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। इसलिए, उम्मीद है कि विद्युत क्षेत्र जीवंत रहेगा और आगामी भविष्य में महत्वपूर्ण ढ़ंग से निवेश आकर्षित करता रहेगा। आरईसी भी ग्राम विद्युतीकरण का सामाजिक-आर्थिक उत्तरदायित्व निभाना जारी रखेगा तथा आरजीजीवीवाई कार्यक्रम की नोडल एजेंसी के रूप में ''2010 तक सभी के लिए विद्युत'' के मिशन में अंशदान करेगा एवं प्रगति पर नजर रखेगा तथा निधियों का संवितरण करेगा।

आरईसी को आईएफसी का दर्जा

कंपनी द्वारा आवेदन किए जाने पर, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने दिनांक 17 सितंबर, 2010 के पत्र द्वारा आपकी कंपनी को एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया है। आईएफसी की स्थिति के साथ, आरईसी अब अपनी निधियों से एक एकल उधारकर्ता के मामले में 5% तक तथा उधारकर्ताओं के एक एकल समूह के मामले में 10% तक अतिरिक्त उधार दे सकता है। इस प्रकार उधारकर्ताओं के एक एकल समूह के मामले में अपनी निधि से दिया जाने वाला स्वीकार्य ऋण 40% हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, आरईसी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का निर्गम करने तथा स्वचालित मार्ग के अंतर्गत एक वर्ष में बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) द्वारा 500 अमेरिकी डॉलर तक निधियां जुटाने के लिए पात्र हो गया है।

प्रतियोगी बोली प्रक्रिया आधारित प्रशुल्क द्वारा पारेषण परियोजनाओं का विकास - नए परियोजना विशिष्ट एसपीवी का गठन

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 15 मार्च, 2011 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) के पूर्ण स्वामित्व की एक अनुषंगी कंपनी, को वेमागिरी क्षेत्र के आईपीपी के साथ संबद्ध तीन पारेषण परियोजनाओं - क्रमशः पैकेज-क, पैकेज-ख और पैकेज-ग के लिए बोली प्रकिया समन्वयकर्ता (बीपीसी) के रूप में नियुक्त किया है।

कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) यू40300डीएल2011जीओआई217975 के साथ वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड के नाम से वेमागिरी क्षेत्र-पैकेज-क के आईपीपी के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए एक परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को अप्रैल माह, 2011 में निगमित किया गया तथा कारोबार प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र 8 जून, 2011 को प्राप्त किया गया।

पैकेज-क में शामिल पारेषण लाइनों की कुल लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है। उक्त परियोजना के लिए योग्यता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) के लिए वैश्विक अधिसूचना जारी करने के प्रत्युत्तर में आरईसीटीपीसीएल को 28 बोलीदाताओं से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जिनमें विदेशी बोलीदाता

भी शामिल हैं। प्रतिक्रियाएं वर्तमान में मूल्यांकन अधीन हैं तथा बोलीदाताओं की संक्षिप्त सूची पर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा।

3. खतरे, जोखिम और चिंताएं

हमारी कंपनी ने राज्य विद्युत बोर्डों तथा राज्य यूटिलिटियों पर बकाया ऋणों का सार्थक रूप से केंद्रीकरण किया है तथा यदि इन उधारकर्ताओं पर हमारे ऋण निष्प्रभावी होते हैं, तो हमारे परिसंपत्ति पोर्टफोलियों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न बैंकों से धन जुटाने की हमारी योग्यता पर, हमारी कंपनी सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर बैंकों द्वारा उनकी अनाश्रयता के संबंध में प्रतिबंध लागू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों में परिवर्तन से प्रतिबंध लग जाएगा, जो हमारे विकास और लाभ को बुरी तरह प्रभावित करेगा। विद्युत क्षेत्र को वित्तपोषित करने वाले उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ गयी है तथा हमारी लाभप्रदता और विकास, प्रभावपूर्ण तरीके से मुकाबला करने और निधियों की किफायती लागत को बनाये रखने की हमारी योग्यता पर आधारित होगा।

इसके अतिरिक्त, ईंधन की अनुपलब्धता/लागत बढ़ने से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का निर्माण और व्यवहार्यता प्रभावित होगी तथा परिणामतः कंपनी के ऑपरेशन भी प्रभावित होंगे।

4. उत्पाद-वार निष्पादन

प्रमुख सार्वजनिक वित्तीय संस्था के रूप में आरईसी के मुख्य उत्पादों में विद्युत अवसंरचना के सभी खंडों के लिए राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत विभागों और निजी क्षेत्र को ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है।

वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान, कंपनी ने ₹66,420 करोड़ की ऋण सहायता (आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सब्सिडी को छोड़कर) को स्वीकृत किया । उत्पादन क्षेत्र के लिए ₹40,604 करोड़ के ऋणों की स्वीकृति एक प्रमुख घटक था। इसमें ₹161 करोड़ के नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) तथा विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी), ₹229 करोड़ की सौर उत्पादन परियोजनाएं तथा ₹113 करोड़ लागत की आरजीजीवीवाई के तहत डीडीजी की 29 परियोजनाओं की स्वीकृतियां शामिल हैं। पारेषण एवं वितरण क्षेत्र के अंतर्गत, ₹22,208 करोड़ की समग्र मंजूरियां हासिल की गयीं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास (आईसीएंडडी) के तहत ₹199 करोड़ की स्वीकृति भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, अल्पकालिक ऋण उत्पाद के अंतर्गत ₹3,608 करोड़ की स्वीकृति दी गयी।

वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान कुल मिलाकर ₹28,517 करोड़ की राशि वितरित की गयी (आरजीजीवीवाई के तहत ₹3,998 करोड़ की सब्सिडी सहित)। इसमें विद्युत उत्पादन के तहत ₹11,754 करोड़, पारेषण एवं वितरण योजनाओं में ₹9,236 करोड़, अल्पकालिक ऋण के अंतर्गत ₹3,112 करोड़ तथा आरजीजीवीवाई के तहत ₹4,415 करोड़ (₹3,998 करोड़ की सब्सिडी सहित) की राशि शामिल है।

5. दृष्टिकोण

देश में विद्युत उत्पादन की निरंतर कमी पर विचार करते हुए, वर्तमान में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के निम्न स्तरों तथा दीर्घकालिक अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण विकास प्रक्षेपणों से यह महसूस किया गया है कि विद्युत अवसंरचना क्षेत्र महत्वपूर्ण रूप से एक लाभार्थी रहेगा। ₹21,31,600 करोड़ से अधिक के अनुमानित निवेशों के साथ, अन्य संबद्ध निर्माण कार्यों के साथ 11वीं और 12वीं योजनाओं के दौरान, दोनों का एक साथ विचार करते हुए (राजकोषीय वर्ष 2008-2017) प्राक्कलित 1,77,800 मेगावॉट की समग्र क्षमता अभिवृद्धि, देश में विद्युत क्षेत्र की संभावनाओं का संचालन करेगी। ग्रामीण विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विकेंद्रीकृत वितरित विद्युत उत्पादन नियमित करने पर बल दिया गया है। जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में सतत् रूप से विकास होगा, उसके साथ-साथ वित्तीय उत्पादों के लिए उपलब्ध पर्याप्त बाजार अवसरों से इस क्षेत्र का परिदृश्य पूरी तरह सकारात्मक है।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने उपयुक्त मॉनीटरिंग क्रियाविधियों सहित आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली को बनाए रखा है, जो विभिन्न संव्यवहारों की परिशुद्ध और सामयिक वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रचालनों की कुशलता तथा सांविधिक नियमों, विनियमों एवं कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जांच और संतुलन स्थिति सही हैं और सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुव्यवस्थित हैं, कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग द्वारा विभिन्न प्रभागों/कार्यालयों की नियमित और व्यापक रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की जाती है तथा कुछ चयनित परियोजना कार्यालयों की चार्टर्ड अकाउंटेंट की अनुभवी फर्मों द्वारा नियमित रूप से लेखापरीक्षा आयोजित की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग में वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अभिनिर्धारित विवेचनात्मक/जोखिम क्षेत्रों सहित प्रचालन के सभी प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। लेखापरीक्षा समिति, कंपनी अधिनियम और सूचीकरण अनुबंध में निर्धारित विभिन्न लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की सावधिक रूप से समीक्षा करती है।

7. प्रचालन कार्य-निष्पादन के संबंध में वित्तीय-निष्पादन पर विचार-विमर्श

वर्ष 2010-11 के दौरान स्वीकृत ऋण ₹66419.98 करोड़ था, जबकि वर्ष 2009-10 में (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सब्सिडी को छोड़कर) यह ₹45357.36 करोड़ था। वर्ष के दौरान संवितरण भी बढ़कर ₹28517.11 करोड़ हो गया, जबकि वर्ष 2009-10 के दौरान यह (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सब्सिडी सहित) ₹27127.24 करोड़ था।

वर्ष 2010-11 के दौरान वसूल की जाने वाली रकम ₹16979.84 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹12461.02 करोड़ थी। 31.03.2011 के अनुसार चूक करने वाले उधारकर्ताओं से वसूल की जाने वाली रकम ₹195.13 करोड़ थी। वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी ने ₹16951.31 करोड़ की वसूली की गयी, जबकि पिछले वर्ष के दौरान ₹12496.12 करोड़ की वसूली की गयी।

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रचालन आय में ₹1707.15 करोड़ की वृद्धि दर्ज की, जोकि वर्ष 2009-10 के दौरान ₹6549.76 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹8256.91 करोड़ हो गयी है। कंपनी का कर-पूर्व लाभ 2009-10 के ₹2649.19 करोड़ की तुलना में वर्ष 2010-11 में ₹3476.63 करोड़ था। वर्ष 2010-11 में कंपनी का निवल लाभ ₹2569.93 करोड़ है, जो पिछले वर्ष के दौरान ₹568.51 करोड़ की बढ़ोतरी है। 31 मार्च, 2011 को कंपनी का निवल लाभ ₹12788.62 करोड़ है।

8. नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधन विकास/औद्योगिक संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण विकास

आरईसी के कार्यपालकों में व्यावसायिकता लाने के लिए और उनमें युवा कार्यपालकों को शामिल करने के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान आरईसी में खुले विज्ञापन के माध्यम से 7 कार्यपालकों को और इस प्रयोजन के लिए मुख्य पैनलबद्ध संस्थानों से कैंपस भर्ती के द्वारा 27 कार्यपालकों को नियुक्त किया गया।

वित्तीय वर्ष 2010-11 की समाप्ति पर अर्थात् 31.3.2011 को कुल जनशक्ति 688 थी, जिसमें 396 कार्यपालक और 292 गैर-कार्यपालक शामिल हैं।

कंपनी ने देश और विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में 149 कर्मचारियों को प्रायोजित किया। इसके अलावा, कंपनी में ही 25 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 448 कर्मचारियों

ने भाग लिया। वैश्विक अनुभव दिलाने के लिए कई अधिकारियों को विदेशों में अर्थात् जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर आदि में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया। एक साथ देखें तो, इन उपायों ने कंपनी को समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को सार्थक रूप से निष्पादित करने के लिए सक्षम किया है। 1500 श्रमदिवसों के लक्ष्य की तुलना में आरईसी ने वर्ष हेतु 2732 के आंकड़ें को प्राप्त कर लिया है।

9. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की पहलों का सक्रिय रूप से अनुसरण किया गया। आरईसी सीएसआर दृष्टिकोण के द्वारा रणनीतिक ध्यान दिया गया, जिसे वर्ष के दौरान निम्न रूप से व्यक्त किया गया:

"आरईसी, अपनी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में कामयाब युवा भारतीय चैम्पियनों में उत्कृष्टता की भावना प्रेरित करेगा तथा सभी पणधारियों के प्रति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में समाज के आधुनिकीकरण की दिशा में भी योगदान देगा"।

तदनुसार, अप्रैल 2010 में इस संबंध में जारी डीपीई दिशानिर्देशों के साथ पुनर्संगठित आरईसी की नीति के अनुसार "कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन धारणीय परियोजनाओं" के रूप में सीएसआर गतिविधियों का अनुसरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011 के लिए, आरईसी ने पिछले वर्ष कर-पश्चात लाभ के 0.25% की दर से ₹5.00 करोड़ की राशि का सीएसआर बजट आबंटित किया है। वर्ष के दौरान, इस बजट की तुलना में ₹5.10 करोड़ की लागत वाली कुछ परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया। सभी पणधारियों के सामाजिक उत्तरदायित्वों के साथ आरईसी के कारोबार प्रचालनों को एकीकृत करने को ध्यान में रखते हुए आरईसी के सीएसआर कार्यक्रम का अनुसरण किया गया।

पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण, प्रौद्योगिक संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास और विदेशी मुद्रा संरक्षण का प्रकटन

निगमित सुशासन में अभिनव पर्यावरण की पहल

निगमित सुशासन में अभिनव पर्यावरण की पहल के एक अंश के रूप में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने परिपत्र संख्या 17/2011 एवं 18/2011 क्रमशः दिनांक 21.04.2011 एवं 29.04.2011 के द्वारा भी वार्षिक रिपोर्टों आदि सहित नोटिस/दस्तावेज देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके अर्थात ई-मेल की अनुमति दी है। आरईसी ने अपने शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक रिपोर्ट सहित नोटिसों/दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुपुर्दगी करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार 'ग्रीन इनिसिएटिव' को लागू कर दिया है।

प्रौद्योगिकीय संरक्षण

आपकी कंपनी की अपनी कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है, इसलिए ऊर्जा के संरक्षण, तकनीकी आमेलन से संबंधित कोई सार्थक ब्योरा नहीं है। हालांकि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने प्रचालनों में प्रौद्योगिकी का गहन उपयोग किया है।

विदेशी मुद्रा संरक्षण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की गयी। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा के खर्च से संबंधी ब्योरा निम्नवत है:

विवरण	31.03.2011 के अनुसार (₹ करोड़ में)
रायल्टी, जानकारी, व्यावसायिक परामर्श शुल्क	शून्य
ब्याज	31.27
वित्तीय प्रभार	50.24
अन्य खर्चें	0.77
योग	**82.28**

अन्य पहलात्मक कार्रवाई

वाणिज्यिक विद्युत संयंत्र

वाणिज्यिक विद्युत संयंत्र (एमपीपी), खुले थोक बाजार में बाजार-चालित दरों पर बेचने के लिए विद्युत का उत्पादन करते हैं। विशेषकर, वाणिज्यिक विद्युत संयंत्रों (एमपीपी) ने दीर्घकालिक विद्युत खरीद करार (पीपीए) अनुबंधित नहीं किए हैं तथा इसका निर्माण और स्वामित्व निजी विकासकर्ताओं के पास है। हालांकि, वाणिज्यिक बिक्री में अल्पकालिक विद्युत खरीद करार (पीपीए) के अंतर्गत तथा तत्काल आधार पर विद्युत की बिक्री शामिल है। वाणिज्यिक विद्युत संयंत्र विद्युत विपणन कंपनियों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों, वितरण कंपनियों तथा औद्योगिक और थोक उपभोक्ताओं को बिजली बेच सकते हैं।

विद्युत व्यापार

ऐतिहासिक रूप से, भारत में विद्युत के मुख्य पूर्तिकार और थोक उपभोक्ताओं के पास सरकार द्वारा नियंत्रित विभिन्न उत्पादन और वितरण कंपनियां हैं, जिन्होंने सामान्यतः विनियमित प्रशुल्कों के साथ विद्युत खरीद करारों के द्वारा दीर्घकालिक आधार पर विद्युत का अनुबंध किया हुआ है। हालांकि, वाणिज्यिक विद्युत संयंत्रों के प्रवेश को प्रोत्साहन देने तथा विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए, विद्युत अधिनियम ने विद्युत व्यापार को उत्पादन से अलग गतिविधि के रूप में मान्यकृत किया है तथा मानकीय प्रभारों के लिए पारेषण नेटवर्क का मुक्त प्रवेश देने के द्वारा भारत में विद्युत हेतु एक विपणन बाजार के विकास को सुकर बनाया है । विद्युत व्यापार में पूर्तिकारों से अधिशेष विद्युत को कमी वालों को अंतरित करना शामिल है। उत्पादन और मांग में मौसमी विविधता तथा भारत के संसाधन संपन्न पूर्वी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की सुविधाओं की एकाग्रता ने विद्युत व्यापार के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं। विनियामक घटनाक्रमों में, बिजली के अंतर-राज्य व्यापार से संबंधित खुली पहुंच और लाइसेंसिंग हेतु नियमों एवं उपबंधों की घोषणा शामिल हैं। अनके संगठनों ने विपणन प्रचालन शुरू कर दिए हैं तथा विपणन लाइसेंसों के लिए आवेदन कर दिए हैं। सुधारों की सहायता से, पिछले कुछ वर्षों के दौरान विद्युत व्यापार के परिमाण और इसके व्यापारिक मूल्य में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

उपरोक्त नीतिगत पहलों के द्वारा भारत में विद्युत क्षेत्र से संबंधित विविध मुद्दों का निपटान हुआ है तथा ये पहल उच्चतर स्तरों के लिए इसका मार्गदर्शन करती रहेंगी।

निगमित सुशासन की रिपोर्ट

अनुबंध - II

एक सूचीबद्ध कंपनी और एक अच्छे निगमित एंटिटी के रूप में कंपनी अंतरात्मा, खुलेपन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और उत्तरदायित्व पर आधारित अच्छी निगमित परिपाटियों के लिए प्रतिबद्ध है ताकि निरंतर दीर्घकालिक समृद्धि और लाभकारिता प्राप्त करने के लिए उसके सभी हितधारकों में विश्वास पैदा करने का मार्ग प्रशस्त हो।

सूचीकरण करार के अनुसार, निगमित सुशासन के प्रावधानों का पालन करने के साथ-साथ सरकारी कंपनी के रूप में लोक उद्यम विभाग (डीपीई)और भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों का भी यह कंपनी अनुसरण करती है।

निगमित सुशासन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी गई है और निगमित सुशासन के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र भी अलग से संलग्न किया गया है:-

1. निगमित सुशासन संहिता पर कंपनी की विचारधारा

आरईसी अपने सभी शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने, उनको प्रोन्नत एवं संरक्षित करने तथा उपयुक्त पारदर्शी प्रणाली द्वारा समर्थित अच्छे निगमित सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है:-

आरईसी ग्रामीण और शहरी जनता के रहन-सहन को समृद्ध बनाने एवं उनके विकास में तेजी लाने के लिए बिजली पहुंचाने में मदद करने हेतु भी प्रतिबद्ध है।

आरईसी देशभर में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण तंत्र के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित तथा प्रोन्नत करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक, ग्राहक हितैषी एवं विकासपरक संगठन के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. निदेशक मंडल

हमारी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुसार एक सरकारी कंपनी है, क्योंकि कुल प्रदत्त शेयरपूंजी का 66.80 प्रतिशत हिस्सा भारत के राष्ट्रपति के नाम है। संस्था अंतर्नियमों के अनुसार निदेशकों को नियुक्त करने का प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को है।

(क) निदेशक मंडल की संरचना :

आरईसी के निदेशक मंडल में **6** सदस्य हैं, जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित **दो** प्रकार्यात्मक निदेशक और **चार** गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक हैं। इनमें से **एक** भारत सरकार का नामिती और **तीन** अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। ये निदेशक बोर्ड को व्यापक अनुभव, ज्ञान तथा कौशल प्रदान करते हैं। निदेशकों के बारे में संक्षिप्त विवरण इसी रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है।

इस रिपोर्ट की तारीख को निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार है:-

प्रकार्यात्मक निदेशक:

श्री हरि दास खुंटेटा	- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं - निदेशक (वित्त)
श्री प्रकाश ठक्कर	- निदेशक (तकनीकी)

गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक:

श्री देवेन्द्र सिंह	- सरकारी नामिती निदेशक
डॉ. गोविन्द मारापल्ली राव	- अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
डॉ. देवी सिंह	- अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन	- अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

हम लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी निदेशक मंडल के गठन से संबंधित सूचीकरण करार एवं केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों के निगमित सुशासन हेतु दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों की अनुपालना कर रहे हैं।

ख) गैर-प्रकार्यात्मक निदेशकों को प्रतिपूर्ति और प्रकटीकरण :

आरईसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 23.03.2009 को आयोजित अपनी बैठक में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क की अदायगी करने का निर्णय नीचे दिए अनुसार किया :

क्रम सं.	बैठकें	प्रति बैठक शुल्क (₹ में)
1.	निदेशक मंडल की बैठकें	₹15,000/-
2.	समिति की बैठकें	₹15,000/-

(ग) निदेशक मंडल और समितियों से संबंधित अन्य प्रावधान

(i) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण

बैठकों का आयोजन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुमति के बाद पहले से उचित नोटिस देकर किया जाता है। तत्काल जरूरत पड़ने पर थोड़े समय की सूचना देते हुए भी विशिष्ट बैठकें बुलाई जाती हैं। अति आवश्यक मामले में परिचालन द्वारा संकल्प पारित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान दिनांक 29.04.2010, 19.05.2010, 07.07.2010, 21.07.2010, 08.09.2010, 25.09.2010, 25.10.2010, 29.11.2010, 16.12.2010, 30.12.2010, 05.01.2011, 09.02.2011, 24.02.2011 और 28.03.2011 को निदेशक मंडल की 14 बैठकें आयोजित की गई।

निदेशक मंडल की दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल चार माह से कम का था। निदेशक मंडल की कंपनी में उपलब्ध सभी संगत सूचना तक पूरी तरह पहुंच है, जिसमें सूचीकरण करार में निर्धारित सूचना भी शामिल है। कंपनी के निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकों की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है, ताकि उन्हें सही और तत्परता से निर्णय लेने में सुविधा हो सके।

(ii) वर्ष 2010-11 के दौरान निदेशकों द्वारा आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या का विवरण, जिनमें निदेशकों ने भाग लिया, पिछली वार्षिक आम बैठक की उपस्थिति, अन्य निदेशकों की संख्या (सरकारी लिमिटेड कंपनियों में)/ समितियों की सदस्यता (अर्थात लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक शिकायत समिति) (आरईसी से भिन्न) का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया जा रहा है:-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठकें		पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (08.09.2010 को आयोजित)	31.03.2011 को अन्य संस्थाओं की संख्या, जिनमें वह निदेशक हैं	दिनांक 31.03.2011 के अनुसार ऐसी अन्य समितियों में सदस्यता की सं.	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1.	श्री पी. उमा शंकर (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	2	2	लागू नही*	लागू नही*	लागू नही*	लागू नही*
2.	डॉ. ज.मो.फाटक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	12	12	हां	3	शून्य	शून्य
3.	श्री हरि दास खुंटेटा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (वित्त)	14	14	हां	शून्य	शून्य	शून्य
4.	श्री गुलजीत कपूर, निदेशक (तकनीकी)	14	14	हां	शून्य	शून्य	शून्य
5.	श्री देवेन्द्र सिंह, सरकारी नामिती निदेशक	14	11	हां	2	शून्य	शून्य
6.	श्री राकेश जैन, सरकारी नामिती निदेशक	3	3	लागू नही*	4	1	3
7.	श्री वी.एन.धूत, अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	9	1	नहीं	लागू नही*	लागू नही*	लागू नही*
8.	डॉ. गोविंद मारापल्ली राव, अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	9	8	हां	लागू नही*	लागू नही*	लागू नही*
9.	श्री पी.आर. बालासुब्रामणियन, अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	9	9	हां	लागू नही*	लागू नही*	लागू नही*
10.	डॉ. देवी सिंह, अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	11	10	हां	लागू नही*	लागू नही*	लागू नही*

टिप्पणी:

1. श्री पी.उमा शंकर ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, के पद का कार्यभार 15.06.2010 (पूर्वाह्न)को त्याग दिया।
2. डॉ.ज.मो.फाटक, जिन्होंने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, के पद का कार्यभार 15 जून, 2010 को संभाला, 16 अप्रैल, 2011 (पूर्वाह्न) को त्याग दिया।
3. श्री हरि दास खुंटेटा, निदेशक (वित्त), आरईसी, ने 16 अप्रैल, 2011 (अपराह्न) को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, के पद का कार्यभार संभाला है।
4. नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, श्री गुलजीत कपूर, निदेशक (तक.) की अवधि, 31 मार्च, 2011 को अधिवर्षिता की आयु (अर्थात 60 वर्ष) प्राप्त होने पर 31 मार्च, 2011 को समाप्त हो गई।
5. विद्युत मंत्रालय के आदेश सं. 46/9/2010-आरई दिनांक 2 मई, 2011 के अनुसार श्री प्रकाश ठक्कर को 2 मई, 2011 से आरईसी के बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) नियुक्त किया गया।
6. श्री राकेश जैन, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, विद्युत मंत्रालय(एमओपी), को आरईसी के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में 20 जनवरी, 2011 से नियुक्त किया गया था। विद्युत मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2011 को आरईसी के बोर्ड से उनकी सेवाएं वापस ले ली।
7. स्वतंत्र निदेशकों अर्थात श्री वी.एन.धूत, डॉ.एम.गोविन्द राव और श्री पी.आर. बालासुब्रामणियन की तीन वर्ष की अवधि 19 दिसंबर, 2010 को और डॉ. देवी सिंह की 6 जनवरी, 2011 को समाप्त हो गई है।
8. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, ने दिनांक 10 जून, 2011 के आदेश द्वारा तीन अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों नामशः डॉ. देवी सिंह, डॉ.गोविंद मारापल्ली राव और श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन को आरईसी के बोर्ड में तीन वर्षों के लिए उनकी नियुक्ति की तारीख से अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है।

**लागू नहीं का अर्थ है कि संबद्ध व्यक्ति संगत तारीख को आरईसी के बोर्ड में निदेशक नहीं थे।*

\$सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुरूप, केवल लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति के निदेशकों की समिति की सदस्यता इसके अध्यक्ष या सदस्य के रूप में गिनती के लिए विचारा गया है।

निदेशक मंडल का कोई सदस्य 10 से अधिक समितियों का सदस्य और 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है (सूचीकरण करार के खंड 49 में विनिर्दिष्ट) सभी कंपनियों को मिलाकर, जिसमें वह निदेशक हैं।

(iii) लागू कानूनों का अनुपालन

निदेशक मंडल ने दिनांक 29 मार्च, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी पर लागू कानूनों और ऐसे लागू कानूनों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की एक संकेतक सूची की पहचान की थी। इसके अलावा, दिनांक 21.02.2009 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल ने उसमें दिए गए फार्मेट की समीक्षा की, जिसमें लागू सांविधिक अनुपालनों की प्रकृति के वास्तविक विवरण और तिमाही के दौरान उनके अनुपालन की तारीख/ विवरण भी दिए गए हैं। निदेशक मंडल ने प्रस्तुत की गई तिमाही रिपोर्टों के आधार पर लागू कानूनों के अनुपालन की समीक्षा की और दिनांक 31.03.2011 तक ऐसा कोई मामला नहीं था, जिसमें पालन न किया गया हो।

(घ) व्यापार एवं नैतिकता की आचरण संहिता

निदेशक मंडल ने 8 सितंबर, 2010 को आयोजित अपनी 367वीं बैठक में निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के कार्मिकों के लिए व्यापार एवं नैतिकता की आचरण संहिता अनुमोदित की है, जो लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों में निहित सुझाए गए सूची मदों को शामिल करने के बाद निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के कार्मिकों के लिए वर्तमान आचरण संहिता के अधिक्रमण में है और निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के कार्मिकों के लिए आदर्श व्यापार एवं नैतिक संहिता के संदर्भ में है।

कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शिता प्रक्रिया बढ़ाने के कंपनी के मिशन और उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के कार्मिकों के लिए व्यापार एवं नैतिकता की आचरण संहिता तैयार की है। इस व्यापार एवं नैतिकता की आचरण संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट, अर्थात् www.recindia.nic.in पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर, आचरण संहिता की अनुपालना के संबंध में घोषणा निम्नानुसार है:

सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन अपेक्षित घोषणा

"निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यापार एवं नैतिकता की आचरण संहिता" के अधीन आने वाले सभी सदस्यों ने वित्त वर्ष 2010-11 के लिए उपर्युक्त आचरण संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

ह./-
(हरि दास खुंटेटा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(ङ) इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए संहिता

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार) विनियम, 1992 के अनुसार कंपनी ने गोपनीयता बनाए रखने और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना का दुरुपयोग रोकने के लिए एक व्यापक इनसाइडर ट्रेडिंग निवारण संहिता तैयार की है। कंपनी के प्रत्येक निदेशक, अधिकारी और पदनामित कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि वह कंपनी में अपने कार्यचालन के दौरान प्राप्त ऐसी सूचना की पूर्ण गोपनीयता की सुरक्षा करे, कंपनी में अपने पद का दुरुपयोग न करे तथा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने अथवा किसी तीसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए कंपनी से संबंधित सूचना अथवा अपनी स्थिति का दुरुपयोग न करे। संहिता में कंपनी के शेयरों से संबंधित कार्य करने और अनुपालन न करने के परिणामों के संबंध में अपनाए जाने वाले और प्रकटीकरणों के संबंध में दिशानिर्देश तथा प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो 'भेदिया व्यापार को रोकने सबंधी संहिता' का पालन करवाने के लिए उत्तरदायी है। इस संहिता की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध है।

उक्त संहिता की अपेक्षाओं के अनुसार, जब भी कोई मूल्य संवेदी सूचना निदेशक मंडल को प्रस्तुत की गई, तब व्यापार खिड़की (ट्रेडिंग विंडो) बंद कर दी गई थी। व्यापार खिड़की बंद करने के बारे में सभी कर्मचारियों को सूचना समय से पहले जारी कर दी गई थी और जब खिड़की बंद हो जाए, तब कंपनी के शेयरों के लेन देन रोकने के लिए संहिता के अधीन पदनामित कर्मचारियों को रोकते हुए उपयुक्त घोषणाएं भी की गई थीं।

3. निदेशक मंडल की समितियां

रिपोर्ट की तारीख के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित समितियां इस प्रकार हैं :

- लेखापरीक्षा समिति
- डिबेंचर को छोड़कर उधार लेने सबंधी उप-समिति
- आरईसी ऋणों को उधार देने के लिए दर की समीक्षा सबंधी उप-समिति
- शेयरधारक/ निवेशक शिकायत समिति
- ऋण समिति
- मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा और संशोधन संबंधी उप-समिति
- पारिश्रमिक समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- बोर्ड की कार्यकारी समिति

3.1 लेखापरीक्षा समिति

(i) वर्तमान लेखापरीक्षा समिति का गठन इस प्रकार है :

क्र.सं	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. देवी सिंह	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
2.	डॉ.गोविंद मारापल्ली राव	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष सहित 2 सदस्यों का है बशर्ते कि कम से कम 2 स्वतंत्र निदेशक उपस्थित हों। निदेशक (वित्त), महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा) और सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के स्थायी आमंत्रिती हैं। जब कभी समिति को आवश्यकता होती है, उसे सूचना प्रदान करने के लिए वरिष्ठ प्रकार्यात्मक निदेशकों को आमंत्रित किया जाता है।

(ii) लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन करना;

(ख) सूचीकरण करार के खंड 49 में उल्लिखित लेखापरीक्षा समिति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करना;

(ग) लोक उद्यम विभाग(डीपीई) द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के लिए निगमित सुशासन पर दिशानिर्देश-2010 का अनुपालन करना; और

(घ) लेखापरीक्षा से संबंधित लागू किसी अन्य प्रावधान का अनुपालन करना।

वर्ष 2010-11 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की दिनांक 18.05.2010, 06.07.2010, 20.07.2010, 25.09.2010, 25.10.2010, 29.11.2010, 09.02.2011 और 28.03.2011 को आठ बैठकें आयोजित की गई। वर्ष 2010-11 के दौरान जिन सदस्यों ने बैठक में भाग लिया, उनका विवरण इस प्रकार है :

निदेशक का नाम और पदनाम	समिति में पद	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डॉ.गोविंद मारापल्ली राव, अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (19.12.2010 तक)	6	5
श्री पी.आर. बालासुब्रामणियन, अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (19.12.2010 तक)	6	6
डॉ. देवी सिंह, अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (06.01.2011 तक)	6	5
श्री गुलजीत कपूर, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (21.01.2011 से 31.03.2011 तक)	2	2
श्री राकेश जैन, सरकारी नामिती निदेशक	अध्यक्ष (09.02.2011 से)	2	2
श्री देवेन्द्र सिंह, सरकारी नामिती निदेशक	सदस्य (21.01.2011 से)	2	2

लेखापरीक्षा समिति के उस समय अध्यक्ष, डॉ.गोविंद मारापल्ली राव दिनांक 08.09.2010 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित थे।

3.2 डिबेंचरों को छोड़कर उधार संबंधी उप-समिति

डिबेंचरों को छोड़कर उधार संबंधी निदेशक मंडल की उप-समिति का गठन निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 29.04.2005 की बैठक में किया। डिबेंचरों को छोड़कर उधार संबंधी निदेशक मंडल की उप-समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री हरि दास खुंटेटा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री हरि दास खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (02.05.2011 से)

समिति की बैठक के लिए कोरम न्यूनतम 2 निदेशकों का है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शामिल है। वर्ष के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नही हुई।

3.3 आरईसी ऋणों के लिए उधार की दर की समीक्षा संबंधी उप-समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 21.07.2006 को आयोजित अपनी बैठक में अल्पकालिक ऋणों के उधार की दरों की समीक्षा करने के लिए उधार की दर की समीक्षा संबंधी उप-समिति का गठन किया था। इसके अतिरिक्त, सावधि ऋण संबंधी उधार दरों की समीक्षा करने के लिए समिति का कार्य क्षेत्र निदेशक मंडल द्वारा 26.10.2006 को हुई अपनी बैठक में बढ़ा दिया गया था। उधार दरों की समीक्षा करने संबंधी इस उप-समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री हरि दास खुंटेटा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री हरि दास खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (02.05.2011 से)

इन बैठकों के लिए कोरम 2 निदेशकों का है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल है। वर्ष के दौरान दिनांक 15.07.2010, 11.08.2010, 25.09.2010, 27.12.2010, 06.01.2011 और 17.02.2011 को इस उप-समिति की छह बैठकें आयोजित की गईं।

3.4 शेयरधारक/ निवेशक शिकायत समिति

(i) शेयरधारक/ निवेशक शिकायत समिति का गठन

यह समिति शेयरों के अंतरण, तुलन-पत्र न मिलने, घोषित लाभांश आदि के प्राप्त न होने जैसी शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण का कार्य विशेष रूप से देखती है। इस समिति के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह, सरकारी नामिती निदेशक हैं। शेयरधारक/ निवेशक शिकायत समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री देवेंद्र सिंह	सरकारी नामिती निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री हरि दास खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (19.05.2011 से)

बैठक के लिए कोरम 2 सदस्यों का है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल है। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) शेयरधारक/ निवेशक शिकायत समिति की बैठक में स्थायी रूप से आमंत्रित होते हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान शेयरधारकों/ निवेशकों की लंबित शिकायतों की प्रक्रिया और स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 17.05.2010, 21.07.2010, 21.10.2010 और 09.02.2011 को शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायत समिति की चार बैठकें आयोजित की गई। श्री राकेश कुमार अरोड़ा, महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा) और कंपनी सचिव सूचीकरण करार के खंड 47(ए) के अनुसरण में कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं।

(ii) शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायतों की स्थिति

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने निवेशकों की शिकायतों का समीचीनता और शीघ्रता से निपटान किया है। दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 की अवधि के दौरान इक्विटी शेयरों/ सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है :

वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतें	**शून्य**
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	**1011**
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	**1011**
दिनांक 31.03.2011 को लंबित शिकायतें	**शून्य**

3.5 ऋण समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 26.05.2008 को आयोजित अपनी बैठक में ऋण समिति का गठन किया था। इस समिति का गठन निम्नलिखित ऋणों की स्वीकृति के लिए किया गया है:-

(i) केंद्रीय/राज्य सरकार के विद्युत यूटिलिटीज अथवा केंद्र/राज्य पीएसयू को ₹20,000 करोड़ तक की वार्षिक अधिकतम सीमा के अंदर प्रत्येक मामले में ₹150 करोड़ से अधिक लेकिन ₹500 करोड़ तक; और

(ii) निजी क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटीज को ₹4000 करोड़ तक की वार्षिक अधिकतम सीमा के अंदर प्रत्येक मामले में ₹100 करोड़ से अधिक लेकिन ₹500 करोड़ रुपए तक।

ऋण समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री हरि दास खुंटेटा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री हरि दास खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (02.05.2011 से)
4.	श्री देवेन्द्र सिंह	सरकारी नामिती निदेशक	सदस्य

इस समिति का कोरम तीन निदेशकों का है, जिसमें अध्यक्ष और सरकारी नामिती निदेशक भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान ऋण समिति की दिनांक 19.04.2010, 17.06.2010, 29.06.2010, 07.07.2010, 22.07.2010, 12.08.2010, 31.08.2010, 08.09.2010, 21.9.2010, 21.10.2010, 12.11.2010, 29.11.2010, 06.01.2011, 23.02.2011 और 22.03.2011 को 15 बैठकें आयोजित हुई।

3.6 मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा और संशोधन करने संबंधी बोर्ड की उप-समिति

निदेशक मंडल ने मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए दिनांक 09.07.2008 को आयोजित अपनी बैठक में मानव संसाधन संबंधी उप-समिति का गठन किया। इसका गठन मानव संसाधन नीतियों के विकास, समीक्षा और संशोधन करने के लिए किया गया था, जिसमें पावर फाइनेंस कारपोरेशन, एनटीपीसी आदि जैसे सरकारी क्षेत्रक उद्यमों की तर्ज पर मोटे तौर पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ/सुविधाओं से संबंधित नीतियां भी शामिल हैं। समिति निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

मानव संसाधन संबंधी नीतियों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए बोर्ड की उप-समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री हरि दास खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	सदस्य
2.	डॉ. देवी सिंह	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

वर्ष के दौरान मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए इस समिति की दो बैठकें दिनांक 25.09.2010 और 25.10.2010 को आयोजित की गई।

3.7 (i) सूचीकरण करार के अनुसार पारिश्रमिक समिति :

आरईसी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम होने के कारण, निदेशकों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल तथा पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए, निदेशक मंडल निदेशकों के भत्तों को निर्धारित नहीं करता है। अतः सूचीकरण करार के अनुसार इस किस्म की पारिश्रमिक समिति का कंपनी में गठन नहीं किया जाता है। अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों और समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित अधिकतम सीमा के भीतर निदेशक मंडल द्वारा तय की गई दर पर केवल बैठकों की शुल्कों का भुगतान किया जाता है।

तथापि, निगमित सुशासन संहिता के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित अनिवार्य प्रकटीकरण निम्नलिखित है:

(क) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	नाम	वेतन एवं भत्ते	अन्य लाभ	कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन/ एक्सग्रेशिया	जोड़
1.	श्री पी. उमा शंकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (15.06.2010 (पूर्वाह्न) तक)	1,27,200	1,77,646	26,16,600	29,21,446
2.	डॉ.ज.मो.फाटक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (15.06.2010 (अपराह्न) से)	10,51,446	2,53,744		13,05,190
3.	श्री हरि दास खुंटेटा, निदेशक (वित्त)	30,92,295	3,41,477	23,30,911	57,64,683
4.	श्री गुलजीत कपूर, निदेशक (तकनीकी) (31.03.2011(अपराह्न) तक)	39,01,716	4,86,685	31,18,190	75,06,591

(ख) वर्ष 2010-11 के दौरान अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को अदा किए गए बैठक शुल्क का विवरण इस प्रकार है:-

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		जोड़
		बोर्ड की बैठक	समिति की बैठक	
1.	श्री वेणुगोपाल एन धूत *	2	-	**2**
2.	डॉ.गोविंद मारापल्ली राव	1,20,000	75,000	1,95,000
3.	श्री पी.आर. बालासुब्रामणियन	1,35,000	1,50,000	2,85,000
4.	डॉ. देवी सिंह	1,50,000	1,65,000	3,15,000

* श्री वी.एन. धूत वर्ष के दौरान बैठक में उपस्थित होने के लिए मानदेय के रूप में प्रति बैठक केवल एक ₹ ले रहे है।

(ग) श्री देवेन्द्र सिंह, बोर्ड के सरकारी नामिती निदेशक होने के कारण कंपनी से कोई पारिश्रमिक और बैठक शुल्क लेने के हकदार नहीं हैं।

(ii) लोक उद्यम विभाग के अनुसार पारिश्रमिक समितिः

लोक उद्यम विभाग ने कार्यालय ज्ञापन तारीख 26.11.2008, 9.2.2009 और 2.4.2009 के तहत 1.1.2007 से निदेशक मंडल स्तर तथा निदेशक मंडल स्तर से नीचे के कार्यपालकों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों के वेतनमानों के संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। लोक उद्यम विभाग ने पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापनों द्वारा यह भी निदेश दिया है कि प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम एक अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा, जो विहित सीमाओं के अंदर कार्यपालकों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों के बीच वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील पूल तथा इसके वितरण के लिए नीति निर्धारण करेगी।

लोक उद्यम विभाग के निदेशों के अनुसार, आरईसी के निदेशक मंडल ने वर्ष 2009-10 से आगे के लिए निष्पादन संबद्ध भुगतान का निश्चय करने के लिए 20.4.2009 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

इस पारिश्रमिक समिति की वर्तमान संरचना निम्न प्रकार हैः

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. देवी सिंह	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
2.	डॉ.गोविंद मारापल्ली राव	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

समिति के लिए कोरम दो सदस्यों का है, जिसमें अध्यक्ष शामिल हैं। निदेशक(वित्त), निदेशक(तक.) और कार्यकारी निदेशक (मा.सं.)/अपर महाप्रबंधक (मा.सं.)स्थायी आमंत्रिती हैं। वर्ष के दौरान पारिश्रमिक समिति की दिनांक 25.10.2010 को एक बैठक आयोजित हुई।

3.8 जोखिम प्रबंधन समिति

निदेशक मंडल की दिनांक 24.05.2011 को आयोजित 377वीं बैठक में जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया। इसका गठन इंटेग्रेटिड जोखिम को व्यवस्थित करने के लिए किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य विभिन्न संभावित जोखिमों को मॉनीटर करना और विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियों और कंपनी द्वारा अपनाई गई पद्धतियों की जांच करना तथा कंपनी के प्रचालन के साथ अन्य संबद्ध मामलों में पैदा होने वाले जोखिमों की उपाय के रूप में कार्रवाई करना है।

जोखिम प्रबंधन समिति की वर्तमान संरचना निम्न प्रकार हैः

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री हरि दास खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	सदस्य
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	डॉ. देवी सिंह	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

3.9 निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति

केंद्रीय/राज्य सरकार विद्युत यूटिलिटियों अथवा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए ₹16000 करोड़ की वार्षिक अधिकतम सीमा सहित प्रत्येक मामले में ₹150 करोड़ तक ऋण स्वीकृत करने और प्राइवेट क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियों को ₹4000 करोड़ की वार्षिक अधिकतम सीमा सहित प्रत्येक मामले में ₹100 करोड़ तक ऋण स्वीकृत करने के लिए निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति गठित की गई है । ऋण स्वीकृत करने की ये शक्तियां इस प्रयोजनार्थ गठित स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हैं। निदेशक मंडल ने 4 जुलाई, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में केवल प्रकार्यात्मक निदेशकों वाले बोर्ड की कार्यकारी समिति का पुनर्गठन अनुमोदित किया ।

बोर्ड की कार्यकारी समिति का वर्तमान गठन निम्नानुसार हैः-

1.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	- सदस्य
2.	निदेशक (वित्त)	- सदस्य
3.	निदेशक (तक.)	- सदस्य

बोर्ड की कार्यकारी समिति के लिए कोरम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्यों का है।

4. शेयर अंतरण समिति

ऊपर 3.1 से 3.9 तक यथा उल्लिखित निदेशक मंडल की समितियों के अतिरिक्त, वरिष्ठ अधिकारियों की एक शेयर अंतरण समिति भी है। निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 28.07.2008 को आयोजित बैठक में शेयर अंतरण समिति का पुनः गठन किया था। प्रति व्यक्ति प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर से अधिक शेयरों के वास्तविक विभाजन/समेकन और अंतरण के लिए शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है।

शेयर अंतरण समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार हैः-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	महाप्रबंधक(वित्त)-संसाधन
2.	श्री राकेश कुमार अरोड़ा	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं कंपनी सचिव

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को प्रति व्यक्ति प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर से अधिक शेयरों के वास्तविक अंतरण हेतु शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और अनुमोदन करने तथा शेयरों के विभाजन/ समेकन के लिए प्राप्त अनुरोधों का अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

5. सहायक कंपनियां

सूचीकरण करार के खंड 49 में परिभाषित के अनुसार कंपनी की कोई 'महत्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी' नहीं है। गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त आरईसी के निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए थे। सहायक कंपनियों के वित्तीय परिणामों की आरईसी के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, सहायक कंपनियों द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेनदेन और इंतजाम कंपनी के निदेशक मंडल के ध्यान में लाए गए थे।

6. वार्षिक आम बैठक

सं.	वर्ष	अवस्थिति	तारीख एवं समय	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया
39वीं	2007-08	एयर फोर्स आडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, धौला कुआं, नई दिल्ली-110010	24.09.2008, पूर्वाह्न 10.00 बजे	नहीं
40वीं	2008-09	एयर फोर्स आडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, धौला कुआं, नई दिल्ली-110010	19.09.2009, पूर्वाह्न 11.00 बजे	हां
41वीं	2009-10	एयर फोर्स आडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, धौला कुआं, नई दिल्ली-110010	08.09.2010, पूर्वाह्न 11.00 बजे	हां

7. निगमित सुशासन में ग्रीन इनीशिएटिव

(i) निगमित सुशासन में ग्रीन इनीशिएटिव

निगमित सुशासन में ग्रीन इनीशिएटिव के भाग के रूप में, कारपोरेट मामले मंत्रालय ने अपने परिपत्र सं. 17/2011 एवं 18/2011 क्रमशः दिनांक 21.04.2011 और 29.04.2011 के जरिए भी वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि सहित नोटिस/दस्तावेज की सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक मोड अर्थात ई-मेल के जरिए भेजने की अनुमति दी है। आरईसी ने शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट सहित नोटिसों/दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में देने हेतु कारपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार 'ग्रीन इनीशिएटिव 'को कार्यान्वित कर दिया है।

(ii) सचिवालयी लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट, प्रेक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, दिल्ली, द्वारा की गई और उन्होंने 28 जून, 2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति वार्षिक रिपोर्ट में अलग से और शेयरधारकों के सूचनार्थ प्रारंभ की गई है।

8. प्रकटन

(i) संबंधित पार्टियों अर्थात प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन से संबंधित कोई अत्यंत महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं है, जिनसे कंपनी के हितों के साथ कोई भारी विवाद उत्पन्न हो सकता हो। विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अनुपालन न किए जाने वाले पूंजीगत बाजार से संबंधित कोई मामले नहीं थे। इस संबंध में सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही कोई भर्त्सना की गई है।

(ii) **व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी/लोक हित प्रकटन पर भारत सरकार का संकल्प और इनफार्मर (पीआईडीपीआई) का संरक्षण संकल्पः-**

आरईसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय आदेश सं. 33/5/2004 दिनांक 17 मई, 2004 के जरिए जारी व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी(पीआईडीपीआई संकल्प)को अपना लिया है और इस पॉलिसी को सतर्कता प्रभाग ने अक्तूबर, 2010 में जारी '' सतर्कता पुस्तिका'' में शामिल भी कर लिया है।

(iii) कंपनी इस बात की पुष्टि करती है कि किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने के लिए मना नहीं किया गया है।

(iv) कंपनी ने निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट में शामिल सभी सुझाई गई मदें अपनाई हैं।

(v) वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के सभी सदस्यों ने सभी महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेन के संबंध में निदेशक मंडल को सूचनाएं प्रस्तुत कर दी हैं, जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो, जिससे कंपनी के हित से बड़े स्तर पर भारी विवाद उत्पन्न होता हो (उदाहरणार्थ : कंपनी शेयरों की खरीद-बिक्री करना, ऐसे निकायों के साथ वाणिज्यिक कार्य-व्यवहार करना, जिनके प्रबंधन में उनकी या उनके संबंधियों की शेयरधारिता हो।)

(vi) प्राप्त घोषणा-पत्रों के अनुसार कंपनी के निदेशकों के बीच परस्पर नातेदारी नहीं हैं।

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश, 2010 के अधीन यथापेक्षित अतिरिक्त प्रकटनः

(i) वर्ष के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा कोई राष्ट्रपति दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए थे। 30.04.2009 को राष्ट्रपति के दिशानिर्देश अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, को यह निदेश देते हुए जारी किए गए थे कि लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालना करते हुए आरईसी के बोर्ड स्तर और उससे निचले स्तर के कार्यपालकों के वेतन संशोधन और भत्ते लागू किए जाएं। बोर्ड स्तर और उससे निचले स्तर के कार्यपालकों के वेतन संशोधन और भत्ते 01.01.2007 से अनंतिम रूप से संशोधित कर दिए गए हैं।

(ii) लेखा बहियों में नामे डाले गए व्ययों की वे मदें जो कारोबार के प्रयोजन के लिए नहीं हैं - शून्य

(iii) वे उपगत व्यय जो व्यक्तिगत स्वरूप के हैं और निदेशक मंडल तथा शीर्षस्थ प्रबंधन के लिए किए गए हैं - शून्य

(iv) वर्ष 2010-11 के लिए कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय 0.67% है (पूर्व वर्ष का 0.68%) तथा वर्ष 2010-11 के लिए वित्तीय व्ययों की प्रतिशतता के रूप में 0.70% है (पूर्व वर्ष का 0.71% है)।

गैर-अनिवार्य अपेक्षाएं

सूचीकरण करार के खंड 49 की गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं की स्थिति नीचे दी जा रही है:-

i. **निदेशक मंडल :** कंपनी के प्रमुख एक प्रकार्यात्मक अध्यक्ष हैं। कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल चार अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक पहली बार दिसंबर, 2007/ जनवरी, 2008 में तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किए गए थे और तदनुसार इन चारों अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों की अवधि दिसंबर 2010/जनवरी, 2011 में समाप्त हो गई है। विद्युत मंत्रालय ने जून, 2011 में इन चारों अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों में से दो निदेशकों नामशः डॉ. गोविन्द मारापल्ली राव और डॉ. देवी सिंह, को कंपनी के बोर्ड में आगे तीन वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के रूप में पुनः नियुक्त कर दिया है। अतः कुल मिलाकर नौ वर्ष की अवधि से आगे इसमें वृद्धि होने का प्रश्न नहीं उठता।

ii. **पारिश्रमिक समिति :** निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्णय कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तदनुसार, सूचीकरण करार के अनुसार वित्त वर्ष 2010-11 में कंपनी की कोई पारिश्रमिक समिति नहीं है। तथापि, कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 और 02.04.2009

के तहत लोक उद्यम विभाग के निदेशानुसार, आरईसी बोर्ड ने 20.04.2009 को वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील पूल तथा विहित सीमा के भीतर कार्यपालकों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों के बीच उसके वितरण हेतु नीति का निश्चय करने के लिए पारिश्रमिक समिति गठित की है।

iii. **शेयरधारकों के अधिकार:** कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणामों को निगमित सुशासन पर रिपोर्ट के मद ' संचार के साधन' के तहत उल्लिखित अग्रणी समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाता है और कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला जाता है। ये परिणाम शेयरधारकों को अलग से परिचालित नहीं किए जाते।

iv. **लेखापरीक्षा अर्हता:** वित्त वर्ष 2010-11 के लेखापरीक्षा विश्लेषण/ टिप्पणियां और प्रबंधन वर्ग का उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट के पैरा 34.1 में दिए गए हैं।

v. **निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण :** यह आवश्यकता आधारित है।

vi. **निदेशक मंडल के गैर-प्रकार्यात्मक सदस्यों के मूल्यांकन की प्रणाली :** इस समय ऐसी कोई प्रणाली नहीं है।

vii. **व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी/लोक हित प्रकटन पर भारत सरकार का संकल्प और इनफार्मर (पीआईडीपीआई)का संरक्षण संकल्प:-**

आरईसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय आदेश सं. 33/5/ 2004 दिनांक 17 मई, 2004 के जरिए जारी व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी(पीआईडीपीआई संकल्प)को अपना लिया है और इस पॉलिसी को सतर्कता प्रभाग ने अक्तूबर, 2010 में जारी की गई ''सतर्कता पुस्तिका'' में शामिल भी कर लिया है।

9. संचार के साधन :

कंपनी अपने शेयरधारकों को वेबसाइट के माध्यम से अपनी वार्षिक रिपोर्ट, साधारण बैठकों और प्रकटनों की संसूचना देती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट में भी उल्लिखित होती है जिसमें अन्य बातों के साथ, लेखा परीक्षित खाते, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी), लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अंतर्विष्ट होती हैं, जिसे सदस्यों और उसके हकदार अन्य व्यक्तियों को परिचालित किया जाता है।

कंपनी निवेशक सम्मेलनों के माध्यम से भी अपने संस्थागत निवेशकों के साथ संपर्क बनाए रखती है।

कंपनी के तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किए जाते हैं और दि इकनोमिक टाइम्स, दि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिन्दुस्तान (हिंदी), नवभारत टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड(हिंदी), मिंट, फाइनेंशियल क्रोनिकल, इंडियन एक्सप्रैस, दैनिक भास्कर, बिजनेस भास्कर इत्यादि जैसे वित्तीय एवं राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। ये परिणाम निगम की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

10. सीईओ/ सीएफओ प्रमाणन

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार अपेक्षित श्री हरि दास खुंटेटा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)और श्री वी.के.अरोड़ा, कार्यकारी निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र दिनांक 24 मई, 2011 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष तब प्रस्तुत किया गया जब 31.3.2011 को समाप्त अवधि के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों पर विचार किया गया।

11. सामान्य शेयरधारक सूचना

(i) 2010-11 के लिए वार्षिक आम बैठक

दिनांक	समय	स्थान
17 सितंबर, 2011	11.00 बजे पूर्वाह्न	एयर फोर्स आडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, धौला कुआं, नई दिल्ली - 110010

(ii) वर्ष 2011-12 के लिए वित्तीय कैलेंडर

विशिष्टियां	तारीख
लेखाकरण अवधि	1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012
पहली तीन तिमाहियों के लिए गैर-लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 45 दिन के भीतर घोषणा
चौथी तिमाही के परिणाम	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से साठ दिन के भीतर लेखा परीक्षित वार्षिक खातों की घोषणा
वार्षिक आम बैठक (आगामी वर्ष)	सितंबर 2012 (अनंतिम)

(iii) लाभांश का भुगतान

क. वित्त वर्ष 2010-11 के लिए लाभांश

(1) अंतरिम लाभांश का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 और कंपनी (लाभ का आरक्षित निधि में अंतरण)नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 104 के अनुसरण में कंपनी ने वित्त वर्ष 2010-11 के लिए फरवरी 2011 में ₹3.50 प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹10 के अंकित मूल्य पर) का अंतरिम लाभांश अदा किया।

(2) अंतिम लाभांश का विवरण:

निदेशक मंडल ने दिनांक 24 मई, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2010-11 के लिए ₹4.00 प्रति शेयर (प्रत्येक ₹10 के अंकित मूल्य पर) का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है। यह सिफारिश दिनांक 17.09.2011 को आयोजित की जाने वाली आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए कुल लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित) 7.50 प्रति शेयर (प्रत्येक ₹10 के अंकित मूल्य पर) होगा।

ख. पिछले पांच वर्षों के लिए लाभांश का विवरण

वर्ष	कुल अदा की गई पूंजी (₹करोड़)	अदा किए गए लाभांश की कुल रकम (₹करोड़)	लाभांश की दर (प्रतिशत)	भुगतान की तारीख (अंतरिम और अंतिम)
2005-06	780.60	191.26	24.50	2 मार्च, 2006 (अंतरिम) और 25 सितंबर, 2006 (अंतिम)
2006-07	780.60	177.00	22.67	5 अक्तूबर, 2007 (अंतिम)
2007-08	858.66	257.60	30.00	1 अक्तूबर, 2008 (अंतिम)
2008-09	858.66	386.40	45.00	5 मार्च, 2009 (अंतरिम) और 25 सितंबर, 2009 (अंतिम)
2009-10	987.46	603.21	65.00	12 जनवरी, 2010 (अंतरिम) और 15 सितंबर, 2010 (अंतिम)

(iv) खाता बंदी की तारीख :

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां 03 सितंबर, 2011 से 17 सितंबर, 2011 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रखे जाएंगे।

(v) अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए पे आउट तारीख

निदेशक मंडल की सिफारिशों के अनुसार इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 206 ए के प्रावधानों के अनुसार 28 सितंबर, 2011 को उन सदस्यों अथवा इसके अधिदेश, जिनके नाम 17 सितंबर, 2011 को फिजिकल शेयर कंपनी रजिस्टर में दर्शाए गए हैं, को किया जाएगा बशर्ते कि वार्षिक आम बैठक में यह अनुमोदित हो जाए। डिमेटिरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत हिताधिकारिक स्वामित्व विवरण में 2 सितंबर, 2011 को कारोबारी घंटे बंद होने तक दर्शाए नामों के अनुसार ''बेनेफिशयल ओनर्स ''को दिया जाएगा।

(vi) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण

आरईसी के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं :

क्रम सं.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्क्रिप कोड
1.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	आरईसीलिमिटेड
2.	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532955

(vii) स्टॉक कोड : आईएनई020बी01018

(viii) बाजार मूल्य आंकड़े

बीएसई			
मास	उच्च (₹)	निम्न (₹)	बंद होने के समय मूल्य(₹)
अप्रैल, 10	267.90	243.00	253.45
मई, 10	294.70	250.00	289.85
जून, 10	309.15	265.10	304.15
जुलाई, 10	308.55	288.55	303.35
अगस्त, 10	340.90	303.60	328.25
सितंबर, 10	361.00	325.30	342.40
अक्तूबर, 10	409.50	348.80	369.60
नवंबर, 10	383.00	299.20	349.70
दिसंबर, 10	364.90	276.75	298.20
जनवरी, 11	302.95	241.50	244.10
फरवरी, 11	271.70	216.50	234.85
मार्च, 11	266.25	216.60	254.15

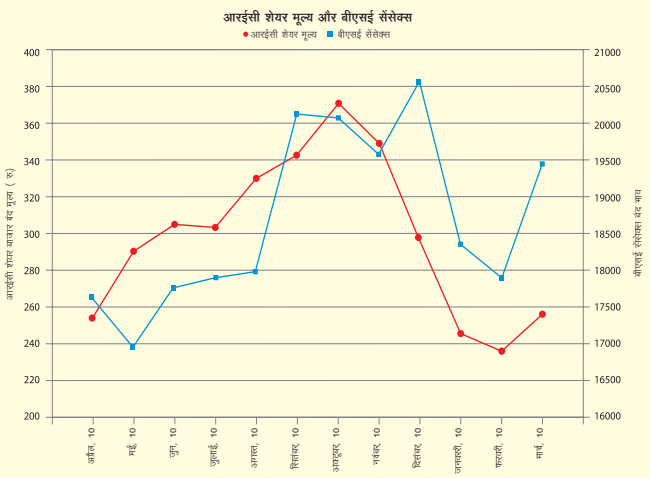

एनएसई			
मास	उच्च (₹)	निम्न (₹)	बंद होने के समय मूल्य(₹)
अप्रैल, 10	267.85	246.00	253.70
मई, 10	295.40	250.00	290.75
जून, 10	309.40	270.00	304.55
जुलाई, 10	308.90	288.70	303.25
अगस्त, 10	339.70	302.75	328.30
सितंबर, 10	360.60	325.55	342.85
अक्तूबर, 10	413.80	344.25	370.65
नवंबर, 10	383.40	298.30	349.40
दिसंबर, 10	364.90	276.60	299.10
जनवरी, 11	303.00	241.30	243.65
फरवरी, 11	272.00	215.70	235.65
मार्च, 11	266.60	216.45	253.70

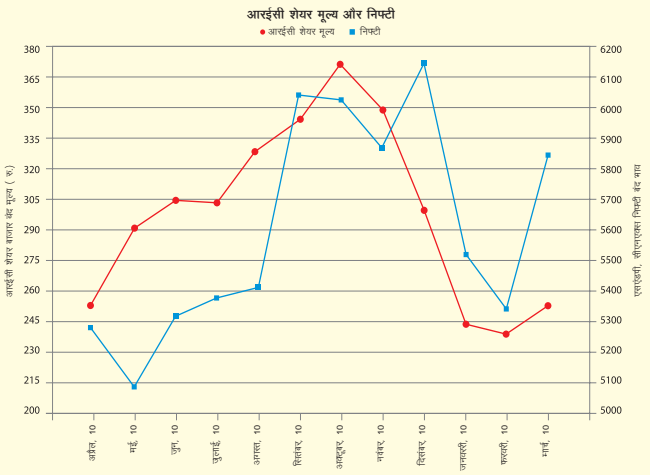

(ix) रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
प्लाट 17 से 24, विट्ठलराव नगर,
मढ़ापुर, हैदराबाद-500081, भारत,
दूरभाष : 91 40 44655141/44655131
फैक्स : 91 40 23420814,
ई-मेल : svraju@karvy.com/ sbreddy@karvy.com/ einward.ris@karvy.com
वेबसाइट : www.karvy.com

(x) शेयर अंतरण प्रणाली

फिजिकल सेग्मैंट वाले शेयरों को कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टीए) के माध्यम से अंतरित किया जाता है। कार्वी अंतरिती से अंतरण विलेख सहित अंतरित किए जाने वाले शेयरों को प्राप्त करता है, इनका सत्यापन करता है और इनका अंतरण ज्ञापन आदि तैयार करता है। प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 इक्विटी शेयरों तक फिजिकल शेयरों के विभाजन/समेकन और अंतरण के अनुरोध को मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीधे ही अनुमोदित किया जाता है।

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में, प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 से अधिक इक्विटी शेयरों के वास्तविक अंतरण हेतु शेयरधारकों

से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और उनका अनुमोदन करने तथा शेयरों के विभाजन/समेकन हेतु अनुरोध के अनुमोदन के लिए शेयर अंतरण समिति भी गठित की गई है।

इसके अतिरिक्त, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से शेयर अंतरण औपचारिकताओं के सम्यक अनुपालन की पुष्टि करते हुए सूचीकरण करार के खंड 47(ग) के अनुसरण में छःमाही आधार पर स्टॉक एक्सचेंज प्रमाणपत्र नियत समय में स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत कर दिया है।

(xi) शेयरधारिता का वितरण

- **31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण**

शेयरों की सं.	शेयधारकों की सं.	शेयधारकों का प्रतिशत	शेयरों की कुल संख्या	रकम(₹)	शेयरों का प्रतिशत
1-5000	261446	97.34	24030459	240304590	2.44
5001-10000	4278	1.60	2998646	29986460	0.30
10001-20000	1237	0.46	1797472	17974720	0.18
20001-30000	410	0.15	1029460	10294600	0.10
30001-40000	199	0.07	702418	7024180	0.07
40001-50000	151	0.06	697879	6978790	0.07
50001-100000	249	0.09	1804446	18044460	0.18
100001 & Above	620	0.23	954398220	9543982200	96.66
जोड़	**268590**	**100**	**987459000**	**9874590000**	**100**

- **31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का प्रतिरूप**

श्रेणी	शेयरों की कुल संख्या	इक्विटी का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	659607000	66.80
बैंक	2650546	0.27
हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	1367388	0.14
विदेशी संस्थागत निवेशक	205084533	20.77
निकाय निगमित	43226161	4.38
अनिवासी भारतीय	737328	0.07
निवासी भारतीय	30814356	3.12
न्यास	207589	0.02
क्लियरिंग सदस्य	1568880	0.16
म्यूचुअल फंड	17297827	1.75
भारतीय वित्तीय संस्थान	1102901	0.11
बीमा कंपनियां	23794291	2.41
विदेशी नागरिक	200	नगण्य
जोड़	**987459000**	**100**

(xii) शेयरों का डिमेटीरियलाइजेशन

कंपनी के शेयर अनिवार्य डिमेटीरियलाइजेशन सेगमेंट में हैं और राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और केंद्रीय डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों के ट्रेडिंग प्रणाली के लिए उपलब्ध हैं।

31.03.2011 को समाप्त तिमाही की शेयर केपिटेल लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त की गई थी, का समाधान यह पुष्टि करते हुए कि कुल जारी/प्रदत्त पूंजी वास्तविक रूप में 31 मार्च, 2011 को एनएसडीएल और सीएसडीएल के पास धारित डिमेटीरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या करार के अनुसार है और नियत समय में स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत की गई थी।

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार डिमेटीरियलाइज्ड और फिजिकल रूप में धारित शेयरों की संख्याः-

श्रेणी	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	जारी किए गए कुल शेयरों का प्रतिशत
फिजिकल	6912	10521	नगण्य
एनएसडीएल	186190	977927979	99
सीडीएसएल	75488	9520500	1
जोड़	**268590**	**987459000**	**100**

(xiii) बिना दावे के शेयरों का विवरण

कंपनी ने फरवरी, 2008 में 15,61,20,000 इक्विटी शेयरों का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम शुरू किया, जिसमें कंपनी के 7,80,60,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम शामिल था और भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित उतने ही शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव था।

आगे, कंपनी ने फरवरी, 2010 में 17,17,32,000 इक्विटी शेयरों का अनुवर्त्ती सार्वजनिक निर्गम शुरू किया, जिसमें कंपनी के 12,87,99,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम शामिल था और भारत के राष्ट्रपति के 4,29,33,000 शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव था।

सूचीकरण करार की धारा 5 ए के अनुसार, दावारहित शेयरों की 31मार्च, 2011 के अनुसार संख्या निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	विवरण	मामलों की सं.	शामिल शेयरों की सं.
आईपीओ-1.4.2010 से 31.3.2011			
1.	शेयरधारकों और बकाया दावारहित शेयरों की 1.4.2010 के अनुसार कुल संख्या।	417	34510
2.	जिन शेयरधारकों ने वर्ष के दौरान दावारहित शेयरों के अंतरण के लिए अनुरोध किया।	99	8487
3.	शेयरधारकों की सं., जिनको दावारहित शेयर अंतरित किए गए।	99	8487
4.	शेयरधारकों और बकाया दावारहित शेयरों की 31.3.2011 के अनुसार कुल सं.।	318	26023
एफपीओ-1.4.2010 से 31.3.2011			
1.	शेयरधारकों और बकाया दावारहित शेयरों की 1.4.2010 के अनुसार कुल संख्या।	86	18420
2.	जिन शेयरधारकों ने वर्ष के दौरान दावारहित शेयरों के अंतरण के लिए अनुरोध किया।	78	17730
3.	शेयरधारकों की सं., जिनको दावारहित शेयर अंतरित किए गए।	78	17730
4.	शेयरधारकों और बकाया दावारहित शेयरों की 31.3.2011 के अनुसार कुल संख्या।	8	690

उक्त शेयरों के संबंध में वोट देने का अधिकार उस समय तक बंद रखा जाएगा जब तक सही मालिक ऐसे शेयरों का दावा नहीं करता है।

(xiv) बकाया जीडीआर/ एडीआर/ वारंट अथवा अन्य परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किए गए हैं।

(xv) 31 मार्च, 2011 के अनुसार निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	निदेशक का पदनाम	शेयरों की संख्या
1.	श्री हरि दास खुंटेटा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)	5000
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	4030
3.	श्री देवेन्द्र सिंह	सरकारी नामिती निदेशक	शून्य
4.	डॉ. देवी सिंह	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	शून्य
5.	डॉ.गोविंद मारापल्ली राव	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	शून्य
6.	श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	शून्य

(xvi) डाक द्वारा मतपत्र

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान डाक मतपत्र के जरिए कोई संकल्प पारित नहीं किया गया।

(xvii) संयंत्र की अवस्थिति : लागू नहीं

(xviii) पत्राचार के लिए पता

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003, भारत
वेबसाइट: www.recindia.nic.in

(xix) कंपनी सचिव और लोक प्रवक्ता

श्री राकेश कुमार अरोड़ा
दूरभाष : 91 11 24367305
फैक्स : 91 11 24362039
ई-मेल: rkarora@recl.nic.in

अनुबंध–3

निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र

सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
नई दिल्ली

हमने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा निष्पादित सूचीकरण के खंड 49 और लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशानर्देशों के खंड 8.2.1 में उल्लेख किया गया है, **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** (''कंपनी'') द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच निगम द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निगमित सुशासन की उन शर्तों का अनुपालन किया है, जिनका स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी के सूचीकरण के खंड 49 और लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों के खंड 8.2.1 में उल्लेख किया गया है। लेकिन दिसंबर, 2010/जनवरी, 2011 में अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशकों की सेवा निवृत्ति के कारण 16.12.2010 से 31.03.2011 तक की अवधि के दौरान निदेशक मंडल और लेखापरीक्षा समिति का जो गठन किया गया था वह सूचीकरण करार के खंड 49 के उप-खंड (i) (क) और (ii) (क) और केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों के लिए कारपोरेट शासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 और 4.1.1 के प्रावधानों के अनुसार नहीं था।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मार्गदर्शन टिप्पणी की अपेक्षानुसार हमने समीक्षा की है और यह देखा है कि कंपनी द्वारा रखे गए रिकार्डों के अनुसार किसी भी निवेशक की कोई शिकायत एक माह से अधिक की अवधि के लिए लंबित नहीं थी।

हम यह और उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन कंपनी की उस भावी व्यवहार्यता अथवा दक्षता या प्रभावशीलता का कोई आश्वासन नहीं है, जिसके अनुसार प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते **बंसल एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता सं. 070811
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 001113एन

कृते **के.जी. सोमानी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं. 88155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 006591 एन

दिनांक: 07 जुलाई, 2011
स्थान: नई दिल्ली

वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2011 के अनुसार तुलन-पत्र

(₹ लाख में)

	अनुसूची संख्या	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार
निधियों के स्रोत			
शेयरधारकों की निधियां:			
पूंजी	1	**98,745.90**	98,745.90
आरक्षित तथा अधिशेष	2	**1,180,115.61**	1,009,287.59
		1,278,861.51	1,108,033.49
ऋण निधियां:			
प्रतिभूति ऋण	3	**4,626,743.07**	4,624,473.81
अप्रतिभूत ऋण	4	**2,373,639.06**	970,349.03
		7,000,382.13	5,594,822.84
कुल		**8,279,243.64**	6,702,856.33
निधियों का उपयोग			
अचल परिसंपत्तियां	5		
सकल ब्लॉक		**8,449.94**	8,337.61
घटाया मूल्यह्रास		**1,925.48**	1,628.10
निवल ब्लॉक		**6,524.46**	6,709.51
चालू पूंजीगत कार्य		**2,281.67**	2,281.41
निवेश	6	**81,242.88**	90,985.87
ऋण	7	**8,213,205.90**	6,645,261.38
आस्थगित कर देयता (-) देनदारी	8	**1,277.29**	736.76
चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम:	9		
नकदी तथा बैंक शेष		**283,189.01**	139,031.22
अन्य चालू परिसंपत्तियां		**53,925.56**	57,929.02
ऋण तथा अग्रिम		**7,356.72**	11,409.90
		344,471.29	208,370.14
घटाएं: चालू देयताएं तथा प्रावधान:	10		
देयताएं		**313,389.77**	196,134.15
प्रावधान		**56,370.08**	55,354.59
		369,759.85	251,488.74
निवल चालू परिसम्पत्तियां		**-25,288.56**	-43,118.60
कुल		**8,279,243.64**	6,702,856.33

खातों पर टिप्पणियां 17

अनुसूची 1 से 17 और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, जो खाते का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं.. : 88155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 006591एन

कृते बंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता सं.. : 70811
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 001113एन

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24 मई, 2011

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

वी.के. अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

पी.जे. ठक्कर
निदेशक (तकनीकी)

एच.डी. खुंटेटा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)

राकेश के. अरोड़ा
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(₹ लाख में)

	अनुसूची संख्या	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
आय			
प्रचालन आय (निवल)	11	**825,691.11**	654,975.79
अन्य आय	12	**23,835.42**	15,784.49
जोड़		**849,526.53**	670,760.28
व्यय			
ब्याज तथा अन्य प्रभार	13	**478,092.23**	389,120.24
स्थापना व्यय	14	**12,746.65**	11,710.10
प्रशासन व्यय	15	**3,366.59**	2,767.61
बांड/ऋण लिखत निर्गम व्यय	16	**7,008.82**	1,994.55
अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		**22.17**	22.18
मूल्यह्रास		**304.16**	215.50
जोड़		**501,540.62**	405,830.18
कर पूर्व लाभ और अन्य पूर्वावधि मदें		**347,985.91**	264,930.10
कर पूर्व लाभ पूर्वावधि समायोजन- व्यय/(आय) (निवल)		**323.10**	10.67
कर से पहले लाभ		**347,662.81**	264,919.43
कर के लिए प्रावधान			
कर-चालू वर्ष		**90,846.74**	69,558.67
- पिछला वर्ष		**363.52**	2.83
- पिछले वर्षों का समायोजन		**-**	-4,835.11
- आस्थगित कर-चालू वर्ष		**-540.53**	51.46
जोड़		**90,669.73**	64,777.85
कर पश्चात् तथा विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ		**256,993.08**	200,141.58
जोड़ें: आस्थगित कर देयता की वापसी-पिछले वर्ष		**-**	32,576.87
विनियोजन हेतु उपलब्ध कुल रकम		**256,993.08**	232,718.45
विनियोजन:			
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(8) के अंतर्गत विशेष आरक्षित को अंतरित		**61,011.00**	45,803.00
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(7ए) के अंतर्गत अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु आरक्षित		**14,409.00**	10,760.00
लाभांश			
- अंतरिम लाभांश		**34,561.07**	25,759.80
- प्रस्तावित (अंतिम)		**39,498.36**	34,561.07
उपजोड़ (लाभांश)		**74,059.43**	60,320.87
लाभांश वितरण पर कर			
- अंतरिम लाभांश		**5,739.33**	4,377.03
- प्रस्तावित (अंतिम)		**6,407.62**	5,740.16
उप जोड़ (लाभांश वितरण पर कर)		**12,146.95**	10,117.19
सामान्य आरक्षित को अंतरित		**26,000.00**	50,000.00
तुलन पत्र को ले जाया गया अधिशेष		**69,366.70**	55,717.39
जोड़		**256,993.08**	232,718.45
- प्रत्येक ₹ 10/- के प्रति शेयर पर बेसिक एवं डायल्यूटिड अर्निंग - राशि रुपये में [(खाते पर टिप्पणी सं. 23 देखें (अनुसूची - 17)]		**26.03**	23.06
- ऋण सेवा कवरेज अनुपात		**0.51**	0.39
- समायोजित डीएससीआर = ब्याज से पूर्व आय तथा कर + मूलधन प्राप्त ऋण परिसंपत्ति चुकौती/ (ऋणों का ब्याज + मूलधन चुकौती)		**1.04**	0.73
- ब्याज सेवा कवरेज अनुपात		**1.72**	1.68

अनुसूची 1 से 17 और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, जो खाते का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं.. : 88155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 006591एन

कृते बंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता सं.. : 70811
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 001113एन

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24 मई, 2011

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

वी.के. अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

पी.जे. ठक्कर
निदेशक (तकनीकी)

एच.डी. खुंटेटा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)

राकेश के. अरोड़ा
कंपनी सचिव

अनुसूची '1' पूंजी

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
प्राधिकृत		
प्रत्येक ₹10/- के 1200,000,000 (पिछले वर्ष 1200,000,000) के इक्विटी शेयर	**120,000.00**	120,000.00
निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त		
प्रत्येक ₹10/- के 987,459,000 (पिछले वर्ष 987,459,000) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	**98,745.90**	98,745.90
जोड़	**98,745.90**	98,745.90

अनुसूची '2' आरक्षित और अधिशेष

(₹ लाख में)

	01.04.2010 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31.03.2011 को अंत शेष
(क) पूंजीगत आरक्षित				
i) पूंजीगत आरक्षित (यूएसएआईडी से अनुदान)	10,500.00	-	-	**10,500.00**
ii) प्रतिभूति प्रीमियम*	322,201.81	45.73	4.41	**322,243.13**
उप-जोड़ (क)	332,701.81	45.73	4.41	**332,743.13**
(ख) अन्य आरक्षित				
i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित	329,582.77	61,011.00	-	**390,593.77**
ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु आरक्षित	45,129.13	14,409.00	-	**59,538.13**
iii) सामान्य आरक्षित	218,767.25	26,000.00	-	**244,767.25**
iv) लाभ और हानि खाता	83,106.63	69,366.70	-	**152,473.33**
उप-जोड़ (ख)	676,585.78	170,786.70	-	**847,372.48**
जोड़ (क+ख)	1,009,287.59	170,832.43	4.41	**1,180,115.61**

* परिवर्धन में निर्गम व्यय का आरईसी का शेयर शामिल है जिसका प्रावधान पूर्व में किया गया था और जिसे अब शेयर के फरदर पब्लिक ऑफरिंग से संबंधित एनएसई/बीएसई/सेबी से प्राप्त रकम से समायोजित/वापस किया गया है।

* मूल्यह्रास में शेयरों के फरदर पब्लिक ऑफरिंग के संबंध में चालू वर्ष में खर्च किए गए शुल्कों/कमीशन की रकम दर्शाई गई है।

अनुसूची '3' प्रतिभूत ऋण

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
बैंक/संस्थानों से सावधि ऋण (प्राप्य के विरूद्ध प्रतिभूत)	**104,212.71**	166,842.86
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण (प्राप्य के विरूद्ध प्रतिभूत)	**285,000.00**	320,000.00
आईआईएफसीएल से ऋण (उपलब्ध पुनः वित्त की सुविधा को समरूप आधार पर वर्तमान और भावी प्रतिभूति की पूलिंग के अनुसार रक्षित किया गया)	**187,000.00**	87,000.00
बांड द्वारा ऋण (संचयी तथा गैर-संचयी)		

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
(प्राप्य के प्रति प्रभार द्वारा प्रतिभूत तथा/महाराष्ट्र और दिल्ली में अचल संपत्ति जो कि निजी स्थापन की शर्तों और संबंधित न्यासियों की संतुष्टि के अनुसार है)		
दीर्घावधि		
1 कर मुक्त प्रतिभूत बांड		
53वीं श्रृंखला - 7.10% सममूल्य पर 23.03.2011 को विमोचनीय	-	5,000.00
2 कर योग्य प्रतिभूत बांड		
69वीं श्रृंखला - 6.05% सममूल्य पर 23.01.2014 को विमोचनीय	**40,152.00**	53,536.00
72वीं श्रृंखला - 6.60% सममूल्य पर 18.08.2011 को विमोचनीय	**11,370.00**	11,370.00
73वीं श्रृंखला - 6.90% सममूल्य पर 08.10.2014 को विमोचनीय	**18,712.00**	23,390.00
75वीं श्रृंखला - 7.20% सममूल्य पर 17.03.2015 को विमोचनीय	**40,000.00**	50,000.00
77वीं श्रृंखला - 7.30% सममूल्य पर 30.06.2015 को विमोचनीय	**98,550.00**	98,550.00
78वीं श्रृंखला - 7.65% सममूल्य पर 31.01.2016 को विमोचनीय	**179,570.00**	179,570.00
79वीं श्रृंखला - 7.85% सममूल्य पर 14.03.2016 को विमोचनीय	**50,000.00**	50,000.00
80वीं श्रृंखला - 8.20% सममूल्य पर 20.03.2016 को विमोचनीय	**50,000.00**	50,000.00
81वीं श्रृंखला - 8.85% सममूल्य पर 20.01.2017 को विमोचनीय	**31,480.00**	31,480.00
82वीं श्रृंखला - 9.85% सममूल्य पर 28.09.2017 को विमोचनीय	**88,310.00**	88,310.00
83वीं श्रृंखला - 9.07% सममूल्य पर 28.02.2018 को विमोचनीय	**68,520.00**	68,520.00
84वीं श्रृंखला - 9.45% सममूल्य पर 04.04.2013 को विमोचनीय	**100,000.00**	100,000.00
85वीं श्रृंखला - 9.68% सममूल्य पर 13.06.2018 को विमोचनीय	**50,000.00**	50,000.00
86वीं श्रृंखला - 10.75% सममूल्य पर 24.07.2013 को विमोचनीय	**72,790.00**	72,790.00
86-क श्रृंखला - 10.70% सममूल्य पर 29.07.2018 को विमोचनीय	**50,000.00**	50,000.00
86-ख-1 श्रृंखला - 10.95% सममूल्य पर 14.08.2011 को विमोचनीय	**92,420.00**	92,420.00
86-ख-2 श्रृंखला - 10.90% सममूल्य पर 14.08.2013 को विमोचनीय	**35,410.00**	35,410.00
86-ख-3 श्रृंखला - 10.85% सममूल्य पर 14.08.2018 को विमोचनीय	**43,200.00**	43,200.00
87-1 श्रृंखला - 10.90% सममूल्य पर 30.09.2013 को विमोचनीय	**37,020.00**	37,020.00
87-2 श्रृंखला - 10.85% सममूल्य पर 30.09.2018 को विमोचनीय	**65,740.00**	65,740.00
87-क-1 श्रृंखला - 11.35% सममूल्य पर 24.10.2013 को विमोचनीय	**24,970.00**	24,970.00
87-क-2 श्रृंखला - 11.20% सममूल्य पर 24.10.2018 को विमोचनीय	**3,640.00**	3,640.00
87-क-3 श्रृंखला - 11.15% सममूल्य पर 24.10.2018 को विमोचनीय	**6,180.00**	6,180.00
87-ख श्रृंखला - 11.75% सममूल्य पर 03.11.2011 को विमोचनीय	**94,090.00**	94,090.00
87-ग-1 श्रृंखला - 11.45% सममूल्य पर 26.05.2010 को विमोचनीय	-	22,910.00
87-ग-2 श्रृंखला - 11.45% सममूल्य पर 26.11.2010 को विमोचनीय	-	59,150.00
87-ग-3 श्रृंखला - 11.50% सममूल्य पर 26.11.2013 को विमोचनीय	**86,000.00**	86,000.00
88वीं श्रृंखला - 8.65% सममूल्य पर 15.01.2019 को विमोचनीय	**149,500.00**	149,500.00
89-1 श्रृंखला - 7.00% सममूल्य पर 02.06.2012 को विमोचनीय	**67,150.00**	67,150.00
89-2 श्रृंखला - 7.70% सममूल्य पर 02.06.2014 को विमोचनीय	**25,500.00**	25,500.00
90वीं श्रृंखला - 8.80% सममूल्य पर 03.08.2019 को विमोचनीय	**200,000.00**	200,000.00
90-क-1 श्रृंखला - 7.15% सममूल्य पर 05.08.2012 को विमोचनीय	**100,000.00**	100,000.00
90-क-2 श्रृंखला - 8.00% सममूल्य पर 05.08.2014 को विमोचनीय	**100,000.00**	100,000.00
90-ख-1 श्रृंखला - 8.35% सममूल्य पर 04.09.2014 को विमोचनीय	**88,390.00**	88,390.00
90-ख-2 श्रृंखला - 8.72% सममूल्य पर 04.09.2019 को विमोचनीय	**86,820.00**	86,820.00
90-ग-1 श्रृंखला - 7.90% सममूल्य पर 06.10.2012 को विमोचनीय	**141,750.00**	141,750.00
90-ग-2 श्रृंखला - 8.80% सममूल्य पर 06.10.2019 को विमोचनीय	**104,000.00**	104,000.00
91-1 श्रृंखला - 7.75% सममूल्य पर 17.11.2012 को विमोचनीय	**94,300.00**	94,300.00
91-2 श्रृंखला - 8.80% सममूल्य पर 17.11.2019 को विमोचनीय	**99,590.00**	99,590.00
92-1 श्रृंखला - 7.60% सममूल्य पर 22.01.2013. को विमोचनीय	**92,460.00**	92,460.00

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
92-2 श्रृंखला - 8.65% सममूल्य पर 22.01.2020 को विमोचनीय	**94,530.00**	94,530.00
93-1 श्रृंखला - 7.65% सममूल्य पर 19.02.2013 को विमोचनीय	**14,150.00**	14,150.00
93-2 श्रृंखला - 8.45% सममूल्य पर 9.02.2015 को विमोचनीय	**44,310.00**	44,310.00
केपिटल गेन्स बांड (सममूल्य पर विमोचन योग्य)		
श्रृंखला-4	**97.30**	131.80
श्रृंखला-5	-	42,481.60
श्रृंखला-6	**46,890.50**	53,628.50
श्रृंखला-7	-	340,274.40
श्रृंखला-8	**252,523.30**	252,523.30
श्रृंखला-8 (2009-10)	**305,777.60**	305,777.60
श्रृंखला-8 (2010-11)	**504,375.40**	-
बांड आवेदन राशि	**172.45**	-
केपिटल गेन्स बांड/बांड आवेदन राशि पर उपचित/देय ब्याज	**119.81**	117.75
कुल प्रतिभूत ऋण	**4,626,743.07**	4,624,473.81
एक वर्ष के अंदर वापसी/विमोचन के लिए देय	**664,133.05**	640,702.59

अनुसूची संख्या 3 की टिप्पणियां :-

₹46,26,743.07 लाख के प्रतिभूत ऋण में निम्नलिखित शामिल हैं:-

क) 69वीं, 73वीं और 77वीं श्रृंखला क्रमशः छठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें वर्ष में सममूल्य पर पांच समान किस्तों में विमोच्य हैं। 69वीं श्रृंखला के बांडों की पहली और दूसरी किस्तें, जो ₹13,384 लाख की है (अर्थात 20 प्रतिशत प्रत्येक) क्रमशः 23 जनवरी, 2010 और 23 जनवरी, 2011 को विमोचित कर दी गई हैं।

ख) 75 श्रृंखला के बांड सममूल्य पर 10 समान किस्तों में विमोचित किए जाएंगे। इन किस्तों का भुगतान एसटीआरपीपीएस के जरिए 5वें वर्ष में, 10वें वर्ष तक छह महीने के अंतराल पर किया जाएगा। इनमें से 50 करोड़ रुपये प्रत्येक की दो किस्तें क्रमशः 17 सितंबर, 2010 और 17 मार्च, 2011 को विमोचित कर दी गई हैं।

ग) 78वीं, 79वीं, 80वीं, 81वीं, 82वीं, 83वीं, 85वीं, 86ए, 86बी-III, 87-II, 87ए-II, 87-एIII, 88वीं, 90वीं, 90बी-II, 90-सी-II, 91-II और 92-II श्रृंखला 110 वर्ष के अंत में अर्थात क्रमशः 31.1.2016, 14.3.2016, 20.3.2016, 20.1.2017, 28.9.2017, 28.2.2018, 13.6.2018, 29.7.2018, 14.8.2018, 30.9.2018, 24.10.2018, 24.10.2018, 15.1.2019, 3.8.2019, 4.9.2019, 6.10.2019, 17.11.2019 और 22.1.2020 को सममूल्य पर विमोच्य हैं।

घ) 84वीं, 86वीं, 86बी-III, 87-I, 87ए-I, 87सी-III, 89-II, 90ए-II, 90बी-II और 93-II श्रृंखलाएं 5 वर्ष के अंत में अर्थात क्रमशः 4.4.2013, 24.7.2013, 14.8.2013, 30.9.2013, 24.10.2013, 26.11.2013, 2.6.2014, 5.8.2014, 4.9.2014 और 19.2.2015 को सममूल्य पर विमोच्य हैं।

ड.) 86 बी-I, 80बी, 89-I, 90ए-I, 90 सी-II, 91-I, 92-I और 93-I श्रृंखलाएं 3 वर्ष के अंत में अर्थात क्रमशः 14.8.2011, 3.11.2011, 2.6.2012, 5.8.2012, 6.10.2012, 17.11.2012, 22.1.2013 और 19.2.2013 को सममूल्य पर विमोच्य हैं।

च) (i) 87 ए-I श्रृंखला के बांडों में 3 वर्ष के अंत में अर्थात 24.10.2011 को पुट/काल करने के विकल्प हैं।

(ii) 87 ए-II श्रृंखला के बांडों में 5 वर्ष के अंत में अर्थात 24.10.2013 को पुट/काल करने के विकल्प हैं। बांड धारकों द्वारा पुट विकल्प का इस्तेमाल करने पर 72वीं श्रृंखला के ₹ 27200 लाख के बांड 18.8.2009 को विमोचित कर दिए गए थे तथा शेष ₹ 11,370 लाख के बांड 18.8.2011 को विमोच्य हैं।

(iii) 87 सी-I श्रृंखला 26.5.2010 को विमोचित कर दी गई है।

(iv) 87 सी-II श्रृंखला 26.11.2010 को विमोचित कर दी गई है।

छ) पूंजीगत लाभ कर छूट बांड को 3/5/7 वर्षों की अवधि हेतु अर्द्धवार्षिक/वार्षिक रूप से देय 5.50 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत तक की दर पर तथा संचित विकल्पों के साथ जारी किया जाता है। इन बांडों में 3/5वर्ष के अंत में पुट/काल का विकल्प होता है। वर्तमान वर्ष 2010-11 में जारी पूंजीगत लाभ कर छूट बांड श्रृंखला VIII, 2010-11, 3 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए गए थे जिसकी ब्याज की 6 प्रतिशत दर प्रतिवर्ष देय है। तीन वर्ष की लॉक इन अवधि के बाद इन बांडों को स्वतः विमोचित कर दिया जाएगा।

अनुसूची '4' अप्रतिभूत ऋण

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
भारत सरकार से ऋण	**3,612.68**	4,941.84
सावधि ऋण		
बैंकों से दीर्घावधि ऋण	**542,701.00**	414,300.00
नकद ऋण सीमाएं	-	63,000.00
विदेशी मुद्रा ऋण		
दीर्घावधि		
ईसीबी-बैंकों से सिंडिकेट ऋण	**87,026.32**	87,026.32
जेबीआईसी ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	**112,526.99**	78,839.17
केएफडब्ल्यू ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	**38,484.33**	41,771.66
ईसीबी-बैंकों से सिंडिकेट ऋण - II	**178,748.13**	-
द्विपक्षीय सावधि ऋण -मॉरीशस-यूएस 70 मिलियन डालर	**31,255.00**	-
आरईजी एस बांड-यूएस-500 मिलियन डालर	**223,250.00**	-
घटाएं: अनआर्मोटाइज्ड छूट	**-2,258.96**	-
	220,991.04	-
द्विपक्षीय सावधि ऋण -मिजूहो- अप्रतिभूत-यूएस 100 मिलियन डालर	**44,650.00**	-
द्विपक्षीय सावधि ऋण-बीटीएमयू-अप्रतिभूत-यूएस 100 मिलियन डालर	**44,650.00**	-
कमर्शियल पेपर	-	245,000.00
बांडों के द्वारा ऋण		
दीर्घावधि		
(क) गैर संचयी, भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत		
22वीं श्रृंखला - 11.5% सममूल्य पर 27.12.2010 को विमोचनीय	-	4,900.00
23वीं श्रृंखला-1 - 12% सममूल्य पर 05.12.2011 को विमोचनीय	**2,265.00**	2,265.00
23वीं श्रृंखला-2 - 12% सममूल्य पर 21.02.2012 को विमोचनीय	**3,035.00**	3,035.00
(ख) अन्य बांड		
31.12.2014 को सममूल्य पर विमोच्य 7.22 प्रतिशत (74वीं श्रृंखला)	**25,000.00**	25,000.00
8.6.2025 को सममूल्य पर विमोच्य 8.75 प्रतिशत (94वीं श्रृंखला)	**125,000.00**	-
12.7.2019 को सममूल्य पर विमोच्य 8.70 प्रतिशत (95-I श्रृंखला)	**20,000.00**	-
12.7.2025 को सममूल्य पर विमोच्य 8.75 प्रतिशत (95-II श्रृंखला)	**180,000.00**	-
25.10.2020 को सममूल्य पर विमोच्य 8.80 प्रतिशत (96वीं श्रृंखला)	**115,000.00**	-
29.11.2020 को सममूल्य पर विमोच्य 8.80 प्रतिशत (97वीं श्रृंखला)	**212,050.00**	-
15.3.2021 को सममूल्य पर विमोच्य 9.18 प्रतिशत (98वीं श्रृंखला)	**300,000.00**	-
जीरो कूपन बांड- श्रृंखला -I 15.12.2020 को विमोचनीय	**53,320.81**	-
जीरो कूपन बांड- श्रृंखला -II 3.2.2021 को विमोचनीय	**11,606.76**	-
बांड आवेदनपत्र राशि	**35.55**	-
अवसंरचना बांड (सममूल्य पर विमोच्य)	**21,680.45**	-
उपचित और देय ब्याज	-	270.04
कुल अप्रतिभूत ऋण	**2373,639.06**	970,349;03
अगले वर्ष के अंतर्गत चुकौती/विमोचन हेतु देय	**239,631.30**	360,828.16

टिप्पणी:

i) ₹2.00 लाख के बांड 31.3.2011 को आरईसी लिमिटेड सीपी ट्रस्ट द्वारा धारित हैं।

ii) वर्ष 2010-11 के दौरान अवसंरचना बांड 8 प्रतिशत से 8.20 प्रतिशत के बीच प्रतिवर्ष देय ब्याज की भिन्न-भिन्न दरों पर 10 वर्ष की अवधि के लिए 5 वर्ष की लॉक इन पीरियड के साथ जारी किए गए हैं।

अनुसूची '5' 31 मार्च, 2011 के अनुसार अचल परिसंपत्तिया

(₹ लाख में)

अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2010 के अनुसार	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्धन	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31.03.2011 के अनुसार लेखाबंदी	31-03-2010 तक	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल्यह्रास का समायोजन	31.03.2011 तक मूल्यह्रास	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
फ्रीहोल्ड भूमि	3,411.94	4.57	-	**3,416.51**	-	-	-	-	**3,416.51**	3,411.94
पट्टे पर भूमि	145.51	-	-	**145.51**	15.60	1.39	-	**16.99**	**128.52**	129.91
भवन	2,225.70	0.88	-	**2,226.58**	532.98	34.48	-	**567.46**	**1,659.12**	1,692.72
फर्नीचर एवं जुड़नार	581.64	18.84	0.47	**600.01**	313.52	30.90	0.17	**344.25**	**255.76**	268.12
ईडीपी उपस्कर	1,078.18	42.17	2.12	**1,118.23**	427.76	124.75	0.53	**551.98**	**566.25**	650.42
कार्यालय उपस्कर	352.20	39.47	1.21	**390.46**	207.32	8.19	0.29	**215.22**	**175.24**	144.88
वाहन	73.51	-	5.75	**67.76**	55.89	2.46	5.64	**52.71**	**15.05**	17.62
कम मूल्य की परिसंपत्तियां-फर्नीचर	12.20	6.90	0.16	**18.94**	12.20	6.89	0.15	**18.94**	-	-
कम मूल्य की परिसपत्तियां-ईडीपी	6.56	2.20	-	**8.76**	6.56	2.20	-	**8.76**	-	-
कम मूल्य की परिसंपत्तियां-कार्यालय उपस्कर	17.27	6.62	-	**23.89**	17.27	6.62	-	**23.89**	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियां (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर)	432.90	0.39	-	**433.29**	39.00	86.28	-	**125.28**	**308.01**	393.90
कुल जोड़	8,337.61	122.04	9.71	**8,449.94**	1,628.10	304.16	6.78	**1,925.48**	**6,524.46**	6,709.51
गत वर्ष	7,110.87	1,268.99	42.25	**8,337.61**	1,447.62	215.50	35.02	**1,628.10**	**6,709.51**	
पूंजीगत डब्ल्यूआईपी	2,281.41	0.26	-	**2,281.67**	-	-	-	-	**2,281.67**	2,281.41
गत वर्ष	2,427.04	821.60	967.23	**2,281.41**	-	-	-	-	**2.281.41**	

टिप्पणी:

- अमूर्त परिसंपत्तियों में बाहर से खरीदे गए ईआरपी साफ्टवेयर/अन्य कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल हैं और एएस-26 की शर्तों के अनुसार इनका भुगतान पांच वर्षों के अंदर किया जाता है।
- पूंजीगत डब्ल्यूआईपीमें मुख्य रूप से वह भूमि शामिल है जिसका कब्जा प्राधिकारियों और अन्य सिविल निर्माण कार्य करने वालों से लिया जाना है।

अनुसूची '6' निवेश

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
(क) दीर्घावधि (अनुद्धृत)		
गैर-व्यापार निवेश		
मध्य प्रदेश सरकार के 8 प्रतिशत के पावर बांड-II जो 1.4.05 से 30 समान प्रत्येक एक बांड अर्द्धवार्षिक किस्तों में परिपक्व होंगे। (₹ 4716 लाख प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 17 बांड) (पिछले वर्ष ₹ 4716 लाख प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 19 बांड)	**80,172.00**	89,604.00
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड	**873.38**	1,184.37
₹ 10.00 प्रति यूनिट के अंकित मूल्य पर 'स्माल इज ब्यूटीफुल' फंड की 87,33,787 यूनिटें (एनएवी ₹ 10.08) (पिछले वर्ष ₹ 9.80 प्रति यूनिट के निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर स्माल इज ब्यूटीफुल' फंड की 1,20,85,400 यूनिटें) (अंकित मूल्य प्रति यूनिट ₹ 10 है)		
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	**125.00**	125.00
₹ 10/- प्रत्येक के 12,50,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹ 10 प्रत्येक के प्रदत्त 12,50,000 इक्विटी शेयर)		
एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लि0	**62.50**	62.50
₹ 10/- प्रत्येक के 625000 प्रदत्त इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹ 10 प्रत्येक के प्रदत्त 6,25,000 इक्विटी शेयर)		
उप जोड़ (क)	**81,232.88**	90,975.87
(ख) अनुषंगी कंपनियों में निवेश		
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में निवेश	**5.00**	5.00
₹ 10/- प्रत्येक के प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर		
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश	**5.00**	5.00
₹ 10/- प्रत्येक के प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर		
उप-जोड़ (ख)	**10.00**	10.00
जोड़ (क+ख) (अनुद्धृत)	**81,242.88**	90,985.87

अनुसूची '7' ऋण

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति		31.03.2010 की स्थिति	
(i) राज्य विद्युत युटिलिटी/राज्य विद्युत बोर्ड/निगम, सहकारी समितियां तथा राज्य सरकारें				
(क) अप्रतिभूत, अच्छे माने गए (संबंधित राज्य सरकार द्वारा गारन्टीशुदा)		**2,190,414.05**		2,134,314.13
(ख) संदेहास्पद वर्गीकृत	**231.76**		231.76	
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**54.35**	**177.41**	32.18	199.58
(ग) ऋणों पर उपचित और देय ब्याज		**456.81**		813.83
(घ) पुनः अनुसूचीबद्ध ऋणों पर उपचित ब्याज		**36,330.21**		43,253.34
(ii) राज्य विद्युत युटिलिटी/राज्य विद्युत बोर्ड/निगम(संबंधित राज्य विद्युत युटिलिटी/ राज्य विद्युत बोर्डों/निगम के साथ संपत्ति/ सामग्री के मालबंधन द्वारा प्रतिभूत)				
(क) अच्छे माने गए		**5,064,343.87**		3,708,522.50
(ख) ऋणों पर उपचित और देय ब्याज		**63.26**		3,426.70
(iii) अन्य(मूर्त परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा प्रतिभूत)				
(क) अच्छे माने गए		**784,201.75**		459,178.64
(ख) संदेहास्पद वर्गीकृत	**1,722.33**		1,722.33	
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**1,722.33**	-	1,722.33	-
(ग) ऋणों पर उपचित और देय ब्याज		**2,017.52**		833.44
(घ) पुनः अनुसूचीबद्ध ऋणों पर उपचित ब्याज		**3,568.78**		801.25
(iv) अन्य (अप्रतिभूत)-अच्छे माने गए				
(क) अच्छे माने गए		**131,631.65**		293,905.45
(ख) ऋणों पर उपचित और देय ब्याज		**0.59**		12.52
जोड़ (i से iv)		**8,213,205.90**		6,645,261.38

अनुसूची '8' आस्थगित कर परिसंपत्ति/(-)देयता

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
अथक शेष	**736.76**	-95,668.52
घटाएं: रिवर्सड	-	96,456.74
	736.76	788.22
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	**540.53**	-51.46
जोड़	**1,277.29**	736.76

अनुसूची 17 की टिप्पणी संख्या 22 लेखाओं पर टिप्पणी का संदर्भ लें

अनुसूची '9' चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति		31.03.2010 की स्थिति	
I चालू परिसंपत्तियां				
क) नकदी तथा बैंक शेष:				
(i) हस्तगत/ट्रांससिट में नकदी/चैक (डाक टिकट तथा अग्रदाय सहित)		**62,606.93**		0.61
(ii) चालू खातों में				
- भारतीय रिजर्व बैंक में		**1.91**		1.87
- अनुसूचित बैंकों में		**43,176.17**		63,671.45
(iii) बचत खातों में				
- अनुसूचित बैंकों में (आरजीजीवीवाई योजना हेतु)		**24,611.11**		418.07
- अनुसूचित बैंकों में (एजी तथा एसपी योजनाओं हेतु)		**751.73**		3,466.58
(iv) अनुसूचित बैंकों के जमा खातों में				
- अन्य		**152,041.16**		71,472.64
कुल- (क)		**283,189.01**		139,031.22
ख) अन्य चालू परिसंपत्तियां				
(i) सावधि जमा पर उपचित किंतु देय नहीं ब्याज		**922.26**		92.22
(ii) निम्नलिखित पर उपचित किंतु देय नहीं ब्याज				
- ऋणों पर		**49,345.19**		48,796.72
- कर्मचारियों को ऋण पर		**249.75**		281.73
(iii) एसईबी/सरकारी विभागों/अन्यों से प्राप्य		**506.58**		659.00
(iv) भारत सरकार से प्राप्य				
- आरजीजीवीवाई व्यय		**464.28**		295.04
- आरजीजीवीवाई सब्सिडी		-		7,804.31
(v) आबंटन होने तक शेयर आवेदनपत्र राशि		**2,437.50**		-
(एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लि. में निवेश)				
जोड़ (ख)		**53,925.56**		57,929.02
II ऋण तथा अग्रिम				
क) ऋण				
(i) कर्मचारी (प्रतिभूत)		**264.63**		177.58
(ii) कर्मचारी (अप्रतिभूत)		**317.83**		515.90
ख) अग्रिम				
(अच्छे माने गए अप्रतिभूत)				
(i) नकदी अथवा वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य		**2,032.78**		2,387.54
(ii) कमर्शियल पेपर पर पूर्वदत्त वित्तीय प्रभार		-		5,174.37
(iii) अग्रिम आयकर और टीडीएस	**272,264.99**		-	
घटाएं: आयकर के लिए प्रावधान	**269,982.31**		-	
शेष अग्रिम आयकर और टीडीएस		**2,282.68**		-
(iv) वसूली योग्य आयकर		**2,458.80**		3,154.51
जोड़-(ग)		**7,356.72**		11,409.90
जोड़-(क+ख+ग)		**344,471.29**		208,370.14

अनुसूची '10' चालू देयताएं और प्रावधान

(₹ लाख में)

		31.03.2011 की स्थिति		31.03.2010 की स्थिति	
क)	**चालू देयताएं**				
	(क) अग्रिम प्राप्तियां		**104.64**		912.07
	(ख) अन्य देयताएं		**3,648.68**		5,940.00
	- माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के देय				
	(ग) (i) संवितरण हेतु भारत सरकार से सब्सिडी/अनुदान	**2,444,522.41**		1,961,406.91	
	(ii) सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज	**6,106.00**		5,090.52	
	जोड़	**2,450,628.41**		1,966,497.43	
	घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित	**-2,362,362.96**		-1,959,821.07	
	अवितरित सब्सिडी/अनुदान		**88,265.45**		6,676.36
	(घ) उपचित किंतु देय नहीं ब्याज				
	- बांडों पर	**189,661.99**		156,827.23	
	- सरकारी/एलआईसी/विदेशी मुद्रा ऋणों पर	**16,095.04**	**205,757.03**	13,839.41	170,666.64
	(ड.) बांडों/सरकारी ऋणों पर दावा नहीं किया गया ब्याज तथा मूलधन				
	- ब्याज	**1,658.94**		1,523.38	
	- मूलधन	**13,665.02**	**15,323.96**	9,950.98	11,474.36
	(च) बैंक के चालू खातों में ओवर ड्राफ्ट		-		-
	(छ) देय उपदान		**290.01**		464.72
	जोड़-(क)		**313,389.77**		196,134.15
ख)	**प्रावधान**				
	(क) आयकर	-		179,170.80	
	घटाएं: अग्रिम आयकर तथा टीडीएस	-		176,205.63	
	आयकर के लिए शेष प्रावधान		-		2,965.17
	(ख) कर्मचारी लाभ		**8,746.92**		5,703.46
	(ग) (i) प्रोत्साहन तथा अनुग्रह राशि हेतु प्रावधान		**1,649.89**		3,975.17
	(ii) वेतन संशोधन		-		3,306.24
			1,649.89		7,281.41
	घटाएं: समायोजन योग्य अग्रिम		**4.49**		968.77
	प्रोत्साहन, अनुग्रह और वेतन संशोधन के लिए शेष प्रावधान		**1,645.40**		6,312.64
	(घ) धन कर		**35.69**		36.00
	(ड.) अनुषंगी लाभ कर		**36.09**		36.09
	(च) प्रस्तावित लाभांश		**39,498.36**		34,561.07
	(छ) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरित कर		**6,407.62**		5,740.16
	जोड़-(ख)		**56,370.08**		55,354.59
	जोड़-(क+ख)		**369,759.85**		251,488.74

अनुसूची '11' प्रचालन आय (निवल)

(₹ लाख में)

		31.03.2011 की स्थिति के अनुसार		31.03.2010 की स्थिति के अनुसार	
क.	**ऋण देने के प्रचालनों पर**				
	ऋणों पर ब्याज				
	- दीर्घावधि वित्त-पोषण	**767,320.16**		608,425.48	
	घटाएं: समय पर भुगतान/पूर्ण करने आदि हेतु छूट	**785.00**	**766,535.16**	977.48	607,448.00
	- अल्पावधि वित्त-पोषण		**44,342.15**		35,637.42
			810,877.31		643,085.42
ख.	**प्रसंस्करण शुल्क, अपफ्रंट शुल्क, लीड फीस, एलसी कमीशन आदि**		**6,038.26**		4,253.88
ग.	**पूर्व भुगतान प्रीमियम**		**4,055.11**		1,784.80
घ.	**आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन/अन्यों हेतु एजेंसी/हैंडलिंग प्रभार**		**4,720.43**		5,851.69
	जोड़		**825,691.11**		654,975.79

अनुसूची '12' अन्य आय

(₹ लाख में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष		31.03.2010 को समाप्त वर्ष	
क. निवेश/जमा प्रचालनों पर				
म्युचुअल फंड पर लाभांश	**347.44**		978.98	
जमाओं पर ब्याज	**4,475.69**		2,035.78	
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	**6,979.68**	**11,802.91**	7,734.24	10,749.00
(टीडीएस ₹ शून्य लाख, गत वर्ष ₹ 448.83 लाख)				
ख. अन्य आय				
विनिमय दर में अंतर (निवल)		**8,533.04**		-
वापस किया गया अधिक प्रावधान		**2,924.47**		3,476.05
आयकर वापसी पर ब्याज		-		855.06
स्टाफ अग्रिमों पर ब्याज		**27.86**		66.22
सहायक कंपनियों से ब्याज/लाभांश		**23.49**		39.93
जोखिम निधि में निवेश पर लाभांश		**189.89**		67.11
विविध आय		**332.89**		527.93
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		**0.97**		3.19
जोड़		**23,835.42**		15,784.49

अनुसूची '13' ब्याज और अन्य प्रभार

(₹ लाख में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
निम्न पर ब्याज-		
- सरकारी ऋण	**317.10**	421.27
- आरईसी बांड	**364,387.64**	293,774.47
- बैंक/वित्तीय संस्थान ऋण	**83,850.76**	69,780.32
- बाहरी वाणिज्यिक ऋण	**20,380.34**	10,956.78
- कमर्शियल पेपर	**8,327.90**	13,680.74
	477,263.74	388,613.88
एआरईपी सब्सिडी पर ब्याज	**41.29**	64.26
गारंटी शुल्क	**787.20**	442.10
जोड़	**478,092.23**	389,120.24

अनुसूची '14' स्थापना प्रभार

(₹ लाख में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
वेतन तथा भत्ते	**8,981.53**	8,707.29
छुट्टी और सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा पर व्यय	**2,294.11**	1,109.41
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	**713.63**	897.54
स्टाफ कल्याण व्यय	**757.38**	995.86
जोड़	**12,746.65**	11,710.10

अनुसूची '15' प्रशासन व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष		31.03.2010 को समाप्त वर्ष	
किराया-कार्यालय		**179.85**		163.13
दरें तथा कर		**150.91**		89.12
विद्युत तथा जल प्रभार		**77.21**		64.96
बीमा प्रभार		**3.24**		2.93
मरम्मत तथा अनुरक्षण				
भवन	**145.99**		159.30	
ईआरपी तथा डाटा केन्द्र	**171.26**		121.99	
अन्य	**94.76**	**412.01**	58.04	339.33
मुद्रण तथा स्टेशनरी		**145.83**		155.01
यात्रा तथा वाहन				
-निदेशक	**114.84**		81.88	
-अन्य	**545.82**	**660.66**	533.76	615.64
डाक, तार तथा टेलीफोन		**100.58**		183.61
प्रचार एवं संवर्धन व्यय		**440.40**		222.01
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		**44.49**		26.51
विविध व्यय		**872.17**		746.26
परामर्शी प्रभार		**132.72**		147.58
कारपोरेट सामाजिक दायित्व		**122.89**		-
दान तथा धर्मार्थ		**22.15**		10.00
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		**1.48**		1.52
जोड़		**3,366.59**		2,767.61

अनुसूची '16' बांड/ऋण लिखत निर्गम पर व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
हैंडलिंग प्रभार	**527.75**	439.91
ब्रोकरेज	**899.25**	667.04
स्टाम्प ड्यूटी	**31.40**	157.33
अन्य	**206.63**	243.45
अन्य वित्तीय प्रभार	**5,343.79**	486.82
जोड़	**7,008.82**	1,994.55

अनुसूची '17' खातों पर टिप्पणियां

1. निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देयताएं जिनका प्रावधान नहीं किया गया है:

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार
(क)	निगम के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है, 31.3.2011 को माध्यस्थम मामलों समेत विभिन्न अदालतों में लंबित ₹499.10 लाख सहित) (पिछले वर्ष ₹406.36 लाख)	**513.00**	494.49
(ख)	अन्य	**142265.54**	1,76,559.67

उपर्युक्त 2(क) में संदर्भित राशि न्यायालय/माध्यस्थम मामलों के निपटाने के परिणाम पर निर्भर करती है।

उपर्युक्त 2(ख) में उल्लिखित राशि में निगम द्वारा अपने उधारकर्ताओं को स्वीकृत ऋण से विद्युत उत्पादन उपस्कर खरीदने के लिए साख पत्र खोलने हेतु विभिन्न बैंकों को जारी किए जाने वाले आश्वासन पत्रों के अनुसार ₹1,35,270 लाख (विगत वर्ष ₹173970 लाख) शामिल हैं। ₹4820.39 लाख (विगत वर्ष ₹1,557.65 लाख) उस ब्याज दर में अंतर से संबंधित हैं जो उन प्राइवेट पार्टियों पर प्रभारित की जा रही है जिनकी कोई ग्रेडिंग नहीं की गई और जिनके ऋणों पर न्यूनतम ग्रेड वाले उधारकर्ताओं पर लागू होने वाली उच्चतम दर पर प्रभारित की जा रही है।

1(ख) के अंतर्गत राशि में निर्धारण वर्ष 2003-04, 2006-07 और 2008-09 के लिए निर्धारण आदेशों के अनुसरण में आयकर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों के तहत ₹2175.15 लाख (पिछले वर्ष ₹1032.02 लाख) शामिल हैं। इन आदेशों के खिलाफ कंपनी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) के पास अपील दायर की गई है। निर्धारण वर्ष 1998-99 से लेकर 2004-05 तक के विभिन्न वर्षों के लिए कंपनी के कर वापसी (रिफंड) भी बकाया है। निर्धारण वर्ष 2004-05 के कंपनी की बकाया वापसी में से आयकर विभाग ने ₹669.53 लाख निर्धारण वर्ष 2003-04 और 2008-09 की मांगों के तहत समायोजित कर लिए हैं तथा तदनुसार इस राशि को अग्रिम आयकर के रूप में मानते हुए खाता बहियों में समायोजन कर लिया गया है।

2. पूंजीगत खाते में निष्पादित करने के लिए बाकी संविदाओं की अनुमानित राशि तथा जिसके लिए 31 मार्च, 2011 को प्रावधान नहीं किया गया है ₹1331.57 लाख (पिछले वर्ष ₹599.26 लाख) है।

3. यह निगम वर्ष 1997-98 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरबीआई की दिनांक 13.1.2000 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस(पीडी), सीसी सं. 12/डी2.01/99-2000 के अनुसार जो सरकारी कंपनियां, कंपनी अधिनियम की धारा 617 के प्रावधानों के अनुरूप हैं, उनको तरल परिसंपत्तियों के रखरखाव आरक्षित निधियां स्थापित करने, सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन से छूट मिली हुई है। आरईसी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुरूप सरकारी कंपनी है और इसलिए इस पर भी उक्त अधिसूचना लागू होती है। आरक्षित निधियों को सृजित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45(आई) सी के उपबंधों के लागू न होने की बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षित कोष सृजित नहीं किया गया है।

4. 13 दिसंबर, 2006 को हमारे निदेशक मंडल ने कारपोरेशन के विवेकपूर्ण मानदंडों को अनुमोदित किया तथा 21 फरवरी, 2009 और 25 सितंबर, 2010 को इनमें संशोधन अनुमोदित किए गए थे। तथापि, सभी ''व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण'' सरकारी स्वामित्व के एनबीएफसी को विवेकपूर्ण मानदंडों के ढांचे के अधीन लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 दिसंबर, 2006 को हमारे निगम को सलाह दी थी कि एनबीएफसी को शासित करने वाले विनियमों के विभिन्न घटकों के अनुपालन के लिए ''रूपरेखा'' प्रस्तुत की जाए। निगम ने विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को रूपरेखा प्रस्तुत कर दी थी तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 29 जून, 2010 के पत्र द्वारा आरईसी को 31 मार्च, 2012 तक विद्युत क्षेत्र की केन्द्रीय और राज्य संस्थाओं के संबंध में विवेकपूर्ण प्रकटन मानदंडों से छूट प्रदान कर दी है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 17 सितंबर, 2010 के पत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सीसी संख्या 168, दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आरईसी को एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। एक आईएफसी के रूप में प्राइवेट सेक्टर को उधार देने के लिए कुल स्वीकार्य प्रकटन एकल कर्जदार के मामले में निधियों के स्वामित्व का 25 प्रतिशत होगा, कर्जदारों के एकल ग्रुप के मामले में 40 प्रतिशत होगा तथा उधार देने और निवेश करने दोनों को मिलाकर प्रकटन निधियों के स्वामित्व क्रमशः 30 प्रतिशत और 50 प्रतिशत होगा। आरईसी को 15 प्रतिशत का पूंजी-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात रखना होता है (न्यूनतम स्तर-I पूंजी का 10 प्रतिशत)। तदनुसार 25 सितंबर, 2010 को बोर्ड के अनुमोदन से विवेकपूर्ण मानदंडों में संशोधन किया गया है। विद्युत क्षेत्र की केन्द्रीय एवं राज्य संस्थाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए इन युटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम क्रेडिट प्रकटन सीमा हमारी निवल संपत्ति के 50 प्रतिशत से 250 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न है जो संस्था के मूल्यांकन तथा संबंधित राज्य यूटिलिटियों की स्थिति पर निर्भर करती है।

5. कुछ ग्रामीण विद्युत (आरई) सहकारी समितियों द्वारा विशेष निधि के सृजन में कुल ₹290.62 लाख की राशि (पिछले वर्ष ₹301.45 लाख) की कमी पाई गई है और इन समितियों के साथ विशेष निधि के सृजन पर संपर्क किया जा रहा है।

6. कुछ कर्जदारों से शेष राशि की प्राप्त होने की पुष्टि हो गई है।

7. बांडों पर उपचित ब्याज के संबंध में लागू आयकर प्रावधानों के अनुसार बांडधारकों को ब्याज के वास्तविक भुगतान के समय स्रोत पर कर काट लिया जाता है क्योंकि ऐसे बांड मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हैं।

8. निगम द्वारा अधिगृहीत भूमि और भवन आदि के संबंध में ₹458.83 लाख (पिछले वर्ष ₹3630.58 लाख) की राशि हेतु हस्तांतरण विलेख की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

9. लेखा नीति सं. 10.02 के अनुसार 31.3.2011 को विनिर्दिष्ट बैंकों के ब्याज वारंट्स खातों में (संस्थागत और 54 ईसी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर बांड दोनों के लिए) शेष राशि ₹2375.69 लाख (गत वर्ष ₹3431.32 लाख) है।

10. प्रबंधन की राय के अनुसार तुलनपत्र में शामिल वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम राशियां दिखाए गए मूल्य के बराबर हैं बशर्ते कि उन्हें सामान्य तरीके से वसूल कर लिया जाए और सभी ज्ञात देनदारियों के भुगतान के लिए प्रावधान कर दिया गया हो।

11. परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक-28 के अंतर्गत यथा अपेक्षित क्षति हानि हेतु प्रावधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रबंधन के मतानुसार लेखांकन मानक-28 के अनुसार निगम की परिसंपत्तियों में कोई क्षति नहीं हुई है।

12. कारपोरेशन की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की कोई बकाया देयताएं नहीं हैं।

13. इस वर्ष कोई बांड रिडेम्पशन रिजर्व (बीआरआर) नहीं रखा गया है क्योंकि भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 18.4.2002 को जारी स्पष्टीकरण सं. 6/3/2001-सीएल-5 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी द्वारा जारी प्राइवेट प्लेसमेंट वाले डिबेंचरों के मामले में बीआरआर सृजित करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

14. प्रतिरक्षा योजनानीति के भाग के रूप में कंपनी ने कुछ मामलों में नियत से लेकर अस्थायी ब्याज दर स्वैप निष्पादित किए हैं ताकि ब्याज दर के संचालन का लाभ उठाकर लागत को कम किया जा सके। बकाया उधार जिस पर यह स्वैप लागू किया गया है का आईएनआर मूल्य 565,000 लाख रुपये है ।

31.3.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान कारपोरेशन ने रुपये के उधार से संबंधित स्वैप (केवल कूपन) लेन देनों के फलस्वरूप उधार लेने की लागत में लगभग 4,114.71 लाख रुपये (पिछले वर्ष 765.69 लाख रुपये) की कमी की है।

31.3.2011 को उपर्युक्त स्वैप लेनदेन के संबंध में बाजार स्थिति का निवल मार्क 26,195.32 लाख रुपये (अनुकूल) (पिछले वर्ष 16,544.12 लाख रुपये अनुकूल) रहा है।

विदेशी मुद्रा उधार के संबंध में कंपनी ने विदेशी मुद्रा प्रकटन की प्रतिरक्षा के लिए क्रॉस करंसी स्वैप निष्पादित किया है।

31.3.2011 को विदेशी मुद्रा प्रकटन की बकाया स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है:

	कुल		प्रतिरक्षित (मुद्रा और ब्याज दर)		अप्रतिरक्षित	
मुद्रा	विदेशी मुद्रा (मिलियन में)	समकक्ष आईएनआर (लाखों में)	विदेशी मुद्रा (मिलियन में)	समकक्ष आईएनआर (लाखों में)	विदेशी मुद्रा (मिलियन में)	समकक्ष आईएनआर (लाखों में)
जेपीवाई	47,697.36	199,751.02	44,316.43	181,289.57	3,380.92	18,461.45
यूरो	58.95	38,484.33	58.95	38,484.33	-	-
यूएसडी	1,170.00	529,153.03	200.00	89,448.13	970.00	439,704.90
कुल		767,388.38		309,222.03		458,166.35

भारतीय रुपये में बदला गया विदेशी मुद्रा का भाग स्वैप लेनदेन में तय दर लिखा जाता है तथा वर्ष के अंत की दर पर रूपांतरित नहीं किया जाता है।

15. निदेशकों का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष	31.3.2010 को समाप्त वर्ष
वेतन तथा भत्ते	**136.63**	75.53
परिलब्धियां/प्रतिपूर्ति	**15.64**	10.10
सेवानिवृत्ति लाभ	**22.71**	शून्य
जोड़	**174.98**	85.63

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों को डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹780/- प्रतिमाह के मासिक प्रभार के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रतिमाह की सीमा तक निजी यात्रा(ओं) सहित स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति भी दी गई है।

ऋण तथा अग्रिमों के रूप में निगम के निदेशकों द्वारा देय ₹7.70 लाख (पिछले वर्ष ₹4.38 लाख) है। वर्ष के दौरान इनसे अधिकतम बकाया राशि ₹11.21 लाख (पिछले वर्ष ₹10.66 लाख) थी।

16. लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल हैं:

(₹ लाख में)

क्र.सं.		31.3.2011 को समाप्त वर्ष	31.3.2010 को समाप्त वर्ष
क)	लेखापरीक्षा शुल्क-चालू वर्ष	**18.75**	18.75
ख)	कर लेखापरीक्षा शुल्क (** वित्त वर्ष 2008-09 के संबंध में कर लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों को अदा किए गए ₹2 लाख को छोड़कर)	**4.00**	4.00**
ग)	व्ययों की प्रतिपूर्ति	**2.20**	0.39
घ)	अन्य सेवाओं के लिए (# इसमें ईसीबी प्रलेखन के लिए ₹15 लाख की प्रमाणीकरण फीस शामिल है) (*** एफपीओ प्रमाणीकरण हेतु भुगतान सहित जिसे प्रतिभूति प्रीमियम खाते में दर्शाया गया है)	**19.54#**	16.37***
	कुल	**44.49**	**39.51**

17. विदेशी मुद्रा में व्ययः

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार
रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक, परामर्श शुल्क	**शून्य**	70.58
ब्याज	**3127.01**	28.87
वित्त प्रभार	**5023.78**	411.95
अन्य प्रभार	**76.84**	61.54
जोड़	**8227.63**	572.94

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-6 के भाग-2 के पैरा 4(ग) और पैरा 4(घ) के अंतर्गत अपेक्षित अन्य सभी सूचना या तो शून्य है अथवा लागू नहीं है।

18. (क) निवेश में ₹873.38 लाख (पिछले वर्ष ₹1208.54 लाख) शामिल हैं जो कि केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल एंड (एसआईबी) जोखिम पूंजीगत निधि' की यूनिटों में कंपनी के योगदान को दर्शाता है। वर्ष के दौरान 33,51,613 यूनिटें (गत वर्ष 23,84,981 यूनिटें) विमोचित की गई।

कंपनी का नाम	निधि में अंशदान	निवास का देश	स्वामित्व का अनुपात
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड की एसआईबी निधि	₹873.38 लाख	भारत	9.74 प्रतिशत

भविष्य में अंशदान की कोई वचनबद्धता नहीं है।

(ख) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक-27 के तहत यथा अपेक्षित संयुक्त उपक्रम में कारपोरेशन के हित के संबंध में सूचना।

निवेश में ₹62.50 लाख (पिछले वर्ष ₹62.50 लाख) भी शामिल हैं जो विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित ''एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड'' (ईईएसएल) संयुक्त उद्यम कंपनी की इक्विटी में कारपोरेशन का योगदान है। यह 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल की इक्विटी का 25 प्रतिशत है। कारपोरेशन ने ₹2437.50 लाख की राशि की और इक्विटी के आबंटन के लिए भी आवेदनपत्र प्रस्तुत किया है। कारपोरेशन का संयुक्त उद्यम कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण नहीं है तथापि, कंपनी पर इसका प्रभाव काफी अधिक है। तदनुसार, निवेश को लागत पर (एट कॉस्ट) के रूप में हिसाब में लिया गया है।

19. संबंधित पक्षकार प्रकटनः

क. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकः

श्री पी. उमा शंकर	अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक (15.6.2010 पूर्वाह्न तक)
डॉ. जे.एम. फाटक	अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक (15.6.2010 अपराह्न से)
श्री एच.डी. खुंटेटा	निदेशक (वित्त)
श्री गुलजीत कपूर	निदेशक (तकनीकी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक टिप्पणी संख्या 15 में दर्शाया गया है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों से प्राप्य अग्रिम टिप्पणी संख्या 15 में दर्शाया गया है।

ख. अन्य संबंधित पक्षकार जिनके साथ लेनदेन हैः

सहायक कंपनी	संबंध
1. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	सहायक कंपनी
2. आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	सहायक कंपनी

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां

	सहायक कंपनी	संबंध
1.	नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (20.5.2010 को मैसर्स रिलायंस पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरित कर दी गई)	19.5.2010 तक सहायक कंपनी
2.	तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (27.4.2010 को मैसर्स रिलायंस पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरित कर दी गई)	26.4.2010 तक सहायक कंपनी
3.	रायचूर शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (7.1.2011 को मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लि0, मैसर्स सिम्पलैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि0 और मैसर्स बीएस ट्रांसको लि0 के कंसोर्टियम को अंतरित कर दी गई ई)	6.1.2011 तक सहायक कंपनी

ग. सहायक कंपनियों से/को देय ऋण तथा अग्रिमः

(₹ लाख में)

क्र.सं.	सहायक कंपनी का नाम	बकाया शेष		अधिकतम शेष	
		31.3.2011	31.3.2010	31.3.2011	31.3.2010
1.	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	शून्य	1432.78	1453.47	1432.78
2.	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	43.95	-6.76	-161.52	-6.76
3.	नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	शून्य	3.61	3.64	3.61
4.	तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	शून्य	0.49	0.49	0.49
5.	रायचूर शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन

(₹ लाख में)

क्र.सं.	लेनदेन की प्रकृति	सहायक कंपनी		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	
		31.3.2011	31.3.2010	31.3.2011	31.3.2010
1.	ऋण तथा अग्रिम	1487.59	1229.47	7.70	शून्य
2.	अप्रतिभूत ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	174.98	85.63

20. त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत सब्सिडीः-

निगम द्वारा एक ब्याज सब्सिडी निधि खाता रखा जा रहा है और भारत सरकार द्वारा एजी एंड एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं में संवितरण करने के लिए) दी गई है। यह सब्सिडी उस निवल मूल्य पर दी गई है जिसकी गणना भारत सराकर के पत्र संख्या अ.शा.सं. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.9.1997 तथा का.ज्ञा. सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 7.3.2003 के अनुसार सांकेतिक दरों और अवधि के आधार पर की गई है, चाहे पात्र योजना की वास्तविक अदायगी अनुसूची, ऋण स्थगन अवधि तथा वापसी की अवधि कुछ भी हो। विनिर्दिष्ट दर और आहरण के समय आकलित अवधि तथा वास्तविक के बीच अंतर का पता संबद्ध योजना के अंत में ही लगाया जा सकता है।

21. लेखांकन मानक-26 ''अमूर्त परिसंपत्तियां'' में यथा अपेक्षित परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटीकरणः-

क.	परिशोधन दर	20 प्रतिशत यदि परिसंपत्ति का मूल्य ₹ 5,000 अथवा कम है तो 100 प्रतिशत।
ख.	परिशोधन विधि	सीधी रेखा

(₹ लाख में)

मिलान विवरण	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार
सकल कैरिंग राशि	433.29	432.90
संचित मूल्यह्रास	125.28	39.00
सकल कैरिंग राशि-प्रारंभिक शेष	432.90	4.85
घटाएंः संचित मूल्यह्रास	39.00	2.58
कैरिंग राशि	393.90	2.27
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.39	428.05
घटाएं- वर्ष के दौरान परिशोधन	86.28	36.42
तुलनपत्र की तिथि को कैरिंग राशि	308.01	393.90

22. निगम आय पर करों हेतु लेखांकन पर लेखांकन मानक संख्या 22 के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के लिए प्रावधान कर रहा है।

(क) 31.3.2011 को आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्तियों) के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाख में)

ब्यौरे	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (+)		
अर्जित अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	**714.11**	623.54
चिकित्सा अवकाश हेतु प्रावधान	**310.80**	251.12
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान	**257.29**	263.28
पेंशन योजना के लिए प्रावधान	**441.96**	0
निवेशों में गिरावट पर प्रावधान	**0**	8.21
जोड़	**1724.16**	1146.15
आस्थगित कर देयताएं (-)		
मूल्यह्रास	**-446.87**	-409.39
जोड़	**-446.87**	-409.39
निवल आस्थगित कर परिसपंत्तियां(+)/(देयताएं)(-)	**1277.29**	736.76

(ख) कंपनी ने विशेष आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता (डीटीएल) का सृजन आरंभ कर दिया है जो वित्त वर्ष 2006-07 से आगे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन सृजित और अनुरक्षित है। विशेष आरक्षित निधि के संबंध में आस्थगित कर देयता सामान्य आरक्षित निधि से रकम को अंतरित करके की गई है जो वित्त वर्ष 2005-06 से सृजित की गई थी और वित्त वर्ष 2006-07 में भी सृजित की गई थी।

निगम ने एक बोर्ड संकल्प पारित किया है कि वह उस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का इरादा नहीं रखती है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन सृजित और अनुरक्षित है। अतः सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि को वापिस नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार यह भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक-22 के अनुसार स्थायी अंतर बन जाता है। तदनुसार, यह कंपनी उपर्युक्त आरक्षित निधि के संबंध में कोई आस्थगित कर देयता का सृजन नहीं कर रही है।

अब, विभिन्न संबंधित प्राधिकरणों द्वारा दी गई राय पर विचार करते हुए और आयकर अधिनियम, 1963 की धारा 36(1)(viii) के अधीन सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि के कारण आस्थगित कर देयता सृजित न करने के इसी स्तर के अन्य संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली परिपाटी को भी ध्यान में रखते हुए इस निगम का विचार है कि आईसीएआई के लेखांकन मानक-22 के अनुसार आस्थगित कर देयता की कोई जरूरत नहीं है। तदनुसार निगम ने वित्त वर्ष 2009-10 में इसके लिए पूर्ववर्ती वर्षों में सृजित ₹96,456.74 लाख का डीटीएल वापस कर दिया है।

23. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक-20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना इस प्रकार की गई है:

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार
अंश		
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार कर पश्चात लाभ	**256993.08**	200,141.58
डिनोमिनेटर		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**987,459,000**	867,834,723
प्रति शेयर आधारभूत तथा कम किया गया अर्जन (रुपये प्रति शेयर)	**26.03**	23.06

24. कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) का जिन पर ऋण बकाया थे अथवा जिनकी ओर से राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पुनर्गठन किया गया है और नए निकायों का गठन किया गया है। परिणामस्वरूप पूर्व एसईबी की देयताएं इन निकायों को अंतरित की गई हैं और कुछ मामलों में इस निगम, नए निकायों और राज्य सरकारों के बीच अंतरण करार निष्पादित किए जाने हैं।

25. वित्त वर्ष 2006-07 तक आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन पर व्यय किए गए ₹643.98 लाख के खर्च को उसके अनुदान से की गई जमा पर प्राप्त ब्याज से समायोजित कर लिया गया है और विद्युत मंत्रालय को तदनुसार सूचित किया गया है। प्रबंधन मानता है कि यह राशि अभी भारत सरकार से प्राप्य है।

26. लेखांकन मानक-29 में यथापेक्षित प्रावधानों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार
(क) अंतरिम लाभांश		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	**34561.07**	25759.80
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**34561.07**	25759.80
अंतशेष	-	-
(ख) प्रस्तावित लाभांश		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**34561.07**	21466.50
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	**39498.36**	34561.07
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**34561.07**	21466.50
अंतशेष	**39498.36**	34561.07
(ग) निगमित लाभांश कर		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**5740.16**	3648.23
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	**12147.78**	10117.32
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**11480.32**	8025.39
अंतशेष	**6407.62**	5740.16
(घ) आयकर		
अथ शेष	**179170.80**	109648.13
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	**90811.51**	69522.67
वर्ष के दौरान/प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	-	-
अंतशेष	**269982.31**	179170.80
(ड.) धन कर		
अथ शेष	**36.00**	33.82
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	**35.23**	36.00
वर्ष के दौरान/प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**35.54**	33.82

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार
अंतशेष	**35.69**	36.00
(च) एफबीटी		
अथ शेष	**36.09**	36.09
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	-	-
अंतशेष	**36.09**	36.09
(छ) आर्थिक पुनर्वास योजना		
अथ शेष	-	-
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	**205.91**	-
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	-	-
अंतशेष	**205.91**	-
(ज) लंबी सेवा पुरस्कार		
अथ शेष	-	-
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	**236.95**	-
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	-	-
अंतशेष	**236.95**	-
(झ) पेंशन योजना		
अथ शेष	-	-
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	**1330.50**	-
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	-	-
अंतशेष	**1330.50**	-
(ण) छुटटी का नकदीकरण		
अथ शेष	**1834.48**	1624.79
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	**469.47**	369.39
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**154.16**	159.70
अंतशेष	**2149.79**	1834.48
(ट) वेतन संशोधन		
अथ शेष	**3306.24**	1280.00
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	2026.24
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**3306.24**	-
अंतशेष	-	3306.24
(ठ) उपदान		
अथ शेष	**464.72**	974.96
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	**290.01**	464.72
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**464.72**	974.96
अंतशेष	**290.01**	464.72
(ड) छुट्टी यात्रा रियायत		
अथ शेष	**242.57**	222.81
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	19.76
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**242.57**	-
अंतशेष	-	242.57
(ढ) व्यवस्थापन भत्ता		
अथ शेष	**19.16**	17.49
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	**4.31**	5.35
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**2.33**	3.68
अंतशेष	**21.14**	19.16
(ण) प्रोत्साहन		
अथ शेष	**3335.69**	1365.75

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	**1639.83**	1969.94
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**3335.69**	-
अंतशेष	**1639.83**	3335.69
(त) चिकित्सा छुट्टी		
अथ शेष	**865.20**	709.76
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	**216.21**	221.46
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**19.36**	66.02
अंतशेष	**1062.05**	865.20
(थ) सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा सुविधा		
अथ शेष	**2742.05**	2244.77
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	**1241.71**	678.26
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**243.18**	180.98
अंतशेष	**3740.58**	2742.05
(द) अनुग्रह राशि		
अथ शेष	**639.48**	425.65
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	213.83
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**629.42**	-
अंतशेष	**10.06**	639.48

27. निगम ने एएस-15 (संशोधित 2005) ''कर्मचारी लाभ'' को अपनाया है। परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं निम्नलिखित हैं:

क. भविष्य निधि

निगम पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि का एक निश्चित अंशदान एक पृथक न्यास को देता है जो उस निधि का निवेश अनुमेय प्रतिभूतियों में करता है। यह न्यास, न्यास के सदस्यों के अंशदान पर ब्याज की दर निर्धारित करता है। बीमांकन रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2011 को तत्संबंधी परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ सहित भविष्य निधि की परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत देयता से अधिक है।

ख. उपदान

निगम की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम के उपबंध के अनुसार उपदान का पात्र है। इस योजना का वित्तपोषण निगम द्वारा और प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। उपदान की देयता बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ग. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

निगम की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा की एक योजना है जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (पति या पत्नी सहित) को निगम के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है। बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर इस व्यय को लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

घ. कर्मचारी के परिवार के आर्थिक पुनर्वास की योजना

यदि कारपोरेशन का कोई कर्मचारी कारपोरेशन की सेवा में रहते हुए स्थायी रूप से पूर्णतः अशक्त हो जाता है/उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस मामले में कर्मचारी के परिवार को आर्थिक लाभ और सहायता प्रदान करने की कारपोरेशन की एक योजना है। बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर इस व्यय को लाभ एवं हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

च. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)

सेवानिवृत्ति के समय पैतृक नगर में बसने के लिए निगम की कर्मचारी तथा आश्रितों हेतु एक योजना है। बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर इस व्यय को लाभ एवं हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

लाभ एवं हानि खाते, तुलन पत्र में परिभाषित विभिन्न लाभों की सारांशीकृत स्थिति और उनके निधीयन की स्थिति निम्नानुसार है:

लाभ एवं हानि खातों में मान्यता प्राप्त व्यय:-

(₹ लाख में)

ब्यौरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.11)	(31.03.10)	(31.03.11)	(31.03.10)	(31.03.11)	(31.03.10)
क) चालू सेवा लागत	154.61	139.91	59.70	57.10	0.86	0.78
ख) ब्याज लागत	259.56	198.00	219.36	168.36	1.53	1.31
ग) योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(277.08)	(243.67)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) लाभ एवं हानि खातों में मान्यता प्राप्त बीमांकित (लाभ) हानि	152.92	277.02	962.64	452.80	1.91	3.26
ङ.) पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) लाभ एवं हानि खातों में मान्यता प्राप्त व्यय	290.01	371.26	1241.71	678.25	4.31	5.36

तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ लाख में)

ब्यौरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.11)	(31.03.10)	(31.03.11)	(31.03.10)	(31.03.11)	(31.03.10)
क) वर्ष की समाप्ति पर दायित्व का वर्तमान मूल्य	3414.93	3142.92	3740.58	2742.05	21.14	19.16
ख) वर्ष की समाप्ति पर योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3129.59	2779.83	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) अंतर (ख-क)	(285.34)	(363.09)	(3740.58)	(2742.05)	(21.14)	(19.16)
घ) मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्तियां/देयता) (उपदान न्यास की)	(285.34)*	(363.09)	(3740.58)	(2742.05)	(21.14)	(19.16)

परिभाषित लाभ/दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ लाख में)

ब्यौरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.11)	(31.03.10)	(31.03.11)	(31.03.10)	(31.03.11)	(31.03.10)
क) वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	3244.55	2640.04	2742.05	2244.78	19.16	17.49
ख) ब्याज लागत	259.56	198.00	219.36	168.36	1.53	1.31
ग) पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) चालू सेवा लागत	154.61	139.91	59.70	57.10	0.86	0.78
ङ.) प्रदत्त लाभ	(361.14)	(105.42)	(243.18)	(180.98)	(2.33)	(3.68)
च) निवल बीमांकित (लाभ)/हानि	117.34	270.39	962.64	452.80	1.91	3.27
छ) वर्ष की समाप्ति पर परिभाषित लाभ/दायित्व का वर्तमान मूल्य	3414.93	3142.92	3740.58	2742.05	21.14	19.16

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन:

(₹ लाख में)

ब्यौरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.11)	(31.03.10)	(31.03.11)	(31.03.10)	(31.03.11)	(31.03.10)
क) वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (उपदान न्यास का)	*3244.55	*2640.04	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	277.08	243.68	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) कंपनी का वास्तविक अंशदान	4.67	8.17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) प्रदत्त लाभ	(361.13)	(105.42)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ङ.) योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ (हानि)	(35.58)	(6.63)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3129.59	2779.84	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

वर्ष के दौरान निगम ने उपदान ट्रस्ट में ₹290.01 लाख (गत वर्ष ₹464.72 लाख), पीआरएमएफ में ₹1241.71 लाख (गत वर्ष ₹497.27 लाख) और ओडीआरबी में ₹4.31 लाख (गत वर्ष ₹1.67 लाख) की अंशदान देयता का प्रावधान किया।

कर्मचारी के अन्य लाभः-

बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के दौरान अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए ₹469.47 लाख (गत वर्ष ₹209.69 लाख) का प्रावधान, चिकित्सा सेवा के लिए ₹216.21 लाख (गत वर्ष ₹155.44 लाख) का प्रावधान आर्थिक पुनर्वास भत्ता के लिए ₹205.91 लाख (गत वर्ष ''शून्य'') का प्रावधान और लंबी सेवा पुरस्कार के लिए ₹236.95 लाख(गत वर्ष (शून्य) का प्रावधान किया गया है।

छुट्टी यात्रा रियायत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों को लागू करने के बाद छुट्टी यात्रा रियायत अब मासिक परिलब्धियों का हिस्सा बन गई है जिसका वेतन के साथ भुगतान किया जा रहा है।

(₹ लाख में)

विवरण	31.3.2011 1% (+)	31.03.2010	31.03.2011 1% (-)	31.03.2010
क) सेवा एवं ब्याज लागत	40.88	24.71	**(34.57)**	**(20.69)**
ख) पीबीओ (समापन)	501.10	369.61	**(438.21)**	**(309.62)**

बीमांकन संबंधी पूर्व धारणाएं

विवरण	उपदान	पीआरएमएफ	ओडीआरबी
क) प्रयुक्त पद्धति	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
ख) छूट की दर	8.00 (7.50 प्रतिवर्ष)	8.00 (7.50 प्रतिवर्ष)	8.00 (7.50 प्रतिवर्ष)
ग) योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.54 (9.23 प्रतिवर्ष)	शून्य (शून्य प्रतिवर्ष)	शून्य (शून्य प्रतिवर्ष)
घ) भावी वेतन वृद्धि	6.00 (5.50 प्रतिवर्ष)	6.00 (5.50 प्रतिवर्ष)	6.00 (5.50 प्रतिवर्ष)

- लेखाकरण अवधि के दौरान परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर, प्रतिलाभ की अभिगृहीत दर है।
- प्रमुख पूर्वानुमान छूट तथा संवर्धन दर से संबंधित हैं। छूट दर साधारणतः एक अवधि में लेखाकरण तारीख को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार लाभ जो देयताओं से मेल खाता हो, पर आधारित है तथा वेतन संवर्धन दर में मुद्रा स्फीति, वरिष्ठता, प्रोन्नति तथा दीर्घावधि आधार पर अन्य संबंधित कारक शामिल हैं। उपरोक्त सूचना बीमांकक द्वारा प्रमाणित है।

28. (क) भारत सरकार ने आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन हेतु आरईसी को एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। ऐसी योजनाओं के तहत प्राप्त निधियां विभिन्न एजेंसियों को संवितरित करने के लिए एक पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। अवितरित निधियों तथा उनसे अर्जित ब्याज को वर्तमान देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान ₹880.73 लाख (गत वर्ष ₹1143.02 लाख), शून्य लाख के टीडीएस सहित (गत वर्ष ₹154.43 लाख) के अर्जित किए गए ब्याज को आरजीजीवीवाई सब्सिडी लेखे में डाला गया है।

29. वर्ष के दौरान निगम ने अपनी अधिशेष निधियों का निवेश लिक्विड स्कीम तथा लिक्विड प्लस स्कीम के पब्लिक म्युच्युअल फंडों में किया। वर्ष के दौरान ही उसे विनिवेशित कर दिया गया।

30. कारपोरेशन का मुख्य व्यवसाय विद्युत क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करना है। तदनुसार, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक सं. 17 के अनुसार रिपोर्ट करने के लिए कारपोरेशन के पास एक से अधिक पात्र खंड नहीं हैं।

31. निगम ने ईआरपी डेटा केन्द्र के लिए कार्यालय स्थान ले लिया है। इन्हें प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ₹101.54 लाख की इस रकम के संबंध में पट्टे की अदायगी अनुसूची 15 में 'प्रशासन व्यय' शीर्ष के अंदर दर्शाई गई है। इन पट्टा करारों के संबंध में भावी पट्टा अदायगी इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

भविष्य में की जाने वाली न्यूनतम पट्टा किराया अदायगी की परिपक्वता का विवरण	ईआरपी के डेटा केंद्र के लिए 31.03.2011	ईआरपी के डेटा केंद्र के लिए 31.03.2010	स्थान के लिए 31.03.2011	स्थान के लिए 31.03.2010
एक वर्ष से अनधिक के लिए	49.67	39.89	**141.51**	136.67
एक वर्ष से अनधिक लेकिन पांच वर्ष से अधिक के लिए	115.76	154.93	**649.75**	601.27
पांच वर्ष से अधिक के लिए	शून्य	शून्य	**414.91**	376.66
जोड़	**165.43**	**194.82**	**1206.17**	**1114.60**

32. 25 जनवरी, 2008 को किए गए संयुक्त आडमान करार के आधार पर बांड की श्रृंखला और अन्य प्रतिभूत उधार को आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड और आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के पक्ष में वर्तमान और भविष्य दोनों में प्राप्त होने वाले प्रभारों के द्वारा सुरक्षित बनाया गया है। लेकिन ₹2,76,736 लाख (गत वर्ष ₹430509 लाख) की कुछ विशिष्ट प्राप्त की जा सकने योग्य रकम को करार की शर्तों के अनुसार आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के पक्ष में आडमान किया गया है। आईआईएफसीएल से उपलब्ध ₹1,87,000 लाख (गत वर्ष ₹87,000 लाख) का पुनः वित्तपोषित ऋण भी इसी करार के अधीन आएगा जिसमें प्रतिभूतियों की पूलिंग की जाएगी और आईआईएफसीएल को इन ट्रस्टियों से प्राप्त किए जा सकने वाले योग्य प्रभारों पर पारि-पासु प्रभार देने होंगे।

33. 31 मार्च, 2011 को निगम का पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात 19.09 प्रतिशत है (जो पिछले वर्ष 16.05 प्रतिशत था)।

34. भुगतान के लिए पुनः अनुसूचित ऋण का संचलन इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2011 की स्थिति	खातों की संख्या	31.03.2010 की स्थिति	खातों की संख्या
आरंभिक शेष		14		9
मूलधन	**700501.58**		2,28.029.89	
ब्याज	**78445.41**		1,01,169.91	
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए खाते)		3		6
आरंभिक शेष				
मूलधन	**101146.07**		418969.67	
ब्याज	**831.35**		0.00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
मूलधन	**59050.26**		87914.87	
ब्याज	**99561.73**		73318.36	
वर्ष के दौरान परिवर्धन*				
मूलधन	**38303.55**		34412.85	
ब्याज	**107101.44**		96042.86	
अंतशेष				
मूलधन	**822394.35**	16	700501.58	14
ब्याज	**71737.04**		78445.41	

* इसमें एक पूर्णप्रदत्त मामला भी (पिछले वर्ष एक) शामिल है।

35. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 2,2.1(ग), 2.2(i) और 10.3 में संशोधन/प्रकटन किए गए हैं ताकि उन्हें अधिक स्पष्ट/व्याख्यात्मक बनाया जा सके। इन संशोधनों/प्रकटनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

36. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक हो, वर्तमान आंकड़ों के साथ तुलना योग्य बनाने के लिए पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः दर्ज किया गया है।

37. आंकड़ों को निकटतम लाख तक पूर्णांकित (राउंड ऑफ) किया गया है।

38. अनुसूची 1 से 17 तक तुलनपत्र तथा लाभ एवं हानि खातों के अभिन्न भाग हैं और उन्हें विधिवत अधिप्रमाणित किया गया है।

39. तुलनपत्र सार और कंपनी के सामान्य व्यापार की प्रोफाइल कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसची 6 के भाग 4 के अनुसार है।

1. पंजीकरण विवरण :

पंजीकरण संख्या	005095	राज्य कोड	55
तुलनपत्र तिथिः	31 (दिनांक)	03 (माह)	2011 (वर्ष)

(₹ लाख में)

2. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी शून्य

3. निधियां जुटाने तथा नियोजन की स्थिति

(₹ लाख में)

कुल देयताएं	8279243.64	**कुल परिसंपत्तियां**	8279243.64
निधियों के स्रोत			
प्रदत्त पूंजी	98,745.90	आरक्षित तथा अधिशेष	1180115.61
प्रतिभूति ऋण	4626743.07	अप्रतिभूत ऋण	2373639.06
आस्थगित कर देयता	शून्य		
निधियों का उपयोगः			
निवल अचल परिसंपत्तियां (पूंजीगत डब्ल्यूआईपी सहित)	8806.13	निवेश	81242.88
वर्तमान निवल परिसंपत्तियां	-25288.56	ऋण	8213205.90
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	1277.29	विविध व्यय	शून्य
संचित हानियां	शून्य		

4. कंपनी का कार्य निष्पादन

(₹ लाख में)

कारोबार	849526.53	**कुल व्यय**	501540.62
कर पूर्व लाभ	347662.81	कर पश्चात लाभ	256993.08
ईपीएस रुपये में	26.03	लाभांश दर	7.50/-रुपये प्रति शेयर

(10/-रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले एक इक्विटी शेयर पर)

5. कंपनी के प्रमुख उत्पाद/सेवाओं के जेनरिक नाम

मद कोड सं.	लागू नहीं	वित्तीय सेवाएं

अनुसूचियों पर हस्ताक्षर जो तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाते तथा उपर्युक्त टिप्पणियों के भाग है।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं.. : 88155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 006591एन

कृते बंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता सं.. : 70811
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 001113एन

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24 मई, 2011

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

वी.के. अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

पी.जे. ठक्कर
निदेशक (तकनीकी)

एच.डी. खुंटेटा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)

राकेश के. अरोड़ा
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

(क) **लेखांकन परंपरा:** वित्तीय विवरण को लेखांकन की उपचित पद्धति पर ऐतिहासिक लागत अवधारणा आधार पर तैयार किया जाता है और ये भारत में सामान्यतः स्वीकार्य तथा लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रस्तुतीकरण अपेक्षा के अनुरूप है।

(ख) **अनुमानों का उपयोग:** वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए जाने के प्रबंधन के द्वारा इस आशय के अनुमान तथा मान्यताएं लगाए जाने की आवश्यकता होती है कि वे वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि तथा प्रकटीकरण और विवरणी की अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की सूचित राशि को दर्शाएं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में स्वीकार किया गया जिस अवधि में वास्तविक परिणाम आए हैं।

2. राजस्व मान्यता

निगम ने स्वयं के विस्तृत विवेकसम्मत मानदंडों का निरूपण किया है। लेखांकन आरईसी के इन विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार ही किया जाता है और आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान किए जाने हेतु इनकी मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

2.1 आय मान्यता

क. ऐसी अनर्जक परिसंपत्तियों पर आय को, जहां ब्याज/मूलधन दो तिमाही अथवा उससे अधिक के लिए अतिदेय हो गया हो, मान्यता तब दी जाती है जब वह प्राप्त एवं विनियोजित हो गया हो। कोई आय जिसे संपत्ति के अनर्जक होने से पहले यदि मान्यता दी गई हो और वह वसूल न हो पाए तो उसे वापिस कर दिया जाता है।

जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, लेनदारों से वसूली को (1) आरईसी की लागत तथा व्यय (2) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित दंडात्मक ब्याज (3) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित अतिदेय ब्याज और (4) सबसे पुराने मूलधन की चुकौती को पहले समायोजित करते हुए विनियोजित किया जाता है।

ऐसे ऋणों के संबंध में जहां शर्तों पर पुनः बातचीत/पुनः निर्धारण/पुनः संरचना चल रही हो, आय की पहचान उपचित आधार पर तब की जाती है जब संगत रूप से यह आशा की जाती है कि कर्जदारों से देयों की प्राप्ति में कोई अनिश्चितता नहीं है और कानूनी रूप से बाध्यकारी एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जा चुका है तथा तदनुरूपी समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रभावी तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक पुनर्विचार विमर्श अथवा पुनर्निर्धारण अथवा पुनर्संरचना शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा है।

ख. आरजीजीवीवाई योजनाओं पर एजेंसी प्रभारों की आय को प्रदान की गई सेवा और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रकम के आधार पर मान्यकृत किया जाता है।

ग. प्रसंस्करण फीस, अप फ्रंट फीस, मार्गदर्शन फीस, आवश्यक परिवर्तन खंड के तहत प्राप्त फीस/प्रभार और पूर्व भुगतान प्रीमियम शीर्ष के तहत होने वाली आय को उस वर्ष के हिसाब में लिया जाता है जिसमें वे कंपनी को प्राप्त होती हैं।

घ. निवेशों से आय

(1) कारपोरेट निकायों के शेयरों और म्युचुअल फंड की यूनिटों पर लाभांश से आय को रोकड़ आधार पर हिसाब में लिया जाएगा:

परंतु कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश से आय को उपचित आधार पर तब हिसाब में लिया जाएगा जब कारपोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक साधारण बैठक में इसे घोषित किया गया हो और यह सुनिश्चित हो गया हो कि आरईसी को इसकी अदायगी प्राप्त करने का अधिकार है।

(2) कारपोरेट निकाय के बांडों और डिबेंचरों से और सरकारी प्रतिभूतियों/बांडों से होने वाली आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

परंतु यह तब जबकि इन लिखतों पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित है और इसका ब्याज नियमित रूप से प्राप्त होता है और बकाया नहीं है।

(3) कारपोरेट निकायों या सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों की प्रतिभूतियों पर आय, और उस मूलधन पर ब्याज और उसकी अदायगी जिसकी गारंटी केन्द्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई हो, उपचित आधार पर हिसाब में ली जाएगी।

2.2 परिसंपत्ति वर्गीकरण

ऋण तथा अग्रिम और ऋण के किसी अन्य रूप को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, नामशः

(i) **मानक परिसंपत्तियां:** 'मानक परिसंपत्तियों' से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्तियां से हैं जो एनपीए नहीं है और जिनके संबंध में मूलधन और ब्याज की अदायगी पहले प्राप्त हो गई हो और जिनसे कोई समस्या पैदा नहीं हुई हो और जो कारोबार से संबद्ध सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम वाली न हो।

(i) **उप मानक परिसंपत्तियां:** 'उप मानक परिसंपत्तियां' से तात्पर्य है:

(क) ऐसी परिसंपत्तियां जो 18 महीने से अनधिक अवधि तक अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत की गई हों;

(ख) ऐसी परिसंपत्तियां जिनके संबंध में ब्याज और या मूलधन के बारे में करार की शर्तों के संबंध में पुनः बातचीत की गई हो या जिन्हें पुनः अनुसूचित किया गया हो या जिन्हें पुनर्गठित किया गया हो बशर्ते कि बातचीत या पुनः अनुसूची या पुनर्गठन की शर्तों के अधीन संतोषजनक कार्य निष्पादन का एक वर्ष समाप्त न हुआ हो।

(ग) ऋण परिसंपत्तियों के मानक ढांचों का पुनः सूचीकरण या पुनर्गठन या पुनः बातचीत को उस स्थिति तक पुनः वर्गीकृत नहीं समझा जाएगा, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित परियोजना को व्यवहार्य पाया गया हो।

(iii) **संदिग्ध परिसंपत्तियां:** 'संदिग्ध परिसंपत्तियां' से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्ति से है जो 18 माह से अधिक अवधि तक उपमानक परिसंपत्ति रही हो।

(iv) **हानि वाली परिसंपत्तियां:** हानि वाली परिसंपत्तियों से तात्पर्य है-

क) ऐसी परिसंपत्ति जिन्हें आरईसी द्वारा उस सीमा तक हानि वाली परिसंपत्ति के रूप में अभिनिर्धारित किया गया हो जिस सीमा तक आरईसी द्वारा इसे बट्टे खाते नहीं डाला गया हो या ऐसी परिसंपत्ति जो 5 वर्ष से अधिक अवधि तक संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में रही हो, इनमें से जो भी पहले हो।

ख) ऐसी परिसंपत्ति जिस पर प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने या प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण या उधारकर्ता के किसी कपटपूर्ण कार्य या चूक के कारण, वसूल न होने के खतरे के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

विवेकसम्मत मानदंडों तथा प्रावधान किए जाने के मानदंडों के उपयोग के प्रयोजन हेतु,

i. राज्य/केन्द्रीय क्षेत्र के निकायों को प्रदान की गई सुविधाओं को ऋण-वार लिया जाता है।

ii. अन्य निकायों को प्रदान की गई सुविधाओं को कर्जदार-वार लिया जाता है।

2.3 ऋणों के विरूद्ध प्रावधान

खरीदे तथा छूट दिए गए बिलों सहित ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में प्रावधान की आवश्यकता निम्नानुसार होगी:

(i) **हानि वाली परिसंपत्तियां:** समूची परिसंपत्ति को बट्टे खाते डाला जाएगा। यदि किसी कारण से ऐसी परिसंपत्ति को बही में रखे जाने की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित के बकाये के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाएगा:

(ii) **संदिग्ध परिसंपत्तियां -**

क) उस सीमा तक 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाएगा जिस तक उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से वह ऋण पूरा नहीं होता है, जिसे वसूल करने के लिए आरईसी के पास वैध तरीका है। वसूल किए जाने योग्य मूल्य का एक वास्तविक आधार पर लगाया जाएगा। केन्द्रीय योजना आबंटन अथवा किसी राज्य सरकार को दिए गए ऋण में से कटौती के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार की गारंटी अथवा राज्य सरकार के वचनपत्र वाले ऋण को प्रतिभूत माना जाएगा;

ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त, जिस अवधि हेतु परिसंपत्ति संदेहास्पद रहती है, उसके लिए प्रतिभूत भाग के लिए 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की सीमा तक (अर्थात बकाया का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य) के लिए प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा:-

अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति को संदिग्ध के रूप में माना गया है	**प्रावधान की प्रतिशतता**
1 वर्ष तक	20 प्रतिशत
1 से 3 वर्ष	30 प्रतिशत
3 वर्ष से अधिक	50 प्रतिशत

(iii) **उप मानक परिसंपत्तियां-** 10 प्रतिशत का प्रावधान किया जाएगा।

कोई परिसंपत्ति जिसे पुनः विचार-विमर्श अथवा पुनः निर्धारित अथवा पुनः संरचित किया गया है, एक उप मानक परिसंपत्ति होगी अथवा उसी श्रेणी में परिसंपत्ति अथवा संदिग्ध परिसंपत्ति अथवा एक हानि परिसंपत्ति के रूप में, जैसा भी मामला हो, बनी रहेगी जिसमें वह पुनः विचार-विमर्श अथवा पुनः निर्धारण या पुनः सरंचना से पूर्व थी। ऐसी उक्त परिसंपत्ति पर उसे उच्चीकृत किए जाने तक आवश्यक प्रावधान को लागू किए जाने की आवश्यकता होती है।

3. अचल परिसंपत्ति

अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। इनकी लागत में परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए लगाई जाने वाली लागत शामिल होती है।

4. मूल्यह्रास

4.1 परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रो-राटा आधार पर मुहैया कराया जाता है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प के रूप में 16.12.1993 से पूर्व पूंजीकृत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को तब प्रचलित दरों पर सीधी रेखा पद्धति द्वारा प्रभारित किया जाता है।

4.2 वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूरे माह के लिए प्रभारित किया जाता है बशर्ते कि परिसंपत्ति का उपयोग 15 दिन से अधिक अवधि तक किया गया हो। इस पर क्रय/बिक्री की तिथि से यथानुपात के आधार पर प्रभारित नहीं किया जाएगा।

4.3 वर्ष के दौरान क्रय की गई ₹5,000/- तक के मूल्य की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है।

4.4 पट्टे वाली भूमि को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

एक अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि ऐसी परिसंपत्तियों के भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को आएंगे। इन परिसपंत्तियों को 5 वर्ष की अवधि हेतु परिशोधन किया जाता है।

6. निवेश

दीर्घावधि निवेशों को लागत घटाएं प्रावधान (म्युचुअल निधियों, जिनका हिसाब एनएपी पर लगाया जाता है, को छोड़कर), यदि कोई हो, पर ऐसे निवेश के मूल्य में कमी के साथ दिखाया जाता है। वर्तमान निवेश को, लागत अथवा उचित मूल्य, जो कोई भी कम हो, पर हिसाब में लिया जाता है।

7. वर्तमान कर तथा आस्थगित कर

आयकर व्यय में वर्तमान आयकर जिसमें छुटपुट लाभ कर शामिल हैं (निर्धारित अवधि हेतु कर की राशि को आयकर कानून के अनुसार निर्धारित किया जाता है) और आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट (अवधि हेतु लेखांकन आय तथा कर योग्य आय के मध्य समय अंतरों के कर प्रभारों को दर्शाने वाला) को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लेखांकन मानक-22 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट और तदनुरूपी आस्थगित कर देयता अथवा परिसपंत्तियों की पहचान उन कर दरों का उपयोग करते हुए की जाती है जिन्हें तुलनपत्र तारीख को अधिनिर्गमित अथवा व्यापक रूप से स्थापित किया गया है। आस्थगित परिसंपत्ति को उस सीमा तक माना तथा आगे ले जाया जाता है , जहां तक इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसमें से उक्त आस्थगित कर परिसंपत्ति को वसूला जा सकता है।

8. परिसंपत्तियों को क्षति

प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को कंपनी यह पता लगाने के लिए कि उसकी परिसंपत्तियों में क्षति से हानि तो नहीं हुई है, स्थायी परिसंपत्तियों

की कैरिंग राशि की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसा कोई संकेत दिखाई देता है तो क्षति हानि की सीमा के निर्धारण हेतु परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के निवल बिक्री लागतों और उपयोग में मूल्य से अधिक होती है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

किसी प्रावधान को तब स्वीकार किया जाता है जब कंपनी की किसी पूर्व की घटना से परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता हो और यह संभव हो कि संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता उस देयता के निपटान हेतु तथा देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाने के लिए हो। प्रावधानों को तुलनपत्र की तारीख पर देयता के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

10. बांड/ऋण निर्गम

10.1 बांडों द्वारा निधियां जुटाने पर हुए व्यय को बांड जारी किए जाने के वर्ष में राजस्व में दर्शाया जाता है।

10.2 निगम बांड के संबंध में ब्याज वारंट के भुगतान के प्रति अपनी देयता को नामित ब्याज वारंट बैंक खातों में राशि जमा कराकर पूरा करता है। तदनुसार ,भुगतान को अंतिम भुगतान माना जाता है और ये नामित लेखे बहियों में प्रदर्शित नहीं होते बल्कि तत्संबंधी खातों का मिलान कर लिया जाता है।

10.3 निधियों को जुटाए जाने में हुआ व्यय ,जिस वर्ष व्यय हुआ है ,के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है ,परंतु कमर्शियल पेपरों/ आरईजी-एस बांडों(विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर उस छूट/ब्याज को लेखे में नहीं दर्शाया जाता है जो उसको कालावधि के दौरान समानुपातिक रूप से चुका दिया जाएगा।

10.4 आंतरिक उधार संबंधी ब्याज दर में अदला-बदली होने पर लाभ या हानि को निपटान की तारीख के अनुसार ब्याज की लागत के लिए समायोजित किया जाता है।

11. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट में दर्शाया जाता है जिसमें कर पूर्व लाभ को एक गैर नकदी प्रकृति के कारोबार और विगत अथवा भविष्य की नकदी प्राप्तियां अथवा भुगतान के किसी विलंब अथवा उपचयन के प्रभारों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नकदी प्रवाह को नियमित प्रचालन, वित्तपोषण और निवेश की गतिविधियों से अलग रखा जाता है।

12. पूर्वावधि/पूर्व प्रदत्त समायोजन

12.1 व्यापार की प्रकृति को देखते हुए इस वर्ष के दौरान निर्धारित और निश्चित पिछले वर्षों की ब्याज आय/व्यय को इसी वर्ष हिसाब में लिया जाएगा ,जिस वर्ष इसे इस प्रकार निश्चित और निर्धारित किया गया हो।

12.2 प्रत्येक मामलों में ₹5,00,000/- से अधिक न होने वाले व्यय को लेखे के सामान्य शीर्षों में लेखांकित किया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ

13.1 उपदान के संबंध में कर्मचारी लाभ की देयता का पता बीमांकित मूल्यांकन पर लगाया जाता है और इसका भुगतान पृथक रूप से किया जाता है।

13.2 अल्पावधि कर्मचारी लाभ को संबंधित सेवा प्रदान किए जाने वाले वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में गैर छूट वाली राशि पर एक प्रभार माना जाता है।

13.3 कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और अन्य दीर्घकालिक लाभों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में व्यय के रूप में माना जाएगा, जिस वर्ष कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हों। इस व्यय को उस रकम के वर्तमान मूल्य पर माना जाता है जिस पर वास्तविक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए उसे देय राशि के रूप में निर्धारित किया जाता है। कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और दीर्घकालिक लाभों को लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

14. विदेशी मुद्रा में लेनदेन

14.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन को प्रारंभ में कारोबार की तारीख के दिन विद्यमान विनियम दर में दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण/देयताओं को वर्ष के अंत में विद्यमान विनिमय दर के संदर्भ में परिवर्तित किया जाता है और इसके परिणामतः विनिमय में होने वाले घट-बढ़ को लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

14.2 भारतीय रुपये में बदले गए विदेशी मुद्रा ऋण के अंश को इस प्रकार के लेन-देन में परिवर्तन के लिए निर्धारित दर पर परिवर्तित किया गया बताया गया है और इसे वर्ष के अंत में प्रचलित दरों में परिवर्तित नहीं किया गया है।

15. सरकार से निधि/अनुदान

आगे संवितरण करने के लिए प्राप्त अनुदान की असंवितरित निधियों को वर्तमान देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी निधियों पर जहां कहीं ब्याज अर्जित किया जाता है, उसे संबंधित अनुदान खाते में अथवा 'अन्य आय' खाते में, यदि अनुदान की शर्तों में ऐसी अपेक्षा हो, डाला जाता है।

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह

(लाख ₹ में)

ब्योरे			31.03.2011 को समाप्त वर्ष		31.03.2010 को समाप्त वर्ष	
क.	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**					
	कर-पूर्व निवल लाभ		**347,662.81**		264,919.43	
	निम्नलिखित हेतु समायोजन					
	1.	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	**0.51**		-1.67	
	2.	मूल्यह्रास	**304.16**		215.50	
	3.	अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**22.17**		22.18	
	4.	बट्टेखाते डाला गया अधिक प्रावधान	**-2,921.31**		-107.51	
	5.	'स्मॉल इज ब्यूटीफुल फंड' की यूनिटों के निवेश की बिक्री/आय पर लाभ	**-189.89**		-67.11	
	6.	विनिमय दर अंतर में हानि-लाभ	**-8,533.04**		-	
	7.	सहायक कंपनी आरईसी-पीडीसीएल से लाभांश	**-5.00**		-5.00	
	8.	बट्टेखाते में डाले गए बांड निर्गम पर छूट	**84.71**		-	
	9.	म्युचुअल फंड पर लाभांश	**-347.44**		-978.98	
	10.	प्रावधान से अधिक अदा किया गया लाभांश और लाभ कर	**1.35**		0.90	
	कार्यशील पूंजी प्रभारों से पूर्व प्रचालन लाभः		**336,079.03**		263,997.74	
	बढ़ोतरी/कमी					
	1.	ऋण	**-1,567,966.69**		-1,507,138.98	
	2.	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	**4,003.46**		-12,090.02	
	3.	अन्य ऋण एवं अग्रिम	**4,053.18**		173,283.98	
	4.	वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	**39,246.74**		-122,135.08	
	प्रचालनों से नकदी बाह्य प्रवाह		**-1,184,584.28**		-1,204,082.36	
	1.	आय कर की अग्रिम अदायगी	**-96,422.88**		-67,429.97	
	2.	आय कर की वापसी	**-**		2,049.58	
	3.	प्रदत्त धन कर	**-35.54**		-36.65	
	प्रचालन क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी			**-1,281,042.70**		-1,269,499.40
ख.	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**					
	1.	स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	**2.42**		8.90	
	2.	स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद (पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम सहित)	**-122.30**		-1,123.36	
	3.	मध्य प्रदेश सरकार के 8% पावर बांड-II का मोचन	**9,432.00**		9,432.00	
	4.	'स्माल इज ब्यूटीफुल फंड' यूनिटों का विमोचन	**310.99**		238.50	
	5.	'स्माल इज ब्यूटीफुल फंड की यूनिटों में निवेश पर आय	**189.89**		67.11	
	6.	ईईएसएल के शेयरों में निवेश	**-**		-62.50	
	7.	म्युचुअल फंडों पर प्राप्त लाभांश	**347.44**		978.98	
	8.	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से लाभांश	**5.00**		5.00	
	निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी			**10,165.44**		9,544.63
ग.	**वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**					
	1.	बांडों का निर्गम	**1,543,243.48**		1,659,115.39	
	2.	बांडों का मोचन	**-509,820.54**		-836,162.65	
	3.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सावधिक ऋण/एसटीएल जुटाना (निवल)	**67,770.85**		106,037.86	
	4.	विदेशी मुद्रा ऋण जुटाना (निवल)	**559,142.99**		58,269.18	
	5.	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (निवल वापसी)	**484,130.98**		501,976.13	
	6.	अनुदानों का संवितरण	**-402,541.89**		-600,367.03	
	7.	सरकारी ऋणों की चुकौती	**-1,329.16**		-1,532.64	
	8.	प्रदत्त अंतिम लाभांश	**-34,561.66**		-21,467.27	
	9.	अंतिम लाभांश पर प्रदत्त निगमित लाभांश कर	**-5,739.43**		-3,648.36	
	10.	शेयरों का निर्गम	**-**		12,879.90	
	11.	शेयरों के निर्गम पर प्रतिभूतियों का प्रीमियम	**41.32**		249,918.17	
	12.	कमर्शियल पेपरों का निर्गम	**-**		315,000.00	
	13.	कमर्शियल पेपरों की चुकौती	**-245,000.00**		-199,500.00	
	14.	प्रदत्त अंतरिम लाभांश	**-34,561.64**		-25,759.80	
	15.	अंतरिम लाभांश पर प्रदत्त निगमित लाभांश कर	**-5,740.25**		-4,377.03	
	वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी अंतःप्रवाह			**1,415,035.05**		1,210,381.85
	नकदी तथा नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी			**144,157.79**		-49,572.92
	01 अप्रैल, 2010 को नकदी तथा नकदी समतुल्य			**139,031.22**		188,604.14
	31 मार्च, 2011 को नकदी तथा नकदी समतुल्य			**283,189.01**		139,031.22
	नकदी तथा नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी			**144,157.79**		-49,572.92

टिप्पणीः पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हुआ, पुनः व्यवस्थित तथा पुनः समूहबद्ध किया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं.. : 88155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 006591एन

कृते बंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता सं.. : 70811
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 001113एन

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24 मई, 2011

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

वी.के. अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

पी.जे. ठक्कर
निदेशक (तकनीकी)

एच.डी. खुंटेटा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)

राकेश के. अरोड़ा
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2011 के तुलन-पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुबंध

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित)

(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1998 के अनुच्छेद 9बीबी, जो आरईसी लिमिटेड पर लागू है, के अनुसार अपेक्षित ब्योरे

(लाख ₹ में)

	ब्योरे	बाकी रकम	अतिदेय रकम	
देयता पक्षः				
एनबीएफसी द्वारा उपयोग किए गए ऋण एवं अग्रिम पर उपचित किंतु अदा नहीं ब्याज सहितः				
(क)	डिबेंचर/बांड :			
	(I) प्रतिभूत	4,050,530.36	-	
	(ii) अप्रतिभूत	1,068,993.57	-	
(ख)	विदेशी मुद्रा ऋण	758,331.81	-	
(ग)	भारत सरकार से सावधि ऋण	3,612.68	-	
(घ)	वित्तीय संस्थान से सावधि ऋण	472,000.00	-	
(ड.)	बैंकों से सावधि ऋण	646,913.71	-	
(च)	बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-	
(छ)	बैंकों से नकद क्रेडिट	-	-	
(ज)	कमर्शियल पेपर	-	-	
परिसंपत्ति पक्षः				
प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं अग्रिमों का ब्यौरा				
(क)	प्रतिभूत	5,854,195.18		
(ख)	अप्रतिभूत	2,359,010.72		
निवेशः				
दीर्घकालिक निवेश				
अनुद्धृतः				
(i)	शेयर : (क) इक्विटी	197.50		
	(ख) अधिमान्य	-		
(ii)	डिबेंचर और बांड	-		
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें	873.38		
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	80,172.00		
(v)	अन्य	-		

सभी पट्टा परिसंपत्तियों, भाड़े के स्टॉक तथा ऋण एवं अग्रिमों का उधारकर्ता समूह-वार वर्गीकरण

	श्रेणी	प्रावधानों की निवल रकम		
		प्रतिभूत	अप्रतिभूत	जोड़
1.	**संबंधित पक्षकार**			
	(क) सहायक कंपनियां	-	43.95	43.95
	(ख) उसी समूह की कंपनियां	-	-	-
	(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-	-
2.	**संबंधित पक्षकारों से भिन्न पक्षकार**	5,854,195.18	2,359,010.72	8,213,205.90
	जोड़	5,854,195.18	2,359,054.67	8,213,249.85

शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण

	श्रेणी	प्रावधानों की निवल रकम बाजार मूल्य/विवरण या उचित मूल्य या निवल परिसंपत्ति मूल्य		अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)
1.	**संबंधित पक्षकार**			
	(क) सहायक कंपनियां	10.00		10.00
	(ख) उसी समूह की कंपनियां	-		-
	(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-		-
2.	**संबंधित पक्षकारों से भिन्न पक्षकार**	81,232.88		81,232.88
जोड़		81,242.88		81,242.88
अन्य सूचना				
ब्यौरे				(लाख ₹ में)
(I)	सकल गैर-निष्पादन परिसंपत्तियां			
	(क) संबंधित पक्षकार			
	(ख) संबंधित पक्षकारों से भिन्न पक्षकार			1,954.09
(II)	निवल गैर-निष्पादन परिसंपत्तियां			
	(क) संबंधित पक्षकार			-
	(ख) संबंधित पक्षकारों से भिन्न पक्षकार			177.41
(iii)	ऋण के समाधान के लिए अपेक्षित परिसंपत्तियां			-

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं. : 88155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 006591एन

कृते बंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता सं. : 70811
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 001113एन

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24 मई, 2011

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

वी.के. अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

पी.जे. ठक्कर
निदेशक (तकनीकी)

एच.डी. खुंटेटा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)

राकेश के. अरोड़ा
कंपनी सचिव

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,

1. हमने **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** के 31 मार्च, 2011 के संलग्न तुलनपत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन के वर्ग का है। हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में अपनाए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम योजनानुसार लेखापरीक्षा में आश्वस्त करें कि वित्तीय विवरण में गलतबयानी न हो। लेखापरीक्षा में परख के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्य की जांच शामिल होती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन वर्ग द्वारा प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन तथा साथ ही, समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा यह मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4ए) के अनुसार यथा अपेक्षित तथा केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) के आदेश, 2003 (यथासंशोधित) के अनुसार कारपोरेशन पर जितना लागू हो सकता है, उसके अनुरूप उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर हम एक विवरण अनुबंध में संलग्न कर रहे हैं।

4. उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में उल्लिखित अनुबंध में टिप्पणियों के अतिरिक्त हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

   i) अपनी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी इस लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं;

   ii) हमारी राय में, और जहां तक इन बहियों की जांच से पता चलता है, कंपनी द्वारा कानूनी अपेक्षा के अनुसार लेखा की उपयुक्त खाता बहियां ठीक ढंग से रखी गई हैं;

   iii) इस रिपोर्ट में, उल्लिखित तुलनपत्र तथा लाभ एवं हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण निगम की लेखा बहियों से मेल खाते हैं;

   iv) हमारी राय में, इस रिपोर्ट में तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में दिए गए लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं;

   v) भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग की दिनांक 22.3.2002 की अधिसूचना सं. 2/5/2001-सीएल.वी. के द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(जी) के उपबंधों को लागू करने की प्रयोज्यता से छूट दी गई है;

   vi) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इनके संबंध में टिप्पणियों और लेखाकरण नीतियों के साथ पठित उक्त लेखा विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित निम्नलिखित सूचना देते हैं जिसमें सही तथा निष्पक्ष विचार व्यक्त किए हैं और जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप हैं:

      क) तुलनपत्र के मामले में 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति।

      ख) लाभ एवं हानि खाते के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ; तथा

      ग) नकद प्रवाह विवरण के मामले में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान नकद प्रवाह।

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता सं. 070811
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 001113एन

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं. 88155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 006591एन

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 मई, 2011

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के खातों पर उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ (3) में उल्लिखित विवरण

(i) (क) कारपोरेशन ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए अचल परिसंपत्तियों का रिकार्ड रखा है जिसमें संपत्तियों की मात्रा का विवरण और अवस्थिति सहित पूरे ब्यौरे दर्शाये जाते हैं।

(ख) कंपनी के प्रबंधन द्वारा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया। प्रबंधन द्वारा प्रमाणित करने के अनुसार उक्त प्रत्यक्ष सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने इस वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का कोई बड़ा निपटान नहीं किया। अतः चालू प्रक्रिया पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए आदेश का यह खंड लागू नहीं होता है।

(ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते कारपोरेशन की कोई माल सूची नहीं है, चूंकि यह खंड लागू नहीं होता है।

(iii) (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में सूचीबद्ध किसी कंपनी, फर्म या अन्य पक्षकार को जमानती या गैर-जमानती ऋण प्रदान नहीं किया है। तदनुसार खंड 4(iii)(क), 4(iii)(ख), 4(iii)(ग) और 4(iii)(घ) लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने सामान्यतः उन कंपनियों, फर्मों और अन्य पार्टियों से कोई जमानती या गैर-जमानती ऋण नहीं लिया है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत खोले गए रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं। तदनुसार, इस आदेश के खंड 4(iii)(ड.), 4(iii)(च) तथा 4(iii)(छ) कंपनी पर लागू नहीं होते।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार अचल संपत्तियां खरीदने और वित्तीय सेवाओं के लिए आंतरिक नियंत्रण सामान्यतः कारपोरेशन के आकार और क्रियाकलाप के अनुरूप है। तथापि, कुछ क्षेत्रों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ये क्षेत्र हैं: विभिन्न स्कीमों के अधीन संवितरित अनुदान/सब्सिडी, विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/वितरण कंपनियों/पारेषण कंपनियों/उत्पादन कंपनियों को दिए गए ऋणों की मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण जिसमें दिए गए ऋणों पर सृजित प्रभारों की खोज (सर्च) रिपोर्टें प्राप्त करना भी शामिल है। ऋण संपत्तियों की भुगतान सूची फिर से तैयार करते समय संशोधित परियोजना की व्यवहार्यता का पता लगाना; ऋण संपत्तियों पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए ईआरपी में ऋण माड्यूल से विभिन्न रिपोर्टें तैयार करने पर भी बेहतर नियंत्रण की जरूरत है। लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कोई बड़ी असफलता हमें नहीं मिली।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन कंपनियों या संस्थाओं के साथ कोई करार नहीं किया है। तदनुसार आदेश का यह खंड लागू नहीं होता है।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने जनता से ऐसी कोई जमा स्वीकार नहीं की है जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए तथा 58एए के उपबंध अथवा इसके अंतर्गत तैयार नियमावली के संबंधित उपबंध लागू होते हों।

(vii) हमारे विचार में कारपोरेशन का एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो सामान्यतः कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय के अनुरूप काफी है।

(viii) हमारे ज्ञान तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन के उत्पाद/सेवाओं के लिए केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, यह आदेश कारपोरेशन पर लागू नहीं होता।

(ix) (क) कारपोरेशन, भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा से रक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, धनकर, सेवा कर तथा उस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक राशि उपयुक्त प्राधिकारी के पास नियमित रूप से जमा कर रहा है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, सेवा कर तथा धनकर के संबंध में देय ऐसी कोई अविवादित राशि 31.3.2011 को बकाया नहीं थी जो देय तारीख से छह महीने से अधिक बकाया हो।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, बिक्रीकर, धनकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं उपकर से संबंधित ऐसी कोई भी राशि नहीं थी जिसे विवाद के कारण जमा न करवाया गया हो।

(x) कारपोरेशन को 31 मार्च, 2011 तक कोई संचयी हानि नहीं हुई है। हमारी लेखापरीक्षा में शामिल वर्ष एवं निकटतम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कारपोरेशन को नकद हानि नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश का यह खंड लागू नहीं होता है।

(xi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने तुलनपत्र की तारीख तक किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या बांडधारकों को देय राशि की चुकौती में चूक नहीं की है।

(xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों, पारेषण, वितरण तथा उत्पादन कंपनियों जिनमें स्वतंत्र विद्युत उत्पादक शामिल हैं, को शेयर अथवा अन्य किसी प्रतिभूति को रेहन रखकर प्रतिभूति के आधार पर दिए गए ऋण के संबंध में अभिलेखों तथा दस्तावेजों का अनुरक्षण किया है।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन चिट फंड या निधि या म्युच्युअल बेनिफिट फंड/सोसायटी नहीं है। अतः यह खंड कारपोरेशन पर लागू नहीं होता।

(xiv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन प्रतिभूतियों एवं ऋण पत्रों तथा अन्य निवेशों का किसी प्रकार का लेनदेन या व्यापार नहीं कर रहा है। तदनुसार, यह खंड कारपोरेशन पर लागू नहीं होता।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने वर्ष के दौरान बैंकों या वित्तीय संस्थानों से किसी अन्य द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। अतः यह खंड कारपोरेशन पर लागू नहीं होता।

(xvi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार सावधि ऋण जिस प्रयोजन हेतु लिए गए उसी के लिए इनका उपयोग किया गया।

(xvii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन के तुलनपत्र की समग्र जांच करने पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का उपयोग दीर्घावधि निवेश के लिए नहीं किया गया है।

(xviii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर में शामिल की जाने वाले कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों तथा कंपनियों को वर्ष के दौरान किसी तरह के अधिमानी शेयर आबंटित नहीं किए।

(xix) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने कारपोरेशन की महाराष्ट्र और दिल्ली की अचल संपत्तियों पर प्राप्य एवं पंजीकृत रेहन पर प्रभार के रूप में संस्थागत ऋण, कर योग्य सुरक्षित बांड और पूंजीगत लाभ बांड के संबंध में प्रतिभूति सृजित की है।

(xx) कारपोरेशन ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम के द्वारा धनराशि नहीं जुटाई है। तदनुसार, जुटाई गई धनराशि के वास्तविक उपयोग के प्रकटन के लिए यह खंड लागू नहीं होता। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कर योग्य सुरक्षित बांड और कैपिटल गेन्स बांडों के द्वारा जुटाई गई धन राशि सार्वजनिक निर्गम नहीं है।

(xxi) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा की परिपाटी के अनुसार की गई लेखा बहियों की जांच के दौरान और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमें वर्ष के दौरान कारपोरेशन के साथ या कंपनी द्वारा की गई कपट की कोई घटना न तो हमारे ध्यान में आई है और न ही हमें उसकी कोई सूचना मिली है। प्रबंधक वर्ग द्वारा भी ऐसे किसी मामले के बारे में हमें सूचित नहीं किया गया है।

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता सं. 070811
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 001113एन

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं. 088155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 006591एन

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 मई, 2011

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप काम्पलेक्स,
7, लोदी रोड,
नई दिल्ली -110003

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2008 और कारपोरेशन पर लागू सीमा तक उक्त निदेशों के पैरा 3 और 4 के अनुसार और लेखापरीक्षा प्रयोजन के लिए हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-1ए में किए गए प्रावधान के अनुसार कारपोरेशन ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और 10.2.1998 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया गया है जिसकी पंजीकरण संख्या 14000011 है।

2. अधिसूचना सं. 134 से 140, दिनांक 13.1.2000 द्वारा एनबीएफसी विनियमों के संशोधनों के अनुसार सरकारी कंपनियों को तरल आस्तियों के रखरखाव और आरक्षित निधि के सृजन संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों तथा सार्वजनिक जमा और विवेकपूर्ण मानदंडों की स्वीकृति संबंधी निदेशों के लागू होने से छूट दी गई है। आरबीआई के मास्टर परिपत्र सं. 178, दिनांक 1 जुलाई, 2010 के पैरा सं. (3)(iv) के अनुसार गैर-बैंकिंग (गैर-निक्षेप स्वीकारक या होल्डिंग) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2007 आरईसी पर लागू नहीं होंगे। तथापि, आरबीआई ने अपने दिनांक 29 जून, 2010 के द्वारा 31 मार्च, 2012 तक के लिए विद्युत क्षेत्र में केन्द्र और राज्य की संस्थाओं के संबंध में विवेकपूर्ण प्रकटन मानदंडों से आरईसी को छूट प्रदान की है।

   इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने अपने दिनांक 17 सितंबर, 2010 के पत्र के द्वारा अपने परिपत्र सीसी संख्या 168, दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के तहत आरईसी को अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में मान्यता प्रदान की है।

3. कारपोरेशन ने वर्ष 2010-11 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

4. 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कारपोरेशन ने लेखा मानकों, आय मान्यता, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, पूंजी पर्याप्तता तथा प्रकटन मानदंडों का अनुपालन किया है जो कंपनी द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार है और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में निर्दिष्ट/उल्लिखित किए गए हैं।

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

डी.एस. रावत
भागीदार
सदस्यता सं. 83030
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. 001113एन

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं. 88155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. 006591एन

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29 जून, 2011

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के खातों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के खातों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत के सनदी लेखाकार संस्थान नामक व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित होती है। बताया गया कि दिनांक 24 मई, 2010 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए उन्होंने ऐसा कार्य किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की ओर से रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षा के संबंधित कागजपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों और कार्मिकों से पूछताछ तथा तदनुसार कुछ चुने हुए लेखाकरण रिकार्ड की जांच तक ही मुख्य रूप से सीमित रही है। लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण बात मेरे ध्यान में नहीं आई है, जिसके आधार पर मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी दे सकूं या पूरक लेखापरीक्षा कर सकूं।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और उनकी ओर से

एम. के.विस्वास
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-त्त्त
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2010

सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट

शेयरधारक
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
कोर-4, स्कोप कांपलेक्स,
7, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

हमने, निम्नलिखित नियमों/अधिनियमों में अंतनिर्हित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के रजिस्टरों, अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की:

- कंपनी अधिनियम,1956 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- निक्षेपागार अधिनियम,1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत जिन्होंने पंजीकरण के अपेक्षित प्रमाण पत्र देने वाले निक्षेपागारों की उपविधि;
- प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 तथा उसके तहत बनाए गए नियम;
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ सूचीकरण करार; तथा
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, दिशानिर्देशों और विनियमों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का मूल अभिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 1997;
  - भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंग विपणन विनियम का निषेध) 1999; तथा
  - भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना एवं कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना), दिशानिर्देश 1999.

क. हमारे पास उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जांच और सत्यापन के आधार पर तथा कंपनी द्वारा हमें प्रस्तुत की गयी व्याख्याओं और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह रिपोर्ट देते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का और निम्न के संबंध में अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों तथा उपर्युक्त सूचीकरण अनुबंध एवं कंपनी के संस्था अंतर्नियमों और ज्ञापन का अनुपालन किया है:

1. विभिन्न सांविधिक और गैर-सांविधिक रजिस्टरों तथा दस्तावेजों का रखरखाव करना और उनमें आवश्यकता के आधार पर जरूरी परिवर्तन करना।
2. कंपनियों के पंजीयक के पास फार्मों, रिटर्नों और संकल्पों को जमा करना।
3. कंपनी के सदस्यों, पंजीयक और स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी द्वारा अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध कराना।
4. निदेशक मंडल का संयोजन, नियुक्ति, सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र।
5. कार्यपालक और स्वतंत्र निदेशकों का पारिश्रमिक।
6. बोर्ड की बैठकों तथा निदेशकों की समिति की बैठकों की कार्यसूची और सूचना प्रेषित करना।
7. बोर्ड तथा इसकी समितियों की बैठक।
8. वार्षिक आम बैठक का आयोजन तथा उसमें विभिन्न रजिस्टरों को प्रस्तुत करना।
9. बोर्ड की बैठकों, समिति की बैठकों और आम बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त की रिकार्डिंग करना।
10. लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक।
11. भौतिक रूप में धारित शेयरों के अंतरण का पंजीकरण।
12. शेयरों का डिमैटिरियलाइजेशन एंड रिमैटिरियलाइजेशन।
13. कंपनी का नाम और पंजीकृत कार्यालय, सामान्य मुहर का लगाना, संविदाओं का निष्पादन।
14. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का मूल अभिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 1997 की आवश्यकता।
15. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंग विपणन विनियम का निषेध) 1999 की आवश्यकता।
16. उपर्युक्त स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार में निर्धारित अपेक्षाएं।

ख. मैं, यह रिपोर्ट भी देता हूँ कि:-

(i) कंपनी के निदेशकों ने अपने अन्य निदेशक पदों, कंपनियों के बोर्ड, जिनमें वे निदेशक हैं, की समितियों की सदस्यताओं, उनकी शेयरधारिता और हित अथवा अपने सामान्य कारोबार के अनुसरण में कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों में अपने सरोकार से संबंधी अपनी घोषणाओं और प्रकटनों के करने के संबंध में विभिन्न अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, तथा

(ii) कंपनी द्वारा न तो इनके खिलाफ कोई अभियोग कार्रवाई शुरू की गयी है और न ही किसी कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति की है तथा उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों और इसके अंतर्गत बनाए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत कंपनी पर अथवा इसके निदेशकों तथा अधिकारियों पर कोई जुर्माना या दंड अधिरोपित नहीं किया गया है।

कृते चंद्रशेकरन एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

डॉ. एस चंद्रशेकरन
वरिष्ठ भागीदार
एफसीएसः 1644
सीपी : 715

नई दिल्ली
28 जून, 2011

अनुबंध–V

सहायक कंपनियों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(I) (ड़) के अनुसरण में विवरण

क्रम सं.	सहायक कंपनी का नाम	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लि.*	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
1.	सहायक कंपनी के वित्त वर्ष की समाप्ति की तारीख	31.03.2011	31.03.2011
2.	तारीख जब वे सहायक कंपनी बनी थीं	08.01.2007	12.07.2007
3.	दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार कंपनी द्वारा धारित सहायक कंपनी के शेयर		
	क) संख्या और अंकित मूल्य	प्रत्येक 10 रुपए के 50000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक 10 रुपए के 50000 इक्विटी शेयर
	ख) शेयरधारण की सीमा	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
4.	जहां तक नियंत्री कंपनी के सदस्यों का संबंध है, सहायक कंपनियों के लाभ/हानि की निवल कुल रकम		
	क) जिन पर नियंत्री कंपनी के लेखों में कार्रवाई नहीं की गई:–		
	i) 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	109,228,240	40,397,158
	ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष तक	1,98,010,352	42,368,113
	ख) जिन पर नियंत्री कंपनी के लेखों में कार्रवाई की गई:		
	i) 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	शून्य	शून्य
	ii) नियंत्री कंपनी की सहायक कंपनियां बनने की तारीख से सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के लिए	शून्य	शून्य

* **टिप्पणी :** रायचूर शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (आरएसटीसीएल) के 100 प्रतिशत शेयर आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा धारित हैं, जो इस कंपनी की सीधे सहायक कंपनी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4(1) (ग) के प्रावधानों के अनुसरण में आरएसटीसीएल भी 07.01.2011 तक रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन की सहायक कंपनी थी। आरएसटीसीएल के अंतरण के लिए सफल बोलीदाताओं के चयन की प्रक्रिया चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरी कर ली गई है और इसे मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लि., मैसर्स सिम्पलैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि. और मैसर्स बीएस ट्रांसकॉम लि. को अंतरित कर दी गई है।

वी.के.अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

पी.जे. ठक्कर
निदेशक (तक.)

एच.डी.खुंटेटा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एवं निदेशक (वित्त)

राकेश के. अरोड़ा
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं कंपनी सचिव

31 मार्च, 2011 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(₹ लाख में)

	अनुसूची संख्या	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार
निधियों के स्त्रोतः			
शेयरधारकों की निधियां			
पूंजी	1	**98,745.90**	98,745.90
आरक्षित तथा अधिशेष	2	**1,183,998.11**	1,011,679.67
		1,282,744.01	1,110,425.57
ऋण निधियांः			
प्रतिभूत ऋण	3	**4,626,743.07**	4,624,473.81
अप्रतिभूत ऋण	4	**2,373,639.06**	970,349.03
		7,000,382.13	5,594,822.84
जोड़		**8,283,126.14**	6,705,248.41
निधियों का उपयोगः			
अचल परिसंपत्तियां	5		
सकल ब्लॉक		**8,486.92**	8,367.32
घटाएं मूल्यह्रास		**1,931.42**	1,631.26
निवल ब्लॉक		**6,555.50**	6,736.06
चालू पूंजीगत कार्य		**2,281.67**	2,733.20
निवेश	6	**81,232.88**	90,975.87
ऋण	7	**8,213,205.90**	6,645,261.38
आस्थगित कर परिसंपत्ति/(-)देयता (निवल)	8	**1,276.10**	735.99
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	9		
नकदी और बैंक शेष		**286,679.03**	139,422.80
विविध देनदार		**1,953.43**	4,467.49
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		**54,039.86**	57,934.55
ऋण और अग्रिम		**7,550.52**	10,188.45
		350,222.84	212,013.29
घटाएं - वर्तमान देयताएं और प्रावधानः	10		
देयताएं		**315,272.52**	197,848.63
प्रावधान		**56,376.63**	55,360.44
		371,649.15	253,209.07
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां		**-21,426.31**	-41,195.78
बट्टे खाते न डालने की सीमा तक विविध व्यय		**0.40**	1.69
जोड़		**8,283,126.14**	6,705,248.41

खातों पर टिप्पणियां 17

अनुसूची 1 से 17 और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां खाते का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं.. : 88155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 006591एन

कृते बंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता सं.. : 70811
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 001113एन

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24 मई, 2011

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

वी.के. अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

पी.जे. ठक्कर
निदेशक (तकनीकी)

एच.डी. खुंटेटा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)

राकेश के. अरोड़ा
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा

(₹ लाख में)

	अनुसूची संख्या	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार
लाभ			
प्रचालन आय (निवल)	11	**825,691.11**	654,975.79
अन्य आय	12	**27,528.78**	19,786.71
जोड़		**853,219.89**	674,762.50
व्यय			
ब्याज और अन्य प्रभार	13	**478,092.23**	389,120.24
स्थापना व्यय	14	**13,409.32**	12,205.38
प्रशासन व्यय	15	**4,136.49**	3,115.60
बांड/ऋण लिखत निर्गम व्यय	16	**7,008.82**	1,994.55
अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		**22.17**	22.18
मूल्यह्रास		**307.06**	217.76
जोड़		**502,976.09**	406,675.71
कर-पूर्व लाभ और पूर्व अवधि मद		**350,243.80**	268,086.79
पूर्व अवधि समायोजन - व्यय/(आय) (निवल)		**328.14**	10.60
कर-पूर्व लाभ		**349,915.66**	268,076.19
कर हेतु प्रावधानः			
कर - चालू वर्ष		**91,597.07**	70,630.93
- पिछले वर्ष		**369.37**	2.83
- पिछले वर्षों का समायोजन		-	-4,835.11
- आस्थगित कर - चालू वर्ष		**-540.11**	52.20
जोड़		**91,426.33**	65,850.85
कर-पश्चात तथा विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ		**258,489.33**	202,225.34
जोडें - आस्थगित कर देयता रिवर्सल - पिछले वर्ष		-	32,576.87
विनियोजन हेतु उपलब्ध रकम		**258,489.33**	234,802.21
विनियोजनः			
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii)) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि को अंतरित		**61,011.00**	45,803.00
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii क) के अंतर्गत अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के			
अंतर्गत आरक्षित निधि		**14,409.00**	10,760.00
लाभांश			
- अंतरिम लाभांश		**34,561.07**	25,759.80
- प्रस्तावित (अंतिम)		**39,503.36**	34,566.07
उप-जोड़ (लाभांश)		**74,064.43**	60,325.87
लाभांश वितरण कर			
- अंतरिम लाभांश		**5,739.33**	4,377.03
- प्रस्तावित (अंतिम)		**6,408.45**	5,741.01
उप-जोड़ (लाभांश)		**12,147.78**	10,118.04
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण		**26,300.00**	50,075.00
संदिग्ध ऋण के लिए आरक्षित निधि में अंतरण		**20.20**	-
तुलन-पत्र में अग्रेनीत अधिशेष		**70,536.92**	57,720.30
जोड़		**258,489.33**	234,802.21
- प्रत्येक 10/- ₹ के हर शेयर पर आधारभूत तथा कम की गई रकम ₹ में (खाते पर टिप्पणी संख्या 2 (अनुसूची 17) देखें)।		**26.18**	23.30
- ऋण सेवा का अनुपात		**0.51**	0.39
- समायोजित डीएससीआर = ब्याज और कर से पूर्व अर्जन + प्राप्त वापस मूल ऋण परिसंपत्ति/ (ब्याज + उधार की वापसी का मूलधन)		**1.04**	0.74
- ब्याज सेवा अनुपात		**1.72**	1.69

अनुसूची 1 से 17 और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां खाते का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं.. : 88155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 006591एन

कृते बंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता सं.. : 70811
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 001113एन

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24 मई, 2011

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

वी.के. अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

पी.जे. ठक्कर
निदेशक (तकनीकी)

एच.डी. खुंटेटा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)

राकेश के. अरोड़ा
कंपनी सचिव

अनुसूची '1' पूंजी

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
प्राधिकृत		
प्रत्येक 10 ₹ के 1200,000,000 (पिछले वर्ष 1200,000,000) के इक्विटी शेयर	**120,000.00**	120,000.00
निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त		
प्रत्येक 10 ₹ के 987,459,000 (पिछले वर्ष 987,459,000) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	**98,745.90**	98,745.90
जोड़	**98,745.90**	98,745.90

अनुसूची '2' आरक्षित निधि और अधिशेष

(₹ लाख में)

	01.04.2010 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31.03.2011 को अंत शेष
(क) पूंजीगत आरक्षित निधि				
i) पूंजीगत आरक्षित निधि (यूएसएआईडी से अनुदान)	10,500.00	-	-	**10,500.00**
ii) प्रतिभूति प्रीमियम*	322,201.81	45.73	4.41	**322,243.13**
उप-जोड़ (क)	332,701.81	45.73	4.41	**332,743.13**
(ख) अन्य आरक्षित निधि				
i) आयकर अधिनियम 1961 की धारा (i) (viii) के अधीन सृजित विशेष आरक्षित निधि	329,582.77	61,011.00	-	**390,593.77**
ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा (i) (viiक) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	45,129.13	14,409.00	-	**59,538.13**
iii) सामान्य आरक्षित निधि	218,942.25	26,300.00	-	**245,242.25**
iv) संदिग्ध ऋणों हेतु आरक्षित निधि	-	20.20	-	**20.20**
v) लाभ और हानि खाता	85,323.71	70,536.92	-	**155,860.63**
उप-जोड़ (ख)	678,977.86	172,277.12	-	**851,254.98**
जोड़ (क+ख)	**1,011,679.67**	**172,322.85**	**4.41**	**1,183,998.11**

* परिवर्धन में निर्गम व्यय का आरईसी का शेयर शामिल है जिसका प्रावधान हाल ही में किया गया है और जिसे अब शेयरों के अनुवर्त्ती सार्वजनिक निर्गम से संबंधित एनएसई/बीएसई/सेबी से प्राप्त रकम से समायोजित/वापस किया गया है।

* कटौतियों में शेयरों के भावी पब्लिक ऑफरिंग के संबंध में चालू वर्ष में खर्च किए गए शुल्कों/कमीशन की रकम दर्शाई गई है।

अनुसूची '3' प्रतिभूत ऋण

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
बैंक/संस्थानों से सावधि ऋण (प्राप्य से प्रतिभूत)	**104,212.71**	166,842.86
भारतीय जीवन बीमा से ऋण (प्राप्य से प्रतिभूत)	**285,000.00**	320,000.00
आईआईएफसीएल से ऋण (पुनः वित्त की सुविधा से लाभ उठाते हुए समरूप आधार पर वर्तमान और भावी प्राप्य राशि की पूलिंग के अनुसार प्रतिभूत किया गया)	**187,000.00**	87,000.00
बांड द्वारा ऋण (संचयी तथा गैर-संचयी)		

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
(प्राप्य के प्रति प्रभार तथा/महाराष्ट्र और दिल्ली में अचल संपत्ति जोकि प्राइवेट प्लेसमेंट की शर्तों और संभंधित न्यासियों की संतुष्टि के अनुसार है, के द्वारा प्रतिभूत)		
दीर्घावधि		
1 करमुक्त प्रतिभूत बांड		
53वीं श्रृंखला - 7.10% सममूल्य पर 23.03.2011 को विमोचनीय	-	5,000.00
2 करयोग्य प्रतिभूत बांड		
69वीं श्रृंखला - 6.05% सममूल्य पर 23.01.2014 को विमोचनीय	**40,152.00**	53,536.00
72वीं श्रृंखला - 6.60% सममूल्य पर 18.08.2011 को विमोचनीय	**11,370.00**	11,370.00
73वीं श्रृंखला - 6.90% सममूल्य पर 08.10.2014 को विमोचनीय	**18,712.00**	23,390.00
75वीं श्रृंखला - 7.20% सममूल्य पर 17.03.2015 को विमोचनीय	**40,000.00**	50,000.00
77वीं श्रृंखला - 7.30% सममूल्य पर 30.06.2015 को विमोचनीय	**98,550.00**	98,550.00
78वीं श्रृंखला - 7.65% सममूल्य पर 31.01.2016 को विमोचनीय	**179,570.00**	179,570.00
79वीं श्रृंखला - 7.85% सममूल्य पर 14.03.2016 को विमोचनीय	**50,000.00**	50,000.00
80वीं श्रृंखला - 8.20% सममूल्य पर 20.03.2016 को विमोचनीय	**50,000.00**	50,000.00
81वीं श्रृंखला - 8.85% सममूल्य पर 20.01.2017 को विमोचनीय	**31,480.00**	31,480.00
82वीं श्रृंखला - 9.85% सममूल्य पर 28.09.2017 को विमोचनीय	**88,310.00**	88,310.00
83वीं श्रृंखला - 9.07% सममूल्य पर 28.02.2018 को विमोचनीय	**68,520.00**	68,520.00
84वीं श्रृंखला - 9.45% सममूल्य पर 04.04.2013 को विमोचनीय	**100,000.00**	100,000.00
85वीं श्रृंखला - 9.68% सममूल्य पर 13.06.2018 को विमोचनीय	**50,000.00**	50,000.00
86वीं श्रृंखला - 10.75% सममूल्य पर 24.07.2013 को विमोचनीय	**72,790.00**	72,790.00
86-क श्रृंखला - 10.70% सममूल्य पर 29.07.2018 को विमोचनीय	**50,000.00**	50,000.00
86-ख-1 श्रृंखला - 10.95% सममूल्य पर 14.08.2011 को विमोचनीय	**92,420.00**	92,420.00
86-ख-2 श्रृंखला - 10.90% सममूल्य पर 14.08.2013 को विमोचनीय	**35,410.00**	35,410.00
86-ख-3 श्रृंखला - 10.85% सममूल्य पर 14.08.2018 को विमोचनीय	**43,200.00**	43,200.00
87-1 श्रृंखला - 10.90% सममूल्य पर 30.09.2013 को विमोचनीय	**37,020.00**	37,020.00
87-2 श्रृंखला - 10.85% सममूल्य पर 30.09.2018 को विमोचनीय	**65,740.00**	65,740.00
87-क-1 श्रृंखला - 11.35% सममूल्य पर 24.10.2013 को विमोचनीय	**24,970.00**	24,970.00
87-क-2 श्रृंखला - 11.20% सममूल्य पर 24.10.2018 को विमोचनीय	**3,640.00**	3,640.00
87-क-3 श्रृंखला - 11.15% सममूल्य पर 24.10.2018 को विमोचनीय	**6,180.00**	6,180.00
87-ख श्रृंखला - 11.75% सममूल्य पर 03.11.2011 को विमोचनीय	**94,090.00**	94,090.00
87-ग-1 श्रृंखला - 11.45% सममूल्य पर 26.05.2010 को विमोचनीय	-	22,910.00
87-ग-2 श्रृंखला - 11.45% सममूल्य पर 26.11.2010 को विमोचनीय	-	59,150.00
87-ग-3 श्रृंखला - 11.50% सममूल्य पर 26.11.2013 को विमोचनीय	**86,000.00**	86,000.00
88वीं श्रृंखला - 8.65% सममूल्य पर 15.01.2019 को विमोचनीय	**149,500.00**	149,500.00
89-1 श्रृंखला - 7.00% सममूल्य पर 02.06.2012 को विमोचनीय	**67,150.00**	67,150.00
89-2 श्रृंखला - 7.70% सममूल्य पर 02.06.2014 को विमोचनीय	**25,500.00**	25,500.00
90वीं श्रृंखला - 8.80% सममूल्य पर 03.08.2019 को विमोचनीय	**200,000.00**	200,000.00
90-क-1 श्रृंखला - 7.15% सममूल्य पर 05.08.2012 को विमोचनीय	**100,000.00**	100,000.00
90-क-2 श्रृंखला - 8.00% सममूल्य पर 05.08.2014 को विमोचनीय	**100,000.00**	100,000.00
90-ख-1 श्रृंखला - 8.35% सममूल्य पर 04.09.2014 को विमोचनीय	**88,390.00**	88,390.00
90-ख-2 श्रृंखला - 8.72% सममूल्य पर 04.09.2019 को विमोचनीय	**86,820.00**	86,820.00
90-ग-1 श्रृंखला - 7.90% सममूल्य पर 06.10.2012 को विमोचनीय	**141,750.00**	141,750.00
90-ग-2 श्रृंखला - 8.80% सममूल्य पर 06.10.2019 को विमोचनीय	**104,000.00**	104,000.00
91-1 श्रृंखला - 7.75% सममूल्य पर 17.11.2012 को विमोचनीय	**94,300.00**	94,300.00
91-2 श्रृंखला - 8.80% सममूल्य पर 17.11.2019 को विमोचनीय	**99,590.00**	99,590.00
92-1 श्रृंखला - 7.60% सममूल्य पर 22.01.2013. को विमोचनीय	**92,460.00**	92,460.00
92-2 श्रृंखला - 8.65% सममूल्य पर 22.01.2020 को विमोचनीय	**94,530.00**	94,530.00

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
93-1 श्रृंखला - 7.65% सममूल्य पर 19.02.2013 को विमोचनीय	**14,150.00**	14,150.00
93-2 श्रृंखला - 8.45% सममूल्य पर 19.02.2015 को विमोचनीय	**44,310.00**	44,310.00
केपिटल गेन्स बांड (सममूल्य पर विमोचन योग्य)		
श्रृंखला-4	**97.30**	131.80
श्रृंखला-5	-	42,481.60
श्रृंखला-6	**46,890.50**	53,628.50
श्रृंखला-7	-	340,274.40
श्रृंखला-8	**252,523.30**	252,523.30
श्रृंखला-8 (2009-10)	**305,777.60**	305,777.60
श्रृंखला-8 (2010-11)	**504,375.40**	-
बांड आवेदन राशि	**172.45**	-
केपिटल गेन्स बांड/बांड आवेदन राशि पर उपचित/देय ब्याज	**119.81**	117.75
कुल प्रतिभूत ऋण	**4,626,743.07**	4,624,473.81
एक वर्ष के अंदर वापसी/विमोचन के लिए देय	**664,133.05**	640,702.59

अनुसूची संख्या 3 की टिप्पणियां :-

46,26,743.07 लाख ₹ के प्रतिभूत ऋण में निम्नलिखित शामिल है:-

(क) बांड की 69वीं, 73वीं और 77वीं श्रृंखलाएं क्रम संख्या 6,7,8,9 और 10वें वर्ष के अंत में सममूल्य पर 5 समान किस्तों में विमोचनीय हैं। ₹13,384 लाख (अर्थात प्रत्येक 20%) की रकम की 69वीं श्रृंखला बांड की पहली और दूसरी किस्त के रूप में क्रमशः 23 जनवरी, 2010 और 23 जनवरी, 2011 को विमोचित की गई है और रू. 4678 लाख (अर्थात प्रत्येक 20%) की 73वीं बांड श्रृंखला की पहली किश्त 8 अक्तूबर, 2011 को विमोचित की गई है। 77वीं श्रृंखला के संबंध में प्रथम विमोचन 30 जून, 2011 को होगा।

(ख) 75वीं श्रृंखला 5-1/2 वर्ष से 10 वर्ष में एसटीआरपीपी के रूप में छमाही अंतराल पर 10 समान किस्तों में सममूल्य पर विमोचित की जाएगी। उनमें से प्रत्येक ₹50 करोड़ की दो किस्तें क्रमशः 17 सितंबर, 2010 और 17 मार्च, 2011 को विमोचित की जा चुकी हैं।

(ग) 78वीं, 79वीं, 80वीं, 81वीं, 82वीं, 83वीं, 85वीं, , 86 क, 86 ख-3, 87-2, 87 क-2, 87 क-3, 88वीं, 90वीं, 90 ख-2, 90 ग-2, 91-2 और 92-2 श्रृंखलाएं 10 वर्ष के अंत में अर्थात क्रमशः 31.01.2016, 14.03.2016, 20.03.2016, 20.01.2017, 28.09.2017 , 28.02.2018, 13.06.2018, 29.07.2018, 14.08.2018, 30.09.2018, 24.10.2018, 24.10.2018, 15.01.2019, 03.08.2019, 04.09.2019, 06.10.2019, 17.11.2019 और 22.01.2020 को सममूल्य पर विमोचनीय हैं।

(घ) 84वीं, 86वीं, 86ख-2, 87-1, 87 क-1, 87 ग-3, 89-2, 90 क-2, 90 ख-1 और 93-2 श्रृंखलाएं पांच वर्ष के अंत में अर्थात क्रमशः 04.04.2013, 24.07.2013, 14.08.2013, 30.09.2013, 24.10.2013, 26.11.2013, 02.06.2014, 05.08.2014, 04.09.2014 और 19.02.2015 को सममूल्य पर विमोचनीय हैं।

(ड.) 86 ख-1, 87 ख, 89-1, 90 क-1, 90 ग-1, 91-1, 92-1, और 93-1 श्रृंखलाएं तीन वर्ष के अंत में अर्थात क्रमशः 14.08.2011, 03.11.2011, 02.06.2012, 05.08.2012, 06.10.2012, 17.11.2012, 22.01.2013 और 19.02.2013 को सममूल्य पर विमोचनीय हैं।.

(च) (i) बांडों की 87 क-1 श्रृंखला में तीन वर्ष के अंत में अर्थात 24.10.2011 को काल/पुट ऑप्शन है।

(ii) बांड की 87-क-2 श्रृंखला 5 वर्ष के अंत में अर्थात 24.10.2013 को काल/पुट ऑप्शन है। ₹ 27200 लाख के 72वीं श्रृंखला के बांड बांडधारकों द्वारा (पुट ऑप्शन) विकल्प देने पर दिनांक 18.08.2009 को विमोचित किए गए थे और शेष ₹ 11,370 लाख के बांड दिनांक 18.08.2011 को विमोचनीय हैं।

(iii) 87 ग-1 श्रृंखला दिनांक 26.05.2010 को विमोचित कर दी गई है।

(iv) 87 ग-2 श्रृंखला दिनांक 26.11.2010 को विमोचित कर दी गई है।

(छ) केपिटल गेन्स कर छूट बांड 5.50% से 6.25% की ब्याज दर पर 3/5/7 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए गए हैं जो अर्द्ध-वार्षिक/वार्षिक और संचयी विकल्पों सहित देय होंगे। इन बांडों में 3/5 वर्षों बाद काल/पुट ऑप्शन है। चालू वित्त वर्ष 2010-11 में तीन वर्ष की अवधि के लिए केपिटल गेन्स कर मुक्त बांड जारी किए गए थे। आठवीं ऋंखला के इन बांडों पर 6 प्रतिशत वार्षिक रूप से ब्याज देय है। पूंजी लाभ कर छूट बांड श्रृंखला आठ 2010-11 6.00 प्रतिशत की ब्याज दर पर तीन वर्ष की अवधि के लिए जारी की गई थी जिनकी अदायगी वार्षिक आधार पर की जाएगी। ये बांड तीन वर्ष की लॉक इन अवधि के अंत में स्वतः विमोचित कर दिए जाएंगे।

अनुसूची '4' अप्रतिभूत ऋण

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
भारत सरकार से ऋण	**3,612.68**	4,941.84
सावधि ऋण		
बैंकों से दीर्घावधि ऋण	**542,701.00**	414,300.00
नकद ऋण सीमाएं	-	63,000.00
विदेशी मुद्रा ऋण		
दीर्घावधि		
ईसीबी-सिंडिकेट किया गया बैंकों से ऋण	**87,026.32**	87,026.32
जेबीआईसी ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	**112,526.99**	78,839.17
केएफडब्ल्यू ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	**38,484.33**	41,771.66
ईसीबी-बैंकों से सिंडिकेट ऋण-2	**178,748.13**	-
द्विपक्षीय आवधिक ऋण - मारीशस - 70 मिलियन अमरीकी डालर	**31,255.00**	-
रेग्ग एस बांड - 500 मिलियन अमरीकी डालर	**223,250.00**	-
घटाएं - अपरिशोधित बट्टा	**-2,258.96**	-
	220,991.04	-
द्विपक्षीय आवधिक ऋण - मिजुहो - अप्रतिभूत 100 मिलियन अमरीकी डालर	**44,650.00**	-
द्विपक्षीय आवधिक ऋण - बीटीएमयू - अप्रितभूत 100 मिलियन अमरीकी डालर	**44,650.00**	-
कमर्शियल पेपर	-	245,000.00
बांडों के माध्यम से ऋण		
दीर्घावधि		
(क) गैर-संचयी, भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत		
22वीं श्रृंखला - 11.5% सममूल्य पर 27.12.2010 को विमोचनीय	-	4,900.00
23वीं श्रृंखला-1 - 12% सममूल्य पर 05.12.2011 को विमोचनीय	**2,265.00**	2,265.00
23वीं श्रृंखला-2 - 12% सममूल्य पर 21.02.2012 को विमोचनीय	**3,035.00**	3,035.00
(ख) अन्य बांड		
7.22% सममूल्य पर 31.12.2014 को विमोचनीय (74वीं श्रृंखला)	**25,000.00**	25,000.00
8.75% सममूल्य पर 08.06.2025 को विमोचनीय (94वीं श्रृंखला)	**125,000.00**	-
8.70% सममूल्य पर 12.07.2019 को विमोचनीय (95—1 श्रृंखला)	**20,000.00**	-
8.75% सममूल्य पर 12.07.2025 को विमोचनीय (95-2 श्रृंखला)	**180,000.00**	-
8.80% सममूल्य पर 25.10.2020 को विमोचनीय (96वीं श्रृंखला)	**115,000.00**	-
8.80% सममूल्य पर 29.11.2020 को विमोचनीय (97वीं श्रृंखला)	**212,050.00**	-
9.18% सममूल्य पर 15.03.2021 को विमोचनीय (98वीं श्रृंखला)	**300,000.00**	-
शून्य कूपन बांड - श्रृंखला 1 - 15.12.2020 को विमोचनीय	**53,320.81**	-
शून्य कूपन बांड - श्रृंखला 2 - 03.02.2021 को विमोचनीय	**11,606.76**	-
बांड आवेदन धनराशि	**35.55**	-
इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड (सममूल्य पर विमोचनीय)	**21,680.45**	-
उपचित और देय ब्याज	-	270.04
कुल अप्रतिभूत ऋण	**2,373,639.06**	970,349.03
एक वर्ष के अंदर वापसी/विमोचन के लिए देय	**239,631.30**	360,828.16

टिप्पणी:

i) 2.00 लाख ₹ के बांड 31.3.2011 को आरईसी लिमिटेड सीपी निधि ट्रस्ट द्वारा धारित हैं।

ii) इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड 5 वर्ष की लॉक-इन अवधि सहित 10 वर्ष की अवधि के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान जारी किए गए हैं जिनकी ब्याज दर वार्षिक रूप से देय 8% से 8.20% के बीच है।

अनुसूची '5' 31 मार्च, 2011 के अनुसार अचल परिसंपत्तियों का समेकित सारांश

(₹ लाख में)

अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2010 के अनुसार	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्धन	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31.03.2011 के अनुसार लेखाबंदी	31-03-2010 तक	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल्यह्रास का समायोजन	31.03.2011 तक मूल्यह्रास	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
फ्रीहोल्ड भूमि	3,411.94	4.57	-	**3,416.51**	-	-	-	-	**3,416.51**	3,411.94
पट्टे पर भूमि	145.51	-	-	**145.51**	15.60	1.39	-	**16.99**	**128.52**	129.91
भवन	2,225.70	0.88	-	**2,226.58**	532.98	34.48	-	**567.46**	**1,659.12**	1,692.72
फर्नीचर एवं जुड़नार	583.11	19.56	0.52	**602.15**	314.86	31.36	0.22	**346.00**	**256.15**	268.25
ईडीपी उपस्कर	1,079.87	47.05	2.12	**1,124.80**	428.31	125.69	0.53	**553.47**	**571.33**	651.56
कार्यालय उपस्कर	378.09	41.97	1.99	**418.07**	208.43	9.56	0.36	**217.63**	**200.44**	169.66
वाहन	73.51	-	5.75	**67.76**	55.89	2.46	5.64	**52.71**	**15.05**	17.62
कम मूल्य की परिसंपत्तियां - फर्नीचर	12.20	6.90	0.16	**18.94**	12.20	6.89	0.15	**18.94**	-	-
कम मूल्य की परिसंपत्तियां - ईडीपी	6.56	2.20	-	**8.76**	6.56	2.20	-	**8.76**	-	-
कम मूल्य की परिसंपत्तियां - कार्यालय उपस्कर	17.27	6.62	-	**23.89**	17.27	6.62	-	**23.89**	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियां (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)	433.56	0.39	-	**433.95**	39.16	86.41	-	**125.57**	**308.38**	394.40
कुल जोड़	8,367.32	130.14	10.54	**8,486.92**	1,631.26	307.06	6.90	**1,931.42**	**6,555.50**	6,736.06
पूंजीगत डब्ल्यूआईपी	2,733.20	0.26	451.79	**2,281.67**	-	-	-	-	**2,281.67**	2,733.20

टिप्पणी:

- अमूर्त परिसंपत्तियों में बाहर से खरीदे गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल हैं और ये एएस-26 के अनुसार हैं। इनका भुगतान पांच वर्षों में किया जाना है
- पूंजीगत डब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से वह भूमि शामिल है जिसका कब्जा अधिकारियों और अन्य विविध निर्माणकर्ताओं से लिया जाना है।

अनुसूची '6' निवेश

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
दीर्घकालिक ऋण अनुद्धृत		
गैर-व्यापार निवेश		
मध्य प्रदेश सरकार के 8% के पावर बांड-2	**80,172.00**	89,604.00
ये बांड 1.4.05 से 30 समान वार्षिक किस्तों में परिपक्व होंगे।		
(4716 लाख ₹ प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 17 बांड)		
(पिछले वर्ष 4716 लाख ₹ प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 19 बांड)		
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड	**873.38**	1,184.37
10.00 ₹ प्रति यूनिट (10.08 ₹ की एनएवी) के अंकित मूल्य पर 'स्माल इज ब्यूटीफुल फंड'		
के 87,33,787 यूनिट (9.80 ₹ प्रति यूनिट के निवल संपत्ति मूल्य पर 'स्माल इज ब्यूटीफुल' निधि		
की पिछले वर्ष के 1,20,85,400 यूनिटें)		
(अंकित मूल्य 10/- ₹ प्रति यूनिट)		
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	**125.00**	125.00
प्रत्येक 10/- ₹ के 12,50,000 इक्विटी शेयर		
(पिछले वर्ष प्रदत्त प्रत्येक 10 ₹ के 12,50,000 इक्विटी शेयर)		
एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	**62.50**	62.50
प्रत्येक 10/- ₹ के 6,25,000 इक्विटी शेयर		
(पिछले वर्ष प्रदत्त प्रत्येक 10 ₹ के 6,25,000 इक्विटी शेयर)		
जोड़ (अनुद्धृत)	**81,232.88**	90,975.87

अनुसूची '7' ऋण

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति		31.03.2010 की स्थिति	
(i) राज्य विद्युत यूटिलिटी/राज्य विद्युत बोर्ड/निगम,				
सहकारी समितियां तथा राज्य सरकारें				
(क) अप्रतिभूत, वसूलीयोग्य समझे गए ऋण (संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गारंटिड)		**2,190,414.05**		2,134,314.13
(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	**231.76**		231.76	
घटाएं- अशोध्य और संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**54.35**	**177.41**	32.18	199.58
(ग) ऋणों पर उपचित और देय ब्याज		**456.81**		813.83
(घ) पुनः अनुसूचित ऋणों पर उपचित ब्याज		**36,330.21**		43,253.34
(ii) राज्य विद्युत यूटिलिटी/राज्य विद्युत बोर्ड/निगम, (संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटी/ राज्य विद्युत बोर्ड/निगम के पास सामग्री/परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा प्रतिभूत)				
(क) वसूलीयोग्य समझा गया ऋण		**5,064,343.87**		3,708,522.50
(ख) ऋणों पर उपचित और देय ब्याज		**63.26**		3,426.70
(iii) अन्य (मूर्त परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा प्रतिभूत)				
(क) वसूलीयोग्य समझा गया ऋण		**784,201.75**		459,178.64
(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	**1,722.33**		1,722.33	
घटाएं- अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**1,722.33**	-	1,722.33	-
(ग) ऋणों पर उपचित और देय ब्याज		**2,017.52**		833.44
(घ) पुनः अनुसूचित ऋणों पर उपचित ब्याज		**3,568.78**		801.25
(iv) अन्य (अप्रतिभूत) - अच्छा माना गया				
(क) वसूलीयोग्य समझा गया ऋण		**131,631.65**		293,905.45
(ख) ऋणों पर उपचित और देय ब्याज		**0.59**		12.52
जोड़ (i से iv)		**8,213,205.90**		6,645,261.38

अनुसूची '8' आस्थगित कर परिसंपत्ति/(-)देयता

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
प्रारंभिक शेष	**735.99**	-95,668.55
घटाएं : 31.03.2009 तक की गई वापसी	-	96,456.74
	735.99	788.19
जोड़ें- छमाही के दौरान परिवर्धन	**540.11**	-52.20
जोड़	**1,276.10**	735.99

खातों पर टिप्पणियों की अनुसूची 17 की टिप्पणी संख्या 23 देखें

अनुसूची '9' वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

(₹ लाख में)

		31.03.2011 की स्थिति		31.03.2010 की स्थिति	
I	**वर्तमान परिसंपत्तियां**				
क)	**नकदी तथा बैंक शेषः**				
(i)	हस्तगत/ट्रांजिट में नकदी/चैक (डाक टिकट तथा अग्रदाय सहित)		**62,606.93**		0.61
(ii)	चालू खातों में				
	- भारतीय रिजर्व बैंक में		**1.91**		1.87
	- अनुसूचित बैंकों में		**43,259.19**		63,679.03
(iii)	बचत खातों में				
	- अनुसूचित बैंकों में (आरजीजीवीवाई योजना हेतु)		**24,611.11**		418.07
	- अनुसूचित बैंकों में (एजी और एसपी योजनाओं हेतु)		**751.73**		3,466.58
(iv)	अनुसूचित बैंकों के जमा खातों में				
	- अन्य		**155,448.16**		71,856.64
जोड़ - (क)			**286,679.03**		139,422.80
ख)	**विविध देनदार**		**1,953.43**		4,467.49
ग)	**अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां**				
(i)	आवधिक जमाओं पर उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज		**1,036.56**		97.75
(ii)	निम्नलिखित पर उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज				
	- ऋण पर		**49,345.19**		48,796.72
	- सरकारी प्रतिभूतियों पर		-		-
	- कर्मचारियों को ऋणों पर		**249.75**		281.73
(iii)	एसईबी/सरकारी विभागों से वसूलीयोग्य रकम		**506.58**		659.00
(iv)	भारत सरकार से वसूलीयोग्य रकम				
	- आरजीजीवीवाई व्यय		**464.28**		295.04
	- आरजीजीवीवाई सब्सिडी		-		7,804.31
(v)	शेयर उपयोग धनराशि जिसे आबंटित किया जाना है (एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड में निवेश)		**2,437.50**		-
जोड़ - (ग)			**54,039.86**		57,934.55
II	**ऋण और अग्रिम**				
क)	**ऋण**				
(i)	कर्मचारियों को (प्रतिभूत)		**264.63**		177.58
(ii)	कर्मचारियों को (अप्रतिभूत)		**318.24**		515.90
ख)	**अग्रिम** (अप्रतिभूत, जिन्हें वसूलीयोग्य माना गया)				
(i)	नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में वसूल किए जाने वाले अग्रिम		**2,074.76**		1,024.84
(ii)	कमर्शियल पेपर पर पूर्व प्रदत्त वित्तीय प्रभार		-		5,174.37
(iii)	अग्रिम आय कर और स्रोत पर कर की कटौती	**272,622.79**		1,213.51	
	घटाएं- आय कर के लिए प्रावधान	**270,188.70**		1,072.26	
	शेष अग्रिम आय कर और स्रोत पर कर की कटौती		**2,434.09**		141.25
(iv)	वसूल किया जाने वाला आय कर		**2,458.80**		3,154.51
जोड़ - (घ)			**7,550.52**		10,188.45
जोड़ - (क+ख+ग+घ)			**350,222.84**		212,013.29

अनुसूची '10' वर्तमान देयताएं और प्रावधान

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति		31.03.2010 की स्थिति	
क) वर्तमान देयताएं				
(क) अग्रिम प्राप्तियां		**1,351.97**		1,551.65
(ख) अन्य देयताएं		**4,284.10**		7,014.90
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से भिन्न उद्यमों के देनदारों की देयताएं				
(ग) (i) संवितरण हेतु भारत सरकार से सब्सिडी/अनुदान	**2,444,522.41**		1,961,406.91	
(ii) सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज	**6,106.00**		5,090.52	
जोड़	**2,450,628.41**		1,966,497.43	
घटाएं- लाभार्थियों को संवितरित	**-2,362,362.96**		-1,959,821.07	
असंवितरित सब्सिडी/अनुदान		**88,265.45**		6,676.36
(घ) निम्नलिखित पर उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज				
- बांड पर	**189,661.99**		156,827.23	
- सरकारी/एलआईसी/विदेशी मुद्रा ऋण	**16,095.04**	**205,757.03**	13,839.41	170,666.64
(ड.) बांडों और सरकारी ऋणों पर ब्याज और मूलधन जिनका दावा नहीं किया गया				
- ब्याज	**1,658.94**		1,523.38	
- मूलधन	**13,665.02**	**15,323.96**	9,950.98	11,474.36
(च) देय उपदान		**290.01**		464.72
जोड़ - (क)		**315,272.52**		197,848.63
ख) प्रावधान				
(क) आय कर	**1,563.54**		179,170.80	
घटाएं : अग्रिम आय कर और टीडीएस	**1,562.82**		176,205.63	
आय कर के लिए शेष प्रावधान		**0.72**		2,965.17
(ख) स्टाफ हितलाभ		**8,746.92**		5,703.46
(ग) (i) प्रोत्साहन और अनुग्रह राशि के लिए प्रावधान		**1,649.89**		3,975.17
(ii) वेतन संशोधन		-		3,306.24
		1,649.89		7,281.41
घटाएं : समायोजनयोग्य अग्रिम		**4.49**		968.77
प्रोत्साहन, अनुग्रह और वेतन संशोधन के लिए शेष प्रावधान		**1,645.40**		6,312.64
(घ) धन कर		**35.69**		36.00
(ड.) अनुषंगी लाभ कर		**36.09**		36.09
(च) प्रस्तावित लाभांश		**39,503.36**		34,566.07
(छ) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर		**6,408.45**		5,741.01
जोड़- (ख)		**56,376.63**		55,360.44
जोड़ - (क+ख)		**371,649.15**		253,209.07

अनुसूची '11' प्रचालन आय (निवल)

(₹ लाख में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष		31.03.2010 को समाप्त वर्ष	
क) ऋण देने के प्रचालनों पर				
ऋणों पर ब्याज				
- दीर्घकालिक वित्तपोषण	**767,320.16**		608,425.48	
घटाएं : समय पर भुगतान/पूर्णतः भुगतान आदि हेतु छूट	**785.00**	**766,535.16**	977.48	607,448.00
- अल्पकालिक वित्तपोषण		**44,342.15**		35,637.42
		810,877.31		643,085.42
ख. प्रक्रिया शुल्क, अपफ्रंट शुल्क, सेवा प्रभार आदि		**6,038.26**		4,253.88
ग. पूर्व भुगतान के लिए प्रीमियम		**4,055.11**		1,784.80
घ. आरजीजीवीवाई कार्यान्वयन के लिए एजेंसी प्रभार		**4,720.43**		5,851.69
जोड़		**825,691.11**		654,975.79

अनुसूची '12' अन्य आय

(₹ लाख में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष		31.03.2010 को समाप्त वर्ष	
क. निवेश/जमा प्रचालनों पर				
म्युचुअल फंड पर लाभांश	**347.44**		978.98	
जमाओं पर ब्याज	**4,612.87**		2,053.58	
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	**6,979.68**	**11,939.99**	7,734.24	10,766.80
(टीडीएस ₹ 13.76 लाख, पिछले वर्ष ₹ 448.83 लाख)				
ख. अन्य आय				
विनिमय दर (निवल) में अंतर		**8,533.04**		-
बट्टे खाते के लिए अतिरिक्त प्रावधान		**2,924.68**		3,476.05
आय कर वापसी पर ब्याज		-		855.06
स्टाफ अग्रिम पर ब्याज		**27.86**		66.22
वेंचर फंड में निवेश पर लाभांश		**189.89**		67.11
विविध आय		**3,912.30**		4,552.28
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		**1.02**		3.19
जोड़		**27,528.78**		19,786.71

अनुसूची '13' ब्याज और अन्य प्रभार

(₹ लाख में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
निम्नलिखित पर ब्याज -		
- सरकारी ऋणों पर	**317.10**	421.27
- आरईसी बांड पर	**364,387.64**	293,774.77
- बैंक/वित्तीय संस्थानों के ऋण पर	**83,850.76**	69,780.32
- विदेशी वाणिज्यिक उधार पर	**20,380.34**	10,956.78
- कमर्शियल पेपर पर	**8,327.90**	13,680.74
	477,263.74	388,613.88
एआरईपी सब्सिडी पर ब्याज	**41.29**	64.26
गारंटी शुल्क	**787.20**	442.10
अन्य वित्त प्रभार	-	-
जोड़	**478,092.23**	389,120.24

अनुसूची '14' स्थापना प्रभार

(₹ लाख में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
वेतन और भत्ते	**9,644.20**	9,202.57
छुट्टी और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा पर व्यय	**2,294.11**	1,109.41
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**713.63**	897.54
कर्मचारी कल्याण व्यय	**757.38**	995.86
जोड़	**13,409.32**	12,205.38

अनुसूची '15' प्रशासन व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष		31.03.2010 को समाप्त वर्ष	
किराया - कार्यालय		**179.85**		163.13
दरें तथा कर		**150.91**		89.12
विद्युत तथा जल प्रभार		**77.21**		64.96
बीमा प्रभार		**3.24**		2.93
मरम्मत तथा अनुरक्षण				
भवन	**145.99**		159.30	
ईआरपी तथा डेटा केंद्र	**171.26**		121.99	
अन्य	**148.64**	**465.89**	107.18	388.47
मुद्रण तथा स्टेशनरी		**172.40**		167.72
यात्रा तथा वाहन				
- निदेशक	**114.84**		81.88	
- अन्य	**598.33**	**713.17**	569.15	651.03
डाक, तार तथा टेलीफोन		**100.58**		183.61
प्रचार व्यय		**440.40**		222.01
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		**45.24**		27.06
विविध व्यय		**1,508.03**		977.15
परामर्शी प्रभार		**133.05**		166.89
कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी		**122.89**		-
दान तथा धर्मार्थ		**22.15**		10.00
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		**1.48**		1.52
जोड़		**4,136.49**		3,115.60

अनुसूची '16' बांड/ऋण लिखत निर्गम व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
बांड हैंडलिंग प्रभार	**527.75**	439.91
बांड ब्रोकरेज	**899.25**	667.04
स्टांप ड्यूटी	**31.40**	157.33
अन्य	**206.63**	243.45
अन्य वित्तीय प्रभार	**5,343.79**	486.82
जोड़	**7,008.82**	1,994.55

अनुसूची '17' समेकित लेखा टिप्पणियां

1. इस समेकित वित्तीय विवरण में जिन सहायक कंपनियों पर विचार किया गया है, वे इस प्रकार हैं :

सहायक कंपनियों का नाम	देश, जहां निगमित की गई	स्वामित्व हित का अनुपात
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरटीपीसीएल)	भारत	100%
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरपीडीसीएल)	भारत	100%

2. प्रति शेयर आय (ईपीएस)

ब्योरे	2010-11	2009-10
कर-पश्चात निवल लाभ (₹ लाख में)	**258489.33**	202225.34
इक्विटी शेयरधारकों को देय निवल लाभ (₹ लाख में)	**258489.33**	202225.34
इक्विटी शेयरों की भारित औसत सं.	**987459000**	867834723
प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटिड आय (₹)	**26.18**	23.30
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹)	**10**	10

3. ऐसी आकस्मिक देयताएं जिनके संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है :

(₹ लाख में)

क्रम सं.	ब्योरे	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार
(क)	निगम के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है (जिनमें ₹499.10 लाख भी शामिल हैं जो 31.03.2011 को माध्यस्थम के मामलों सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं (पिछले वर्ष ₹406.36 लाख)	**513.00**	494.49
(ख)	अन्य	**142265.54**	176559.67

उपर्युक्त 2(क) में उल्लिखित रकम न्यायालय/माध्यस्थम के मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है।

उपर्युक्त (ख) के अंतर्गत आने वाली रकम में निगम द्वारा अपने उधारकर्ताओं को स्वीकृत ऋण से विद्युत उत्पादन उपस्कर खरीदने के लिए साख-पत्र खोलने हेतु विभिन्न बैंकों को जारी किए जाने वाले आश्वासन-पत्रों के अनुसार ₹1,35,270 लाख शामिल हैं (पिछले वर्ष ₹1,73,970 लाख)। ₹4820.39 लाख (पिछले वर्ष ₹1,557.65 लाख) उस ब्याज दर में अंतर से संबंधित है और जिनके ऋणों पर न्यूनतम ग्रेड वाले उधारकर्ताओं पर लागू होने वाली उच्चतम दर प्रभारित की जा रही है जिनकी कोई ग्रेडिंग नहीं की गई और जिनके ऋणों पर न्यूनतम ग्रेड वाले उधारकर्ताओं पर लागू होने वाली उच्चतम दर प्रभारित की जा रही है।

उपर्युक्त 1(ख) के अधीन आने वाली रकम में ₹2175.15 लाख (पिछले वर्ष ₹363.52 लाख) भी शामिल हैं जो कर निर्धारण वर्ष 2003-04, 2006-07 और 2008-09 के लिए कर निर्धारण आदेश के अनुसरण में आय कर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों के अनुसार है। कंपनी द्वारा आय कर आयुक्त (अपील) के पास इन आदेशों के खिलाफ अपील दायर की गई है। वर्ष 1998-99 से वर्ष 2004-05 के विभिन्न कर निर्धारण वर्षों के संबंध में कंपनी को वापसी भी की जानी है। इस वापसी में से कर निर्धारण वर्ष 2004-05 के संबंध में कंपनी को वापसी की जानी है। आय कर विभाग द्वारा ₹669.53 लाख की धनराशि कर निर्धारण वर्ष 2003-04 और 2008-09 की मांगों के अनुसार समायोजित कर दी गई है और तदनुसार इस रकम को अग्रिम आय कर के रूप में समझते हुए लेखा-बहियों में समायोजित कर दिया गया है।

4. पूंजीगत लेखे पर निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित रकम जिसके संबंध में 31 मार्च, 2011 के अनुसार प्रावधान नहीं किया गया है, ₹1331.57 लाख है (पिछले वर्ष ₹599.26 लाख)।

5. लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल है:

(₹ लाख में)

क्रम सं.		31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
(क)	लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	**19.25**	20.34
(ख)	कर लेखापरीक्षा शुल्क (** वित्त वर्ष 2008-09 की कर लेखापरीक्षा के संबंध में कर लेखापरीक्षकों को अदा किए गए ₹ 2 लाख को छोड़कर)	**4.25**	4.85**
(ग)	व्ययों की प्रतिपूर्ति	**2.20**	0 .39
(घ)	अन्य सेवाओं के लिए भुगतान (# जिसमें ईसीबी प्रलेखन के लिए ₹ 15 लाख का प्रमाणीकरण शुल्क शामिल है) (*** जिसमें एफपीओ के लिए प्रमाणन भी शामिल है जिसे प्रतिभूति प्रीमियम लेखे से लगाया गया है)।	**19.54#**	16.76***
जोड़		**45.24**	42.34

6. वर्ष 1997-98 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह निगम गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरबीआई की दिनांक 13.01.2000 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी), सीसी सं.12/डी 2.01/99/-2000 के अनुसार जो सरकारी कंपनियां, कंपनी अधिनियम की धारा 617 के प्रावधानों के अनुरूप हैं, उनको तरल परिसंपत्तियों के रखरखाव, आरक्षित निधियां स्थापित करने, सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन से छूट मिली हुई है। आरईसी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुरूप सरकारी कंपनी है और इस पर भी उक्त अधिसूचना लागू होती है। आरक्षित निधियों को सृजित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 (आई) सी के उपबंधों के लागू न होने की बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षित कोष सृजित नहीं किया गया है।

7. हमारे निदेशक मंडल ने 13 दिसंबर, 2006 को निगम के विवेकपूर्ण मापदंडों को अनुमोदित किया है और 21 फरवरी, 2009 तथा 25 सितंबर, 2010 को उसके संशोधनों को अनुमोदित किया है। लेकिन सभी ''सुव्यवस्थित महत्व'' की दिशा में सरकारी स्वामित्व के एनबीएफसी

ने विवेकपूर्ण मापदंडों के ढांचे के अंदर लाने के लिए आरबीआई ने 12 दिसंबर, 2006 को हमारे बैंक को सलाह दी थी कि इसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाए ताकि एनबीएफसी के लागू होने वाले विनियमों के विभिन्न तत्वों का अनुपालन किया जा सके। इस निगम ने विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी और भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 29 जून, 2010 के पत्र के जरिए विद्युत क्षेत्र के केंद्रीय और राज्य एनटिटि के संबंध में 31 मार्च, 2012 तक विवेकपूर्ण प्रकटन मापदंडों से आरईसी को छूट प्रदान की है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 17 सितंबर, 2010 के पत्र के जरिए आरईसी को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सीसी सं.168 दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में आरईसी को मान्यता प्रदान की है। आईएफसी के रूप में प्राइवेट क्षेत्र को ऋण देने के लिए कुल अनुमत प्रकटन एक उधारकर्ता के मामले में स्वामित्व की निधि का 25% और उधारकर्ताओं के एक समूह के मामले में 40% होगा और उधार देने तथा निवेश करने के लिए प्रकटन को धारित निधियों के क्रमशः 30% और 50% तक जोड़ा जा सकता है। आरईसी से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात को बनाए रखने के लिए 15% पूंजी रखे (जिसमें न्यूनतम 10% चरण-1 पूंजी हो)। तदनुसार, निदेशक मंडल के अनुमोदन से 25 सितंबर, 2010 को विवेकपूर्ण मापदंडों में संशोधन कर दिया गया है। विद्युत क्षेत्र के केंद्रीय और राज्य एनटिटि के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए, इन यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम ऋण प्रकटन सीमा हमारे निवल मूल्य के 50% से 250% के बीच है जो संबंधित राज्य यूटिलिटियों के समूह के एनटीटि के मूल्यांकन और चालू रहने की स्थिति पर निर्भर करता है।

8. कुछ ग्रामीण विद्युत (आरई) सहकारी समितियों द्वारा विशेष आरक्षित कोष के सृजन में कुल ₹ 290.62 लाख (पिछले वर्ष ₹ 301.45 लाख) की कमी पाई गई है और इन समितियों के साथ विशेष निधि के सृजन पर संपर्क किया जा रहा है।

9. कुछ उधारकर्ताओं से बाकी राशि की पुष्टि हो गई है।

10. बांडों पर उपचित ब्याज के संबंध में लागू आय कर बांडधारकों को ब्याज के वास्तविक भुगतान के समय स्रोत पर काट लिया जाता है क्योंकि ऐसे बांड हस्तांतरणीय हैं।

11. निगम द्वारा खरीदे गए भूमि और भवन आदि के संबंध में ₹ 458.83 लाख (पिछले वर्ष ₹ 3,630.58 लाख) की राशि हेतु हस्तांतरण विलेख के पंजीकरण की औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया चल रही है।

12. लेखा नीति सं.10.2 के अनुसार 31.3.2011 को विनिर्दिष्ट बैंकों के ब्याज वारंट्स खातों में (संस्थागत और 54 ईसी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर बांड दोनों के लिए) शेष राशि ₹ 2375.69 लाख (पिछले वर्ष ₹ 3431.32 लाख) है।

13. प्रबंधन की राय के अनुसार तुलन-पत्र में शामिल वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम राशियां दिखाए गए मूल्य के बराबर हैं, बशर्ते कि उन्हें सामान्य तरीके से वसूल कर लिया जाए और सभी ज्ञात देनदारियों के भुगतान के लिए व्यवस्था कर दी गई हो।

14. परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक-28 के अंतर्गत यथा अपेक्षित क्षति हानि हेतु प्रावधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रबंधन के मतानुसार लेखांकन मानक-28 के अनुसार निगम की परिसंपत्तियों में कोई क्षति नहीं हुई है।

15. कंपनी की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की और कोई बकाया देयताएं नहीं हैं।

16. इस वर्ष कोई बांड रिडेम्पशन रिजर्व (बीआरआर) सृजित नहीं किया गया है, क्योंकि भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 18.04.2002 को जारी स्पष्टीकरण सं.6/3/2001-सीएल-5 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा 45-आईए के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी द्वारा जारी प्राइवेट प्लेसमेंट वाले डिबेंचरों के मामले में बीआरआर सृजित करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

17. कारपोरेशन ने अपनी प्रतिरक्षा नीति के भाग के रूप में, कुछ मामलों में ब्याज दर की गतिविधि का लाभ लेते हुए कम लागत पर स्थिर दर से चल दर में ब्याज दर स्वैप निष्पादित किया है। ऐसे बाकी उधारों का आईएनआर मूल्य ₹ 565000 लाख है जिन पर यह स्वैप लागू किया गया है।

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान निगम ने उधार की लागत की दर को ₹ 4,114.71 लाख (पिछले वर्ष ₹ 765.69 लाख) तक कम कर दिया है। यह स्वैप (केवल कूपन) लेन-देन को ₹ उधार देने से जोड़ने के कारण किया गया है।

31.03.2011 को उपर्युक्त स्वैप लेन-देने के संबंध में निवल बाजार से बाजार स्थिति ₹ 26,195.32 लाख (पिछले वर्ष ₹ 16,544.12 लाख) (अनुकूल) है।

विदेशी मुद्रा उधार के संबंध में कंपनी ने विदेशी मुद्रा प्रकटन की प्रतिरक्षा के लिए प्रति मुद्रा स्वैप निष्पादित किया है।

31.03.2011 को विदेशी मुद्रा प्रकटन की बकाया स्थिति इस प्रकार है:

	जोड़		प्रतिरक्षित (मुद्रा और ब्याज दर)		अप्रतिरक्षित	
मुद्रा	विदेशी मुद्रा (मिलियन में)	आईएनआर समतुल्य (लाखों में)	विदेशी मुद्रा (मिलियन में)	आईएनआर समतुल्य (लाखों में)	विदेशी मुद्रा (मिलियन में)	आईएनआर समतुल्य (लाखों में)
जेपीवाई	47,697.36	199,751.02	44,316.43	181,289.57	3,380.92	18,461.45
यूरो	58.95	38,484.33	58.95	38,484.33	-	-
यूएसडी	1,170.00	529,153.03	200.00	89,448.13	970.00	439,704.90
जोड़		767,388.38		309,222.03		458,166.35

भारतीय ₹ में विदेशी मुद्रा ऋण स्वैप की स्थिति स्वैप लेन-देनों में निर्धारित दर पर बताई गई है और वर्ष के अंत की दरों में परिवर्तित नहीं हुई है।

18. निदेशकों का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

ब्योरे	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
वेतन तथा भत्ते	**136.63**	75.53
अनुलब्धियां/प्रतिपूर्ति	**15.64**	10.10
सेवानिवृत्ति लाभ	**22.71**	शून्य
जोड़	**174.98**	85.63

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों को डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 780/- प्रति माह के मासिक प्रभार के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रति माह की सीमा तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति भी दी गई है।

ऋण तथा अग्रिमों के रूप में निगम के निदेशकों द्वारा देय ₹ 7.70 लाख (पिछले वर्ष ₹ 4.38 लाख) है। वर्ष के दौरान इनसे अधिकतम बकाया राशि ₹ 11.21 लाख (पिछले वर्ष ₹ 10.66 लाख) थी।

19. विदेशी मुद्रा में व्यय

(₹ लाख में)

ब्यौरे	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, व्यावसायिक, परामर्श, शुल्क	**शून्य**	70.58
ब्याज	**3127.01**	28.87
वित्त प्रभार	**5023.78**	411.95
अन्य प्रभार	**76.84**	61.54
जोड़	**8227.63**	572.94

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-6 के भाग-2 के पैरा 4(ग) और पैरा 4(घ) के अंतर्गत अपेक्षित अन्य सभी सूचना या तो शून्य है अथवा लागू नहीं है।

20. (क) निवेश में ₹ 873.38 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1208.54 लाख) शामिल हैं जो केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड द्वारा परिवर्तित 'स्माल इज ब्यूटीफुल फंड (एसआईबी फंड) उद्यम पूंजीगत निधि' की ऐसी यूनिटों में कंपनी के अंशदान को दर्शाता है जिन्हें केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड द्वारा प्रोन्नत किया गया है। वर्ष के दौरान 33,51,613 यूनिट (गत वर्ष 23,84,981 यूनिट) विमोच्य थे।

कंपनी का नाम	निधि में अंशदान	निवास का देश	स्वामित्व का अनुपात
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड की एसआईबी निधि	₹ 873.38 लाख	भारत	9.74%

आगे अंशदान की कोई वचनबद्धता नहीं है।

(ख) आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक-27 के अधीन यथापेक्षित संयुक्त उद्यम में निगम के हित के संबंध में सूचनाः

निवेश में ₹ 62.50 लाख (पिछले वर्ष ₹ 62.50 लाख) भी शामिल है जो विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रोन्नत 'एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड' (ईईएसएल) नामक संयुक्त उद्यम कंपनी की इक्विटियों में निगम का अंशदान है। इसमें 31 मार्च, 2011 को ईईएसएल की 25% इक्विटी है। निगम ने ₹ 2437.50 लाख की रकम की और इक्विटी के आबंटन के लिए आवेदनपत्र दिया है जिसके संबंध में शेयर अभी आबंटित किए जाने हैं। इस निगम का संयुक्त उद्यम कंपनी के दिन-प्रति दिन के कार्यों में कोई महत्वपूर्ण नियंत्रण नहीं है, हालांकि इसका इस कंपनी में पूरा प्रभाव है। तदनुसार, निवेश को लागत पर हिसाब में लिया गया है।

21. त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत सब्सिडीः

निगम द्वारा एक ब्याज सब्सिडी खाता चलाया जा रहा है और यह भारत सरकार के अर्द्ध-सरकारी पत्र सं.32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 और कार्यालय ज्ञापन सं.32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अनुसार निर्दिष्ट दरों पर गणना किए गए निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार से सब्सिडी का दावा कर रहा है, भले ही वास्तविक वापसी अनुसूची, ऋण स्थगन अवधि तथा चुकौती की अवधि कुछ भी हो। निर्दिष्ट दर और आहरण के समय आकलित अवधि तथा वास्तविक रकम के मध्य अंतर का पता संबंधित योजना के अंत में ही लगाया जा सकता है।

22. लेखांकन मानक-26 ''अमूर्त परिसंपत्तियां'' में यथापेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में स्पष्टीकरणः

i)	परिशोधन दर	20%;यदि परिसंपत्ति का मूल्य 5000 रुपए अथवा कम है तो 100%
ii)	परिशोधन विधि	सीधी रेखा।

(₹ लाख में)

मिलान विवरण	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
सकल कैरिंग राशि	**433.95**	433.56
संचित मूल्यह्रास	**125.57**	39.16
सकल कैरिंग राशि - प्रारंभिक शेष	**433.56**	5.19
घटाएं : संचित मूल्यह्रास	**39.16**	2.63
कैरिंग राशि	**394.40**	2.56
वर्ष के दौरान परिशोधन	**0.39**	428.37
घटाएं : वर्ष के दौरान परिशोधन	**86.41**	36.53
तुलन-पत्र की तिथि को कैरिंग राशि	**308.38**	394.40

23. निगम आय पर करों हेतु लेखांकन पर लेखांकन मानक-22 के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के लिए प्रावधान करता रहा है।

(क) 31.03.2011 को आस्थगित कर देयता/परिसंपत्तियों के मुख्य घटक इस प्रकार हैं :

(₹ लाख में)

ब्यौरे	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (+)		
अर्जित अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	**714.11**	623.54
चिकित्सा अवकाश हेतु प्रावधान	**310.80**	251.12
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान	**257.29**	263.28
पेंशन योजना के लिए प्रावधान	**441.96**	0
विदेशों में गिरावट पर प्रावधान	**0**	8.21
जोड़	**1724.16**	1146.15
आस्थगित कर देयताएं (-)		
मूल्यह्रास	**-448.06**	-410.16
जोड़	**-448.06**	-410.16
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां +)/(देयताएं) (-)	**1276.10**	**735.99**

(ख) कंपनी ने विशेष आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता का सृजन आरंभ कर दिया है, जो वित्त वर्ष 2006-07 से आगे आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के अधीन सृजित और अनुरक्षित है। विशेष आरक्षित निधि के संबंध में आस्थगित कर देयता सामान्य आरक्षित निधि से रकम को अंतरित करके की गई है, जो वित्त वर्ष 2005-06 से सृजित की गई थी और वित्त वर्ष 2006-07 में भी सृजित की गई थी।

कंपनी ने एक बोर्ड संकल्प पारित किया है कि वह उस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का इरादा नहीं रखती है जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के अधीन

सृजित और अनुरक्षित है। अतः सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि को वापस नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार यह भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक-22 के अनुसार स्थायी अंतर बन जाता है। तदनुसार, यह कंपनी उपर्युक्त आरक्षित निधि के संबंध में कोई आस्थगित कर देयता का सृजन नहीं कर रही है।

अब, विभिन्न संबंधित प्राधिकरणों द्वारा दी गई राय पर विचार करते हुए और आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के अधीन सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि के कारण आस्थगित कर देयता सृजित न करने के उसी स्तर के अन्य संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली परिपाटी को भी ध्यान में रखते हुए, इस निगम का विचार है कि आईसीएआई के लेखांकन मानक-22 के अनुसार आस्थगित कर देयता की कोई जरूरत नहीं है। तदनुसार निगम ने आयकर अधिनियम, 1963 की धारा 36(i)(viii) के अधीन इस खाते में पिछले वर्षों से सृजित किए गए ₹ 96456.74 लाख की आस्थगित कर देयता को भी वर्ष 2009-10 में वापस कर दिया है।

24. कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) की, जिन पर ऋण बकाया थे अथवा जिनकी ओर से राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई थी, की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पुनर्संरचना की गई और उनके स्थान पर नए निकायों का गठन किया गया था। परिणामस्वरूप पूर्व एसईबी की देयताएं निगमों, नए निकायों और राज्य सरकारों के मध्य अंतरण समझौतों के निष्पादन पर नए निकायों को अंतरित की गई हैं।

25. 2006-07 तक आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन पर व्यय किए गए 643.98 लाख रुपए के खर्च उसके अनुदान से की गई जमा पर प्राप्त ब्याज से समायोजित किए गए थे और निगम ने समायोजन विनियोजित करने के लिए विद्युत मंत्रालय को सूचित किया है, जो अभी लंबित है। प्रबंधन मानता है कि वह राशि अभी भारत सरकार से प्राप्य है।

26. लेखांकन मानक-29 में यथापेक्षित प्रावधानों के ब्यौरेः

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
(क) अंतरिम लाभांश		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**34561.07**	25759.80
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**34561.07**	25759.80
अंतशेष	-	-
(ख) प्रस्तावित लाभांश		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**34566.07**	21466.50
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**39503.36**	34566.07
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**34566.07**	21466.50
अंतशेष	**39503.36**	34566.07
(ग) निगमित लाभांश कर		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**5741.01**	3648.23
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**12148.61**	10118.04
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**11481.17**	8025.26
अंतशेष	**6408.45**	5741.01
(घ) आयकर		
प्रारंभिक शेष	**180243.06**	109727.82
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**91561.84**	70515.24
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**52.66**	-
अंतशेष	**271752.24**	180243.06

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
(ड.) धन कर		
प्रारंभिक शेष	**36.00**	33.82
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**35.23**	36.00
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**35.54**	33.82
अंतशेष	**35.69**	36.00
(च) एफबीटी		
प्रारंभिक शेष	**36.09**	36.09
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	-	-
अंतशेष	**36.09**	36.09
(छ) आर्थिक पुनःस्थापन योजना		
प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**205.91**	-
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	-	-
अंतशेष	**205.91**	-
(ज) दीर्घ अवधि पंचाट		
प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**236.95**	-
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	-	-
अंतशेष	**236.95**	-
(झ) पेंशन योजना		
प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**1330.50**	-
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	-	-
अंतशेष	**1330.50**	-
(ञ) छुट्टी नकदीकरण		
प्रारंभिक शेष	**1834.48**	1624.79
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**469.47**	369.39
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**154.16**	159.70
अंतशेष	**2149.79**	1834.48
(ट) वेतन संशोधन		
प्रारंभिक शेष	**3306.24**	1280.00
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	2026.24
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**3306.24**	-
अंतशेष	-	3306.24
(ठ) उपदान		
प्रारंभिक शेष	**464.72**	974.96
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**290.01**	464.72
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**464.72**	974.96
अंतशेष	**290.01**	464.72
(ड) छुट्टी यात्रा रियायत		
प्रारंभिक शेष	**242.57**	222.81
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	19.76
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**242.57**	-
अंतशेष	-	242.57
(ढ) निपटान भत्ता		
प्रारंभिक शेष	**19.16**	17.49
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**4.31**	5.35

(₹ लाख में)

	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**2.33**	3.68
अंतशेष	**21.14**	19.16
(ण) प्रोत्साहन		
प्रारंभिक शेष	**3335.69**	1365.75
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**1639.83**	1969.94
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**3335.69**	-
अंतशेष	**1639.83**	3335.69
(त) चिकित्सा छुट्टी		
प्रारंभिक शेष	**865.20**	709.76
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**216.21**	221.46
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**19.36**	66.02
अंतशेष	**1062.05**	865.20
(थ) सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना		
प्रारंभिक शेष	**2742.05**	2244.77
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**1241.71**	678.26
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**243.18**	180.98
अंतशेष	**3740.58**	2742.05
(द) अनुग्रह राशि		
प्रारंभिक शेष	**639.48**	425.65
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	213.83
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**629.42**	-
अंतशेष	**10.06**	639.48

27. निगम ने एएस-15 (संशोधित 2005) ''कर्मचारी लाभ'' को अपनाया है। परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं निम्नलिखित हैं:

क. भविष्य निधि

निगम पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि का एक निश्चित अंशदान एक पृथक न्यास को देता है जो उस निधि का निवेश अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में करता है। इस न्यास द्वारा न्यास के सदस्यों के अंशदान पर एक न्यूनतम दर से ब्याज दिया जाना अपेक्षित होता है। 31 मार्च, 2011 को तत्संबंधी परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ सहित निधि की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत देयता से अधिक है।

ख. उपदान

निगम की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम के उपबंध के अनुसार उपदान का पात्र है। इस योजना का वित्तपोषण निगम द्वारा और प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

ग. सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

निगम की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और उसके दावों से होने वाले लाभों के निपटान की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (पति या पत्नी सहित) को निगम के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है।

घ. कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनःस्थापन योजना

यदि कोई कर्मचारी कंपनी की सेवा के दौरान स्थायी रूप से पूर्णतः अशक्त हो जाता है/यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार को आर्थिक लाभ और सहायता देने के लिए कारपोरेशन की एक योजना है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

ड. कर्मचारी की लंबी सेवा के लिए पुरस्कार योजना

निगम में कर्मचारियों की एक लंबी सेवा पुरस्कार योजना है जो निगम में लगातार 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी को दिया जाता है।

च. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)

सेवानिवृत्ति के समय पैतृक नगर में बसने के लिए निगम के पास कर्मचारी तथा आश्रितों हेतु एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में मान्यकृत है।

लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र में परिभाषित विभिन्न लाभों की सारांशीकृत स्थिति और उनके विश्लेषण की स्थिति निम्नानुसार है:

लाभ तथा हानि खातों में मान्यकृत व्ययः

(₹ लाख में)

ब्यौरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.11)	(31.03.10)	(31.03.11)	(31.03.10)	(31.03.11)	(31.03.10)
क) चालू सेवा लागत	**154.61**	139.91	**59.70**	57.10	**0.86**	0.78
ख) ब्याज लागत	**259.56**	198.00	**219.36**	168.36	**1.53**	1.31
ग) योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**(277.08)**	(243.67)	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
घ) लाभ एवं हानि खातों में मान्यकृत बीमांकित (लाभ) हानि	**152.92**	277.02	**962.64**	452.80	**1.91**	3.26
ड.) पूर्व सेवा लागत	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
च) लाभ एवं हानि खातों में मान्यकृत व्यय	**290.01**	371.26	**1241.71**	678.25	**4.31**	5.36

तुलन-पत्र में मान्यकृत रकम

(₹ लाख में)

ब्यौरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.11)	(31.03.10)	(31.03.11)	(31.03.10)	(31.03.11)	(31.03.10)
क)वर्ष की समाप्ति पर दायित्व का वर्तमान मूल्य	**3414.93**	3142.92	**3740.58**	2742.05	**21.14**	19.16
ख)वर्ष की समाप्ति पर योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**3129.59**	2779.83	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
ग) अंतर (ख-क)	**(285.34)**	(363.09)	**(3740.58)**	(2742.05)	**(21.14)**	(19.16)
घ) मान्य निवल परिसंपत्तियां/देयता (उपदान न्यास की)	**(285.34)***	(363.09)	**(3740.58)**	(2742.05)	**(21.14)**	(19.16)

परिभाषित लाभ/देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ लाख में)

ब्यौरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.11)	(31.03.10)	(31.03.11)	(31.03.10)	(31.03.11)	(31.03.10)
क) वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**3244.55**	2640.04	**2742.05**	2244.78	**19.16**	17.49
ख) ब्याज लागत	**259.56**	198.00	**219.36**	168.36	**1.53**	1.31
ग) पूर्व सेवा लागत	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
घ) चालू सेवा लागत	**154.61**	139.91	**59.70**	57.10	**0.86**	0.78
ड.) प्रदत्त लाभ	**(361.14)**	(105.42)	**(243.18)**	(180.98)	**(2.33)**	(3.68)
च) निवल बीमांकित (लाभ)/हानि	**117.34**	270.39	**962.64**	452.80	**1.91**	3.27
छ) वर्ष की समाप्ति पर परिभाषित लाभ/ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**3414.93**	3142.92	**3740.58**	2742.05	**21.14**	19.16

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तनः

(₹ लाख में)

ब्यौरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.11)	(31.03.10)	(31.03.11)	(31.03.10)	(31.03.11)	(31.03.10)
क) वर्ष के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य* (उपदान न्यास का)	***3244.55**	* 2640.04	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
ख) योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	**277.08**	243.68	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
ग) कंपनी का वास्तविक अंशदान	**4.67**	8.17	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
घ) प्रदत्त लाभ	**(361.13)**	(105.42)	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
ड.) योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ (हानि)	**(35.58)**	(6.63)	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
च) वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	**3129.59**	2779.84	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य

वर्ष के दौरान निगम ने उपदान ट्रस्ट में ₹ 290.01 लाख (गत वर्ष ₹ 464.72 लाख), पीआरएमएफ में ₹ 1241.71 लाख (पिछले वर्ष ₹ 497.27 लाख) और ओडीआरबी में ₹ 4.31 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1.67 लाख) की अंशदान देयता का प्रावधान किया।

अन्य कर्मचारी हितलाभ

वर्ष के दौरान अर्जित छुट्टी नकदीकरण के लिए ₹ 469.47 लाख (पिछले वर्ष ₹ 209.69 लाख) का प्रावधान, बीमारी की छुट्टी के लिए ₹ 216.21 लाख (पिछले वर्ष ₹ 155.44 लाख) का प्रावधान, आर्थिक पुनःस्थापन भत्ते के लिए ₹ 205.91 लाख (पिछले वर्ष शून्य) का प्रावधान और दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए ₹ 236.95 लाख (पिछले वर्ष शून्य) का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान लाभ और हानि लेखे में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और उसमें डाला जाएगा।

दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों को लागू करने के बाद इस वर्ष छुट्टी यात्रा रियायत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। छुट्टी यात्रा रियायत अब वेतन के साथ अदा किए जाने वाले मासिक अनुलाभों का भाग बन गई है।

पीआरएमएफ पर 1% बिंदु की वृद्धि और कमी का प्रभावः

(₹ लाख में)

ब्यौरे	31.3.2011 1% (+)	31.03.2010	31.03.2011 1% (-)	31.03.2010
क)सेवा और ब्याज की लागत	**40.88**	24.71	**(34.57)**	(20.69)
ख) पीबीओ (बंदी)	**501.10**	369.61	**(438.21)**	(309.62)

बीमा संबंधी पूर्व धारणाएं :

ब्यौरे	उपदान	पीआरएमएफ	ओडीआरबी
क) प्रयुक्त पद्धति	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
ख) छूट दर	8.00 (गत वर्ष 7.50)	8.00 (गत वर्ष 7.50)	8.00 (गत वर्ष 7.50)
ग) परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.54 (गत वर्ष 9.23)	शून्य (गत वर्ष शून्य)	शून्य (गत वर्ष शून्य)
घ) भावी वेतन वृद्धि	6.00 (गत वर्ष 5.50)	6.00 (गत वर्ष 5.50)	6.00 (गत वर्ष 5.50)

(क) लेखाकरण अवधि के दौरान परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर प्रतिलाभ की पूर्व मानित दर है।

(ख) प्रमुख धारणाएं छूट पर तथा वेतन संवृद्धि से संबंधित है। छूट दर साधारणतः एक अवधि में लेखाकरण तारीख को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार लाभ, जो देयताओं से मेल खाता हो, पर आधारित है तथा वेतन संवृद्धि दर में मुद्रा स्फीति, वरिष्ठता, प्रोन्नति तथा दीर्घावधि आधार पर अन्य संबंधित कारक शामिल हैं। उपरोक्त सूचना बीमांकक द्वारा प्रमाणित है।

28. (क) भारत सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के कार्यान्वयन हेतु आरईसी को एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। ऐसी योजनाओं के तहत प्राप्त निधियां विभिन्न एजेंसियों को संवितरण करने के लिए एक पृथक बैंक खाते में रखी गई हैं। असंवितरित निधियों तथा उनसे अर्जित ब्याज को वर्तमान देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान शून्य टीडीएस सहित (गत वर्ष ₹ 154.43 लाख) ₹ 1143.02 लाख (पिछले वर्ष ₹ 880.73 लाख) के अर्जित ब्याज को आरजीजीवीवाई के अनुदान खाते में डाला गया है तथा आरईसी द्वारा ऐसे टीडीएस को अंततः सरकारी कोष में डाल दिया गया है।

29. वर्ष के दौरान निगम ने अपनी अधिशेष निधियों को लिक्विड स्कीम और लिक्विड प्लस स्कीम में सार्वजनिक म्यूचुअल फंड के साथ निवेश किया है। यह स्कीम इस वर्ष अपने आप डिस्इन्वेस्टेड हो गई है।

30. निगम का मुख्य व्यवसाय विद्युत क्षेत्र के लिए वित्त व्यवस्था करना है। तदनुसार, निगम के पास भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक संख्या 17 के अनुसार रिपोर्टिंग के लिए एक से अधिक विषय नहीं हैं।

31. निगम ने ईआरपी डेटा केंद्र के लिए कार्यालय और स्थान ले लिया है। इन्हें प्रचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनके संबंध में पट्टे की अदायगी ₹ 101.54 लाख है, जिसे अनुसूची 15 में प्रशासनिक व्यय' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। इन पट्टा करारों के संबंध में भावी पट्टा अदायगियां इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

भविष्य में की जाने वाली न्यूनतम पट्टा किराया अदायगी की परिपक्वता का विवरण	ईआरपी के डेटा केंद्र के लिए 31.03.2011	ईआरपी के डेटा केंद्र के लिए 31.03.2010	स्थान के लिए 31.03.2011	स्थान के लिए 31.03.2010
एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं	**49.67**	39.89	**141.51**	136.67
एक वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम के लिए नहीं	**115.76**	154.93	**649.75**	601.27
5 वर्ष से अधिक के लिए	**शून्य**	शून्य	**414.91**	376.66
जोड़	**165.43**	**194.82**	**1206.17**	**1114.60**

32. बांड श्रृंखला और अन्य जमानती उधारों को आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड और आरएल एवं एफएस ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में, वर्तमान और भावी दोनों प्राप्त रकमों पर प्रभार करके प्रतिभूत किया जाता है। यह प्रक्रिया दिनांक 25 जनवरी, 2008 के संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर की जाती है। ₹ 2,76,736 लाख (पिछले वर्ष ₹ 4,30,509 लाख) की कतिपय विशिष्ट प्राप्त रकम को आईएल एवं एफएस के पक्ष में मालबंधित किया गया है। उपर्युक्त करार के अनुसार ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने आईआईएफसीएल से उपलब्ध ₹ 1,87,000 लाख (पिछले वर्ष ₹ 87,000 लाख) के ऋण की पुनः वित्तपोषण व्यवस्था की है। इसे भी प्रतिभूतियों की श्रृंखला के संबंध में उसी करार के अंतर्गत लाया जाएगा और आईआईएफसीएल इन ट्रस्टियों पर समरूप प्रभार प्राप्त होने पर प्रभारित करेगा।

33. 31 मार्च, 2011 को निगम का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 19.09% (पिछले वर्ष 16.05%) है।

34. फिर से तय ऋण वापसी का संचलन इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

ब्यौरे	31.03.2011 की स्थिति	खातों की संख्या	31.03.2010 की स्थिति	खातों की संख्या
आरंभिक शेष		14		9
मूलधन	**700501.58**		**2,28,029.89**	
ब्याज	**78455.41**		**1,01,169.91**	
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए खाते)		3		6
उपचित ब्याज				
मूलधन	**101146.07**		**418969.67**	
ब्याज	**831.35**		**0.00**	
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
मूलधन	**59050.26**		**87914.87**	
उपचित ब्याज	**99561.73**		**73318.36**	
वर्ष के दौरान प्राप्त*				
मूलधन	**38303.55**		**34412.85**	
ब्याज	**107101.44**		**96042.86**	
अंतशेष				
मूलधन	**822394.35**	16	**700501.58**	14
ब्याज	**71737.04**		**78445.41**	

*इसमें पूर्व प्रदत्त एक मामला भी शामिल है (पिछले वर्ष एक मामला था)।

35. सहायक कंपनियां पूर्णतः धारक कंपनी के स्वामित्व में हैं। इन कंपनियों के मुख्य प्रबंधन कार्मिक धारक कंपनी के कर्मचारी हैं जिन्हें अंशकालिक आधार पर इन कंपनियों में तैनात किया गया है।

ऐसे मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के विवरण इस प्रकार हैं:

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	अलग होने की तारीख
1.	श्री पी. उमा शंकर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.03.2008	15.6.2010
2	डॉ. ज.मो. फाटक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	15.6.2010	16.4.2011
3.	श्री रमा रमन	निदेशक	08.01.2007	04.04.2010
4.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक	27.12.2008	जारी
5.	श्री प्रकाश जे. ठक्कर	निदेशक	08.01.2007	जारी

आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	अलग होने की तारीख
1.	श्री पी. उमा शंकर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.03.2008	15.06.2010
2	डॉ. ज.मो. फाटक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	15.6.2010	16.4.2011
3.	श्री रमा रमन	निदेशक	12.07.2007	04.04.2010
4	श्री प्रकाश जे. ठक्कर	निदेशक	23.04.2010	जारी
5.	श्री संजीव गर्ग	निदेशक	10.08.2007	जारी
6.	श्री राकेश के. अरोड़ा	निदेशक	29.09.2009	22.03.2011

36. वर्ष के दौरान आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की निम्नलिखित सहायक कंपनियों को बेचा गया :

1. नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(मैसर्स रिलायंस पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिनांक 20.05.2010 को अंतरित)
2. तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(मैसर्स रिलायंस पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिनांक 27.04.2010 को अंतरित)
3. रायचूर शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, मैसर्स सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मैसर्स बीएस ट्रांस्को लिमिटेड के परिसंघ को दिनांक 07.01.2011 को अंतरित)

37. आंकड़ों को निकटतम लाख ₹ तक पूर्णांकित (राउंड ऑफ) किया गया है।

38. अनुसूची 1 से 17 तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खातों के एक अभिन्न भाग हैं और उन्हें अधिप्रमाणित किया गया है।

इन अनुसूचियों पर किए गए हस्ताक्षर तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि तथा उपयुक्त टिप्पणी के भाग होंगे।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं.. : 88155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 006591एन

कृते बंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता सं.. : 70811
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 001113एन

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24 मई, 2011

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

वी.के. अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

पी.जे. ठक्कर
निदेशक (तकनीकी)

एच.डी. खुंटेटा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)

राकेश के. अरोड़ा
कंपनी सचिव

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. समेकन के सिद्धांत

ये समेकित वित्तीय विवरण रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (''कंपनी'') और इसकी सहायक कंपनियों से संबंधित हैं। ये समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधारों पर तैयार किए गए हैं:

इस कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लाइन बाई लाइन आधार पर जोड़ दिया गया है और इसमें परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के खाता मूल्य जैसी मदों को जोड़ा गया है। इस प्रकार की कार्रवाई लेखाकरण मानक (एएस) 21 - ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार अंतर-समूह संतुलन और अंतर-समूह लेन-देनों को पूर्णतः हटाने के बाद की गई है।

जहां तक संभव है, समेकित वित्तीय विवरणों को एकसमान परिस्थितियों में किए गए लेन-देनों और अन्य घटनाओं जैसी एकसमान लेखाकरण नीति का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है और इन्हें कारपोरेशन के पृथक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया गया है।

2. अन्य महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

इस प्रकार की नीतियां ''महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति'' नामक शीर्षक के अधीन रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के स्थायी वित्तीय विवरणों में दी गई हैं।

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह

(लाख ₹ में)

ब्योरे		31.03.2011 को समाप्त वर्ष		31.03.2010 को समाप्त वर्ष	
क.	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	कर-पूर्व निवल लाभ	**349,915.66**		268,076.18	
	निम्नलिखित हेतु समायोजन				
1.	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	**0.46**		-1.67	
2.	मूल्यह्रास	**307.06**		217.75	
3.	अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**22.17**		22.18	
4.	बट्टेखाते डाला गया अधिक प्रावधान	**-2,921.31**		-107.51	
5.	''स्मॉल इज ब्यूटीफुल फंड'' की यूनिटों के निवेश की बिक्री/आय पर लाभ	**-189.89**		-67.11	
6.	विनिमय दर अंतर में हानि/(लाभ)	**-8,533.04**		-	
7.	सहायक कंपनी आरईसी-पीडीसीएल से लाभांश	**-5.00**		-5.00	
8.	प्रावधान से अधिक अदा किया गया लाभांश और लाभ कर	**1.35**		0.90	
9.	बट्टे खाते में डाले गए बांड निर्गम पर छूट	**84.71**		-	
10.	ब्याज आय	**-14.28**		-	
11.	म्यूचुअल फंड पर लाभांश	**-347.44**		-978.98	
12.	बट्टेखाते डाले गए प्रारंभिक व्यय	**0.13**		0.13	
	कार्यशील पूंजी प्रभारों से पूर्व प्रचालन लाभः	**338,320.58**		267,156.87	
	बढ़ोतरी/कमीः				
1.	ऋणः	**-1,567,966.69**		-1,507,138.98	
2.	विविध देनदार	**2,514.05**		-4,356.78	
3.	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	**3,894.69**		-12,092.99	
4.	अन्य ऋण एवं अग्रिम	**4,421.12**		172,025.03	
5.	वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	**37,962.84**		-118,146.39	
	प्रचालनों से नकदी बाह्य प्रवाह	**-1,180,853.41**		-1,202,553.24	
1.	आय कर की अग्रिम अदायगी	**-97,076.82**		-68,544.87	
2.	आय कर की वापसी	**-**		2,049.58	
3.	प्रदत्त धन कर	**-35.54**		-36.65	
	प्रचालन क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी		**-1,277,965.77**		-1,269,085.18
ख.	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
1.	स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	**3.18**		9.10	
2.	स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद (पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम सहित)	**-130.40**		-1,368.74	
3.	मध्य प्रदेश सरकार के 8% पावर बांड-II का विमोचन	**9,432.00**		9,432.00	
4.	''स्माल इज ब्यूटीफुल'' फंड यूनिटों में निवेश	**310.99**		238.50	
5.	'स्माल इज ब्यूटीफुल फंड की यूनिटों में निवेश पर आय	**189.89**		67.11	
6.	ईईएसएल के शेयरों में निवेश	**-**		-62.50	
7.	एसपीवी में शेयरों का विमोचन	**15.00**		-	
8.	प्रारंभिक व्यय	**-**		-0.41	
9.	म्युचुअल फंडों पर प्राप्त लाभांश	**347.44**		978.98	
10.	ब्याज आय	**14.28**		-	
11.	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से लाभांश	**5.00**		5.00	
	निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी		**10,187.38**		9,299.04
ग.	**वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
1.	बांडों का निर्गम	**1,543,243.48**		1,659,115.39	
2.	बांडों का विमोचन	**-509,820.54**		-836,162.65	
3.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सावधिक ऋण/एसटीएल जुटाना (निवल)	**67,770.85**		106,037.86	
4.	विदेशी मुद्रा ऋण जुटाना	**559,142.99**		58,269.18	
5.	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (निवल वापसी)	**484,130.98**		501,976.13	
6.	अनुदानों का संवितरण	**-402,541.89**		-600,367.03	
7.	सरकारी ऋणों की चुकौती	**-1,329.16**		-1,532.64	
8.	प्रदत्त अंतिम लाभांश	**-34,561.66**		-21,467.27	
9.	अंतिम लाभांश पर प्रदत्त निगमित लाभांश कर	**-5,739.43**		-3,648.36	
10.	शेयरों का निर्गम	**-**		12,879.90	
11.	शेयरों के निर्गम पर प्रतिभूतियों का प्रीमियम	**41.32**		249,918.17	
12.	कमर्शियल पेपरों का निर्गम	**-**		315,000.00	
13.	कमर्शियल पेपरों की चुकौती	**-245,000.00**		-199,500.00	
14.	प्रदत्त अंतरिम लाभांश	**-34,561.64**		-25,759.80	
15.	अंतरिम लाभांश पर प्रदत्त निगमित लाभांश कर	**-5,740.25**		-4,377.03	
	वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी अंतःप्रवाह		**1,415,035.05**		1,210,381.85
	नकदी तथा नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी		**147,256.66**		-49,404.29
	01 अप्रैल, 2010 को नकदी तथा नकदी समतुल्य		**139,422.37**		188,827.09
	31 मार्च, 2011 को नकदी तथा नकदी समतुल्य		**286,679.03**		139,422.80
	नकदी तथा नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी		**147,256.66**		-49,404.29

टिप्पणीः पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हुआ, पुनः व्यवस्थित तथा पुनः समूहबद्ध किया गया है।

- प्रारंभिक नकद एवं नकद समतुल्य में अंतर तीन एसपीवी अर्थात नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, तलचर-2 ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और रायचूर शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के कारण है, जोकि वर्ष के दौरान पहले ही बेची जा चुकी हैं, और इनका 31.03.2010 को 0.43 लाख रुपए शेष है।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं.. : 88155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 006591एन

कृते बंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता सं.. : 70811
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 001113एन

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24 मई, 2011

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

वी.के. अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

पी.जे. ठक्कर
निदेशक (तकनीकी)

एच.डी. खुंटेटा
अध्यक्ष एवं प्रबंध
निदेशक और
निदेशक (वित्त)

राकेश के. अरोड़ा
कंपनी सचिव

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

1. हमने मैसर्स रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) और इसकी सहायक कंपनियों के 31 मार्च, 2011 के संलग्न समेकित तुलनपत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ-हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन के वर्ग का है। हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में अपनाए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम योजना बना कर और लेखापरीक्षा करके आश्वस्त करें कि वित्तीय विवरण में गलतबयानी न हो। लेखापरीक्षा में परख के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्य की जांच शामिल होती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन वर्ग द्वारा प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा यह मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाती है।

3. हम रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी के प्रबंधन द्वारा समेकित वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक (एएस21) ''समेकित वित्तीय विवरण'' की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

4. हम कंपनी की सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं करते। इनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्टें हमें भेजी गई थी। इन कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार कुल संपत्तियां ₹ 60.02 करोड़ (पिछले वर्ष की ₹ 54.10 करोड़ तथा उक्त तारीख को समाप्त वर्ष को कुल राजस्व ₹ 34.94 करोड़ (पिछले वर्ष का ₹ 40.02 करोड़) दर्शाया गया है। जहां तक इन सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों का संबंध है, हमारा मत पूर्णतः सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर आधारित है।

5. हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन और हमारी लेखापरीक्षा एवं सहायक कंपनियों के अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की समेकित रिपोर्ट के आधार पर तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारा यह मत है कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण, इनके संबंध में टिप्पणियों एवं लेखाकरण नीतियों के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना यथा अपेक्षित ढंग से और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करते हैं:

   (क) समेकित तुलनपत्र के मामले में 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के कार्यों की स्थिति।

   (ख) समेकित लाभ एवं हानि खाते के मामले में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों का लाभ; और

   (ग) समेकित नकद प्रवाह विवरण के मामले में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों का नकदी प्रवाह।

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

आर.सी. पांडेय
भागीदार
सदस्यता सं. 070811
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. 001113एन

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं. 88155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. 006591एन

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24.5.2011

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. की प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में विवरण/सूचना

(कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के अनुसरण में)

(कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) अंतर्गत नियंत्री कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के तुलन पत्र में अनुषंगी कंपनियों के वार्षिक लेखे संलग्न करने से कंपनियों को सामान्य छूट देने वाले कारपोरेट मामले मंत्रालय के सामान्य पत्र सं.2/2011/दिनांक 08 फरवरी, 2011 के सुझाव अनुसार)

क्रम सं.	विवरण	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लि.	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.
(क)	पूंजीगत	5.00	5.00
(ख)	आरक्षित	3072.39	810.12
(ग)	कुल परिसंपत्तियां	3079.63	2953.70
(घ)	कुल देयताएं	3079.63	2953.70
(ड़)	निवेश के विवरण (अनुषंगी कंपनियों में निवेश मामलों को छोड़कर)	-	-
(च)	टर्न-ओवर	1648.71	2044.66
(छ)	कराधान पूर्व लाभ	1636.22	616.63
(ज)	कराधान के लिए प्रावधान	543.94	212.66
(झ)	कराधान पश्चात लाभ	1092.28	403.97
(ण)	प्रस्तावित लाभांश	-	5.00

आरईसी कार्यालयों के पते

क्र. सं.	राज्य/संघशासित	पता	टेलीफोन नं.	फैक्स/ई-मेल
1	2	3	4	5
	कारपोरेट आफिस	कोर,4 स्कोप कांप्लेक्स 7,लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003	41020101	फैक्सः 011- 24360644 ई- मेलः reccorp@recl.nic.in
	आंचलिक कार्यालय			
क्र. सं.	**आंचलिक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आंचलिक कार्यालयों/राज्य एवं संघशासित क्षेत्र का अंचल/स्थान**	**पता**	**टेलीफोन नं.**	**फैक्स/ई-मेल**
1.	**दक्षिणी अंचल,** **हैदराबाद** आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी एवं तमिलनाडु	शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर के निकट, नेशनल हाइवे नं. 7 हैदराबाद-500052	24014034 24016023 24018587	फैक्स : 040-24014235 ई-मेल : zmhyderabad@recl.nic.in
2.	**पूर्वी अंचल,** **कोलकाता** पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम और उड़ीसा	आईसीएमएआरडी बिल्डिंग, 7वां तल, ब्लॉक 14/2 सीआईटी स्कीम -VIII (एम) उल्टाडंगा, कोलकाता - 700067	23566989 23567017 23567018	फैक्स : 033-23566991 ई-मेल : zmkolkata@recl.nic.in
3.	**पूर्व मध्य अंचल,** **पटना** बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और झारखंड	मौर्य लोक कांप्लेक्स, ब्लॉक -सी, चतुर्थ तल, न्यू डाक बंगला रोड, पटना-800001	2221131 2224596	फैक्स : 0612-2224596 ई-मेल : recpatna@yahoo.co.in popatna@recl.nic.in
4.	**पश्चिमी अंचल,** **मुंबई** महाराष्ट्र, गुजरात, दादर एवं नगर हवेली, मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़, गोवा, दमन एवं दीव	51, बी, मित्तल टावर, पांचवा तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400021	22831004 22830985 22833055	फैक्स : 022-22831004 ई-मेल : zmmumbai@recl.nic.in
5.	**उत्तरी अंचल,** **पंचकुला** हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश	बे सं. 7-8, सेक्टर-2, पंचकुला- 134112	2563864 2563863 2563822	फैक्स : 0172-2567692 ई-मेल : popanchkula@recl.nic.in zmpanchkula@recl.nic.in
	परियोजना कार्यालय			
1.	आंध्र प्रदेश	शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर के निकट, नेशनल हाइवे नं.7 हैदराबाद-500052	24014034 24016023 24018587	फैक्स : 040-24014235 ई-मेल : zmhyderabad@recl.nic.in
2.	असम, नगालैंड, एवं अरूणाचल प्रदेश	"श्रद्धा" एम.जी.रोड -जी.एस.रोड क्रासिंग (सोहुम/एचडीएफसी प्वाइंट) क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी-781005	2343714 2343713	फैक्स : 0361-2343712 ई-मेल : cpmpog@sify.com Poguwahati @ recl.nic.in
3.	बिहार	मौर्य लोक कांप्लेक्स, ब्लॉक -सी, चतुर्थ तल, न्यू डाक बंगला रोड, पटना-800001	2221131 2224596	फैक्स : 0612-2224596 ई-मेल : recpatna@yahoo.co.in popatna@recl.nic.in
4.	झारखंड	ए-101 एवं डी -104, ओम श्री एन्क्लेव, लोयोला स्कूल के पास, एयरपोर्ट रोड, हीनू रांची-834002	2253123	फैक्स : 0651-2251320 ई- मेलः rec_ranchi@yahoo .com poranchi@recl.nic.in

क्र. सं.	राज्य/संघशासित	पता	टेलीफोन नं.	फैक्स/ई-मेल
1	2	3	4	5
5.	गुजरात, दादर व नगर हवेली	प्लॉट नं.585, टी.पी. स्कीम नं. 2, पुष्टि कांप्लेक्स के सामने, वी.एम.सी. वार्ड आफिस के सामने, आत्मा ज्योति आश्रम रोड, सुभानपुरा, वडोदरा-390023	2386760 2397487 2252473(नि.)	फैक्स : 0265-2397652 ई-मेल : recbaroda@gmail.com recvadodara@gmail.com povadodara@recl.nic.in
6.	हरियाणा, दिल्ली, चंड़ीगढ एव पंजाब	बे नं.7-8, सेक्टर-2, पंचकुला-134112	2563864 2563863 2563822	फैक्स : 0172-2567692 ई-मेल : popanchkula@recl.nic.in zmpanchkula@recl.nic.in
7.	हिमाचल प्रदेश	पंडित पदमदेव कमर्शियल कांप्लेक्स, फेस II, प्रथम तल, दि रिज, शिमला-171001	2653411 2804077	फैक्स : 0177-2804077 ई-मेल : poshimla@recl.nic.in
8.	जम्मू एवं कश्मीर	157-ए, गांधी नगर, अप्सरा सिनेमा के पीछे जम्मू-180004	2450868 2566701(नि.)	फैक्स : 0191-2450868 ई-मेल : pojammu@recl.nic.in
9.	कर्नाटक	नं.1/5, अलसूर रोड, बंगलौर-560042	25598243 25550240 25598244	फैक्स : 080-25598243 ई-मेल : pobanglore@ recl.nic.in ruralblr_cpm@dataone.in
10.	केरल एवं लक्षदीप	"ओ " 5, चतुर्थ तल, "सफालियम" कमर्शियल कांप्लेक्स, ट्रिडा बिल्डिंग पलायम, तिरूवनंतपुरम-695034	2328662 2328579	फैक्स : 0471-2328579 ई-मेल : tvmrec@dataone.in recpotvm@dataone.in potrivandrum@recl.nic.in
11.	मध्य प्रदेश एवं छत्तीस गढ़	ई-3/15, अरेरा कालोनी, भोपाल	2460006 09425412289	फैक्स : 0755-2460008 ई-मेल : zmjabalpur@rec.nic.in : reccentralzone@yahoo.com
12.	महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव	51, बी, मित्तल टावर, पांचवा तल, नरीमन प्वाइंट मुंबई-400021	22831004 22830985 22833055	फैक्स : 022-22831004 ई-मेल : zmmumbai@recl.nic.in
13.	मेघालय, मणिपुर एवं मिजोरम	रिनाडी ओल्ड जोबाई रोड, लाचुमियर, शिलांग-793001	2210190 2225687 2536860(नि.)	फैक्स : 0364-2225687 ई-मेल : poshillong@recl.nic.in
14.	उड़ीसा	दीन दयाल भवन, पांचवां तल, अशोक नगर, जनपथ, भुवनेश्वर - 751009	2536649 2393206 2431158(नि.)	फैक्स : 0674 -2536669 ई-मेल : recpobbsr@ yahoo.co.in pobhubaneswar@ recl.nic.in
15.	राजस्थान	जे-4-ए, झालाना डूंगरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर-302004	2706986 2707840 2203317(नि.)	फैक्स : 0141-2706986 ई-मेल : pojaipur@recl.nic.in recpojaipur@rediffmail.com
16.	तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	नं. 12 एवं 13 टी.एन.एच.बी. कांप्लेक्स, लूज चर्च रोड, 180, (लूज कॉर्नर) माइलापोर, चेन्नै - 600004	24672376 24987960	फैक्स : 044-24670595 ई-मेल : pochennai@recl.nic.in
17.	उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	19/8, इंदिरा नगर विस्तार, रिंग रोड, लखनऊ-226016	2716324 2717376 2716446	फैक्स : 0522-2716815 ई-मेल : recupp0@yahoo.co.in zmlucknow@recl.nic.in
18.	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	आईसीएमएआरडी, बिल्डिंग, 7वां तल, ब्लॉक 14/2, सीआईटी स्कीम-VIII (एम), उल्टाडंगा, कोलकाता-700067	23566989 23567017 23567018	फैक्स : 033-23566991 ई-मेल : zmkolkata@recl.nic.in
	उप कार्यालय			
1.	छत्तीसगढ़	केएच सं. 185/17, शांति विहार कालोनी, (विवेकानंद स्कूल के सामने) दाऊगनिया रायपुर-492013	2241055	फैक्स : 0771-2241055
2.	देहरादून	7, न्यू रोड, एमकेपी कालेज के सामने, देहरादून-248001	2650766	फैक्स : 0135-2650799
	प्रशिक्षण केंद्र			
	सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन (सायर)	शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर के निकट, नेशनल हाइवे नं.-7, हैदराबाद-500052	24018583 24015901 24017252	फैक्स : 040-24015896 ई-मेल : cire@recl.nic.in

सीएसआर उपायों के जरिए आरईसी ने विकास में सहयोग किया।

आरईसी ने गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान एवं घन भौतिकी तथा जूनियर सांइस में 2010 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड विजेताओं को एचबीसीएससी, टीआईएफआर, मुंबई के साथ मिलकर 22 दिसंबर, 2010 को पुरस्कृत किया।

स्वर्ण पदक	**आकांशा शारदा** (आईपीएचओ, जगरेब, क्रोएशिया), **सहल कौशिक** (आईबीओ, चंगवान, कोरिया), **चिराग मोदी, नितेश कुमार सिंह** एवं **अनिरूद्ध बापट** (आईओएए, बीजिंग, चीन), **आयुष शर्मा, अश्विन श्रीनिवास एवं यश गुप्ता** (आईजेएसओ)
रजत पदक	**मेहुल कुमार, शिवम हांडा एवं विपुल सिंह** (आईपीएचओ, जगरेब, क्रोएशिया), **दीप्तार्क हेत, निकुंज उमेश सौंशी एवं सुरेन्द्र कोटरा** (आईसीएचओ, टोक्यो, जापान), **अपूर्व सिंह यादव, प्रीत हाथी एवं सैयद मुस्तफा हाश्मी** (आईबीओ, चंगवान, कोरिया), **आकाशनील दत्ता तथा गौरव डी. पाटिल** (आईएमओ अस्ताना, कजाखस्तान), **हरीन रवि चंदीरन, एन भारत शिवराम तथा साई अखिल सुग्गू** (आईजेएसओ)
कांस्य पदक	**संचार शर्मा** (आईपीएचओ, जगरेब, क्रोएशिया), **अमित पंघल** (आईसीएचओ, टोक्यो, जापान), **शांतनु अग्रवाल एवं कोट्टूर सात्विक** (आईओएए, बीजिंग, चीन), **सात्यकि मुखर्जी** (आईएमओ अस्ताना, कजाखस्तान)

सम्मान सहित उल्लेख - रोनोदास, अक्षय देगवेकर एवं आनन्द देगवेकर (आईएमओ अस्ताना, कजाखस्तान)

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रॉक्सी फार्म

डीपी पहचान सं.		ग्राहक पहचान सं.	
धारित शेयरों की सं.		रजिस्टर्ड फोलियो सं.	

मैं/हम..... सपुत्र/सुपुत्री श्री.....जिला..... रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्य होने के नाते श्री/श्रीमती..... को शनिवार, 17 सितंबर, 2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे होने वाली कंपनी की 42वीं वार्षिक साधारण बैठक में और उसकी किसी स्थगन बैठक में मेरी/हमारी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए एतद्द्वारा अपना/हमारा प्रॉक्सी नियुक्त करता हूं/ करते हैं।

हस्ताक्षर.....दिन.....2011

———————————

(हस्ताक्षर)

समुचित मूल्य की रसीदी टिकट चिपकाए

*ऐसे निवेशकों के संबंध में लागू जिनके पास फिजिकल रूप में शेयर हो।

टिप्पणीः यह प्रॉक्सी फार्म विधिवत् भर कर और हस्ताक्षर कर के कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक आरंभ होने से पहले 48 घंटे के अंदर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

उपस्थिति पर्ची

सदस्य या उनके प्रॉक्सियों से अनुरोध है कि वे विधिवत हस्ताक्षरित इस फार्म को बैठक में प्रवेश के लिए प्रस्तुत करें। ध्यान रहे कि उनके हस्ताक्षर वैसे ही हों जैसे कंपनी में उनके नमूना हस्ताक्षर पंजीकृत हैं।

बैठक में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

* रजिस्टर्ड फोलियो संख्या : _____

धारित शेयरों की संख्या : _____

डीपी पहचान सं. _____ ग्राहक पहचान सं. _____

मैं शनिवार, दिनांक 17 सितंबर, 2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, धौला कुंआ, नई दिल्ली-110010 में आयोजित कंपनी की 42वीं वार्षिक साधारण बैठक में एतद्द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।

कृपया निम्नलिखित बॉक्स में सही (✔) का निशान लगाएं :

☐ सदस्य ☐ प्रॉक्सी

*ऐसे निवेशकों के संबंध में लागू जिनके पास फिजिकल रूप में शेयर हों

———————————

सदस्य/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

आर ई सी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)